आर्थिक सर्वेक्षण
वर्ष 2014-15

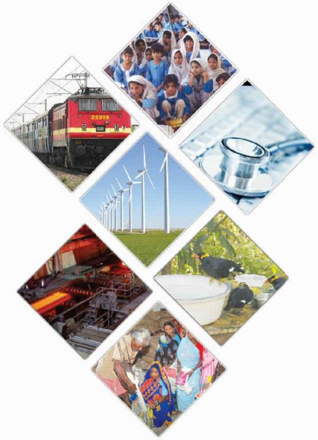

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2014-15

Chawan jeet

यह प्रकाशन www.descg.gov.in वेबसाइट में अपलोड है

छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2014 - 15

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2014—15'' नामक यह प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यि की संचालनालय, छत्तीसगढ द्वारा तैयार किया गया है जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति का विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2014—15'' प्रकाशन को परिमार्जन एवं नया स्वरूप प्रदान करने में श्री डी.एस.मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना तथा श्री देवाशीष दास, सचिव, योजना एवं सांख्यिकी के मार्गदर्शन में संचालनालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रकाशन को अंतिम रूप देने में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।

संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

अमिताभ पाण्डा

आयुक्त, सह—संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनायल
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर,
दिनांक : फरवरी, 2015

विषय सूची

भाग–एक (आर्थिक विवेचना)

क्र.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	1–10
1	आर्थिक स्थिति –एक समीक्षा	11–13
2	जनसंख्या	14–19
3	राज्यीय आय	20–33
4	मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	34–46
5.	लोक वित्त	47–52
6.	संस्थागत वित्त एवं विनियोजन	53–58
7.	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	59–85
8.	वानिकी	86–90
9.	खनिज	91–95
10.	उद्योग	96–110
11.	विद्युत एवं आधारभूत संरचना	111–124
12	ग्रामीण विकास एवं रोजगार	125–132
13.	नगरीय विकास	133–138
14	सामाजिक क्षेत्र	139–175
15.	राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियॉ	176–181

छत्तीसगढ़

एक दृष्टि में

21वीं सदी के नये राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवम्बर, 2000 को किया गया। यह अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ी बोली वाले क्षेत्र विशेष दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ अस्तित्व में आया। रायपुर शहर को राज्य की राजधानी का दर्जा दिया गया । छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर उत्तर–पश्चिम की ओर मध्यप्रदेश, उत्तर में उत्तर–प्रदेश, उत्तर–पूर्व में झारखण्ड, पूर्व में ओड़िसा, दक्षिण में तेलंगाना, दक्षिण–पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य की सीमा अवस्थित है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत 27 जिले, 149 तहसील व 146 ब्लॉक प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्यरत है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में एक भूआवेष्ठित प्रदेश है। जो कि 135,192 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल के साथ भारत का 10वां बड़ा राज्य एवं तमिलनाडू राज्य से बड़ा है। छत्तीसगढ़ 189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. जनसंख्या घनत्व के साथ निम्न जन घनत्व

वाले प्रदेश के रूप में विद्यमान है। छत्तीसगढ़ सुशासन की प्राथमिकता के ध्येय के साथ तीव्रतम गतिशील राज्य है। जहां नीतिगत एवं राजनैतिक स्थिरता दोनों ही विद्यमान है। राज्य शासन की नीतियों के तहत राज्य की राजस्व स्थिति सुदृढ़ है। जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 2.55 करोड़ है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.3% के साथ पुरूष साक्षरता दर 80.27% व स्त्री साक्षरता दर 60.24% हैं। पुरूष और स्त्री जनसंख्या में लैंगिक अनुपात के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में तीसरा है, अर्थात प्रति एक हजार पुरूषों के बीच स्त्रियों की संख्या 991 हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र पर्वतों से आच्छादित है, जबकि मध्य क्षेत्र उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। संपूर्ण भारत के वन क्षेत्रफल के 12% वन छत्तीसगढ़ में है, यह राज्य के क्षेत्रफल का 44% है। जो कि भारत में सघन वन, जैव विविधता की बहुलता, श्रेष्ठ वन्य जीवन, हरित वन क्षेत्र के रूप में समृद्ध राज्य है, तथा वन क्षेत्र से प्राप्त वनोपज राज्य की आय वृद्धि में सहायक है। राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा (वाइल्ड् बफैलो), राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना (हिल मैना) तथा राजकीय वृक्ष साल (सरई) है, जो बस्तर संभाग में प्रमुखता से पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र गंगा अपवाह क्षेत्र का हिस्सा है व रिहन्द नदी प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस क्षेत्र के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी व पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार अवस्थित है। इस अपवाह के पूर्व—पश्चिम पर्वतीय पट्टी के द्वारा महानदी अपवाह क्षेत्र, गंगा अपवाह क्षेत्र से पृथक होता है। राज्य का यह अपवाह क्षेत्र अपनी उच्च उर्वरा क्षमता से जाना जाता है, जो कि राज्य का उच्च फसलीय क्षेत्र है।

छत्तीसगढ़ राज्य की 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिनकी जीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि व लघु उद्योग है। राज्य में बोयी जाने वाली मुख्य फसलों में धान, मक्का, कोदो कुटकी, छोटे अनाज, दलहन व तिलहन है, धान छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख फसल है। छत्तीसगढ़ राज्य के 77% क्षेत्र में उक्त फसलों को बोया जाता है तथा 31% फसलीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मौजुद है। इसके अतिरिक्त मूंगफली व सोयाबीन का भी उत्पादन राज्य में प्रमुखता से किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य एक मौसमी जलवायु वाला प्रदेश है, यहां की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु है, तथा राज्य में वर्षा मानसून पर निर्भर है। गर्मी के मौसम में राज्य का तापमान लगभग 45 °C होता है, राज्य में मानसून की शुरूवात जून माह में होती है। वर्षा जून से अक्टूबर माह तक होती है तथा औसतन 125-150 से.मी. वर्षा होती है। ठंड के मौसम की शुरूवात नवम्बर माह से जनवरी माह तक रहती है, जो कि राज्य का सबसे खुशनुमा मौसम है इस मौसम में राज्य का तापमान निम्न व आद्रता भी कम होती है, औसत तापमान 0—25°C तक रहता है।

छत्तीसगढ़ राज्य अपार संभावनाओं से युक्त व खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, यहां विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपलब्धता है, हीरे का उत्खनन मैनपाट एवं देवभोग क्षेत्र में होता है। प्रदेश में बड़े स्टील उद्योग, एल्युमिनियम व सीमेंट उद्योग विद्यमान हैं। भारत देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 20% छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कोल उत्पादन में प्रथम व संरक्षण में द्वितीय स्थान है। इसी प्रकार लौह अयस्क के उत्पादन में

तृतीय व टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान है। चूनापत्थर, डोलोमाइट व बॉक्साइट का उत्पादन भी बहुतायत में होता है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। अन्य खनिज जैसे कोरंडम, जिमेट, क्वार्टज्, मार्बल, एलेक्जेण्डराइड व हीरे का उत्खनन किया जाता है। देश के कुल स्टील उत्पादन का 15% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ विकास की ओर तीव्र गतिशील राज्य है। जहां भारी उद्योग के रूप में स्टील उद्योग विद्यमान है, भिलाई स्टील प्लांट, सेल द्वारा संचालित है जिसकी प्रतिवर्ष 5.4 मिलियन टन उत्पादन क्षमता है जो कि राज्य का महत्वपूर्ण संसूचक है। छत्तीसगढ़ राज्य में एल्युमिनियम उद्योग, भारत एल्युमिनियम कंपनि लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई थी जिसका वर्तमान में प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता एक मिलियन टन है। भारत देश के मानव संसाधन विकास में छत्तीसगढ़ का योगदान महत्वपूर्ण है। इस राज्य से प्रति वर्ष अनेक योग्य विद्यार्थी देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में चयनित होते है। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित कर चुका है, तथा प्रशासनिक स्तर पर भी सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा नवीनता लाने हेतु CHIPS (Chhattisgarh Infotech & Biotech Promotion Society) स्थापित की गई है, इसके अतिरिक्त अनेक सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन CHOICE (Chhattisgarh Online information system for Citizen Empowerment) व Swan (State Wide Area Network) के माध्यम से हो रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन संचार हेतु सड़को का जाल उपलब्ध है। जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3,073 कि. मी. है। राज्य में कुल सड़को की लंबाई 32,232 कि.मी. है। छत्तीसगढ़ राज्य में अमूमन हर क्षेत्र में रेल्वे लाईन बिछी हुई है, द.पू.म.रे. के अंतर्गत राज्य में रेल नेटवर्क की लंबाई सत्र 2013–14 में 1108 कि.मी. हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के द्वारा राज्य में मेट्रो लाईन बिछाने की दिशा में परियोजना शुरू की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य की सघन विद्युत क्षमता से अनेक उद्योग क्षेत्र प्रदेश की ओर आकर्षित हुए है तथा राज्य की छवि देश में पॉवर हब के रूप में बनी है चूँकि छत्तीसगढ़ भारत के मध्य क्षेत्र में अवस्थित है अतः विद्युत पारेषण हेतु सुविधाजनक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ राज्य दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों को विद्युत वितरण करता है। छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से अच्छे व्यापार संबंध व श्रम उत्पादन के लिए जाना जाता है। भिलाई व कोरबा क्षेत्र पिछले कई दशकों से विद्युत राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है।

बिहार, छ.ग., ओढ़ीसा, उत्तराखण्ड़ जैसे राज्यों का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दर, दसवें पंचवर्षीय योजना के दौरान 10% से अधिक रहा। छत्तीसगढ़ में सत्र 2014–15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 21019179 लाख रूपये अनुमानित है। छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास की दिशा में तीव्र गतिशील राज्य है जहां GDP वृद्धि दर सत्र 2014– 15 में 13.20% आंकलित है।

छत्तीसगढ़ जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा आदिवासी जनसंख्या है जो कि मुख्यतः प्रदेश के उत्तर व दक्षिण वनक्षेत्र में निवास करतें है। राज्य का मध्य क्षेत्र "धान का कटोरा" कहलाता है। राज्य में महिला साक्षरता दर पिछले दशक

से दुगनी हुई है जो महिलाओं की बेहतर शैक्षिक स्थिति को दर्शाता है, जबकि पुरूष साक्षरता दर भारतीय औसत से अधिक है जो कि साक्षरता के क्षेत्र में राज्य की बेहतर गुणवत्ता दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर क्षेत्र अपनी अद्वितीय अमूल्य धरोहर के कारण देश में अलग छवि निर्मित करता है, यहां प्रचलित दशहरा का पारंपरिक उत्सव आदिवासियों की प्रफुल्ल संस्कृति की परिचायक है। इस प्रकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य अनेक विभिन्नता को संजोये हुए पर्यटन क्षेत्र में अनेक संभावनायें व्यक्त करता है।

छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

मद	इकाई	छत्तीसगढ़ 2011–12	2012–13	2013–14
1	2	3	4	5
भौगोलिक क्षेत्रफल(आयुक्त,भूअभिलेख अनुसार)	वर्ग कि. मी.	137898	137898	137898
प्रशासनिक संरचना				
जिला	संख्या	18	27	27
तहसील	–,,–	149	149	149
विकास खण्ड	–,,–	146	146	146
आदिवासी विकास खण्ड	–,,–	85	85	85
कुल ग्राम (राजस्व + वन ग्राम)	–,,–	20307	20306	20294
राजस्व निरीक्षक मंडल	–,,–	257	257	257
राज्यीय आय				
प्रति व्यक्ति आय		2011–12	2012–13	2013–14
(शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद–त्वरित अनुमान)			(P)	(Q)
प्रचलित भावों पर	रूपये	48366	53815	58547
स्थिर (2004–05) भावों पर	–,,–	27163	28087	28373
कृषि				
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	हजार हेक्टेयर	4677	4671	4686
कुल बोया गया क्षेत्र	–,,–	5664	5691	5698
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	1415	1449	1462
कुल सिंचित क्षेत्रफल	–,,–	1648	1725	1751
कृषि उत्पादन (वास्तविक)				
अनाज	हजार मेट्रिक टन	6653	8256	7533
खाद्यान्न	–,,–	7205	8815	8018
तिलहन	–,,–	178	223	210
धान	–,,–	9451	11773	10654
गेंहू	–,,–	135	143	141
मक्का	–,,–	178	225	254
चना	–,,–	261	305	222
तुअर	–,,–	24	31	29
स्त्रोतः–आयुक्त भू–अभिलेख				
विद्युत				
अधिष्ठापित उत्पाद क्षमता	मेगावॅाट	1924.7	1924.7	2424.7
उत्पादन	मि.यू.	12982.78	12465.99	12863.54
उपभोक्ताओं की संख्या	हजार	3551	3803	4042
घरेलू विद्युत उपभोक्ता	–,,–	2989	3185	3360
विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	19196	19224	19055
एक बत्ती कनेक्शन	हजार	1327.34	1443.76	1553.04
मत्स्योत्पादन				
मछली उत्पादन	हजार मेट्रिक टन	250.69	255.61	284.95
वन (वन विभाग)				
वनों का कुल क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी. में	59772	59772	59772
आरक्षित वन	–,,–	25782	25782	25782
संरक्षित वन	–,,–	24036	24036	24036
अवर्गीकृत	–,,–	9954	9954	9954

मद	इकाई	छत्तीसगढ़ 2011–12	2012–13	2013–14
1	2	3	4	5
परिवहन				
कुल सड़कों की लंबाई	कि.मी.	31803	32528	32232
पंजीकृत वाहन	हजार	3099.73	3437.24	4046.17
शैक्षणिक संस्थायें				
पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय	संख्या	38398	38722	38767
माध्यमिक विद्यालय	–,,–	16364	16572	16607
हाई स्कूल उ. मा. विद्यालय	–,,–	3259	2849	2753
हायर सेकेण्डरी विद्यालय	–,,–	2884	3177	3327
(स्कूल शिक्षा विभाग में निजी , ट्रायबल तथा शासन से अनुदान/गैर अनुदान प्राप्त, विद्यालय शामिल है)				
सामान्य शैक्षणिक महाविद्यालय (शासकीय)	संख्या	181	204	206
विश्वविद्यालय(केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित)	–,,–	8	8	8
तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थाएं	–,,–	142	155	157
स्वास्थ्य सेवाएं				
जिला चिकित्सालय	संख्या	27	27	24
सिविल डिस्पेन्सरी	–,,–	29	29	31
सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	155	156	155
प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	764	783	792
उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र	–,,–	5136	5161	5180
आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक औषधालय	–,,–	693	694	694
आयुष विंग,स्पेस्लाइस्ड थेरेपी सेन्टर, स्पेशिलिटि क्लीनिक, आयुष केन्द्र	–,,–	460	460	460
प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (मार्च की स्थिति में)				
कार्यालय/शाखाएं	संख्या	1912	2084	2334
जमा राशि	राशि करोड़ रु.में	70742.27	87338.91	92771.84
ऋण राशि	–,,–	40135.13	49093.72	58630.88
जनसंख्या (जनगणना)		**2001**		**2011**
कुल जनसंख्या	हजार	20834		25545
पुरूष	–,,–	10474		12833
स्त्री	–,,–	10360		12712
ग्रामीण	–,,–	16648		19608
नगरीय	–,,–	4186		5937
अनुसूचित जाति	–,,–	2419		3274
अनुसूचित जनजाति	–,,–	6617		7823
जनसंख्या वृद्धि दर	प्रतिशत	18.27 (1991-2001)		22.61(2001-2011)
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	154		189
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर	989		991
साक्षरता कुल	प्रतिशत	64.66		70.28
पुरूष	–,,–	77.38		80.27
स्त्री	–,,–	51.85		60.24
कृषि जोत (कृषि संगणना)		**2000-2001**	**2005-2006**	**2010-2011**
कृषि जोतों की संख्या	लाख	32.55	34.61	37.46
कृषि जोतों का क्षेत्र	लाख हेक्टर	52.23	52.1	50.84
कृषि जोतों का औसत आकार	हेक्टर	1.6	1.51	1.36

मद	इकाई	छत्तीसगढ़	
		2007	2012
1	2	3	4
पशु संगणना		2007	2012
गौवंशीय पशु	लाख में	94.86	98.12
भैंस वंशीय पशु	–,,–	16.03	13.90
भेंड़/भेंड़ी	–,,–	1.40	1.68
बकरा/बकरी	–,,–	27.66	32.25
सूअर	–,,–	4.12	4.39
अन्य पशु	–,,–	0.01	0.036
कुक्कूट	–,,–	142.45	179.54

छत्तीसगढ़ एवं भारत तुलनात्मक अध्ययन

क.	मद	इकाई	छत्तीसगढ़	भारत	भारतसेतुलनाप्रतिशतमें
1	2	3	4	5	6
1	जनगणना (2011)				
1.1	कुल जनसंख्या	संख्या	255,45,198	12108,54,977	2.11
	पुरूष	संख्या	128,32,895	6232,70,258	2.06
	महिला	संख्या	127,12,303	5875,84,719	2.16
1.2	ग्रामीण जनसंख्या	संख्या	196,07,961	8337,48,852	2.35
	ग्रामीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	प्रतिशत	76.76	68.86	.....
1.3	नगरीय जनसंख्या	हजारमें	5,937	3,77,106	1.57
	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	प्रतिशत	0.02	0.03	.....
1.4	लिंगानुपात	प्रतिहजारपुरूषों परमहिलाएं	991	943	.....
1.5	दशकीय जनसंख्या वृद्धि (2001–2011)	प्रतिशत	22.61	17.70	.....
1.6	साक्षरता दर	प्रतिशत	70.3	73	.....
1.7	अनुसूचित जाति जनसंख्या	संख्या	32,74,269	2013,78,372	1.63
1.8	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	संख्या	78,22,902	1045,45,716	7.48
1.9	कुलश्रमिक	संख्या	121,80,225	4818,88,868	2.53
1.1	भौगौलिक क्षेत्र (2011 जनगणना)	लाख वर्गकिमी	1.35	32.87	4.11
2	कृषि (2012–13)				
2.1	प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र (2012–13)				
	चावल	हजार हेक्टेयर	3,982.2	42,754	9.31
	गेहॅू	हजार हेक्टेयर	102.2	30,003	0.34
	ज्वार	हजार हेक्टेयर	6.2	6,214	0.10
	मक्का	हजार हेक्टेयर	116.8	8,673	1.35
	चना	हजार हेक्टेयर	267.9	8,522	3.14
	तुअर	ळजार हेक्टेयर	51.9	3,893	1.33
	कुल अनाज	हजार हेक्टेयर	4356.35	97519	4.47
	कुल खाद्य	हजार हेक्टेयर	5214.31	1,20,776	4.32
	मॅूगफली	हजार हेक्टेयर	29.40	4,721	0.62
	तिल	हजार हेक्टेयर	19.7	1,706	1.15
	कुल तिलहन	हजार हेक्टेयर	267.88	26,484	1.01
	गन्ना	हजार हेक्टेयर	14	4,999	0.27
2.2	प्रमुख फसलों का उत्पादन (2012–13)				
	चावल	हजार मेट. टन	11,772.6	105232	11.19
	गेहॅू	हजार मेट. टन	143.2	93506	0.15
	ज्वार	हजार मेट. टन	4.5	5282	0.09
	मक्का	हजार मेट. टन	225.1	22258	1.01

क्र.	मद	इकाई	छत्तीसगढ़	भारत	भारत से तुलना प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
	चना	हजार मेट. टन	304.9	8833	3.45
	तुअर	हजार मेट. टन	31.0	3023	1.03
	कुल अनाज	हजार मेट. टन	8256	238782	3.46
	कुल खाद्य	हजार मेट. टन	8815	257125	3.43
	मूँगफली	हजार मेट. टन	40.50	4694	0.86
	तिल	हजार मेट. टन	5.7	685	0.83
	कुल तिलहन	हजार मेट. टन	223	30940	0.72
	गन्ना	हजार मेट. टन	37.3	341200	0.01
3	19वीं पशु संगणना (2012)				
3.1	कुल पशुधन	हजार	150	5,121	2.94
3.2	कुल कुक्कुट	हजार	179.54	7,292	2.46
3.3	दुग्ध उत्पादन 2013–14	हजार टन	1,209	1,37,686	0.88
3.4	अण्डा उत्पादन 2013–14	करोड़	143	7,344	1.95
4	वानिकी 2013–14				
4.1	कुल वन क्षेत्र	वर्ग कि.मी.	59,772	6,97,898	8.56
5	उद्योग (ए.एस.आई. 2011.12)				
	कारखानों की संख्या	संख्या	2,472	2,17,554	1.14
	श्रमिकों की संख्या	संख्या	1,38,269	104,38,365	1.32
5.1	औद्योगिक निवेश (दिसं. 14 तक)				
	स्वीकृत परियोजना	संख्या	37	1,843	2.01
	प्रस्तावित निवेश	करोड़ रू.	1,62,584	4,05,023	40.14
6	विद्युत (अप्रैल 14 सेदिसं. 14) *				
6.1	कुल उत्पादन (अप्रैल 14 सेदिसं. 14)	जीडब्ल्यू एच	52738.59	707729.12	7.45
6.2	स्थापित क्षमता	मेगावाट	10,575	2,55,681	4.14
6.3	विद्युत आपूर्ति स्थिति	मेगावाट	15,621	7,84,558	1.99
6.4	विद्युतीकृतग्रामों की संख्या (31–12–2014)	संख्या	907	9,700	9.35
6.5	बी.पी.एल. परिवार विद्युतिकरण (31–12–2014)	संख्या	51,037	4,33,886	11.76
7	शिक्षा (2013–14) #				
7.1	साक्षरता दर	प्रतिशत	71	74	.....
7.2	महिला साक्षरता दर	प्रतिशत	60.6	65.5	.....
7.3	पुरूष साक्षरता दर	प्रतिशत	81.5	82.1	.....
7.4	छात्र–शिक्षक अनुपात	प्रतिशिक्षकछात्र	22	26	.....
7.5	छात्रा नामांकन	प्रतिशत	49.1	48.4	.....
8	बैंकिंग (अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक सितं. 14)				
8.1	बैंकों की संख्या				
	अधिसूचित बैंक	संख्या	51	213	23.94
	अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक	संख्या	27	146	18.49
8.2	कुल बैंक शाखाएं (Dec. 14)	संख्या	2461	1,25,423	1.93

क्र.	मद	इकाई	छत्तीसगढ़	भारत	भारत से तुलना प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
9	राज्य/राष्ट्रीय आय 2013–14				
9.1	जीएसडीपी/जीडीपी (स्थिर भाव 2004–05)	करोड़ रू.	185682	10539605	1.76
9.2	जीएसडीपी/जीडीपी (प्रचलित भाव 13–14)	करोड़ रू.	95262	5748564	1.66
9.3	प्रति व्यक्ति आय एनएसडीपी/एनएनआई (प्रचलित भाव 13–14)	रू.	58547	74920	78.15

*CEA Report (include private sector, state sector, central sector)

Dise Report 2013-14

* provisional estimation

01

आर्थिक स्थिति एक समीक्षा

1. आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

वर्ष 2014—15 सकल घरेलु उत्पादः प्रचलित भाव

1.1 वर्ष 2013—2014 में प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रू. 185682.48 करोड़ था, जिसमें 13.20 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2014—15 में यह रू. 210191.79 करोड़ अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि, 2013—14 की तुलना में, वर्ष 2014—15 में 13.43 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 10.32 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 15.21 प्रतिशत अनुमानित है।

इसी प्रकार स्थिर (2004—05) भावों पर वर्ष 2013—14 में सकल घरेलू उत्पाद रू. 95262.45 करोड़ था, जो 5.86 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2014—15 में रू. 100842.47 करोड़ अनुमानित है। क्षेत्रवार वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में 3.85 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 4.29 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 8.70 प्रतिशत अनुमानित है।

1.2 वर्ष 2013—14 में 8,344.76 हजार मी.टन खरीफ एवं 2,069.58 हजार मी.टन रबी फसलों का उत्पादन हुआ। खरीफ फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 2.67 प्रतिशत वृद्धि आई है, जबकि रबी फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 9.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (कृषि संचालनालय)

1.3 वर्ष 2013—14 में वेट (प्रान्तीय) कर संग्रहण लक्ष्य 7,076,00 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 2,904.54 करोड़ रू. प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का 41.05 प्रतिशत था। वर्ष 2014.15 में वेट (प्रान्तीय) कर हेतु 8,065.54 करोड़ रू. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध माह सितंबर 2014 तक 5,091.14 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं। जो कि बजट लक्ष्य का 63.12 प्रतिशत है।

वर्ष 2013.14 में केन्द्रीय विक्रय कर में बजट लक्ष्य 1399.80 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 369.06 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का 26.37 प्रतिशत था। वर्ष 2014.15 में केन्द्रीय विक्रय कर हेतु 1067.39 करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध माह सितंबर 2014 तक 651.65 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। जो कि बजट लक्ष्य का 61.05 प्रतिशत है।

वर्ष 2013.14 में प्रवेश कर के 1192.00 करोड़ रू. लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 394.71 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि लक्ष्य का 33.11 प्रतिशत था। वर्ष 2014.15 में प्रवेश कर के अंतर्गत 1087.25 करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2014 तक 640.93 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है जो कि बजट लक्ष्य का 58.95 प्रतिशत है।

वर्ष 2013.14 में वृत्तिकर के अंतर्गत बजट लक्ष्य 1.12 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 0.22 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि लक्ष्य का 19.64 प्रतिशत था। वर्ष 2014.15 में वृत्ति कर के अंतर्गत लक्ष्य 0.26 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2014 तक 0.21 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। जो कि बजट लक्ष्य का 80.77 प्रतिशत है।

वर्ष 2013.14 में होटल कर अंतर्गत बजट लक्ष्य 3.04 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 0.52 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 17.11 प्रतिशत है। वर्ष 2014.15 में होटल कर के अंतर्गत बजट लक्ष्य 0.60

करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2014 तक 1.50 करोड़ रू. की राजस्व वसूली हो चुकी है। जो कि बजट लक्ष्य का 250 प्रतिशत है।

1.4 वर्ष 2013–14 में महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि रू. 2146.70 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 2053.09 करोड़ व्यय कर कुल 1299.19 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। योजना में मांग के आधार पर 25.12 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया। वर्ष 2014–15 में माह सितंबर 2014 तक योजना में कुल उपलब्ध राशि रू. 1382.22 करोड़ के विरूद्ध रू. 1219.61 करोड़ व्यय कर 538.72 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। मांग के आधार पर कुल 17.16 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया।

1.5 दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा वर्ष 2013.14 में 5.38 मिलियन टन हाट मेटल, 5.14 मिलियन टन क्रूड स्टील, 4.55 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया जो कि, इन उत्पादों की लक्षित क्षमता से क्रमशः 14.4, 30.9 एवं 44.3 प्रतिशत अधिक है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2012.13 में कुल 12863.543 मिलियन यूनिट (तापीय 12559.683 मिलियन यूनिट, जलीय 299.356 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 4.503 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन हुआ। सितंबर, 2014 के अंत तक कुल स्थापित क्षमता 2424.70 मेगावाट हो गई है, इसमें 2280 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पादन) की स्थापित क्षमता है।

1.7 वर्ष 2013.14 के अंत की स्थिति में 19055 ग्राम विद्युतीकृत हैं। शेष 512 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 427 वनबाधा रहित ग्रामों एवं अन्य शेष 85 ग्रामों का विद्युतीकरण ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण'' कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है।

1.8 प्रदेश में न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (SRS) अनुसार वर्ष 2013 में जन्म दर 24.4 और मृत्यु दर 7.9 तथा शिशु मृत्यु दर 47 प्रति हजार आंकी गई थी, जिसके परिपेक्ष्य में पंजीयन का स्तर जन्म पंजीयन 81.7 प्रतिशत, मृत्यु पंजीयन 70.9 प्रतिशत रहा।

1.9 वर्ष 2012.13 में प्राथ. शाला 8, माध्य. शाला 30, उच्च. मा. शाला 217 इस प्रकार कुल 255 शालाएं प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2013–14 में प्राथ. शाला 45, माध्य. शाला 35, हाई स्कूल 70, उच्च. मा. शाला 150 इस प्रकार कुल 300 शालाएं प्रारंभ की गई हैं।

1.10 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 07 राजकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 06 निजी विश्वविद्यालय, 206 शासकीय महाविद्यालय एवं 14 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 244 अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2013–14 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 144966 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे जिसमें स्नातक स्तर पर लगभग 19914 सामान्य वर्ग, 18172 अनुसूचित जाति तथा 30823 छात्र अनुसूचित जनजाति के एवं 56686 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 4070 सामान्य वर्ग, 3113

अनुसूचित जाति तथा 3625 छात्र अनुसूचित जनजाति के थे एवं 8563 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे।

राज्य में वर्ष 2013–14 की स्थिति में 47 अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 18390 विद्यार्थियों की है। राज्य में 50 पालिटेक्निक संस्थायें हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 8140 विद्यार्थियों की है। इसके साथ 16 एम. बी.ए, 01 आर्किटेक्चर एवं 10 एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाऐं हैं।

1.11 दिनॉक 01.04.2014 की स्थिति में चिन्हित 73616 बसाहटों में 4095 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गईं जिनमें आयरन युक्त 3858 बसाहटें, सेलेनिटी युक्त 105 बसाहटें एवं फ्लोराइड युक्त 132 बसाहटें पाई गई हैं। वर्ष 2014–15 में 2700 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें 1145 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। विद्युत अनुपलब्ध ग्राम / बसाहटें 802 Solar Pump आधारित योजना क्रियान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

1.12 मार्च 2012.13 के अंत में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 3437 हजार थी, जो मार्च 2014 में बढ़कर 3848 हजार (11.95प्रतिशत की वृद्धि) हो गई है। यात्री वाहनों में 8.23 प्रतिशत, कार एवं जीप में 13.27 प्रतिशत, दुपहिया वाहनों में 10.58 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार के वाहनों में 10.20 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित हुई है।

02

जनसंख्या

2. जन संख्या

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या का गति विज्ञान :– पिछले 10–15 वर्षो में छत्तीसगढ़ की जन सांख्यिकी संबंधी आकड़े बहुत तेजी से बदल रहे है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें छत्तीसगढ़ ने, हमारे देश के औसतन से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। इसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ की श्रमजीवी जनसंख्या एवं गैर कामकाजी आबादी के अनुपात में देखा जा सकता है। साधारणतया, जन सांख्यिकी रूप से अगर देखा जाए तो, निर्भरता अनुपात (कुल निर्भर जन संख्या / कुल श्रमजीवी जनसंख्या (वर्ष 15–65) में गिरावट जन सांख्यिकीय लाभांश दर्शाता है, दूसरे शब्दो में, जन संख्या के पास कम खपत में ज्यादा उपज को संधारण करने का मौका है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में, विभिन्न निर्भरता अनुपात में ज्यादा तेजी से गिरावट आई है। हालांकि 2001 कि तुलना में, पिछले दशक में, छत्तीसगढ़ के वृद्धि दर में 4.3 प्रतिशत इजाफा हुआ है, परंतु, निर्भरता अनुपात में गिरावट, काम करने वाली जन संख्या के स्थानांतरण के कारण भी हो सकती हैं। परंतु, आर्थिक विकास के संबंध मे अगर देखा जाए तो, ये एक मजबूत और बड़े कार्यबल और कार्य समय की ओर सकारात्मक झुकाव भी है। जन संख्या में, आयु के मुताबिक किए गए विभाजन में, 15–65 वर्ष कि आयु में महत्वपूर्ण वृद्धि को देखा जा सकता है, जबकि, 0 से 14 वर्ष कि आयु में कम वृद्धि हुई है।

तालिका 2.1 : निर्भरता अनुपात

	2001	2011
भारत, सभी आयु में निर्भरता	67.3	57.1
छत्तीसगढ़, सभी आयु में निर्भरता	70.7	58.7
भारत, शिशु आयु में निर्भरता	59.3	48.5
छत्तीसगढ़, शिशु आयु में निर्भरता	63.7	50.9
भारत, वृद्ध आयु में निर्भरता	8.0	8.6
छत्तीसगढ़, वृद्ध आयु में निर्भरता	6.9	7.8

रेखाचित्र 2.1: निर्भरता अनुपात में बदलाव 2001 से 2011 तक

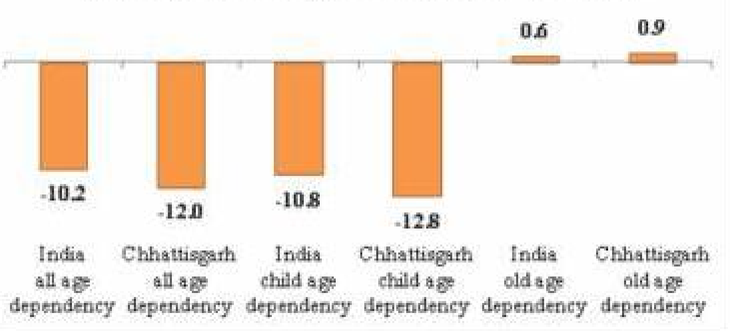

रेखाचित्र 2.2 : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर

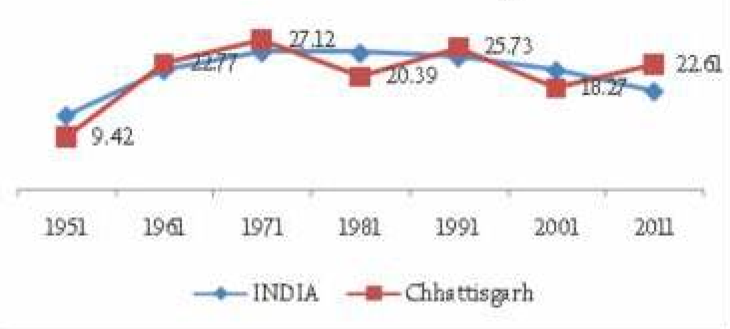

रेखाचित्र 2.3 : आयु समूह के हिसाब से जनसंख्या विभाजन 2011

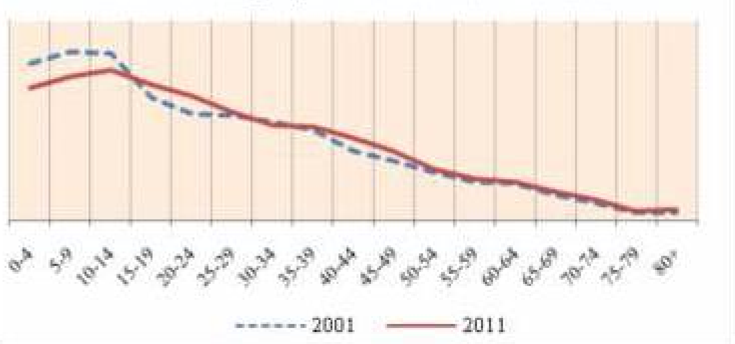

निम्न आयु पिरामिड में विभिन्न आयु समूह की महिलाओं एवं पुरुषों का अनुपात स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है।

Figure 2.4: Age pyramid of Chattisgarh, 2001

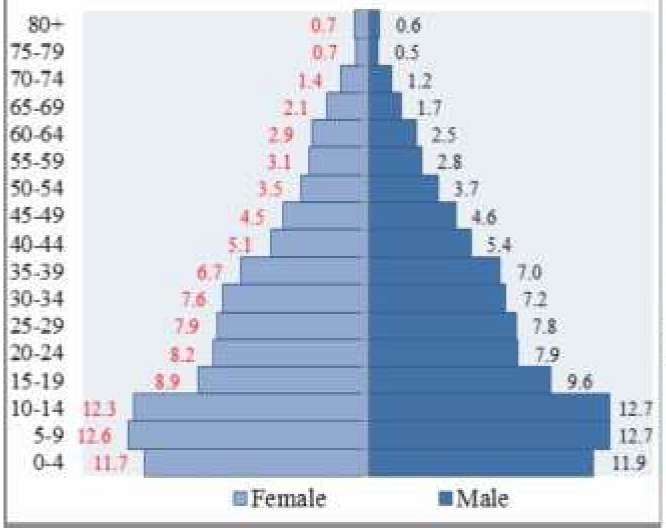

Figure 2.5: Age pyramid of Chattisgarh, 2011

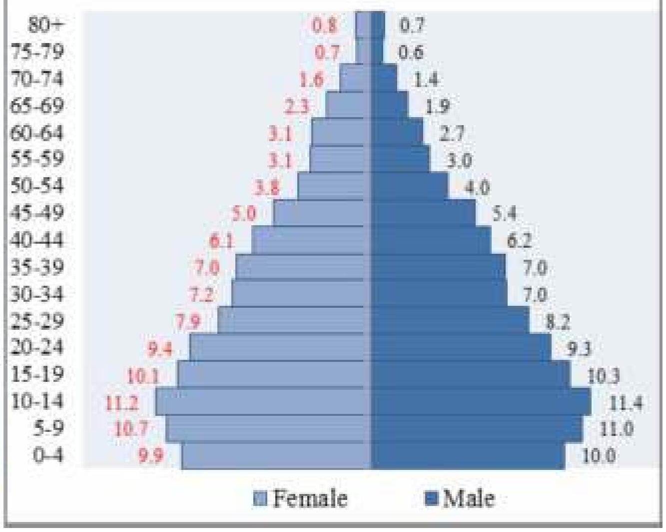

प्रदेश अनुसार जनसंख्या विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका 2.2 : संभाग अनुसार जनसंख्या विवरण, 2011

विवरण	बस्तर संभाग	रायपुर संभाग	दुर्ग संभाग	बिलासपुर संभाग	सरगुजा संभाग
जनसंख्या	6,181,656	11,792,814	11,407,062	13,967,920	7,740,944
पुरूष	3,069,468	5,916,100	5,714,028	7,060,968	3,905,226
महिला	3,112,188	5,876,714	5,693,034	6,906,952	3,835,718
शहरी प्रतिशत	13.5	29.7	28.8	22.9	13.5
जनसंख्या 0–6 वर्ष	924,604	1,639,478	1,564,030	1,998,276	1,196,990
अजा	195,206	1,844,824	1,468,922	2,601,042	438,544
अजा प्रतिशत	3.2	15.6	12.9	18.6	5.7
अजजा	4,138,310	1,927,950	1,939,306	3,369,666	4,270,572
अजजाप्रतिशत	66.9	16.3	17.0	24.1	55.2
लिंगानुपात	1014	993	996	978	982
लिंगानुपात (0–6)	991	969	973	957	966
साक्षरता दर	54.8	75.1	75.7	72.1	63.6
पुरूष साक्षरता दर	64.9	85.0	85.1	82.9	73.1
महिला साक्षरता दर	45.0	65.2	66.3	61.2	53.9

रेखाचित्र 2.6 :
छत्तीसगढ़ के जिलों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 2011

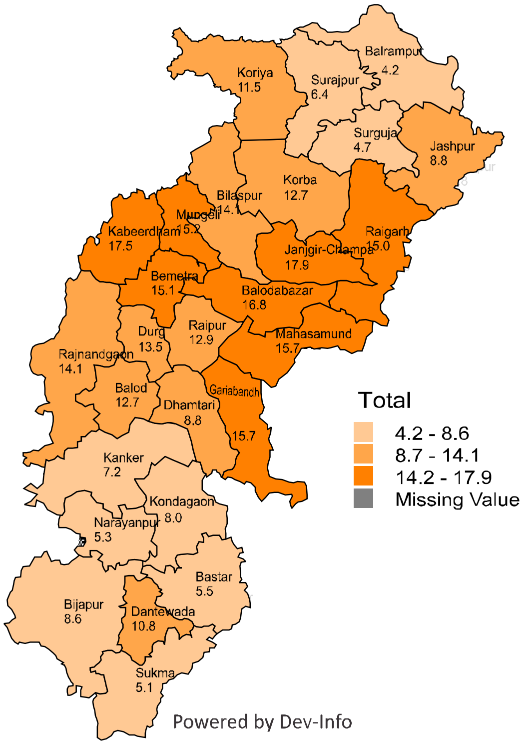

रेखाचित्र 2.6 :
छत्तीसगढ़ के जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011

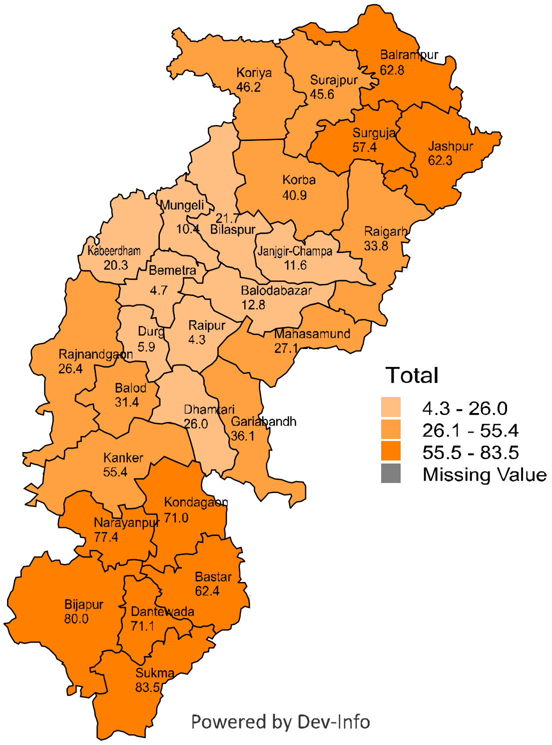

रेखाचित्र 2.8 :
छत्तीसगढ़ के जिलों में लिंगानुपात (0–6 वर्ष) 2011

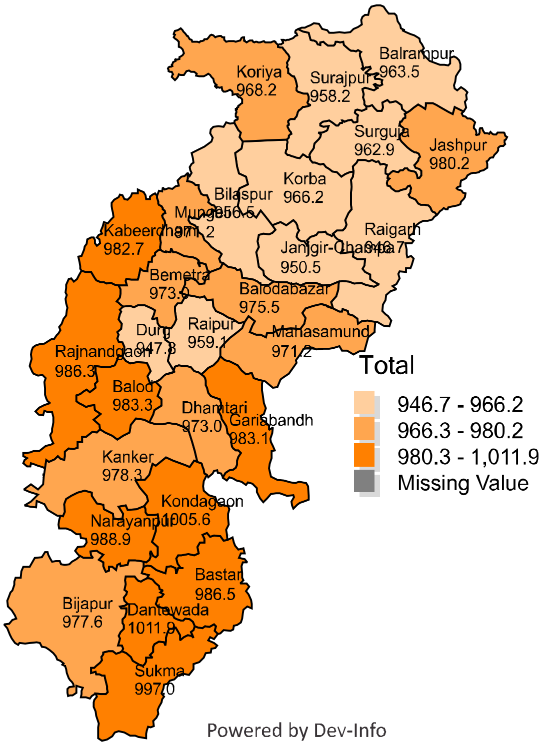

रेखाचित्र 2.9 :
छत्तीसगढ़ के जिलों में महिला साक्षरता दर 2011

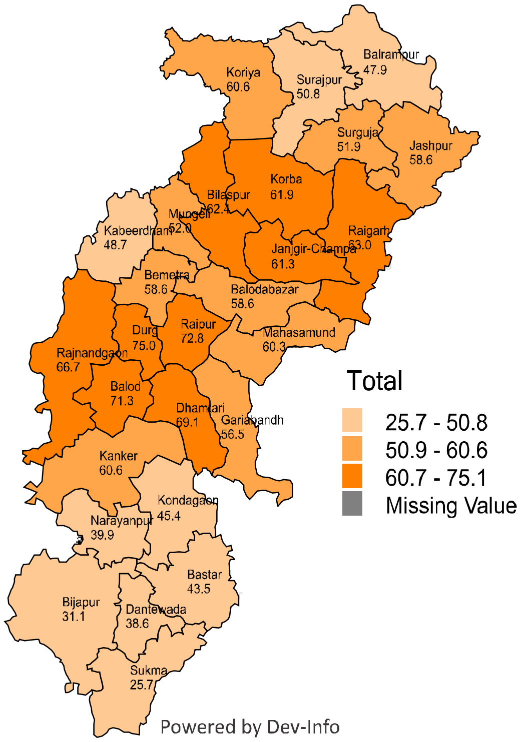

.2.2 जनसांख्यिकीय संकेतकों में बदलाव :— वर्ष 2001—2011 दशक के दौरान छत्तीसगढ़ के परिवार के सदस्यों की संख्या कम हुई है, आंकड़ो से स्पष्ट है कि परिवारों की संख्या में वृद्धि छत्तीसगढ़ की आबादी की तुलना में बहुत अधिक है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनसांख्यिकीय के संकेतकों में वृद्धि हुई है परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में 0—6 आयु वर्ग में 1.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है, जहाँ यह गिरावट पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है।

इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि ग्रामीण से शहरी आबादी में काफी ज्यादा है। विशेष रूप से महिला अनुसूचित जाति और छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में जनजाति जनसंख्या के बीच एक भारी वृद्धि दर्ज की गयी है । महिला अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शहरी छत्तीसगढ़ में 73.5% बढ़ी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 15.7% की वृद्धि दर्ज की गयी है ।

वर्ष 2001—2011 के दौरान श्रमजीवियों की जनसंख्या मे 25.8% की वृद्धि हुई है, जो कि शहरी क्षेत्रों, और विशेष रूप से शहरी महिलाओं की जनसंख्या में दर्ज है, जो वर्ष 2001 की तुलना में लगभग 90% ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य श्रमजीवियों की जनसंख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों मे सीमांत श्रमिकों की जनसंख्या में 48% से अधिक वृद्धि हुई है । इस विकास में मनरेगा योजना का योगदान महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक घर के लिए 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। लेकिन 100 दिनों की गारंटी की वजह से यह कर्मचारी सीमांत श्रमिक समूह में वर्गीकृत हो रहे है।

तालिका 2.3 : 2001 से 2011 के दशक में परिवर्तन (प्रतिशत में)

	कुल	ग्रामीण	शहरी
परिवारों की संख्या	**38.1**	33.4	57.1
कुल जनसंख्या	**22.6**	17.8	41.8
कुल जनसंख्या (पुरूष)	22.5	17.9	40.1
कुल जनसंख्या (महिला)	22.7	17.6	43.7
जनसंख्या 0—6 आयु वर्ग में	3.0	**-1.3**	24.7
पुरूष जनसंख्या 0—6 आयु वर्ग में	3.3	**-1.1**	24.7
महिला जनसंख्या 0—6 आयु वर्ग में	2.7	**-1.6**	24.6
अनुसूचित जाति जनसंख्या	35.4	32.3	46.7
अनुसूचित जाति पुरूष जनसंख्या	35.3	32.7	44.9
अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या	35.4	31.9	**48.6**
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	18.2	15.4	68.2
अनुसूचित जनजाति पुरूष जनसंख्या	17.8	15.2	63.3
अनुसूचित जनजाति महिला जनसंख्या	18.6	**15.7**	**73.5**
कुल कार्यकर्ता	25.8	20.1	62.6
कुल पुरूष कार्यकर्ता	29.0	22.8	55.6
कुल महिला कार्यकर्ता	21.7	17.0	**89.8**
मुख्य कार्यकर्ता	16.8	8.2	60.3
मुख्य पुरूष कार्यकर्ता	18.0	8.9	53.6
मुख्य महिला कार्यकर्ता	14.4	6.9	**91.7**
सीमांत कार्यकर्ता	**50.0**	**48.3**	83.2
सीमांत पुरूष कार्यकर्ता	94.7	95.9	82.8
सीमांत महिला कार्यकर्ता	30.8	29.0	83.6

2.3 विकलांगता की स्थिति :– वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक 6 लाख विकलांग व्यक्ति हैं, जो भारत की कुल विकलांग जनसंख्या का 2.3% और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 2.4% है। राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर चलने फिरने में ज्यादातर विकलांगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस विकलांगता में राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 10% अधिक है।

रेखा चित्र 2.9 : छत्तीसगढ़ में कुल विकलांग जनसंख्या में विकलांगता के प्रकार 2011

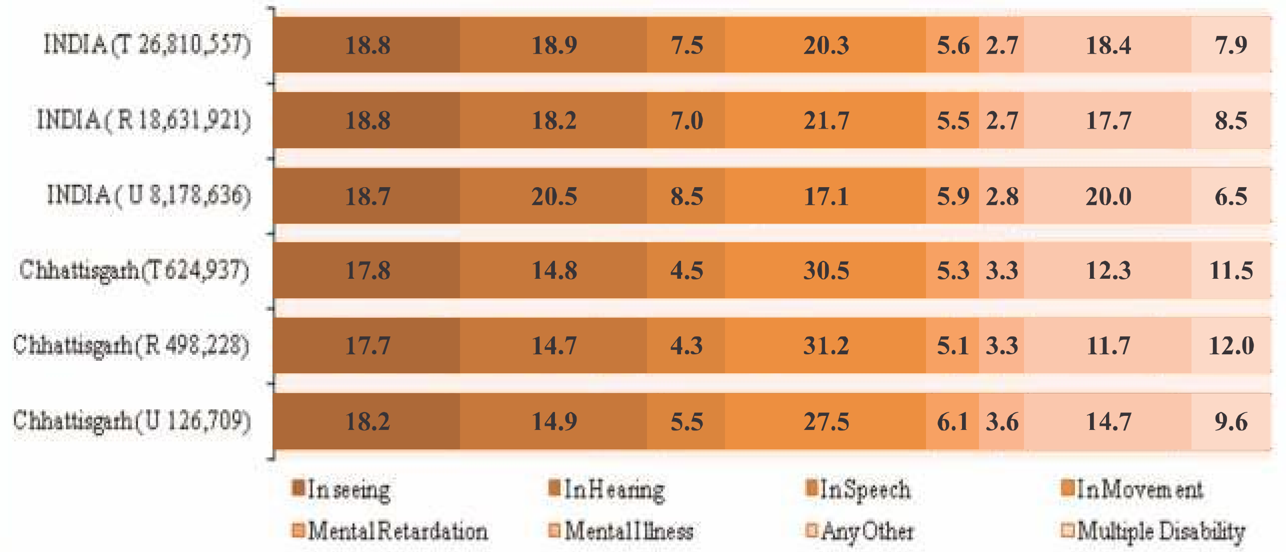

चित्र 2.10 से यह तथ्य पता चलता है कि, विकलांग व्यक्तियों के सर्वोच्च प्रतिशत 10–19 वर्ष आयु वर्ग में है, लेकिन यह प्रतिशत धीरे–धीरे 60 साल की उम्र तक कम हुआ है और उसके बाद फिर 60–69 आयु वर्ग में 13.6% बढ़ा है।

चित्र 2.10: उम्र के अनुसार कुल विकलांगता (%), 2011

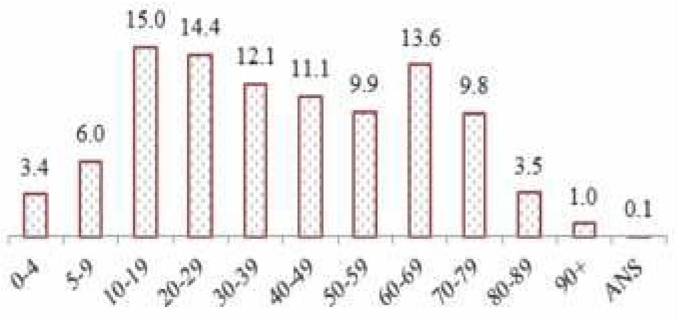

चित्र 2.11: विकलांग जनसंख्या की कार्य स्थिति(%), 2011

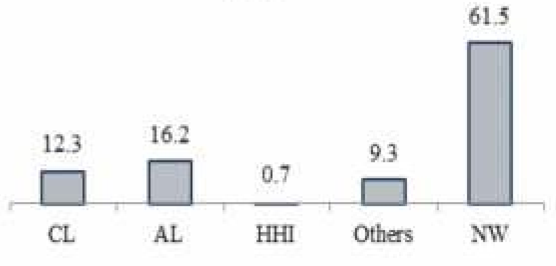

बुढ़ापे में विकलांगता काफी स्पष्ट है लेकिन चिंता की बात यह है की विकलांगता कम आयु के वर्ग में भी ज्यादा पायी जा रही है।

2.4 बस्ती (Slum) की जनसंख्या की विशेषता :— छत्तीसगढ़ के स्लम आबादी में पिछले 10 सालों (2001—2011) में 2.3 गुना (8.2 लाख से 19 लाख) वृद्धि हुई है, परंतु परिवार का औसत आकार 5.09 से 4.59 व्यक्ति, प्रति परिवार कम हुआ है। अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत में जनगणना दशक के दौरान काफी वृद्धि हुई है, लेकिन अनुसूचित जाति जनसंख्या की वृद्धि बहुत कम हुई है। लिंगानुपात में भी वर्ष 2001 (938) से 2011 (965) में 27 अंकों की वृद्धि हुई है। राज्य के 0—6 साल के बच्चों के लिंगानुपात मे कमी हुई है, हालांकि स्लम क्षेत्रों में इसी लिंगानुपात में (948 से 952) वृद्धि हुई है।

दोंनों जनगणना के समय छत्तीसगढ़ की बस्ती का साक्षरता दर, छत्तीसगढ़ के औसत साक्षरता दर से ज्यादा बेहतर पाया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान राज्य की साक्षरता दर 64.6% और बस्ती की साक्षरता दर 74.8% पाया गया है। लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना में बस्ती की 7 साल से अधिक उम्र की जनसंख्या में साक्षरता दर 80.4% पाया गया है, जबकि, राज्य की साक्षरता दर 70.3% पायी गयी है।

तालिका 2.4 : छत्तीसगढ़ में बस्ती की जन संख्या की विशेषता

वर्ष	2001	2011
जनसंख्या (लाख में)	8.17	18.99
परिवार का आकार (प्रति परिवार व्यक्ति)	5.09	4.59
कुल बस्ती की जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या (%)	17.55	17.80
कुल बस्ती की जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (%)	7.94	9.17
लिंग अनुपात (सभी आयु)	938	965
लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष)	948	952
साक्षरता दर (7 वर्ष एवं उससे ऊपर)	74.80	80.36
कार्य भागीदारी दर	32.83	36.32

बस्ती की जनगणना का आगे का विश्लेषण यह दर्शाता है कि बस्ती की कुल जनसंख्या का लगभग 61% निम्न छः शहरी क्षेत्रों में पाया गया है :

तालिका 2.5 : मुख्य बस्ती क्षेत्र 2011

	जनसंख्या	प्रतिशत
रायपुर (नगर निगम + OG)	406,571	21.4
भिलाई नगर (नगर निगम + OG) (भाग)	214,030	11.3
कोरबा (नगर निगम) (भाग)	188,244	9.9
बिलासपुर (नगर निगम + OG) (भाग)	128,794	6.8
दुर्ग (नगर निगम)	108,541	5.7
राजनांदगांव (नगर निगम)	104,349	5.5
		60.6

03

राज्यीय आय

3. राज्यीय आय

3.1 अग्रिम अनुमान – वर्ष 2014–15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकों पर आधारित हैं।

3.1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2014–15 का अग्रिम अनुमान स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2004–05) पर 100842 करोड़ रु0 अनुमानित है, जो कि गतवर्ष 2013–14 से 5.86 (4.99%) प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। कोष्टक में दिये गये आंकड़े गतवर्ष के प्रथम संशोधित अनुमान बताते है, जो कि त्वरित अनुमान है।

3.1.2 कृषि क्षेत्र में 1.65 (0.26) प्रतिशत गत वर्ष की तुलना में वृद्धि होने की संभावना है। वानिकी क्षेत्र में 3.11 (2.82) प्रतिशत एवं मत्स्य क्षेत्र में 12.99 (11.48) प्रतिशत बढ़ना संभावित है। कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियों में 2.67 (1.38) प्रतिशत वृद्धि की सम्भावना है। विनिर्माण क्षेत्र में 5.35 (5.15), विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 5.15 (10.36), निर्माण क्षेत्र में 2.85 (3.78) प्रतिशत वृद्धि होना सम्भावित है। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में 4.72 (5.19) प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र की पूर्ण वृद्धि 8.7 (6.65) प्रतिशत अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष 2014–15 के दौरान कुल अर्थव्यवस्था में 5.86 (4.99) प्रतिशत वृद्धि सम्भावित है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान (2013–14)

3.1.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2013–14 के लिये प्रचलित मूल्यों पर प्रथम पुनरीक्षित अनुमान अर्थात् त्वरित अनुमान 185682 (165641) करोड़ रू. है। जो कि वर्ष 2012–13 के अनुमानों से 12.10 प्रतिशत अधिक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2013–14 के लिये स्थिर भावों (आधार वर्ष 2004–05) पर 95262 (90737) करोड़ रू. अनुमानित है। इस प्रकार कुल अर्थव्यवस्था में 2013–14 के दौरान 4.99 (8.78) प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है।

3.1.4 वर्ष 2013–14 के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि 1.38 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2012–13 की तुलना में धीमी गति से हुई है, जबकि वर्ष 2012–13 में यह वृद्धि 12.52 प्रतिशत थी। इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र में जहाँ वर्ष 2012–13 में यह वृद्धि 12.74 प्रतिशत था, पिछले कुछ वर्षों से ऋणात्मक वृद्धि का सामना करने के बाद वर्ष 2013–14 में सामान्य वृद्धि दर 5.15 प्रतिशत थी। यद्यपि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में पुनर्जीवित होकर 5.16 (0.44) प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2013–14 में विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में 10.36 (–10.54) प्रतिशत वृद्धि वर्ष 2012–13 की ऋणात्मक वृद्धि के बाद हुई है। निर्माण गतिविधियाँ वर्ष 2013–14 के दौरान कम हुई है, अतः इस क्षेत्र में वृद्धि 3.78 (7.82) प्रतिशत थी। अन्य सभी कारको ने औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को 5.19 (5.59) प्रतिशत पर सीमित कर दिया।

3.1.5 तृतीयक क्षेत्र के अधिकांश अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा तीसरे वर्ष के अनुमानों को अंतिम रूप दिये जाते समय प्रदाय किये जाते है, अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर प्रारंभिक अनुमान तैयार किये जाते है। वर्ष 2013–14 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में तृतीयक क्षेत्र का लगभग 38.47

(37.87) प्रतिशत की हिस्सेदारी रही और लगातार इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि होती रही। वर्ष 2004—05 में 34.44 प्रतिशत एवं वर्ष 2010—11 में इसकी 38.42 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वर्ष 2013—14 में अधिकतम् हिस्सेदारी 12.27 प्रतिशत संचार एवं व्यक्तिगत सेवाओं में हुई जो कि 9.14 प्रतिशत वृद्धि रही। द्वितीय स्थान बैकिंग, बीमा एवं स्थावर संपदा इत्यादि का रहा जिसका हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.73 प्रतिशत रहा, जिसमें कि 3.07 (10.88) प्रतिशत वृद्धि हुई। संचार क्षेत्र में वृद्धि 6.07 (3.53) प्रतिशत हुई। कुल मिलाकर सेवा क्षेत्र की वृद्धि 6.65 (10.61) प्रतिशत थी। राज्यीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की प्रवृत्ति ग्राफ 3.1 में दर्शायी गई है।

ग्राफ 3.1: मौजूदा श्रृंखला में स्थिर मूल्यों (2004—05) पर जीएसडीपी के क्षेत्रवार विकास की प्रवृत्ति

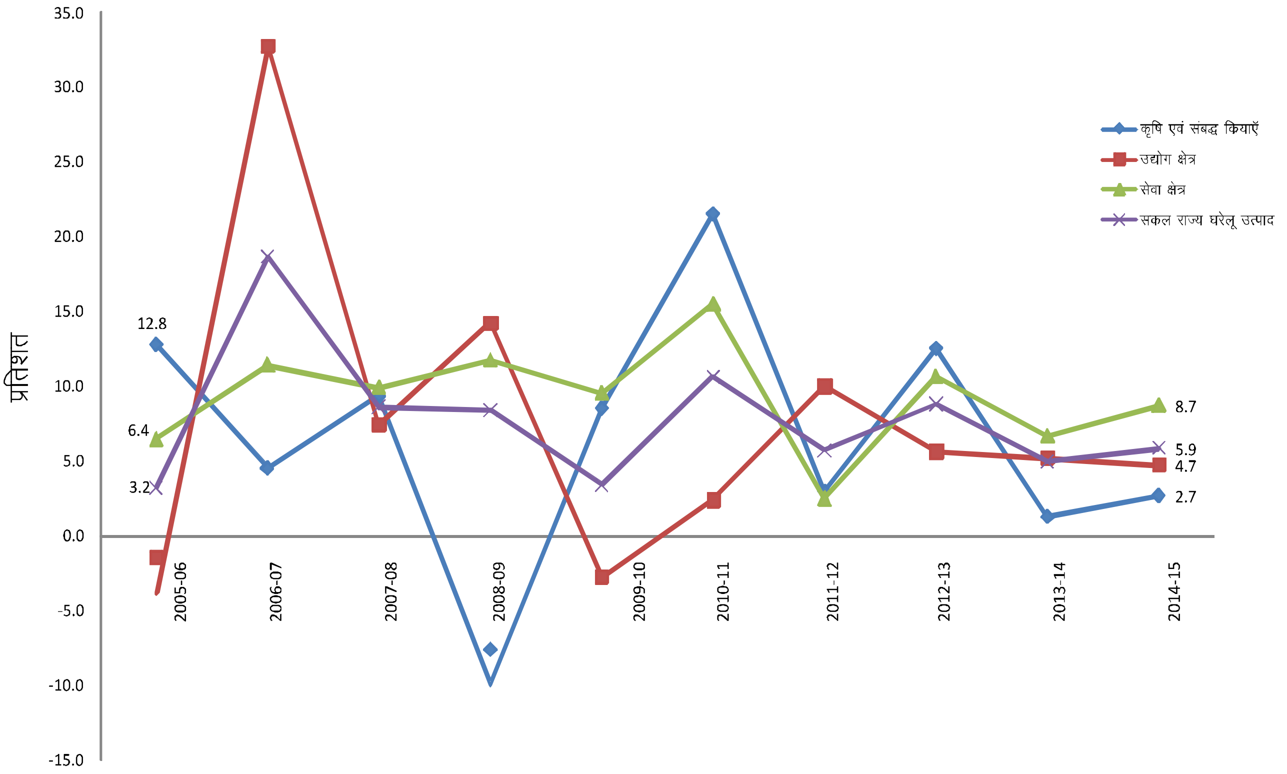

3.1.6 निवल राज्य घरेलू उत्पाद— वर्ष 2013—14 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर प्रथम पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार रू. 155149 करोड़ था जो कि वर्ष 2012—13 के अनुमान रू. 139920 करोड़ की तुलना में 10.88 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। स्थिर भावों (वर्ष 2004—05) में वर्ष 2013—14 के लिये आय का अनुमान रू. 75187 करोड़ अनुमानित है, जो कि वर्ष 2012—13 के रू. 73027 करोड़ की तुलना में 2.96 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

प्रति व्यक्ति आय

3.1.7 प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जीवन निर्वाह का स्तर मापा जाता है। वर्ष 2014—15 में प्रति व्यक्ति राज्यीय आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रचलित भावों पर) रू. 64442 अनुमानित है, जबकि वर्ष 2013—14 में प्रति व्यक्ति आय रू. 58547 थी।

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर								(लाख रुपयों में)
क्र. सं.	उद्योग समूह	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
1	कृषि (पशुपालन सहित)	705744	1519514	2019040	2247005	2765427	3015072	3389055
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	257701	364589	391343	432622	533127	622712	744737
3	मछली उद्योग	52465	114055	188920	234829	281666	323693	389276
4	खनन तथा उत्खनन	536715	935778	1182763	1647198	1589650	1643013	1834323
अ	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**1552625**	**2933936**	**3782066**	**4561654**	**5169870**	**5604490**	**6357391**
	कृषि	**1015910**	**1998158**	**2599303**	**2914456**	**3580220**	**3961477**	**4523068**
5	विनिर्माण	**1047925**	**1707247**	**1729781**	**1738748**	**2091481**	**2295841**	**2524020**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	935064	1501793	1496570	1472584	1808111	1984587	2181167
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	112861	205454	233211	266164	283370	311254	342853
6	निर्माण	327428	959843	1184310	1972150	2283751	2542761	2805972
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	210074	686166	741076	756972	649992	758843	845088
ब	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**1585427**	**3353256**	**3655167**	**4467870**	**5025224**	**5597445**	**6175080**
	उद्योग	**2122142**	**4289034**	**4837930**	**6115068**	**6614874**	**7240458**	**8009403**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**231187**	**536940**	**594973**	**737492**	**897692**	**1058026**	**1197287**
8.1	रेल्वे	54939	118888	104002	124030	143740	157043	169560
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	128850	334880	408744	519148	645961	776518	886550
8.3	संग्रहण	5127	11596	13603	18678	22130	25916	30406
8.4	संचार	42271	71576	68624	75636	85861	98549	110771
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	**409082**	**820769**	**1019450**	**1212230**	**1302215**	**1428586**	**1590295**
10	बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**427193**	**950284**	**1157517**	**1479703**	**1823001**	**2087717**	**2442077**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	111485	276052	375004	483290	599703	633516	727675
10.2	स्थावर संपदा आदि	315708	674232	782513	996413	1223298	1454201	1714402
11	सामुदायिक सेवाएँ	**580716**	**1341241**	**1732803**	**1952271**	**2346118**	**2791984**	**3257049**
11.1	लोक प्रशासन	165767	389007	487432	543024	611696	791768	873233
11.2	अन्य सेवाएं	414949	952235	1245371	1409247	1734422	2000216	2383816
स	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**1648178**	**3649234**	**4504743**	**5381696**	**6369026**	**7366313**	**8486708**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**4786229**	**9936426**	**11941976**	**14411220**	**16564120**	**18568248**	**21019179**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	223	245	250	255	260	265	270
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	21463	40557	47768	56515	63708	70069	77849

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2004–05) भावों पर (लाख रुपयों में)								
क्र. सं.	उद्योग समूह	**2004-05**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13 (P)**	**2013-14 (Q)**	**2014-15 (A)**
1	कृषि (पशुपालन सहित)	705744	926819	1166805	1202919	1388458	1392064	1414973
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	257701	278060	286536	286622	299086	307522	317072
3	मछली उद्योग	52465	73514	99714	109537	111687	124511	140685
4	खनन तथा उत्खनन	536715	758353	802419	833839	837501	880685	936059
अ	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**1552625**	**2036746**	**2355474**	**2432917**	**2636732**	**2704782**	**2808789**
	कृषि	**1015910**	**1278393**	**1553055**	**1599078**	**1799231**	**1824097**	**1872730**
5	विनिर्माण	**1047925**	**1327348**	**1259171**	**1163183**	**1311349**	**1378898**	**1452657**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	935064	1169433	1090803	984305	1131443	1190408	1254595
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	112861	157915	168368	178878	179906	188490	198062
6	निर्माण	327428	686329	784683	1219741	1315069	1364767	1403602
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	210074	457486	459340	418458	374345	413112	435854
ब	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**1585427**	**2471163**	**2503194**	**2801382**	**3000763**	**3156777**	**3292113**
	उद्योग	**2122142**	**3229516**	**3305613**	**3635221**	**3838264**	**4037462**	**4228172**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**231187**	**407324**	**501128**	**564342**	**615662**	**669388**	**726652**
8.1	रेल्वे	54939	91972	86681	100804	116603	126326	137238
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	128850	220672	245522	273364	302187	334120	366745
8.3	संग्रहण	5127	7585	8075	9451	9778	10493	11804
8.4	संचार	42271	87095	160850	180723	187094	198449	210865
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	**409082**	**638876**	**707992**	**737705**	**760157**	**804075**	**849306**
10	बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**427193**	**699108**	**786531**	**894314**	**991638**	**1022091**	**1099881**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	111485	294546	371533	460851	536145	540312	586550
10.2	स्थावर संपदा आदि	315708	404562	414998	433463	455493	481779	513331
11	सामुदायिक सेवाएँ	**580716**	**881045**	**1035976**	**910277**	**1068712**	**1169132**	**1307506**
11.1	लोक प्रशासन	165767	261933	299682	190411	290316	345768	365538
11.2	अन्य सेवाएं	414949	619113	736294	719866	778396	823364	941968
स	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**1648178**	**2626353**	**3031627**	**3106638**	**3436169**	**3664686**	**3983345**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**4786229**	**7134262**	**7890295**	**8340937**	**9073664**	**9526245**	**10084247**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	223	245	250	255	260	265	270
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	21463	29119	31561	32710	34899	35948	37349

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर (लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उद्योग समूह	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
1	कृषि (पशुपालन सहित)	639982	1388223	1856736	2068995	2550773	2761826	3095087
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	254303	360121	386696	427449	527044	616046	737215
3	मछली उद्योग	45776	96916	169764	197602	238701	270133	324985
4	खनन तथा उत्खनन	447709	719017	948263	1344138	1226938	1209177	1336492
अ	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**1387770**	**2564277**	**3361459**	**4038184**	**4543456**	**4857182**	**5493779**
	कृषि	**940061**	**1845260**	**2413196**	**2694046**	**3316518**	**3648005**	**4157287**
5	विनिर्माण	**820238**	**1176667**	**1199789**	**1049306**	**1167327**	**1195841**	**1233625**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	738012	1025868	1026026	848771	952802	958955	970921
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	82226	150799	173763	200535	214525	236886	262704
6	निर्माण	314677	909802	1121824	1877323	2151428	2363822	2576427
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	94882	380695	414327	348488	188167	227685	239379
ब	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**1229797**	**2467164**	**2735940**	**3275117**	**3506922**	**3787348**	**4049431**
	उद्योग	**1677506**	**3186181**	**3684203**	**4619255**	**4733860**	**4996525**	**5385923**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**198855**	**482095**	**535623**	**663293**	**809427**	**955014**	**1078489**
8.1	रेल्वे	38565	100600	84162	101975	118180	129118	139409
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	119837	313218	384368	487318	606649	728477	828579
8.3	संग्रहण	4962	11110	12941	17758	21010	24434	28465
8.4	संचार	35491	57167	54152	56242	63588	72985	82036
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	**401430**	**802560**	**997019**	**1182193**	**1266912**	**1386903**	**1541193**
10	बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**386594**	**860929**	**1051235**	**1359657**	**1683468**	**1927177**	**2200368**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	109306	271716	369582	476719	591549	624902	660136
10.2	स्थावर संपदा आदि	277288	589213	681653	882938	1091919	1302275	1540232
11	सामुदायिक सेवाएँ	**534231**	**1242561**	**1609891**	**1814807**	**2181792**	**2601272**	**3036143**
11.1	लोक प्रशासन	133773	327751	409327	456422	508505	673081	736722
11.2	अन्य सेवाएं	400458	914811	1200564	1358385	1673287	1928191	2299421
स	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**1521110**	**3388145**	**4193768**	**5019950**	**5941599**	**6870366**	**7856193**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**4138676**	**8419586**	**10291167**	**12333251**	**13991977**	**15514896**	**17399403**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	223	245	250	255	260	265	270
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	18559	34366	41165	48366	53815	58547	64442

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–05) पर (लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उद्योग समूह	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
1	कृषि (पशुपालन सहित)	639982	833500	1061063	1094261	1267644	1260254	1273038
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	254303	274371	283606	283604	295841	304261	313691
3	मछली उद्योग	45776	59786	84458	83284	83166	91404	103486
4	खनन तथा उत्खनन	447709	586438	594669	601767	595787	607892	640062
अ	**उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)**	**1387770**	**1754095**	**2023796**	**2062916**	**2242438**	**2263811**	**2330277**
	कृषि	**940061**	**1167657**	**1429127**	**1461149**	**1646651**	**1655919**	**1690215**
5	विनिर्माण	**820238**	**883863**	**746023**	**628524**	**620936**	**586496**	**584333**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	738012	770770	625443	498965	491040	449883	440018
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	82226	113093	120580	129559	129896	136613	144315
6	निर्माण	314677	644778	730895	1147036	1217617	1238254	1247845
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	94882	218026	189859	128425	61216	70016	72172
ब	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**1229797**	**1746667**	**1666777**	**1903985**	**1899769**	**1894766**	**1904350**
	उद्योग	**1677506**	**2333105**	**2261446**	**2505752**	**2495556**	**2502658**	**2544412**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**198855**	**362319**	**454794**	**508630**	**551201**	**596970**	**645615**
8.1	रेल्वे	38565	77007	71416	84848	98146	106330	115515
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	119837	202427	225640	248317	272465	299086	326044
8.3	संग्रहण	4962	7229	7624	8864	9107	9663	10785
8.4	संचार	35491	75656	150114	166601	171483	181891	193271
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	**401430**	**624787**	**691584**	**717091**	**737388**	**778570**	**820935**
10	बैंकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहो का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**386594**	**633671**	**713849**	**817727**	**908510**	**932935**	**962976**
10.1	बैंकिंग तथा बीमा	109306	290957	367228	455835	530309	534431	538584
10.2	स्थावर संपदा आदि	277288	342714	346621	361892	378201	398504	424392
11	सामुदायिक सेवाएँ	**534231**	**804789**	**946897**	**916187**	**963372**	**1051694**	**1178646**
11.1	लोक प्रशासन	133773	215654	244842	233225	227173	275639	289387
11.2	अन्य सेवाएं	400458	589136	702055	682962	736199	776055	889259
स	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**1521110**	**2425566**	**2807124**	**2959635**	**3160471**	**3360169**	**3608172**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**4138676**	**5926328**	**6497697**	**6926536**	**7302678**	**7518746**	**7842799**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	223	245	250	255	260	265	270
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	18559	24189	25991	27163	28087	28373	29047

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि–प्रचलित भावों पर (लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उद्योग समूह	2005-06	2009-10	2010-11	2011-12 (F)	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
1	कृषि (पशुपालन सहित)	26.22	15.62	32.87	11.29	23.07	9.03	12.40
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	1.86	11.71	7.34	10.55	23.23	16.80	19.60
3	मछली उद्योग	14.02	31.09	65.64	24.30	19.95	14.92	20.26
4	खनन तथा उत्खनन	26.51	-22.55	26.39	39.27	-3.49	3.36	11.64
A	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**21.86**	**-0.07**	**28.91**	**20.61**	**13.33**	**8.41**	**13.43**
	कृषि	**19.41**	**15.66**	**30.08**	**12.12**	**22.84**	**10.65**	**14.18**
5	विनिर्माण	**-12.38**	**-15.54**	**1.32**	**0.52**	**20.29**	**9.77**	**9.94**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	-15.33	-17.56	-0.35	-1.60	22.78	9.76	9.91
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	12.05	2.97	13.51	14.13	6.46	9.84	10.15
6	निर्माण	31.54	20.64	23.39	66.52	15.80	11.34	10.35
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	1.15	-8.13	8.00	2.14	-14.13	16.75	11.37
B	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**-1.52**	**-5.91**	**9.00**	**22.23**	**12.47**	**11.39**	**10.32**
	उद्योग	**5.57**	**-10.12**	**12.80**	**26.40**	**8.17**	**9.46**	**10.62**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**10.26**	**21.12**	**10.81**	**23.95**	**21.72**	**17.86**	**13.16**
8.1	रेल्वे	4.30	27.31	-12.52	19.26	15.89	9.25	7.97
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	17.93	19.56	22.06	27.01	24.43	20.21	14.17
8.3	संग्रहण	0.96	26.39	17.31	37.31	18.48	17.11	17.33
8.4	संचार	-4.23	18.02	-4.12	10.22	13.52	14.78	12.40
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	**24.42**	**-8.77**	**24.21**	**18.91**	**7.42**	**9.70**	**11.32**
10	बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहो का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**12.73**	**16.65**	**21.81**	**27.83**	**23.20**	**14.52**	**16.97**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	12.09	27.90	35.85	28.88	24.09	5.64	14.86
10.2	स्थावर संपदा आदि	12.95	12.59	16.06	27.34	22.77	18.88	17.89
11	सामुदायिक सेवाएँ	**10.07**	**28.97**	**29.19**	**12.67**	**20.17**	**19.00**	**16.66**
11.1	लोक प्रशासन	20.73	30.90	25.30	11.41	12.65	29.44	10.29
11.2	अन्य सेवाएं	5.82	28.20	30.78	13.16	23.07	15.32	19.18
C	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**14.35**	**14.13**	**23.44**	**19.47**	**18.35**	**15.66**	**15.21**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**11.53**	**2.47**	**20.18**	**20.68**	**14.94**	**12.10**	**13.20**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	227	245	250	255	260	265	270
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	**9.57**	**0.79**	**17.78**	**18.31**	**12.73**	**9.98**	**11.10**

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि–स्थिर (2004–05) भावों पर

क्र. सं.	उद्योग समूह	2005-06	2009-10	2010-11	2011-12 (F)	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
1	कृषि (पशुपालन सहित)	17.96	10.88	25.89	3.10	15.42	0.26	1.65
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	-0.88	1.85	3.05	0.03	4.35	2.82	3.11
3	मछली उद्योग	9.73	6.02	35.64	9.85	1.96	11.48	12.99
4	खनन तथा उत्खनन	6.56	2.41	5.81	3.92	0.44	5.16	6.29
A	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**10.61**	**6.15**	**15.65**	**3.29**	**8.38**	**2.58**	**3.85**
	कृषि	**12.75**	**8.50**	**21.48**	**2.96**	**12.52**	**1.38**	**2.67**
5	विनिर्माण	**-18.39**	**-10.86**	**-5.14**	**-7.62**	**12.74**	**5.15**	**5.35**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	-21.27	-12.46	-6.72	-9.76	14.95	5.21	5.39
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	5.46	3.13	6.62	6.24	0.57	4.77	5.08
6	निर्माण	24.65	15.30	14.33	55.44	7.82	3.78	2.85
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	-1.88	-8.02	0.41	-8.90	-10.54	10.36	5.51
B	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**-7.32**	**-4.28**	**1.30**	**11.91**	**7.12**	**5.20**	**4.29**
	उद्योग	**-3.81**	**-2.79**	**2.36**	**9.97**	**5.59**	**5.19**	**4.72**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**7.86**	**9.75**	**23.03**	**12.61**	**9.09**	**8.73**	**8.55**
8.1	रेल्वे	6.06	13.61	-5.75	16.29	15.67	8.34	8.64
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	10.91	7.80	11.26	11.34	10.54	10.57	9.76
8.3	संग्रहण	-4.79	12.39	6.45	17.04	3.46	7.31	12.49
8.4	संचार	2.45	10.60	84.68	12.35	3.53	6.07	6.26
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	**6.02**	**-0.22**	**10.82**	**4.20**	**3.04**	**5.78**	**5.63**
10	बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**9.40**	**12.94**	**12.51**	**13.70**	**10.88**	**3.07**	**7.61**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	20.74	28.27	26.14	24.04	16.34	0.78	8.56
10.2	स्थावर संपदा आदि	5.39	3.90	2.58	4.45	5.08	5.77	6.55
11	सामुदायिक सेवाएँ	**3.93**	**14.81**	**17.58**	**-12.13**	**17.41**	**9.40**	**11.84**
11.1	लोक प्रशासन	14.30	17.83	14.41	-36.46	52.47	19.10	5.72
11.2	अन्य सेवाएं	-0.21	13.57	18.93	-2.23	8.13	5.78	14.40
C	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**6.42**	**9.53**	**15.43**	**2.47**	**10.61**	**6.65**	**8.70**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**3.23**	**3.42**	**10.60**	**5.71**	**8.78**	**4.99**	**5.86**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	227	245	250	255	260	265	270
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	**1.41**	**1.73**	**8.39**	**3.64**	**6.69**	**3.01**	**3.90**

(P)=प्रावधिक अनुमान (Q)=त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि–प्रचलित भावों पर

क्र. सं.	उद्योग समूह	2005-06	2009-10	2010-11	2011-12 (F)	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
1	कृषि (पशुपालन सहित)	27.60	15.13	33.75	11.43	23.29	8.27	12.07
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	2.06	11.79	7.38	10.54	23.30	16.89	19.67
3	मछली उद्योग	13.92	29.61	75.17	16.40	20.80	13.17	20.31
4	खनन तथा उत्खनन	24.58	-25.33	31.88	41.75	-8.72	-1.45	10.53
A	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**21.49**	**-0.05**	**31.09**	**20.13**	**12.51**	**6.91**	**13.11**
	कृषि	**20.02**	**15.14**	**30.78**	**11.64**	**23.11**	**10.00**	**13.96**
5	विनिर्माण	**-22.54**	**-23.84**	**1.97**	**-12.54**	**11.25**	**2.44**	**3.16**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	-26.32	-26.37	0.02	-17.28	12.26	0.65	1.25
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	11.37	-0.52	15.23	15.41	6.98	10.42	10.90
6	निर्माण	31.42	20.10	23.30	67.35	14.60	9.87	8.99
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	-1.01	-12.92	8.83	-15.89	-46.00	21.00	5.14
B	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**-7.07**	**-9.95**	**10.89**	**19.71**	**7.08**	**8.00**	**6.92**
	उद्योग	**1.38**	**-13.95**	**15.63**	**25.38**	**2.48**	**5.55**	**7.79**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**11.02**	**22.51**	**11.10**	**23.84**	**22.03**	**17.99**	**12.93**
8.1	रेल्वे	5.76	39.24	-16.34	21.17	15.89	9.26	7.97
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	17.89	19.06	22.72	26.78	24.49	20.08	13.74
8.3	संग्रहण	0.40	26.52	16.48	37.22	18.31	16.30	16.50
8.4	संचार	-4.99	15.72	-5.27	3.86	13.06	14.78	12.40
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	24.41	-8.90	24.23	18.57	7.17	9.47	11.12
10	बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**12.42**	**16.61**	**22.10**	**29.34**	**23.82**	**14.48**	**14.18**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	12.05	27.92	36.02	28.99	24.09	5.64	5.64
10.2	स्थावर संपदा आदि	12.57	12.04	15.69	29.53	23.67	19.26	18.27
11	सामुदायिक सेवाएँ	**9.09**	**29.06**	**29.56**	**12.73**	**20.22**	**19.23**	**16.72**
11.1	लोक प्रशासन	20.18	31.61	24.89	11.51	11.41	32.36	9.46
11.2	अन्य सेवाएं	5.38	28.17	31.24	13.15	23.18	15.23	19.25
C	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**14.23**	**13.87**	**23.78**	**19.70**	**18.36**	**15.63**	**14.35**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**10.34**	**1.68**	**22.23**	**19.84**	**13.45**	**10.88**	**12.15**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	227	245	250	255	260	265	270
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	**8.39**	**0.02**	**19.78**	**17.49**	**11.27**	**8.79**	**10.07**

(P)=प्रावधिक अनुमान (Q)=त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि–स्थिर (2004–05) भावों पर

S. No.	उद्योग समूह	2005-06	2009-10	2010-11	2011-12 (F)	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
1	कृषि (पशुपालन सहित)	18.99	8.97	27.30	3.13	15.84	-0.58	1.01
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	-0.67	1.85	3.37	0.00	4.31	2.85	3.10
3	मछली उद्योग	9.48	1.59	41.27	-1.39	-0.14	9.91	13.22
4	खनन तथा उत्खनन	2.10	8.03	1.40	1.19	-0.99	2.03	5.29
A	**उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)**	**9.62**	**7.22**	**15.38**	**1.93**	**8.70**	**0.95**	**2.94**
	कृषि	**13.21**	**6.82**	**22.39**	**2.24**	**12.70**	**0.56**	**2.07**
5	**विनिर्माण**	**-28.62**	**-18.00**	**-15.60**	**-15.75**	**-1.21**	**-5.55**	**-0.37**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	-32.37	-20.16	-18.85	-20.22	-1.59	-8.38	-2.19
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	5.01	0.51	6.62	7.45	0.26	5.17	5.64
6	निर्माण	24.48	13.80	13.36	56.94	6.15	1.69	0.77
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	-1.39	-17.87	-12.92	-32.36	-52.33	14.38	3.08
B	**उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)**	**-12.93**	**-8.55**	**-4.57**	**14.23**	**-0.22**	**-0.26**	**0.51**
	उद्योग	**-8.92**	**-4.88**	**-3.07**	**10.80**	**-0.41**	**0.28**	**1.67**
8	**परिवहन, संग्रहण एवं संचार**	**9.13**	**10.12**	**25.52**	**11.84**	**8.37**	**8.30**	**8.15**
8.1	रेल्वे	10.87	19.97	-7.26	18.81	15.67	8.34	8.64
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	10.68	7.02	11.47	10.05	9.72	9.77	9.01
8.3	संग्रहण	-5.37	12.38	5.46	16.26	2.74	6.11	11.61
8.4	संचार	4.04	9.23	98.42	10.98	2.93	6.07	6.26
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	5.77	-0.12	10.69	3.69	2.83	5.58	5.44
10	**बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ**	**9.40**	**13.01**	**12.65**	**14.55**	**11.10**	**2.69**	**3.22**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	20.98	28.35	26.21	24.13	16.34	0.78	0.78
10.2	स्थावर संपदा आदि	4.84	2.61	1.14	4.41	4.51	5.37	6.50
11	**सामुदायिक सेवाएँ**	**2.90**	**14.16**	**17.66**	**-3.24**	**5.15**	**9.17**	**12.07**
11.1	लोक प्रशासन	13.57	17.08	13.53	-4.74	-2.59	21.33	4.99
11.2	अन्य सेवाएं	-0.67	13.13	19.17	-2.72	7.80	5.41	14.59
C	**उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)**	**6.12**	**9.25**	**15.73**	**5.43**	**6.79**	**6.32**	**7.38**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**1.63**	**2.78**	**9.64**	**6.60**	**5.43**	**2.96**	**4.31**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	227	245	250	255	260	265	270
	प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)	**-0.16**	**1.10**	**7.45**	**4.51**	**3.40**	**1.02**	**2.38**

(P)=प्रावधिक अनुमान (Q)=त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत वितरण–प्रचलित भावों पर								
क्र. सं.	उद्योग समूह	**2004-05**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12 (F)**	**2012-13 (P)**	**2013-14 (Q)**	**2014-15 (A)**
1	कृषि (पशुपालन सहित)	14.75	15.29	16.91	15.59	16.70	16.24	16.12
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	5.38	3.67	3.28	3.00	3.22	3.35	3.54
3	मछली उद्योग	1.10	1.15	1.58	1.63	1.70	1.74	1.85
4	खनन तथा उत्खनन	11.21	9.42	9.90	11.43	9.60	8.85	8.73
अ	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**32.44**	**29.53**	**31.67**	**31.65**	**31.21**	**30.18**	**30.25**
	कृषि	**21.23**	**20.11**	**21.77**	**20.22**	**21.61**	**21.33**	**21.52**
5	विनिर्माण	**21.89**	**17.18**	**14.48**	**12.07**	**12.63**	**12.36**	**12.01**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	19.54	15.11	12.53	10.22	10.92	10.69	10.38
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	2.36	2.07	1.95	1.85	1.71	1.68	1.63
6	निर्माण	6.84	9.66	9.92	13.68	13.79	13.69	13.35
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	4.39	6.91	6.21	5.25	3.92	4.09	4.02
ब	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**33.12**	**33.75**	**30.61**	**31.00**	**30.34**	**30.15**	**29.38**
	उद्योग	**44.34**	**43.16**	**40.51**	**42.43**	**39.93**	**38.99**	**38.11**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**4.83**	**5.40**	**4.98**	**5.12**	**5.42**	5.70	5.70
8.1	रेल्वे	1.15	1.20	0.87	0.86	0.87	0.85	0.81
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	2.69	3.37	3.42	3.60	3.90	4.18	4.22
8.3	संग्रहण	0.11	0.12	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14
8.4	संचार	0.88	0.72	0.57	0.52	0.52	0.53	0.53
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	**8.55**	**8.26**	**8.54**	**8.41**	**7.86**	**7.69**	**7.57**
10	बैंकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**8.93**	**9.56**	**9.69**	**10.27**	**11.01**	**11.24**	**11.62**
10.1	बैंकिंग तथा बीमा	2.33	2.78	3.14	3.35	3.62	3.41	3.46
10.2	स्थावर संपदा आदि	6.60	6.79	6.55	6.91	7.39	7.83	8.16
11	सामुदायिक सेवाएँ	**12.13**	**13.50**	**14.51**	**13.55**	**14.16**	**15.04**	**15.50**
11.1	लोक प्रशासन	3.46	3.91	4.08	3.77	3.69	4.26	4.15
11.2	अन्य सेवाएं	8.67	9.58	10.43	9.78	10.47	10.77	11.34
स	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**34.44**	**36.73**	**37.72**	**37.34**	**38.45**	**39.67**	**40.38**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	223	245	250	255	260	265	270

(P)= प्राविधक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत वितरण–स्थिर (2004–05) भावों पर								
क्र.सं.	उद्योग समूह	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12 (F)	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
1	कृषि (पशुपालन सहित)	14.75	12.99	14.79	14.42	15.30	14.61	14.03
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	5.38	3.90	3.63	3.44	3.30	3.23	3.14
3	मछली उद्योग	1.10	1.03	1.26	1.31	1.23	1.31	1.40
4	खनन तथा उत्खनन	11.21	10.63	10.17	10.00	9.23	9.24	9.28
अ	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**32.44**	**28.55**	**29.85**	**29.17**	**29.06**	**28.39**	**27.85**
	कृषि	**21.23**	**17.92**	**19.68**	**19.17**	**19.83**	**19.15**	**18.57**
5	विनिर्माण	**21.89**	**18.61**	**15.96**	**13.95**	**14.45**	**14.47**	**14.41**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	19.54	16.39	13.82	11.80	12.47	12.50	12.44
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	2.36	2.21	2.13	2.14	1.98	1.98	1.96
6	निर्माण	6.84	9.62	9.94	14.62	14.49	14.33	13.92
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	4.39	6.41	5.82	5.02	4.13	4.34	4.32
ब	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**33.12**	**34.64**	**31.72**	**33.59**	**33.07**	**33.14**	**32.65**
	उद्योग	**44.34**	**45.27**	**41.89**	**43.58**	**42.30**	**42.38**	**41.93**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**4.83**	**5.71**	**6.35**	**6.77**	**6.79**	7.03	7.21
8.1	रेल्वे	1.15	1.29	1.10	1.21	1.29	1.33	1.36
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	2.69	3.09	3.11	3.28	3.33	3.51	3.64
8.3	संग्रहण	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12
8.4	संचार	0.88	1.22	2.04	2.17	2.06	2.08	2.09
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	**8.55**	**8.96**	**8.97**	**8.84**	**8.38**	**8.44**	**8.42**
10	बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**8.93**	**9.80**	**9.97**	**10.72**	**10.93**	**10.73**	**10.91**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	2.33	4.13	4.71	5.53	5.91	5.67	5.82
10.2	स्थावर संपदा आदि	6.60	5.67	5.26	5.20	5.02	5.06	5.09
11	सामुदायिक सेवाएँ	**12.13**	**12.35**	**13.13**	**10.91**	**11.78**	**12.27**	**12.97**
11.1	लोक प्रशासन	3.46	3.67	3.80	2.28	3.20	3.63	3.62
11.2	अन्य सेवाएं	8.67	8.68	9.33	8.63	8.58	8.64	9.34
स	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**34.44**	**36.81**	**38.42**	**37.25**	**37.87**	**38.47**	**39.50**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	223	245	250	255	260	265	270

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत वितरण—प्रचलित भावों पर								
क्र.सं.	उद्योग समूह	**2004-05**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12 (F)**	**2012-13 (P)**	**2013-14 (Q)**	**2014-15 (A)**
1	कृषि (पशुपालन सहित)	15.46	16.49	18.04	16.78	18.23	17.80	17.79
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	6.14	4.28	3.76	3.47	3.77	3.97	4.24
3	मछली उद्योग	1.11	1.15	1.65	1.60	1.71	1.74	1.87
4	खनन तथा उत्खनन	10.82	8.54	9.21	10.90	8.77	7.79	7.68
अ	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**33.53**	**30.46**	**32.66**	**32.74**	**32.47**	**31.31**	**31.57**
	कृषि	**22.71**	**21.92**	**23.45**	**21.84**	**23.70**	**23.51**	**23.89**
5	विनिर्माण	**19.82**	**13.98**	**11.66**	**8.51**	**8.34**	**7.71**	**7.09**
5.1	विनिर्माण—पंजीकृत	17.83	12.18	9.97	6.88	6.81	6.18	5.58
5.2	विनिर्माण—गैर—पंजीकृत	1.99	1.79	1.69	1.63	1.53	1.53	1.51
6	निर्माण	7.60	10.81	10.90	15.22	15.38	15.24	14.81
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	2.29	4.52	4.03	2.83	1.34	1.47	1.38
ब	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**29.71**	**29.30**	**26.59**	**26.56**	**25.06**	**24.41**	**23.27**
	उद्योग	**40.53**	**37.84**	**35.80**	**37.45**	**33.83**	**32.20**	**30.95**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**4.80**	**5.73**	**5.20**	**5.38**	**5.78**	**6.16**	**6.20**
8.1	रेल्वे	0.93	1.19	0.82	0.83	0.84	0.83	0.80
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	2.90	3.72	3.73	3.95	4.34	4.70	4.76
8.3	संग्रहण	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16
8.4	संचार	0.86	0.68	0.53	0.46	0.45	0.47	0.47
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	9.70	9.53	9.69	9.59	9.05	8.94	8.86
10	बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**9.34**	**10.23**	**10.21**	**11.02**	**12.03**	**12.42**	**12.65**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	2.64	3.23	3.59	3.87	4.23	4.03	3.79
10.2	स्थावर संपदा आदि	6.70	7.00	6.62	7.16	7.80	8.39	8.85
11	सामुदायिक सेवाएँ	**12.91**	**14.76**	**15.64**	**14.71**	**15.59**	**16.77**	**17.45**
11.1	लोक प्रशासन	3.23	3.89	3.98	3.70	3.63	4.34	4.23
11.2	अन्य सेवाएं	9.68	10.87	11.67	11.01	11.96	12.43	13.22
स	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**36.75**	**40.24**	**40.75**	**40.70**	**42.46**	**44.28**	**45.15**
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	223	245	250	255	260	265	270

(P)= प्रावधिक अनुमान (Q)= त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत वितरण–स्थिर (2004–05) भावों पर								
क्र. सं.	उद्योग समूह	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12 (F)	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
1	कृषि (पशुपालन सहित)	15.46	14.06	16.33	15.80	17.36	16.76	16.23
2	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	6.14	4.63	4.36	4.09	4.05	4.05	4.00
3	मछली उद्योग	1.11	1.01	1.30	1.20	1.14	1.22	1.32
4	खनन तथा उत्खनन	10.82	9.90	9.15	8.69	8.16	8.09	8.16
अ	उपजोड़ (प्राथमिक क्षेत्र)	**33.53**	**29.60**	**31.15**	**29.78**	**30.71**	**30.11**	**29.71**
	कृषि	**22.71**	**19.70**	**21.99**	**21.09**	**22.55**	**22.02**	**21.55**
5	विनिर्माण	**19.82**	**14.91**	**11.48**	**9.07**	**8.50**	**7.80**	**7.45**
5.1	विनिर्माण–पंजीकृत	17.83	13.01	9.63	7.20	6.72	5.98	5.61
5.2	विनिर्माण–गैर–पंजीकृत	1.99	1.91	1.86	1.87	1.78	1.82	1.84
6	निर्माण	7.60	10.88	11.25	16.56	16.67	16.47	15.91
7	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	2.29	3.68	2.92	1.85	0.84	0.93	0.92
ब	उपजोड़ (द्वितीयक क्षेत्र)	**29.71**	**29.47**	**25.65**	**27.49**	**26.01**	**25.20**	**24.28**
	उद्योग	**40.53**	**39.37**	**34.80**	**36.18**	**34.17**	**33.29**	**32.44**
8	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	**4.80**	**6.11**	**7.00**	**7.34**	**7.55**	7.94	8.23
8.1	रेल्वे	0.93	1.30	1.10	1.22	1.34	1.41	1.47
8.2	अन्य साधनों से परिवहन	2.90	3.42	3.47	3.59	3.73	3.98	4.16
8.3	संग्रहण	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14
8.4	संचार	0.86	1.28	2.31	2.41	2.35	2.42	2.46
9	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	9.70	10.54	10.64	10.35	10.10	10.36	10.47
10	बैकिंग, बीमा तथा स्थावर संपदा, आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	**9.34**	**10.69**	**10.99**	**11.81**	**12.44**	**12.41**	**12.28**
10.1	बैकिंग तथा बीमा	2.64	4.91	5.65	6.58	7.26	7.11	6.87
10.2	स्थावर संपदा आदि	6.70	5.78	5.33	5.22	5.18	5.30	5.41
11	सामुदायिक सेवाएँ	**12.91**	**13.58**	**14.57**	**13.23**	**13.19**	**13.99**	**15.03**
11.1	लोक प्रशासन	3.23	3.64	3.77	3.37	3.11	3.67	3.69
11.2	अन्य सेवाएं	9.68	9.94	10.80	9.86	10.08	10.32	11.34
स	उपजोड़ (तृतीयक क्षेत्र)	**36.75**	**40.93**	**43.20**	**42.73**	**43.28**	**44.69**	46.01
	योग(अ+ब+स) (स.रा.घ.उ.)	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	223	245	250	255	260	265	270

(P)=प्राविधिक अनुमान (Q)=त्वरित अनुमान (A)= अग्रिम अनुमान

04

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4. मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.1 मूल्य :— मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर समाज के प्रत्येक अनुभाग पर कीमतों में परिवर्तन का सीधा असर पड़ता है। मूल्य सूचकांक वस्तुओं के कीमत के स्तर के समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन को मापने का एक सांख्यिकी उपकरण है। आर्थिक योजनाओं की प्रक्रिया में यह मुख्य सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एवं थोक मूल्य सूचकांक (WPI) क्रमशः खुदरा एवं थोक स्तर पर मुद्रास्फिति मापक है।

4.1.1 भारत में मूल्य स्थिति :— भारत में मूल्य की स्थिति भारत सरकार का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रत्येक माह (आधार वर्ष 2010) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदशों के लिए ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए जारी करता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर 2013 में 145.2, 137.0 एवं 143.4 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था, जो दिसम्बर 2014 में 148.3, 143.0 एवं 146.6 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए वृद्धि दर्शाता हे । प्रमुख राज्यों के दिसम्ब्र 14 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिशिष्ट 4.1 में दर्शाया गया है। दिसम्बर 14 के लिए भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 146.7, 142.5 एवं 144.9 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए दर्शाता हे। बिंदु से बिंदु आधार पर प्रावधिक वार्षिक मुद्रास्फिति दर 4.71, 5.32 एवं 5.00 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए वृद्धि दर्शाता हे ।

4.1.2 :— भारत सरकार के श्रम ब्यूरोतीन प्रकार के मासिक सूचकांक यथा कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL) एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) प्रकाशित करता है। इनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु किया जाता है। परिशिष्ट 4.2 में CPI(AL) एवं CPI(RL) की श्रृंखला दर्शाई गई है। भारत के (CPI-AL) का अप्रैल से नवंबर 14 तक का औसत 786.7 था, जो कि गत् वर्ष की तुलना में 7.44% अधिक था। इसी प्रकार भारत का औसत वृद्धिअप्रैल 2014 से नवबंर 14 तक 788.9 था, जो गत् वर्ष की तुलना में 7.62% वृद्धि दर्शाता है। परिशिष्ट 4.4 में विस्तृत जानकारी दर्शित है।

4.1.3 :— सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों CPI(IW) मुख्यतः महंगाई भत्ते के निर्धारण एवं संगठित क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। यह औद्योगिक रूप से विकसित 78 चुने हुए केंद्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य पर आधारित है। भारत के अप्रैल से नवंबर 14 तक का औसत CPI(IW) 249.4 एवं भिलाई केंद्र में 280 था एवं यह पिछले वर्ष के संबंधित अवधि की तुलना में 6.23 प्रतिशत एवं भिलाई केंद्र में 3.90 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। (तालिका 4.2)

4.1.4 थोक मूल्य सूचकांक :— भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004—05) तैयार किए जाते हैं, जो शासन की व्यापार राजकोषी एवं अन्य आर्थिक नीतियों के सूचीकरण में प्रमुख निर्धारक है।

सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक 3.99% (6.32%) की वृद्धि दर्शाता है। प्राथमिक वस्तुओं के समूह हेतु 4.71% (10.7%) ईंधन एवं शक्ति समूह के लिए 5.51% (9.9%) एवं विनिर्माण उत्पाद के लिए 3.19% (3.3%) वृद्धि गतवर्ष की इस अवधि की तुलना में दर्ज की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.2 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किए जाने हेतु घोषित मूल्य पर धान का उपार्जन करता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है।

4.2.1 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 :—

छत्तीसगढ़ स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में न सिर्फ खाद्य सुरक्षा हेतु प्रावधान किए गए हैं, अपितु संतुलित आहार की दृष्टि से भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़े इस उद्देश्य से पोषण सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों के लिए निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं :—

- **अन्त्योदय परिवार** :— अन्त्योदय परिवारों की श्रेणी में ऐसे परिवारों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है जो या तो वर्तमान में अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राही होने की पात्रता धारित करते हों अथवा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों में सम्मिलित हों। ऐसे परिवारों को रू. 1 प्रतिकिलो की दर से 35किलो चावल, 2किलो निःशुल्क आयोडीनयुक्त अमृत नमक, अनुसूचित क्षेत्र में 5रू. प्रतिकिलो की दर से 2 किलो चना एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 10रू. प्रतिकिलो की दर से 2किलो दाल की मासिक पात्रता है। विभागीय डेटाबेस के अनुसार इस योजनांतर्गत 16.92लाख राशनकार्ड जारी किए गए हैं।

- **प्राथमिकता परिवार** :— प्राथमिकता परिवार के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत वर्तमान में पात्रताधारी सभी राशनकार्डधारी परिवारों को रखा गया है। ऐसे परिवारों को 1 रू. प्रतिकिलो की दर से 35 किलो चावल, 2 किलो निःशुल्क आयोडीनयुक्त अमृत नमक, अनुसूचित क्षेत्र में 5 रू. प्रतिकिलो की दर से 2 किलो दाल की मासिक पात्रता है। विभागीय डेटाबेस के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 47.78 लाख प्राथमिकता वाले नीले राशनकार्ड जारी किए गए हैं।

- **सामान्य परिवार** :— ऐसे परिवार जो अन्त्योदय परिवार अथवा अपवर्जित श्रेणी के परिवार नहीं हैं, उन्हें सामान्य परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य परिवार के कार्डधारी को 10 किलो चावल 9.50 रू. प्रतिकिलो

की दर से तथा 5 किलो गेहूँ 6.75 रू. प्रतिकिलो की दर से मासिक पात्रता है। विभागीय डेटाबेस के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 4.19 लाख राशनकार्ड जारी किए गए हैं।

4.2.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदेश में 6501 उचित मूल्य दुकानें संचालित थीं। राज्य गठन के बाद 4532 नई दुकानें स्थापित की गई हैं। राज्य में अक्टूबर 2014 की स्थिति में 11088 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। जिसमें से 4115 पंचायत, 4364 सेवा सहकारी समिति, 2412 महिला स्वसहायता समूह, 154 वन सुरक्षा समितियॉ तथा 43 नगरीय निकाय द्वारा संचालित की जा रही हैं।

4.2.3 छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के तहत जारी राशनकार्ड :–

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को राशनकार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था है। अन्त्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र में राशनकार्ड बनाने का अधिकार है।

4.2.4 समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान किए जाने हेतु राज्य की अधिकृत एजेंसी ''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ'' द्वारा 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से घोषित समर्थन मूल्य पर राज्य द्वारा धान की खरीदी की जाती है। वर्ष 2013-14 में 1975 धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है।

वर्ष 2000-01 में सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य रू. 510 प्रति क्विंटल तथा 'ए' श्रेणी के धान के लिए रू. 540 प्रति क्विंटल था, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर धान का समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए 1360 रू. प्रति क्विंटल तथा ग्रेड 'ए' धान के लिए 1400 रू. प्रति क्विंटल किया गया है। वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य पर 79.72 लाख टन धान खरीदा गया तथा किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त रू. 300 प्रति क्विंटल बोनस का वितरण किया गया।

समर्थन मूल्य

फसल/किस्म	विपणन वर्ष				
	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15
धान–सामान्य	1000+50	1080	1250	1310	1360
धान– ग्रेड–ए	1030+50	1110	1280	1345	1400
गेहूँ	1100			-	-
ज्वार	840	980	980	1500	1530
बाजरा	840	980	980	1250	1250
जौ	-	-	-	-	-
मक्का	880	980	1175	1310	1310
रागी	-	-	-	1500	1550
अरहर	-	-	-	4300	4350
उडद	-	3300	-	4300	4350
मूँगफली	-	2700	-	4000	4000
मूँग	-	3500	-	4500	4600
सोयाबीन काली	-	1650	-	2500	2500
सोयाबीन पीली	-	1690	-	2560	2560
तुअर	-	3200	-	-	-
सूर्यमुखी	-	2800	-	-	-
राई व सरसों	-	1050	-	-	-

4.2.5 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण

खरीफ वर्ष 2007-08 में विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया। किसानों की सुविधा हेतु इस वर्ष 59 नए धान खरीदी केन्द्र खोले गए हैं। खरीफ वर्ष 2013-14 में राज्य के 1975 धान खरीदी केन्द्रों में कम्प्यूटर स्थापित करके राज्य के किसानों से कम्प्यूटर के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया गया है। प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के सॉफ्टवेयर में दर्ज कर ली गई। किसानों द्वारा उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय के तुरंत बाद कम्प्यूटर द्वारा निर्मित चेक तत्काल उपलब्ध कराया जाता है। धान खरीदी की व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रतिदिन किसानों से होने वाली खरीदी की जानकारी राज्य शासन को तत्काल उपलब्ध हो जाती है। राज्य के प्रत्येक जिले के किसान, जिसके द्वारा धान का विक्रय इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, उसकी जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट में हर नागरिक के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

4.2.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिताः– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :–

(1) पीडीएस–ऑनलाईन व्यवस्था :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया एवं अब तक राज्य स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों तक के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोडा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 11088 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशन कार्डों के आधार पर जनवरी 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार राशन सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है।

(2) चावल उत्सव :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा वहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव आयोजित हो रहा है। इस उत्सव के आयोजन से निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

(3) कॉल सेंटर :– राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से संचालित किए जा रहे कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमॉक 1800–233–3663 है और यह एक टोल फ्री फोन लाईन है। जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य

योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब तक कुल 9283 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। प्राप्त शिकायतों में से 8688 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं।

(4) जनभागीदारी वेबसाईट :– जनभागीदारी वेबसाईट (www.khadya.cg.nic.in/citizen) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है। वर्तमान में खाद्यान्न भंडारण के एस.एम.एस. हेतु 34,507 मोबाईल नंबर पंजीकृत हैं।

(5) ई–केरोसिन योजना :– उचित मूल्य दुकानों को केरोसिन आबंटन एवं प्रदाय प्रक्रिया को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा ई–केरोसिन योजना अगस्त 2012 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर से उचित मूल्य दुकानों से संलग्न राशनकार्डों की संख्या के आधार पर ऑनलाईन दुकानवार आबंटन जारी किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 98 थोक केरोसिन डीलर एवं 11088 उचित मूल्य दुकान संचालकों के मोबाईल नंबर दर्ज कर इनका डाटाबेस तैयार किया गया है। थोक केरोसिन डीलर द्वारा ऑयल डीपो से केरोसिन उठाव के साथ पंजीकृत मोबाईल नंबर से विभागीय सर्वर में उठाव किए गए केरोसिन की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाती है।

4.2.7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु नेशनल ई–गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई–इंडिया अवार्ड, सी. एस.आई. ई–गवर्नेंस अवार्ड, सी.एस.आई. निहिलेंट ई–गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं।

सारणी 4.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण एवं शहरी, आधार वर्ष 2010=100) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत

दिसम्बर 2014 (प्रावाधिक)

राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश	खाद्य, पेय एवं तम्बाकू			ईंधन एवं प्रकाश			वस्त्र, शयन सामग्री, जूता			किराया	विविध			सामान्य सूचकांक		
	ग्रा	श.	समि.	ग्रा	श.	समि.	ग्रा	श.	समि.	श.	ग्रा	श.	समि.	ग्रा	श.	समि.
जम्मू–कश्मीर	143.8	143.5	143.7	140.0	145.5	141.7	147.8	154.0	149.5	148.5	137.6	127.8	134.0	142.5	141.9	142.3
हिमाचल प्रदेश	145.7	140.3	145.0	139.0	137.8	138.8	152.3	152.2	152.3	146.3	131.4	126.1	130.5	141.4	138.2	140.8
पंजाब	142.5	143.7	142.9	137.3	148.2	141.6	149.7	163.3	155.1	140.2	131.8	127.1	129.4	138.9	138.3	138.6
चंडीगढ़	140.4	145.9	145.4	135.4	161.3	159.0	140.9	153.2	153.0	147.3	128.3	134.0	133.8	137.2	144.0	143.7
उत्तराखंड	144.8	140.2	143.5	141.4	125.8	137.0	160.8	156.5	159.4	125.6	131.8	128.8	130.7	141.9	133.7	138.9
हरियाणा	147.1	145.6	146.7	129.8	120.9	126.8	150.1	146.4	149.1	140.8	134.2	128.1	132.0	141.6	137.3	140.0
दिल्ली	140.8	146.1	145.8	147.5	150.5	150.3	144.3	156.5	156.2	139.7	126.1	129.8	129.6	137.5	140.6	140.5
राजस्थान	149.7	142.5	147.9	152.5	136.5	147.2	158.5	150.8	156.1	142.4	139.3	128.4	134.8	148.2	138.4	144.6
उत्तरप्रदेश	150.4	146.8	149.5	144.3	137.2	142.2	160.0	161.7	160.5	144.8	135.2	131.1	133.9	146.4	142.0	145.0
बिहार	151.1	143.7	150.2	149.2	132.6	146.9	161.9	152.8	160.9	148.7	142.3	128.3	139.2	150.1	140.6	148.5
सिक्किम	140.6	149.1	141.7	131.2	134.4	131.6	126.6	179.4	135.8	159.7	116.9	136.4	120.5	133.5	150.5	136.7
अरूणाचल प्रदेश	158.9	--	--	158.2	--	--	160.6	--	--	--	143.1	--	--	156.1	--	--
नागालैण्ड	152.7	147.1	150.8	142.4	143.6	142.8	142.0	138.7	141.0	148.2	134.0	125.8	130.1	146.7	140.3	144.1
मणिपुर	113.7	138.0	119.9	133.3	130.1	132.4	135.3	155.1	142.3	132.4	115.5	135.7	121.2	117.8	136.4	123.9
मिजोरम	159.1	150.1	155.0	146.8	151.0	148.7	106.5	148.5	130.2	133.7	119.6	124.7	122.5	146.8	141.5	144.0
त्रिपुरा	142.3	163.4	146.4	181.4	161.3	176.7	180.9	147.4	168.4	153.8	143.9	128.5	138.5	148.0	151.7	149.0
मेघालय	168.7	156.4	166.7	197.0	132.9	183.0	194.8	141.1	181.1	122.5	171.8	125.4	159.0	173.8	138.1	164.7
असम	146.6	148.7	146.9	145.3	142.0	144.8	145.0	158.4	146.4	141.4	134.9	134.9	134.9	144.8	143.6	144.6
पं.बंगाल	153.4	148.7	151.9	147.0	151.5	148.8	164.5	156.5	161.7	137.9	141.4	132.0	136.7	150.8	142.3	147.1
झारखंड	147.6	142.6	146.4	144.2	149.6	145.5	151.0	155.7	152.5	140.6	142.0	130.5	136.8	146.5	140.2	144.4
ओड़िसा	150.8	146.5	150.0	152.5	148.7	151.7	152.0	158.4	153.5	162.6	134.7	131.0	133.6	148.0	146.1	147.5
छत्तीसगढ़	150.6	141.6	148.6	149.8	163.0	153.3	161.0	159.3	160.6	157.5	139.1	125.9	134.1	148.3	143.0	146.6
मध्यप्रदेश	150.4	143.5	148.3	143.7	125.3	137.2	162.1	161.0	161.7	156.7	137.6	130.6	134.0	147.4	140.6	144.5
गुजरात	154.7	146.0	151.0	138.7	131.4	135.1	153.5	151.4	152.3	138.9	134.1	129.0	131.1	148.3	138.8	143.1
दमन द्वीव	156.7	152.3	155.3	118.5	125.9	120.8	166.2	147.4	154.6	135.9	129.0	124.9	127.6	142.2	138.5	140.8
दादरा एवं नगर हवेली	135.8	139.4	136.5	111.2	118.2	112.7	115.8	145.0	123.3	133.6	113.9	121.3	116.0	126.6	131.5	127.9
महाराष्ट्र	147.9	146.9	147.4	151.1	140.4	145.2	153.9	151.7	152.6	140.1	135.5	130.2	132.2	145.0	140.1	141.9
आंध्रप्रदेश	146.8	144.6	146.1	135.9	120.7	130.2	153.8	165.5	158.1	163.7	137.3	134.0	135.9	143.7	144.4	144.0
कर्नाटक	151.7	154.1	152.7	146.6	137.6	142.5	160.9	161.5	161.1	166.6	140.7	135.1	137.8	148.9	151.6	150.3
गोवा	163.6	152.9	159.5	120.6	125.1	122.3	146.7	134.4	139.8	128.6	137.2	126.7	131.7	149.8	135.5	142.4
लक्षद्वीप	144.0	151.3	147.7	124.6	128.3	126.5	150.9	170.3	154.7	103.7	120.1	116.4	117.8	138.7	133.2	135.7
केरल	155.2	165.4	157.8	141.5	157.8	146.2	165.4	146.9	159.5	148.2	136.3	141.1	137.7	147.5	152.3	149.1
तमिलनाडू	155.4	152.4	154.0	145.0	138.4	141.5	160.1	145.4	152.0	163.4	135.6	133.6	134.5	148.5	148.7	148.6
पांडिचेरी	157.4	148.4	151.2	132.0	147.3	142.1	174.0	151.5	158.3	155.4	138.2	131.6	133.3	150.0	145.0	146.3
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	146.7	151.2	148.5	121.7	124.8	123.1	145.3	142.8	144.1	134.5	124.5	130.2	127.4	138.3	139.6	138.9
अखिल भारत	150.2	147.6	149.4	144.8	139.1	142.6	158.1	155.2	157.1	147.2	136.7	131.3	134.2	146.7	142.5	144.9

Source - Mospi website

सारणी 4.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि, ग्रामीण म एवं औद्योगिक श्रमिक

वर्ष	CPI (AL) (1986-87)=100	CPI (RL) (1986-87)=100	CPI(IW) (2001)=100	CPI (IW) Bhilai (2001)=100
2001	307	309	–	–
2002	315	318	–	–
2003	328	331	–	–
2004	337	340	–	–
2005	348	351	–	–
2006	372	373	123	–
2007	402	402.5	131	–
2008	439	439.5	142	–
2009	494	493.5	157	–
2010	552.5	552.1	176	–
2011	602	601.7	192	–
2012	652.4	653.8	209	–
2013	735	735	232	–
Jan-14	757	759	237	267
Feb-14	757	759	238	268
Mar-14	763	765	239	268
Apr-14	771	773	242	270
May-14	777	780	244	274
Jun-14	785	787	246	277
Jul-14	799	801	252	284
Aug-14	808	810	253	282
Sep-14	811	813	253	284
Oct-14	813	815	253	284
Nov-14	813	816	253	285

Source - MOSPI\CSO\ PRICE STAT. *AL* = खेतिहर श्रमिक *RL* = ग्रामीण श्रमिक *IW* = औद्योगिक श्रमिक

सारणी 4.3 थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	समस्त सामग्री	प्राथमिक सामग्री	ईंधन एवं उर्जा	विनिर्माण उत्पाद
2005	103.37	102.42	110.94	101.90
2006	109.59	111.42	120.27	106.55
2007	114.94	121.84	119.62	111.75
2008	124.92	134.82	134.94	119.51
2009	127.86	147.69	128.92	121.48
2010	140.08	175.88	144.16	128.07
2011	153.35	197.12	163.27	137.53
2012	164.92	215.00	182.41	145.40
2013	175.35	237.81	200.54	150.22
Jan-14	179.00	238.80	212.40	152.90
Feb-14	179.50	238.50	212.60	153.60
Mar-14	180.30	239.40	214.20	154.20
Apr-14	180.80	242.40	211.80	154.60
May-14	182.00	246.80	212.10	155.10
Jun-14	183.00	250.30	212.30	155.40
Jul-14	185.00	256.60	214.60	156.00
Aug-14	185.90	261.20	214.00	156.10
Sep-14	185.00	257.80	213.40	156.00
Oct-14	183.70	253.30	210.80	155.90
Nov-14	181.50	252.40	199.30	155.40
Dec-14	179.80	249.00	194.60	154.90

Source - MOSPI\CSO\ PRICE STAT.

सारणी 4.4 मुद्रास्फीति

वर्ष	खेतिहर श्रमिक	ग्रामीण श्रमिक
2000	1.3	1.3
2001	0.2	0.2
2002	2.8	2.8
2003	4.1	4.1
2004	2.7	2.7
2007	3.3	3.3
2008	9.1	9.1
2009	12.6	12.6
2010	12.1	12.1
2011	9.0	9.0
2012	8.6	8.6
Jan-13	12.3	12.3
Feb-13	12.5	12.5
Mar-13	12.6	12.6
Apr-13	12.2	12.2
May-13	12.5	12.5
Jun-13	12.7	12.7
Jul-13	12.6	12.6
Aug-13	12.9	12.9
Sep-13	12.4	12.4
Oct-13	12.5	12.5
Nov-13	13.3	13.3

सारणी 4.5 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी राशन कार्ड की जानकारी

कार्ड का प्रकार	ग्रामीण	शहरी	योग
अंत्योदय (गुलाबी)	1357658	257493	1615151
प्राथमिकता (नीला)	3789423	712759	4502182
सामान्य (भूरा)	128673	177388	306061
नि:शक्तजन (हरा)	6746	1940	8686
कुल योग	5282500	1149580	6432080

सारणी 4.6 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत जिलेवार राशन कार्ड की जानकारी

क्रमांक	जिला	अंत्योदय (गुलाबी)	प्राथमिकता (नीला)	सामान्य (भूरा)	नि:शक्तजन (हरा)	कुल योग
1	बस्तर	51911	136106	3525	5	191547
2	बीजापुर	25855	36953	350	21	63179
3	दन्तेवाड़ा	30745	40042	1291	685	72763
4	कांकेर	40853	128136	7222	218	176429
5	कोंडागांव	36213	91359	2906	10	130488
6	नारायणपुर	17190	12866	943	4	31003
7	सुकमा	32637	31423	936	7	65003
8	बिलासपुर	133169	369750	26329	679	529927
9	जांजगीर–चांपा	107839	372707	12596	1269	494411
10	कोरबा	66507	183271	14318	6	264102
11	मुंगेली	54628	146175	3802	186	204791
12	रायगढ़	111246	275071	21908	186	408411
13	बालोद	32706	125937	8313	731	167687
14	बेमेतरा	51149	152008	7092	300	210549
15	दुर्ग	82343	257244	45832	1171	386590
16	कवर्धा	68003	157747	9182	50	234982
17	राजनांदगावंव	82912	255200	20116	239	358467
18	बलौदाबाजार–भाटापारा	71116	283347	9194	255	363912
19	धमतरी	47090	120610	7607	229	175536
20	गरियाबंद	50246	118732	2169	249	171396
21	महासमुंद	64061	234943	12236	986	312226
22	रायपुर	75500	303545	66652	875	446572
23	बलरामपुर	60647	134018	2250	44	196959
24	जशपुर	58344	142224	6253	56	206877
25	कोरिया	38720	98504	2347	8	139579
26	सरगुजा	65900	155635	4794	118	226447
27	सुरजपुर	57621	138629	5898	99	202247
		1615151	**4502182**	**306061**	**8686**	**6432080**

स्त्रोत – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग वेबसाईट

सारणी 4.6 संचालन एजेंसी वाईज़ उचित मूल्य दुकान का विवरण 15–01–2014

क्रमांक	जिला का नाम	एजेंसी का प्रकार CO सहकारी समिति	GP ग्राम पंचायत	WO महिला स्वसहायता समूह	FO वन सुरक्षा समिति	नगरीय निकाय	योग
1	बस्तर	65	157	134	5	0	**361**
2	बीजापुर	50	86	33	2	0	**171**
3	दन्तेवाड़ा	87	38	10	0	1	**136**
4	कांकेर	123	152	112	8	0	**395**
5	कोंडागांव	35	148	74	21	0	**278**
6	नारायणपुर	15	48	12	1	0	**76**
7	सुकमा	70	52	15	2	0	**139**
8	बिलासपुर	312	206	223	10	0	**751**
9	जांजगीर–चांपा	241	152	229	0	0	**622**
10	कोरबा	72	258	79	6	0	**415**
11	मुंगेली	52	203	55	4	0	**314**
12	रायगढ़	48	449	264	10	0	**771**
13	बालोद	142	175	78	19	0	**414**
14	बेमेतरा	181	89	83	0	0	**353**
15	दुर्ग	323	36	217	1	1	**578**
16	कवर्धा	195	70	120	2	0	**387**
17	राजनांदगावं	336	164	260	3	0	**763**
18	बलौदाबाजार–भाटापारा	377	111	27	0	0	**515**
19	धमतरी	218	93	44	0	1	**356**
20	गरियाबंद	282	29	2	0	0	**313**
21	महासमुंद	424	92	6	0	5	**527**
22	रायपुर	409	112	33	0	5	**559**
23	बलरामपुर	43	222	59	21	0	**345**
24	जशपुर	3	397	3	11	10	**424**
25	कोरिया	38	161	92	7	0	**298**
26	सरगुजा	100	214	55	12	0	**381**
27	सुरजपुर	77	265	53	7	1	**403**
	कुल योग	**4318**	**4179**	**2372**	**152**	**24**	**11045**

सारणी 4.7 दिनांक 15–01–2014 तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (2012–13) धान खरीदी का विवरण मात्रा (क्विंटल में)

			कुल उपार्जन	मिलर को जारी मात्रा (तौल के बाद)	संग्रहण केन्द्र को प्रदाय
क्र.	जिले का नाम	कुल उपार्जन केन्द्र	योग	योग	योग
1	बस्तर	58	856231	559164	297067
2	बीजापुर	13	182328	4044	178283
3	दन्तेवाड़ा	11	63873	24718	39155
4	कांकेर	111	1612796	843706	766250
5	कोंडागांव	43	323476	276260	47216
6	नारायणपुर	6	48619	46339	2280
7	सुकमा	12	116990	116190	0
8	बिलासपुर	128	3799611	1897879	1865092
9	जांजगीर–चांपा	206	7964295	2010163	5784296
10	कोरबा	40	800115	683024	110846
11	मुंगेली	85	2246959	787912	1341701
12	रायगढ़	119	5183010	2423001	2673659
13	बालोद	109	4263763	1076389	3173623
14	बेमेतरा	83	3904886	1599257	2267291
15	दुर्ग	76	3496415	1103790	2388074
16	कवर्धा	79	1956579	505183	1450592
17	राजनांदगावंव	110	4493268	1056211	3426024
18	बलौदाबाजार–भाटापारा	142	5907949	2044491	3851005
19	धमतरी	80	4296469	1806581	2481942
20	गरियाबंद	59	2606256	665720	1928343
21	महासमुंद	119	6869845	2766173	4032914
22	रायपुर	123	5921767	2203927	3702177
23	बलरामपुर	34	1209214	280797	911727
24	जशपुर	23	573040	567144	0
25	कोरिया	19	579755	506556	64988
26	सरगुजा	29	928091	593389	334119
27	सुरजपुर	30	1162997	844018	298708
	कुल योग	**1947**	**71368599**	**27292029**	**43417372**

सारणी **4.8** संग्रहण केन्द्रों में धान प्राप्ति एवं जारी की जिलेवार जानकारी 15–01–2014 (मात्रा क्विंटल)					
क्र.	जिले का नाम	कुल उपार्जन केन्द्र	उपार्जन केन्द्र से धान की प्राप्ति (क्विंटल में)	मिलर को जारी (क्विंटल में)	संग्रहण केन्द्र में उपलब्ध कुल धान (क्विंटल में)
			योग	योग	योग
1	बस्तर	1	0	0	0
2	बीजापुर	0	0	0	0
3	दन्तेवाड़ा	1	0	0	0
4	कांकेर	3	74182	0	74182
5	कोंडागांव	1	0	0	0
6	नारायणपुर	0	0	0	0
7	सुकमा	0	0	0	0
8	बिलासपुर	6	0	0	0
9	जांजगीर–चांपा	10	390988	0	390988
10	कोरबा	2	0	0	0
11	मुंगेली	2	0	0	0
12	रायगढ़	5	293612	0	293612
13	बालोद	3	1808510	0	1808510
14	बेमेतरा	2	449909	0	449909
15	दुर्ग	4	721145	0	721145
16	कवर्धा	1	349231	0	349231
17	राजनांदगावं	8	1254989	0	1254989
18	बलौदाबाजार–भाटापारा	4	366387	0	366387
19	धमतरी	6	814512	0	814512
20	गरियाबंद	1	63648	0	63648
21	महासमुंद	5	459880	0	459880
22	रायपुर	8	2198885	0	2198885
23	बलरामपुर	0	0	0	0
24	जशपुर	1	0	0	0
25	कोरिया	0	0	0	0
26	सरगुजा	2	0	0	0
27	सुरजपुर	1	22246	0	22246
	योग	**77**	**9268123**	**0**	**9268123**

सारणी **4.9** भंडारण की स्थिति

गोदाम	भंडारण की क्षमता	भंडारण की स्थिति
बस्तर	396000	87.35%
बीजापुर	84000	84.57%
दन्तेवाड़ा	80000	79.14%
कांकेर	589630	77.69%
कोंडागांव	256780	83.83%
नारायणपुर	29980	98.54%
सुकमा	59570	79.39%
बिलासपुर	1131930	79.64%
जांजगीर–चांपा	1301510	67.29%
कोरबा	227200	85.84%
मुंगेली	139810	97.46%
रायगढ़	1153850	79.61%
बालोद	640260	89.82%
बेमेतरा	129000	88.03%
दुर्ग	1225500	75.39%
कवर्धा	329580	91.71%
राजनांदगावं	587420	74.86%
बलौदाबाजार–भाटापारा	621100	90.02%
धमतरी	998070	93.81%
गरियाबंद	440800	84.54%
महासमुंद	1575520	73.37%
रायपुर	1169290	87.15%
बलरामपुर	98860	76.55%
जशपुर	467100	61.64%
कोरिया	209980	79.47%
सरगुजा	476460	98.53%
सुरजपुर	526090	87.41%
महायोग	**14945290**	

05

लोक वित्त

5. लोक वित्त

5.1 बजट 2014–15 :– बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये संसाधन उपलब्ध हो सकें। बजट मात्र आय एवं व्यय का पत्रक ही नही होता वरन यह शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र होता है। बजट 2014–15 इस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया कि राज्य की विकास आवश्यकताओं एवं अतिरिक्त कर भार के बीच उचित संतुलन बना रहें। बजट में राजस्व अधिक्य रू. 2463.51 करोड़ के अनुमान के बावजूद वित्तीय घाटे में 12.90 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जो 2013–14 में रू. 5102.61 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में रू. 5760.93 करोड़ अनुमानित है। बजट सांरांश सारणी 5.1 में दर्शाया गया हैं।

सारणी 5.1 बजट (राशि करोड़ में)

स.क्र.	मद	2012-13 (लेखा)	2013-14 (पु.अ.)	2014-15 (आ.अ.)
1	राजस्व प्राप्ति	29578.09	37497.59	48654.29
2	राजस्व व्यय	26971.84	36715.58	46190.78
3	राजस्व घाटा	- 2606.25	- 782.01	-2463.51
4	पूंजीगत प्राप्तियॉ	2339.54	6736.52	6006.25
5	पूजींगत व्यय	4919.33	5994.35	8347.27
6	ऋण एवं अग्रिम	1887.99	1672.47	171.95
7	कुल प्राप्तियॉ	31917.63	44234.11	54660.54
8	कुल व्यय	33779.16	44382.40	54710.00
9	बजट घाटा	- 1861.53	- 148.30	-49.46
10	वित्तीय घाटा	2655.14	- 5102.61	-5760.93

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

5.2 राजस्व प्राप्तियां :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 29.75 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। यह रू. 48654.29 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कर राजस्व रू. 27807.64 करोड़ अनुमानित है जबकि 2013–14 में पुनरीक्षित अनुमान रू 24217.52 करोड़ अनुमानित रहा अर्थात कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुंलना में 14.82 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी तरह गैर–कर राजस्व में 56.98 % वृद्धि अनुमानित है। गैर कर राजस्व का 2013–14 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 13280.07 करोड़ रूपये की तुलना में 2014–15 में रू. 20846.65 करोड़ अनुमानित है। विवरण सारणी 5.2 में है।

5.3 कर राजस्व :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल कर राजस्व में 14.82 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, यह वृद्धि पिछले वर्ष 19.58 प्रतिशत रही। विगत पांच वर्षों में राज्य को कर राजस्व में औसत 19.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य के कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य के स्वयं का कर राजस्व है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 14.73 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है जबकि केन्दीय करों का कर राजस्व में 15.00 प्रतिशत वृद्धि होना अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 64.47 प्रतिशत अनुमानित है एवं कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 36.84 प्रतिशत अनुमानित है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों का

सारणी 5.2 राजस्व प्राप्तियॉ (राशि करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कुल राजस्व प्राप्तियॉ
2010-11	14430.33	8289.21	22719.54
2011-12	17032.69	8834.69	25867.38
2012-13	20251.81	9326.28	29578.09
2013-14 (पु अ)	24217.52	13280.07	37497.59
2014-15 (आ अ)	27807.64	20846.65	48654.29

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

कर राजस्व का विवरण सारणी 5.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.3 कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	केंद्रीय करों में राज्य का अंश	योग	कुल कर में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	कुल कर में केन्द्रीय करों का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						स्वयं का कर	केन्द्रीय कर	स्वयं का कर	केन्द्रीय कर
2010-11	9005.1	5425.2	14430.3	62.4	37.6	-	-	-	-
2011-12	10712.3	6320.4	17032.7	62.9	37.1	19.0	16.5	1707.2	895.2
2012-13	13034.2	7217.6	20251.8	64.4	35.6	21.7	14.2	2321.9	897.2
2013-14 (पु.अ.)	15625.0	8592.5	24217.5	64.5	35.5	19.9	19.0	2590.8	1374.9
2014-15 (आ.अ.	17926.3	9881.4	27807.6	64.5	35.5	14.7	15.0	2301.3	1288.9

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

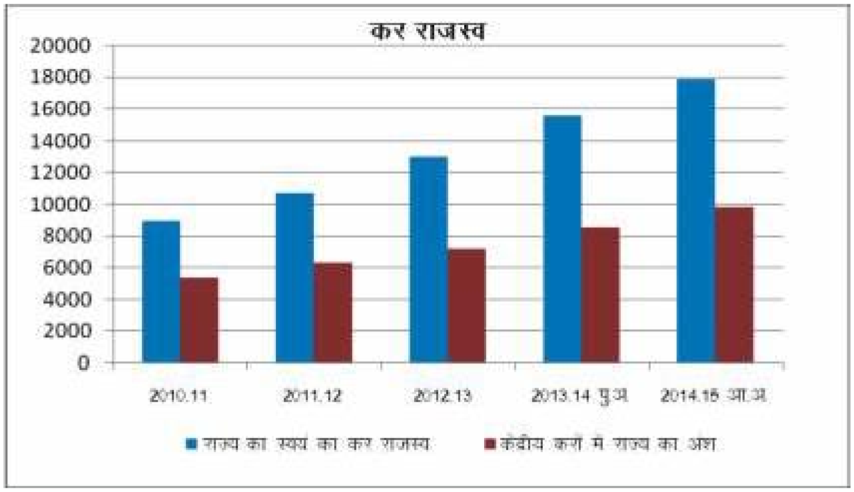

5.4 **गैर–कर राजस्व** :– गैर–कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों का है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर–कर राजस्व रू. 20846.65 करोड़ अनुमानित है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों में गैर–कर राजस्व की प्रवृत्ति कों सारणी 5.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.4 गैर कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय सहायता अनुदान	राज्य का गैर कर राजस्व	कुल गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता का गैर कर राजस्व में प्रतिशत	राज्य के गैर कर राजस्व का कुल गैर कर राजस्व में प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व
2010-11	4453.9	3835.3	8289.2	53.7	46.3	-	-	-	-
2011-12	4776.2	4058.5	8834.7	54.1	45.9	7.2	5.8	322.3	223.2
2012-13	4710.3	4616.0	9326.3	50.5	49.5	-1.4	13.7	-65.9	557.5
2013-14 (पु.अ.)	7446.0	5834.1	13280.1	56.1	43.9	58.1	26.4	2735.6	1218.2
2014-15 (आ.अ.)	14662.0	6184.6	20846.7	70.3	29.7	96.9	6.0	7216.1	350.5

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

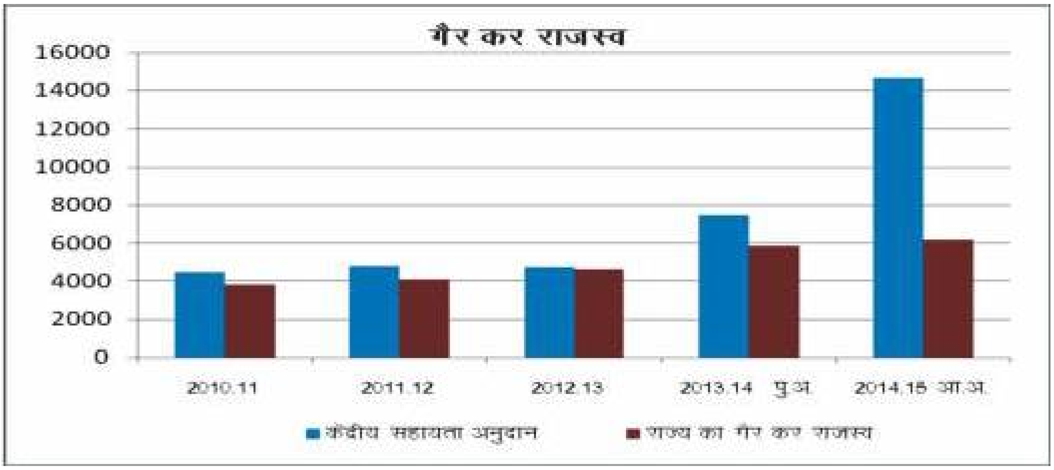

5.5 राजस्व व्यय :– वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक लगातार पांच वर्षों में राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों तक सीमित रखा गया जो राजस्व आधिक्य को दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का पिछलें पांच वर्षों का विवरण सारणी 5.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.5 राजस्व प्राप्तियॉ एवं व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियॉ	राजस्व व्यय	आधिक्य (+) या घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियों से व्यय का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
					राजस्व प्राप्तियॉ	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियॉ	राजस्व व्यय
2010-11	22719.5	19355.8	3363.8	85	-	-	-	-
2011-12	25867.4	22628.1	3239.3	87	14	17	3147.8	3272.3
2012-13	29578.1	26971.8	2606.3	91	14	19	3710.7	4343.8
2013-14 (पु अ)	37497.6	36715.6	782.0	98	27	36	7919.5	9743.7
2014-15 (आ.अ.)	48654.3	46190.8	2463.5	95	30	26	11156.7	9475.2

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं ब्याज की अदायगी, बाध्यता होने के साथ–साथ राजस्व व्यय के प्रमुख घटक है। राजस्व व्यय के पिछले तीन वर्षों का विवरण सारणी 5.6 में हैं।

सारणी 5.6 राजस्व व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	पेंशन	वेतन एवं भत्ते	मजदूरी	अन्य	कुल राजस्व व्यय
2012-13 (लेखा)	1153.49	2412.14	7177.69	509.67	15718.85	26971.84
2013-14 (पु अ)	1432.92	2529.70	9290.76	599.21	22862.99	36715.58
2014-15 (आ.अ.)	1822.20	2505.16	10127.83	622.01	31113.58	46190.78

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय–व्ययक अनुमान

प्रतिशत वर्गीकरण राजस्व व्यय 2014–15 (आ.अ.)

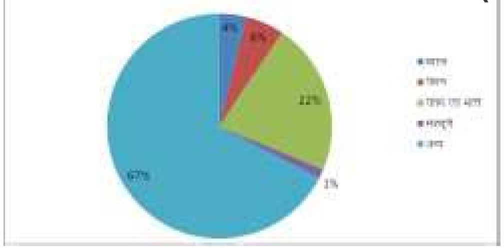

5.6 राजस्व प्राप्तियां :— वित्तीय वर्ष 2014—15 में कुल व्यय के 88.93 प्रतिशत भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अनुमानित है यह भाग 2013—14 के पुनरीक्षित अनुमान में 84.49 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण सारणी 5.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.7 राजस्व प्राप्तियॉ (राशि करोड़ में)

स.क्र.	मद	2012-13 लेखा	2013-14 (पु. अ.)	2014-15 (आ. अ.)
(1)	कर राजस्व			
	(i) आय एवं व्यय पर कर	4151.61	4820.82	5543.73
	(ii) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन देनों पर कर	1190.96	1572.43	1718.54
	(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	14909.24	17824.27	20545.37
(2)	गैर कर राजस्व			
	(i) राज्य का गैर कर राजस्व	4615.95	5834.11	6184.62
	(ii) केंद्र से सहायता अनुदान	4710.33	7445.96	14662.03
कुल (1+2)		**29578.09**	**37497.59**	**48654.29**

स्रोतः— छत्तीसगढ़ आय—व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; आ.अ. = आय—व्ययक अनुमान

5.7 राज्य की वित्तीय स्थितिः—

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना एवं बारहवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम एवं द्वितीय वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों की वृद्धि का विवरण सारणी 8 में दर्शाया गया हैः

सारणी क्रमांक 5.8 राज्य की वित्तीय स्थिति बारहवीं योजना

क्र	मद	2012-13 लेखा	2013-14 (पु अ)	2014-15 (आ अ)
I	राजस्व प्राप्तियां	**29578.09**	**37497.59**	**48654.29**
(i)	राज्य के स्वयं का राजस्व **(A+B)**	**17650.16**	**21459.11**	**24110.87**
(A)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व	13034.21	15625.00	17926.25
(B)	राज्य के स्वयं का गैर— कर राजस्व	4615.95	5834.11	6184.62
(ii)	केन्द्र से प्राप्तियां **(A+B)**	**11927.93**	**16038.48**	**24543.42**
(A)	केन्द्रीय करों में हिस्सा	7217.60	8592.52	9881.39
(B)	सहायता अनुदान	4710.33	7445.96	14662.03
II	पूंजीगत प्राप्तियां	**2339.54**	**6736.52**	**6006.25**
III	कुल प्राप्तियां **(I +II)**	**31917.63**	**44234.11**	**54660.54**
IV	आयोजनेत्तर व्यय **(A+B+C+D)**	**14542.17**	**20220.45**	**19387.87**
(A)	राजस्व व्यय ;ब्याज भुगतान के साथ	14531.83	20210.04	19365.10
(B)	ऋण एवं अग्रिम	7.00	10.35	10.45
(C)	पूंजीगत व्यय	3.34	0.06	12.32
(D)	ब्याज भुगतान	**1153.48**	**1432.92**	**1822.20**
V	आयोजना व्यय	**19236.99**	**24161.95**	**35322.13**
	राजस्व व्यय	12440.01	16505.54	26825.68
	पूंजीगत व्यय	4915.99	5994.29	8334.95
	ऋण एवं अग्रिम	1880.99	1662.12	161.50
VI	कुल व्यय	**33779.16**	**44382.40**	**54710.00**
VII	राजस्व व्यय	26971.84	36715.58	46190.78
VIII	पूंजीगत व्यय	4919.33	5994.35	8347.27
IX	ऋण एवं अग्रिम	1887.99	1672.47	171.95
X	राजस्व घाटा / आधिक्य	2606.25	782.01	2463.51
XI	राजकोषीय घाटा	-2655.14	-5102.61	-5760.93
XII	प्राथमिक घाटा	-1501.66	-3669.69	-3938.73

सारणी क्रमांक 5.9 राज्य के राजकोषीय सूचक बारहवीं योजना

क्र.	राजकोषीय सूचक	2012-13 लेखा	2013-14 (पु.अ.)	2014-15 (आ.अ.)
I	प्राप्तियां			
(i)	राजस्व प्राप्तियां/कुल प्राप्तियां (%)	92.67	84.77	89.01
(ii)	पूंजीगत प्राप्तियां कुल प्राप्तियां (%)	7.33	15.23	10.99
(iii)	राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्तियां/ राजस्व प्राप्तियां (%)	59.67	57.23	49.56
(iv)	केन्द्र से प्राप्तियां/राजस्व प्राप्तियां (%)	40.33	42.77	50.44
(v)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व /राज्य के स्वयं का कर राजस्व (%)	73.85	72.81	74.35
(vi)	राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व /राज्य के स्वयं का कर राजस्व (%)	26.15	27.19	25.65
(vii)	केन्दीय करों में हिस्सा/ केन्द्र से प्राप्तियां (%))	60.51	53.57	40.26
(viii)	सहायता अनुदान/ केन्द्र से प्राप्तियां (%))	39.49	46.43	59.74
II	व्यय			
(i)	आयोजनेत्तर व्यय/कुल व्यय %	43.05	45.56	35.44
(ii)	आयोजना व्यय/कुल व्यय %	56.95	54.44	64.56
III	व्यय/प्राप्तियां			
(i)	राजस्व व्यय/राजस्व प्राप्तियां %	91.19	97.91	94.94
(ii)	कुल व्यय/ कुल प्राप्तियां %	105.83	100.34	100.09
(iii)	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां %	3.9	3.82	3.75

स्त्रोतः वार्षिक योजना 2013–14, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ शासन

5.8 राजस्व प्राप्तियॉ

5.8.1 वाणिज्यिक कर

5.8.1.1 वेट – वर्ष 2013-14 में वेट (प्रान्तीय) कर संग्रहण लक्ष्य 7,076.00 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 2,904.54 करोड़ रू प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का 41.05 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 में वेट (प्रान्तीय) कर हेतु 8,065.54 करोड़ रू. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध माह सितंबर 2014 तक 5,091.14 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं। जो कि बजट लक्ष्य का 63.12 प्रतिशत है।

5.8.1.2 केन्द्रीय विक्रय कर – वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय विक्रय कर में बजट लक्ष्य 1399.80 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 369.06 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि बजट लक्ष्य का 26.37 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय विक्रय कर हेतु 1067.39 करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध माह सितंबर 2014 तक 651.65 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। जो कि बजट लक्ष्य का 61.05 प्रतिशत है।

तालिका 5.10 कर विवरण (करोड़)

क्र.	अधिनियम	2014–15 (दिसंबर) बजट अनुमान	प्राप्तियॉ	उपलब्धि प्रतिशत
1	वेट (प्रांतीय कर) अधिनियम	8065.54	5091.14	63.12
2	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम	1067.39	651.65	61.05
3	प्रवेश कर	1087.25	640.93	58.95
4	वृत्ति कर	0.26	0.21	80.77
5	होटल कर	0.60	1.50	250.00
	कुल	10221.04	6385.43	62.47

5.8.1.3 प्रवेश कर – वर्ष 2013-14 में प्रवेश कर के 1192.00 करोड़ रू. लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 394.71 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि लक्ष्य का

33.11 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 में प्रवेश कर के अंतर्गत 1087.25 करोड़ रू. के लक्ष्य के विरूद्ध सितंबर 2014 तक 640.93 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। जो कि बजट लक्ष्य का 58.95 प्रतिशत है।

5.8.1.4 वृत्तिकर – वर्ष 2013-14 में वृत्तिकर के अंतर्गत बजट लक्ष्य 1.12 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 0.22 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि लक्ष्य का 19.64 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 में वृत्ति कर के अंतर्गत लक्ष्य 0.26 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2014 तक 0.21 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। जो कि बजट लक्ष्य का 80.77 प्रतिशत है।

5.8.1.5 होटल कर – वर्ष 2013-14 में होटल कर अंतर्गत बजट लक्ष्य 3.04 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2013 तक 0.52 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 17.11 % है। वर्ष 2014-15 में होटल कर के अंतर्गत बजट लक्ष्य 0.60 करोड़ रू. के विरूद्ध सितंबर 2014 तक 1.50 करोड़ रू. की राजस्व वसूली हो चुकी है। जो कि बजट लक्ष्य का 250 प्रतिशत है।

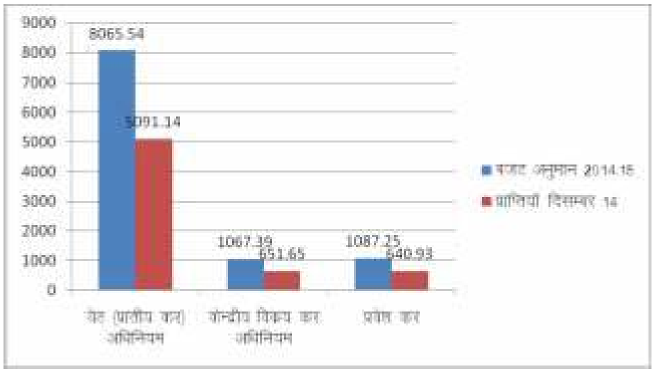

5.8.2 प्रमुख वस्तुओं पर राजस्व आय तुलनात्मक विवरण

तालिका 5.11 प्रमुख वस्तुओं पर राजस्व आय तुलनात्मक विवरण (राशि लाख में)

वस्तु का नाम	अप्रैल 2013 से सितंबर 2013 के मध्य				अप्रैल 2014 से सितंबर 2014 के मध्य				वृद्धि / कमी %
	प्रांतीय	केन्द्रीय	प्रवेशकर	योग	प्रांतीय	केन्द्रीय	प्रवेशकर	योग	
पेट्रोल	19839.14	0.82	0	19839.96	23343.19	1.55	0	23344.74	17.67
डीजल	57636.29	12.24	0	57648.53	71017.37	14.46	0	71031.83	23.22
आयरन एण्ड स्टील	10689.24	14553.84	12439.29	37682.37	10932.21	15254.5	10829.34	37016.05	-1.77
कोयला	17048.76	8304.83	4584.79	29938.38	18447.25	8223.44	4857.38	31528.07	5.31
दवाई	4344.16	79.14	28.28	4451.58	4318.76	285.02	11.68	4615.46	3.68

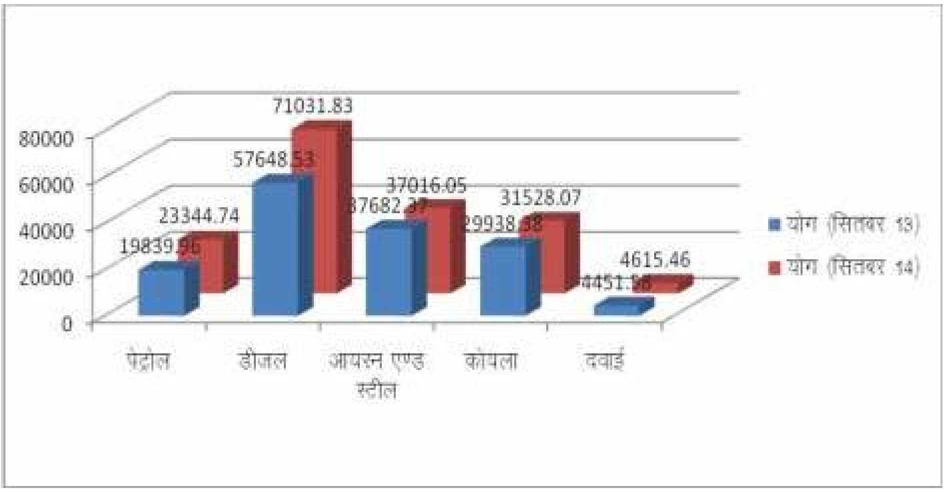

06

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

6. संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

6.1 वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास : आर्थिक विकास की नई मिसाल यह है कि यह बचत दर, निवेश पर प्राप्तियॉ एवं वित्तीय मध्यस्थता की लागत पर निर्भर करता है। वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र भारत के संदर्भ में पूॅजी बाजार के अलावा इन तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य सुस्त पड़ी बचतों को उत्पादक निवेशों में, कर्ज देकर गतिशील बनाना है। बैंक राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ है एवं यह निवेश हेतु धन उपलब्ध कराने का स्त्रोत है।

मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (MSME) की गतिविधियों को प्रारंभ करने एवं बनाए रखने हेतु पूॅजी बाजार से धन लेना कठिन एवं जोखिम भरा होता है, अतः इस क्षेत्र में बैंक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण एवं सहायक है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र जहॉ लघु एवं सीमांत कृषक उत्पादन के लिए प्रयुक्त सामग्री जैसे सिंचाई, बीज, खाद एवं कीटनाशक इत्यादि कार्य निम्न ब्याज दर पर कर्ज प्रदाय किए बिना नहीं हो सकते। इसमें बैंकों की प्रमुख भूमिका है।

6.1.1 राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर वृद्धि कर रहा है, जो तालिका 6.1 में दर्शाया गया है :–

तालिका 6.1 बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2004–05)

सांख्यिकी	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13(P)	2013-14(Q)	2014-15(A)
भागीदारी (लाख)	111485	294546	371533	460851	536145	540312	586550
वृद्धि (प्रतिशत)		28.27	26.14	24.04	16.34	0.78	8.56
हिस्सा (प्रतिशत)	2.33	4.13	4.71	5.53	5.91	5.67	5.82

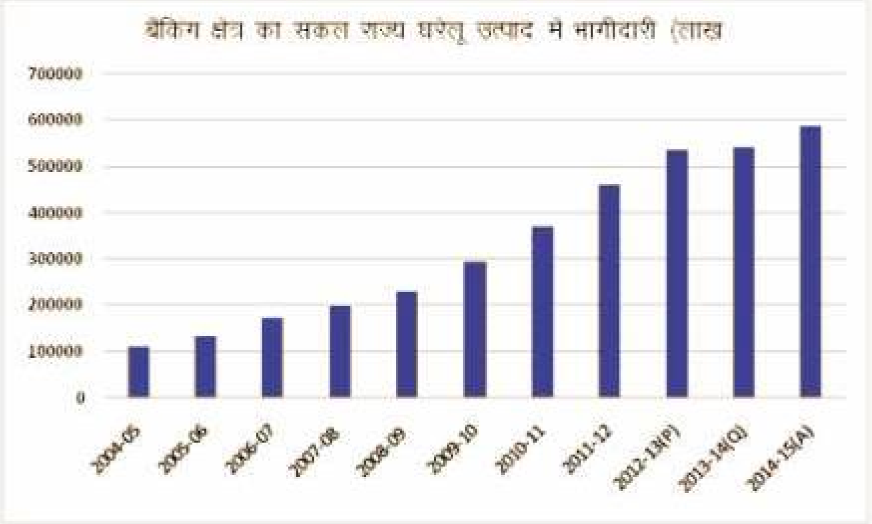

6.1.2 अधिसूचित वाणिज्यिक अधिकोष :– राज्य में समस्त बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या मार्च 2014 की स्थिति में 2334 थी, दिसम्बर 2014 की स्थिति में 2461 शाखाएं हैं। राज्य में बैंकों की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रगति का विवरण इस प्रकार है:–

सारणी 6.2 राज्य में बैकिंग कार्यों की प्रगति (राशि करोड़ रू.में)

क्र.	विवरण	मार्च 2013	मार्च 2014	गतवर्ष में वृद्धि राशि	प्रतिशत	दिसंबर 2014
1	2	3	4	5	6	7
1	बैंकों की संख्या	50	51	1	2.0	51
2	शाखाओं की संख्या	2084	2334	250	12.0	2461
3	ATM की संख्या	1434	2310	876	61.1	2430
4	कुल जमा	87338.98	92771.84	5432.86	6.2	99181.54
5	कुल अग्रिम	49094.75	58630.88	9536.13	19.4	66314.02
6	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	56.21	63.2	6.99	12.4	66.86
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	22055.34	26794.09	4738.75	21.5	29628.87
8	कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	44.92	45.7	0.78	1.7	44.68
9	कृषि में अग्रिम	8069.8	8918.79	848.99	10.5	10256.77
10	कुल साख में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	16.44	15.21	-1.23	-7.5	15.47
11	लघु उद्योगों में अग्रिम	9866.13	10902.1	1035.97	10.5	13732.32
12	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	4641.53	5991.18	1349.65	29.1	8244.92
13	कुल साख में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	9.45	10.22	0.77	8.1	12.43
14	महिलाओं को अग्रिम	2589.67	3088.23	498.56	19.3	3579.13

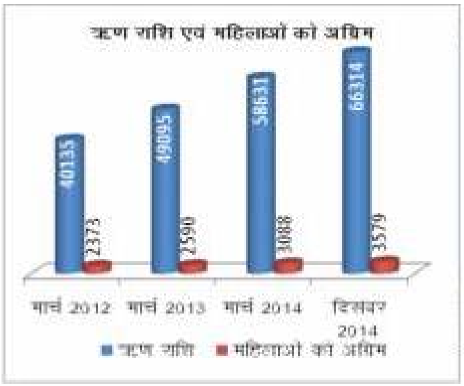

स्त्रोत–भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई
* राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
छ.ग. 22, 34, 38, 40, 44, 48 एव 52 वीं बैठक प्रकाशन,

तालिका 6.3 प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति (राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमाराशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.10
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005*	1331	17605	11269	64.01
2005–2006*	1334	22053	12684	57.52
2006–2007*	1356	26014	15420	58.27
2007–2008*	1416	31618	19094	60.39
2008–2009*	1500	39437	23043	57.99
2009–2010*	1590	49379	27943	56.59
2010–2011 *	1705	59032	33022	55.94
2011–2012	1912	70742	40135	56.73
2012–2013	2084	87339	49094	56.21
2013–2014	2334	92772	58631	63.20
2014–15 (दिसम्बर)	2461	99182	66314	66.86

6.2 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6.2.1. ऋण सहायता :– वर्ष2013–14 के दौरान राज्य की कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियों के लिए दी गई वित्तीय सहायता रू. 4468.79 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई जो पिछले वर्ष के रू. 4388 करोड़ की तुलना में 1% की वृद्धि दर्शाता है।

अ. आर.आई.डी.एफ. सहायता :– राज्य सरकार को वर्ष के दौरान R.I.D.F. से रू. 1002.54 करोड़ का मंजूर किया गया, जिसमें से रू. 674.38 करोड़ वितरित किया गया। 700 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को भण्डारण सुविधा के निर्माण के लिए R.I.D.F. निधि से सहायता दी गई है।

ब पुनर्वित्त सहायता :– वर्ष के दौरान नाबार्ड ने उत्पादन ऋण एवं निवेश ऋण के लिए बैको ंको रू. 1265.80 करोड़ की पुनर्वित्त सहायता दी जो पिछले वर्ष रू. 1221.87 करोड़ थी यह 3.5% वृद्धि दर्शाती है।

स. मार्कफेड को सहायता :– नाबार्ड ने इस राज्य में पहली बार मार्कफेड को वर्ष 2013-14 के खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान खरीदी हेतु रू. 2000 करोड़ का वित्त पोषण किया है।

द. नाबार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सहायता (नीडा) :– ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के प्रावधान हेतु बिजली उपकेंद्र तथा वितरण पद्धति की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रॅांसमिशन कॉर्पोरेशन को रू. 45.98 लाख मंजूर किए गए जिसके समक्ष रू. 45.05 लाख वितरित किए गए।

इ. सहकारी बैंकों को सीधी पुनर्वित्त सहायता :– राज्य सहकारी बैंक को वर्ष 2013-14 में रू. 200 करोड़ मंजूर किया गया।

6.2.2. संस्थागत विकास संबंधी पहलें :–

अ. वर्ष 2012-13 के दौरान कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के तहत राज्य सहकारी बैंक तथा 06 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाएं ''लाइव'' हो चुकी हैं, वर्ष 2013-14 के दौरान इनमें NEFT/RTGS सेवा प्रदान हेतु IFSC Code आबंटित किये गये हैं।

ब. हाथकरघा क्षेत्र के पुनर्जीवन, सुधार एवं पुनर्गठन योजना के अंतर्गत राज्य शीर्ष बुनकर सहकारी समिति के पूॅजीकरण हेतु 2013-14 में रू. 8.38 करोड़ वितरित किए गए हैं। इस प्रकार राज्य की 94 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के पूॅजीकरण हेतु रू. 1.88 करोड़ संवितरित किए गए हैं।

6.2.3. विशेष विकासात्मक पहलः–

अ. आदिवासी विकास निधि के तहत बाडी विकास :– वर्ष 2013-14 के दौरान 12 परियोजनाएं मंजूर की गई जिसमें 7458 आदिवासी परिवार कवर हुए तथा टीडीएफ से रू. 33.19 करोड़ की सहायता मंजूर की गई, जिसमें रू. 30.58 करोड़ अनुदान के रूप में हैं।

ब. वाटर शेड विकास :– वर्ष 2013-14 के दौरान क्षमता निर्माण चरण में 1 वाटर शेड परियोजना तथा पूर्ण कार्यान्वयन चरण में 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें कुल रू. 9.42 करोड़ अनुदान सहायता शामिल है।

स. नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नेबकान्स) :– नेबकान्स ने छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के लिए आधार स्तरीय सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निरीक्षण तथा मूल्यांकन रिपोर्ट आदि विभिन्न परामर्श सेवा दी हैं।

द. **स्वः सहायता समूह** :— 2013—14 तक नाबार्ड की पहल के तहत 3143 महिला स्वः सहायता समूहों को बैंक से जोड़ा गया है और 2048 समूहों को बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त हुई है।

इ. **संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी)** :— नाबार्ड ने 5077 संयुक्त देयता समूह का गठन किया है।

सहकारिता

6.3 छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि क्षेत्र में विस्तार एवं फसल उत्पादन के बढ़ोत्तरी में सहकारी बैंक की अहम भूमिका रही है। इसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बैंक सम्मिलित है। वर्ष 2013—14 में इन बैंकों के कार्यकलाप निम्नानुसारहैं :—

तालिका 6.4 वर्ष 2013—14 (लाख में)

एजेंसी	राज्य सहकारी बैंक	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बैंक
संस्थाओं की संख्या	1	6	1
शाखा की संख्या	5	207	
स्व निधियॉ	21666.12	26449.53	1005.95
जमा धन	165504.48	356895.03	2019.58
ऋण पर ली गई राशियॉ	66666.47	130772.47	12974.04
निवेश	44278.39	178558.82	887.93
अग्रिम	119188.82	229790.02	14697.17
कुल लाभ/हानि	2408.84	4451.02	—1851.01
कुल एनपीएस	5630.33	20187.24	
ऋण—जमा अनुपात	72	61.45	

- वर्ष 2014—15 में राज्य सहकारी बैंक एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आपस में विलय हो जाएंगे, जो प्रकियाधीन है।
- जशपुर जिले में वर्ष 2014.15 में जिला केंद्रीय बैंक प्रारंभ किया जाना है।
- अभी छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत सरगुजा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं देना बैंक के अंतर्गत दुर्ग—राजनांदगांव ग्रामीण बैंक है भारत सरकार के निर्देशानुसार एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सम्मिलित होंगे तथा इनका नाम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक होगा, जिसका मुख्यालय रायपुर में होगा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालन होगा।

दिनांक 31.3.2014 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के कार्यकलाप निम्नानुसार है :–

तलिका 6.5 छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक (31.3.2014)साख संरचना(लाख में)

स.क्र.	विवरण	ऑकड़े
1	शाखाओं की संख्या	582 (ग्रामीण–483, अर्धशहरी–78, शहरी–41)
2	उपलब्ध कार्यशील कोष	7489
3	जमा धन	6587.76
4	निवेश	5112.04
5	अग्रिम	2088.03
6	शुद्धलाभ	57.61
7	एनपीए प्रतिशत	6.62
8	वसूली प्रतिशत	77.72
9	ऋण–जमा अनुपात	31.70
10	कर्मचारियों की संख्या	2006

वर्षवार सहकारी समितियों को रियायती दर पर वितरित कृषि ऋण की जानकारी तालिका 6.6 में दर्शायी गयी है :–

तालिका **6.6** प्रदेश के **1333** सहकारी समितियो के रियायती दर पर वितरित कृषि ऋण की वर्षवार जानकारी (राशि लाख में)

		अल्पावधि कृषि ऋण वितरण (खरीफ+ रबी)			
क्रमांक	वर्ष	अल्पावधि ऋण वितरण लक्ष्य	अल्पावधि कृषि ऋण वितरण	कृषकों पर प्रभारित ब्याज दर	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
1	2000-01		19084.61	14-16%	
2	2001-02	21930	15242.12	14-16%	69.50%
3	2002-03	23000	26022.7	14-16%	113.14%
4	2003-04	30030	24304.86	14-16%	80.94%
5	2004-05	31100	33446.4	9%	107.54%
6	2005-06	37880	35283.83	9%	93.15%
7	2006-07	40800	45697.77	7%	112.00%
8	2007-08	65000	58819.63	6%	90.49%
9	2008-09	110500	78687.51	3%	71.21%
10	2009-10	130000	94646.02	3%	72.80%
11	2010-11	150000	111674.3	3%	74.45%
12	2011-12	180000	148126.1	3%	82.29%
13	2012-13	210000	203350.4	1%	96.83%
14	2013-14	300000	253524.7	1%	84.51%
15	2014-15 (29.09.14)	300000	243781.5	0%	81.26%

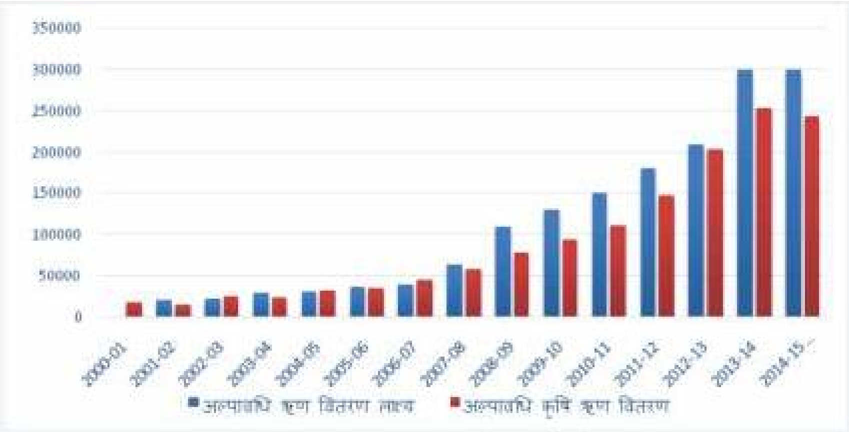

किसान केडिट कार्ड

वर्ष 2013–14 में 3.42 लाख किसान केडिट कार्ड जारी किया गया, वर्ष 2001 से मार्च 2014 अंत तक कुल 22.53 लाख किसानों को केडिट कार्ड जारी किये गये हैं। केडिट सीमा 4469.17 करोड़ (स्रोत ASLBC) है।

वर्ष 2013–14 में राज्य के बैंकों ने 6039.3 करोड़ कृषि क्षेत्र में ऋण दिए हैं, जो लक्ष्य 9275 करोड़ का 65 प्रतिशत था।

तालिका 6.7 किसान केडिट कार्ड

क्र.	वर्ष	किसान केडिट कार्ड की संख्या
1	2000-01	55994
2	2001-02	151352
3	2002-03	270140
4	2003-04	351588
5	2004-05	533815
6	2005-06	682194
7	2006-07	783949
8	2007-08	852170
9	2008-09	945588
10	2009-10	1046767
11	2010-11	1223457
12	2011-12	1418490
13	2012-13	1585646
14	2013-14	1803706
15	2014-15,As on 29 Oct 2014	1936470

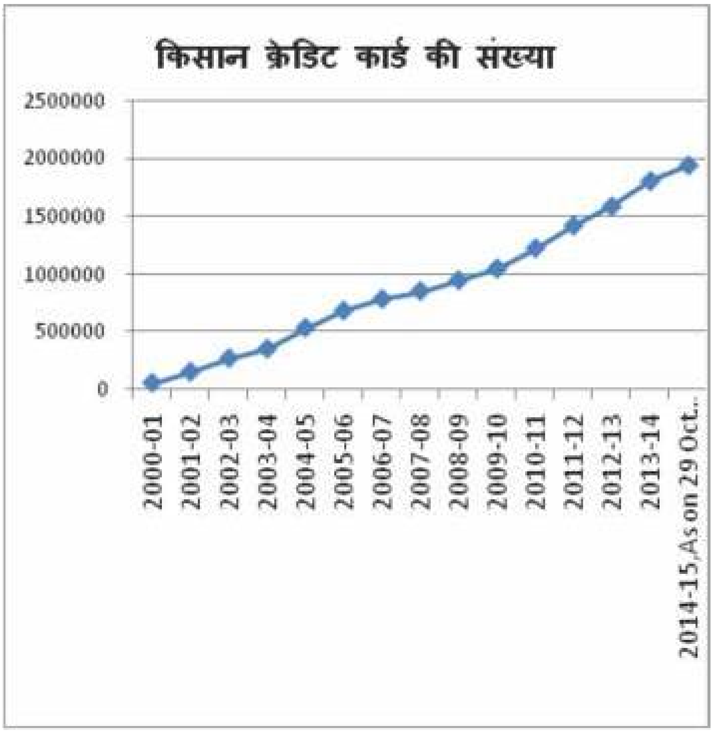

07

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

7 कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

7.1 छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते है वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्त्रोतों से लगभग 35 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से सर्वाधिक 52 प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है, जो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत काश्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण, बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। राज्य निर्माण के समय, इस प्रदेश में आवश्यक संरचनायें तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम आदि का अभाव था, इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता, अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात्, कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

तालिका 7.1 फसल उत्पादन (000 मे.टन)

क्र.	फसल	12–13	13–14 अनु. पूर्ति	वृद्धि/कमी प्रतिशत	14–15 लक्ष्य
खरीफ					
1	धान	7340.3	6717	-8.49	7500
2	मक्का	345	412.13	19.46	437.23
3	अरहर	86.7	90.07	3.89	95.2
4	मूंग	8.3	9.91	19.40	10.27
5	उड़द	70.6	71.33	1.03	73.6
6	मूंगफली	65.1	57.61	-11.51	77
7	सोयाबीन	191.8	180.08	-6.11	203.2
8	रामतिल	19.7	21.76	10.46	22.5
9	अन्य	-	784.87	-	71.85
	महायोग	**8127.5**	**8344.76**	**2.67**	**8490.85**
रबी					
1	धान	822.4	759.32	-7.67	670.8
2	मक्का	97.2	116.4	19.75	135.8
3	गेहूं	235.8	231.13	-1.98	248.2
4	चना	402.1	433.16	7.72	461.63
5	मटर	16.5	28.89	75.09	31.34
6	तिवड़ा	220.2	225.18	2.26	242.13
7	राई–सरसों	73.3	84.95	15.89	92.01
8	अलसी	18.2	31.2	71.43	33.29
9	अन्य	-	159.35	-	198.39
	महायोग	**1885.7**	**2069.58**	**9.75**	**2113.59**

स्त्रोतः– संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार :–

कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत किसानों के लिए सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु ''शाकम्भरी योजना'' प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत, सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 60 प्रतिशत (35 प्रतिशत केन्द्रांश + 25 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है एवं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत (25 प्रतिशत केन्द्रांश + 15 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है।

तालिका 7.1.2 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति						
योजना का नाम		इकाई	12–13	13–14	14–15 लक्ष्य	14–15 पूर्ति (दिसंबर)
शाकम्भरी	कूप	संख्या	198	160	400	21
	पंप	संख्या	24042	23844	23500	3941
किसान समृद्धि नलकूप		संख्या	3746	6062	6500	292
लघुत्तम सिंचाई तालाब		संख्या	113	58	70	59
चेकडेम निर्माण		संख्या	159	175	389	5
राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना(गैर उद्यानिकी) स्प्रिंकलर		हेक्टेयर	7939	9871	4250	570

7.2 छत्तीसगढ राज्य में कृषि क्षेत्र (पशुधन सहित) की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा जो निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.2 कृषि एवं पशुधन का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2004–05)						
सांख्यिकी	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13(P)	2013-14(Q)
भागीदारी (लाख)	705744	926819	1166805	1202919	1388458	1392064
वृद्धि (प्रतिशत)		10.88	25.89	3.10	15.42	0.26
हिस्सा (प्रतिशत)	14.75	12.99	14.79	14.42	15.30	14.61

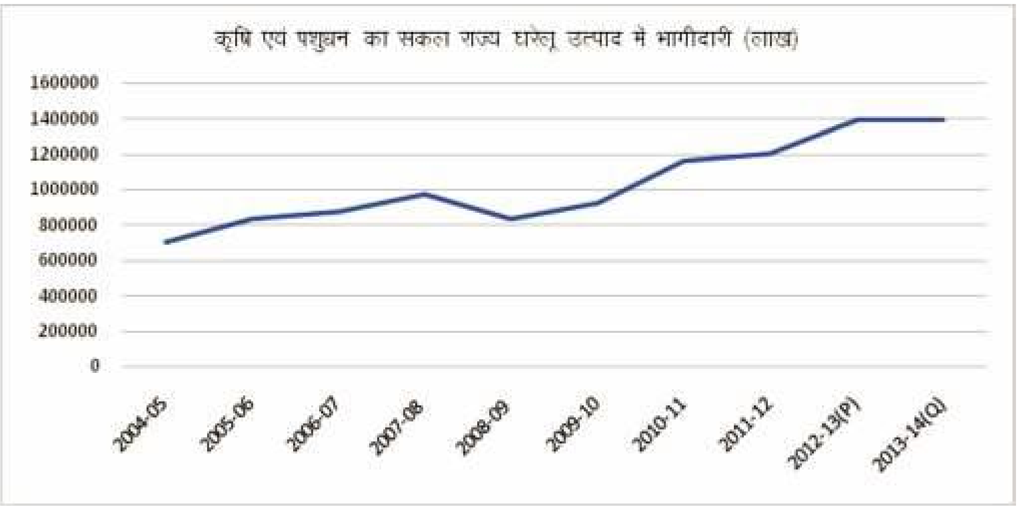

7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण :–

प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। अनाज फसलें यथा–धान, गेहूं, रागी एवं कोदो–कुटकी के लिए रू. 500 तथा दलहन फसल के लिए रू. 1000 अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2012–13 की तुलना में, वर्ष 2013–14 में प्रदेश में समस्त स्रोतों से बीज उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में 60 हजार हेक्टयर में 11409 टन बीज उत्पादन एवं 8246 टन बीज के वितरण का लक्ष्य है। वर्ष 2012–13, 2013–14 की उपलब्धि एवं वर्ष 2014–15 का कार्यक्रम तालिका 7.3 में दर्शित है।

तालिका7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण					
क्र.	विवरण	इकाई	12–13	13–14	14–15 कार्यक्रम
1	बीज उत्पादन कार्यक्रम				
	खरीफ	हेक्टयर	37332	39500	39529
	रबी		10078	16076	20000
	योग (खरीफ+रबी)		**47410**	**55576**	**59529**
2	प्रमाणित बीज उत्पादन				
	खरीफ	क्विं.	896245	953450	989150
	रबी	क्विं.	150000	141425	151700
	योग (खरीफ+रबी)		**1046245**	**1094875**	**1140850**
3	प्रमाणित बीज वितरण				
	खरीफ	क्विं.	631696	766788	726326
	रबी	क्विं.	111645	117993	98244
	योग (खरीफ+रबी)		**743341**	**884781**	**824570**

7.4 रासायनिक एवं जैविक खाद वितरण :–

कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान–प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक खाद एवं जैविक खाद की आवश्यकता होती है। विगत् दो वर्षों में रासायनिक जैविक खाद एवं कल्चर वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

तालिका 7.4 **A**खाद वितरण								
वर्ष	खाद वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर खाद खपत (कि.ग्रा. में)			
	नाइट्रोजन	सल्फर	पोटाश	योग	नाइट्रोजन	सल्फर	पोटाश	योग
2012–13								
खरीफ	287.00	163.50	71.70	522.20	60	34	15	109
रबी	120.50	64.70	8.60	193.70	70	37	5	112
योग (खरीफ+रबी)	**407.50**	**228.20**	**80.30**	**716.00**				
2013–14								
खरीफ पूर्ति	285.03	115.93	41.49	442.45	60	24	9	93
रबी पूर्ति	72.24	46.72	6.25	125.21	41	27	4	72
योग (खरीफ+रबी)	**357.27**	**162.65**	**47.74**	**567.66**				
2014–15								
खरीफ पूर्ति	357.27	162.65	47.74	567.66	64	34	11	109
रबी लक्ष्य	141.79	81.67	22.76	246.22	75	43	12	129
योग (खरीफ+रबी)	**499.06**	**244.32**	**70.50**	**813.88**				

तालिका 7.4 **B** कल्चर वितरण								
वर्ष	कल्चर वितरण खरीफ (पैकेट संख्या)				कल्चर वितरण रबी (पैकेट संख्या)			
	राइजोबियम	पीएसबी	एजेक्टोवेक्टर	योग	राइजोबियम	पीएसबी	एजेक्टोवेक्टर	योग
2012–13	372600	915320	162550	1450470	289208	540695	73440	903343
2013–14	385155	1108160	203900	1697215	446000	714295	102050	1265345
2014–15 खरीफ की पूर्ति एवं रबी का लक्ष्य	386353	1212140	240347	1838840	475000	760000	115000	1350000

7.5 कृषि यांत्रिकीकरण :–

विभिन्न कृषि कार्यों को सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण करके, उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है, इसके तहत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना हेतु रू. 10 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 278 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

7.6 जैविक खेती का संवर्धन कार्यक्रम :–

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2013–14 में जैविक खेती की विशेष योजना प्रारंभ की गई। किसानों को, इसे अपनाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जैविक कार्यशाला/मेला, कृषक प्रशिक्षण एवं फसल प्रदर्शन आदि गतिविधियां क्रियान्वित की जाती है।

7.7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त, राष्ट्रीय कृषि योजना एवं उपयोजना के अंतर्गत, वर्ष 2008–09 से अब तक के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :–

- 02 बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित एवं 01 निर्माणाधीन।
- 03 नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित एवं 01 निर्माणाधीन।
- 01 खाद गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित।
- 01 कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित।
- 70 शहीद वीरनारायण सिंह विकास खंड स्तरीय बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र निर्मित एवं 43 निर्माणाधीन।
- 508 सहकारी समितियों में 100 मे.टन क्षमता के गोदाम निर्मित एवं 02 निर्माणाधीन।
- 316 कृषक सेवा केन्द्र निर्मित एवं 80 निर्माणाधीन।
- 08 शासकीय प्रक्षेत्रों में 100 मे.टन क्षमता के गोदाम निर्मित।

7.8 कृषि अभियांत्रिकी :

कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है (वर्ष 13–14, 14–15 सितंबर तक) –

तालिका 7.5 योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति

क्र.	गतिविधियाँ	इकाई	वर्ष 2013–14				वर्ष 2014–15 (सितम्बर, 14 तक)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शाकम्भरी									
(क)	कूप निर्माण	संख्या	500	160	3500	3337.52	460	21	987.77	663.37
(ख)	डीजल/विद्युत पंप	संख्या	23000	23844			23500	3819		
2	कस्टम हायरिंग योजना									
(क)	डोजिंग कार्य	घंटे	17000	11768	220	155.56	17000	5527	215.00	102.00
(ख)	कल्टीवेशन कार्य	घंटे	17500	13281			17500	7824		
(ग)	यील्ड टेस्ट*	संख्या	-	31			-	14		
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना									
(क)	पावर टिलर का वितरण	संख्या	-	1067	-	-	-	-	-	-
(ख)	शक्ति चलित यंत्र	संख्या	-	78.93	-	-	325	-	115.50	
(ग)	हस्त/बैल चलित कृषि यंत्रों वितरण	संख्या	-	175225	-	-	2050	-	12.75	
4.	कृषि श्रमिक दक्षता	संख्या	1111	1118	500	492.97	1111	272	200.00	175.80
5.	किसान समृद्धि योजना	संख्या	6500	6062	2000	1915	4350	396	538.59	388.08
6.	कृषि यंत्रों का प्रदर्शन	संख्या	1060	1305	32.91	21.28	1060	-	-	-

रिमार्क :–* शासन द्वारा बाध्यता समाप्त करने के कारण।

7.8.1 शाकम्भरी योजना :– राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005-06 से लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों के स्वयं सिंचाई संसाधन विकास हेतु ''शाकम्भरी'' योजना चलायी जा रही है, जिसमें किसानों को 5 एच.पी. तक के विद्युत/डीजल चलित/केरोसीन पंप पर 75% अनुदान तथा कूप निर्माण पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

7.8.2 भू–जल संवर्धन हेतु कूप एवं नलकूप पुनर्भरण की योजना :– इस योजनांतर्गत प्रति कूप एवं नलकूप के पुनर्भरण हेतु लगने वाले कार्य/सामग्री को वास्तविक लागत या अधिकतम व्यय पर रू.10000.00 का 50% अर्थात् कुल रू. 5000.00 शासकीय अनुदान देय है, शेष राशि किसानों द्वारा वहन की जाती है।

7.8.3 पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन किसानोंके खेत में धान रोपाई पर अनुदान की योजना :– प्रदेश में उन्नत तकनीक से धान रोपाई को प्रोत्साहित करने, रोपाई रकबे में वृद्धि, कृषि श्रमिकों के अभाव की समस्या से निदान, बीज की बचत, निंदाई, गुड़ाई, कटाई आदि की सुगमता तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, शासन द्वारा वर्ष 2012–13 से पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से किसानों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान देने की नवीन योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें चयनित हितग्राही किसानों को उपयुक्त भूमि की तैयारी (जुताई, मताई), मैट टाईप नर्सरी तैयार करने तथा पैडी ट्रॉसप्लांटर मशीन से धान रोपाई पर राशि रू. 3000/– प्रति एकड़ की दर से अनुदान देय है।

कृषि विपणन

7.9 कृषि उपज मण्डियॉ:– कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मण्डियों का विशेष योगदान रहा है। मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य किसानों को शोषण से बचाना, निर्धारित समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मण्डियॉ एवं 116 उप–मण्डियॉ कार्यरत हैं।

तालिका 7.6 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय एवं प्राप्त मंडी शुल्क

विवरण	इकाई	2012–13	2013–14	अंतर (%)
आवक	टन	9426298	10179392	7.99
आय	लाख रू.	18846.23	16364.82	-13.17
बोर्ड शुल्क	लाख रू.	2369	1869	-21.11

7.10 छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड द्वारा कृषकों को दी जा रही अन्य कल्याणकारी सुविधाएं:

1. किसानों के उपज का सही तौल हेतु मण्डियों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा मशीन की स्थापना की गई है।
2. राज्य एवं अन्य प्रांतों की प्रमुख मंडियों में फसलों के प्रचलित बाजार भाव के प्रसारण हेतु प्रदेश की 36 मंडियों में डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया गया है।
3. किसानोंको निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके तहत् 9259 नमूनों का मिट्टी परीक्षण किया गया।
4. एगमार्क नेट के माध्यम से प्रदेश की मंडियों में देश–विदेश के कृषि जिन्सों के भाव तथा कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी की जानकारी हेतु इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
5. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद व्यवसाय हेतु वर्ष 2011–12 में रू. 50 करोड़ ऋण दिया गया है।
6. सिंचाई हेतु लगभग 6000 पंपों को उर्जीकृत करने के लिए मंडी बोर्ड द्वारा विद्युत विभाग को रू. 30.00 करोड़ का अनुदान दिया गया।

7.11 छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड की उपलब्धियॉ :–

अ. फल सब्जी मंडी :– दुर्ग, राजनांदगॉव, रायगढ़, तुलसी (रायपुर), बिलासपुर, पखांजूर में फल सब्जी मंडी की स्थापना की गई।

ब. आदर्श मंडी :– धमतरी, कुरूद, राजनांदगॉव, कवर्धा एवं मुंगेली में आदर्श मंडी की स्थापना की गई।

स. किसानशॉपिंग मॉल:– राजनांदगॉव मंडी में किसानों (विकेताओं) तथा मंडी कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया गया है। जहॉ किसानों को खाद तथा कृषि उत्पाद से संबंधित सामग्री का विकय प्रारंभ हो गया है।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

7.12 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी :– छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 111 उद्यान तथा 01 सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन प्रक्षेत्र बना है।

तालिका 7.7 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय वर्ष 2014–15

क्र.	विषय वस्तु	क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (मे.टन)
1	फलोद्यानों का रकबा	216272	1957519
2	सब्जियों का रकबा	400024	5438567
3	मसालों का रकबा	90174	617591
4	औषधि एवं सुगंधित फसलों का रकबा	8444	50246
5	पुष्प के अंतर्गत रकबा	10115	45707

7.12.1 राज्य पोषित योजनाएँ :–

- **फल विकास कार्यक्रम** :– वर्ष 2013-14मे 3521.48 हेक्टेयर में आम का पौधा रोपण कार्य किया गया, जिस पर 191.71 लाख रू. व्यय हुए एवं वर्ष 2014-15 में माह सितंबर 14 तक 2164.05 हेक्टेयर क्षेत्र में आम का पौधा रोपण किया गया है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 में 69312 एवं वर्ष 2014-15 में 34216 पौधों को कलम बांधने के उपरांत संकरण किया जा चुका है।

- **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना** :– वर्ष 2013-14 में 623.20 हेक्टेयर क्षेत्र से किसानों को लाभान्वित किया गया, जिस पर 73.20 लाख व्यय हुए। वर्ष 2014-15 में 638.28 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत किसान बाड़ी में टपक सिंचाई योजना** :– वर्ष 2013-14 में 73.01 लाख व्यय हुए हैं एवं भौतिक लक्ष्य 540 के विरूद्ध 491 टपक सिंचाई संयंत्र (प्रदर्शन) का संपादन किया जा चुका है।

7.13 राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत कार्यक्रम :–

राज्य की जलवायु, भूमि एवं अन्य परिस्थितियां, बागवानी के दृष्टिकोण से अनुकूल हैं। बागवानी फसलों की खेती, वैविध्यकरण, उत्पादकता एवं रोजगार के बेहतर अवसर की संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। बागवानी क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये वर्ष 2005–06 से 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2010–11 से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में किसानों को दिये जाने वाले अनुदान तथा मानदण्डों को संशोधित कर और अधिक लोकप्रिय तथा सुग्राह्य बनाया गया हैं। यह केन्द्रीय शासन द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 19जिलों को शामिल किया गया हैं।

तालिका 7.8 राष्ट्रीय बागवानी मिशन की अन्य योजनाएं

क.	योजना का नाम	2013–14		2014–15 नवंबर.14	
		क्षेत्रफल हे	व्यय लाख	क्षेत्रफल हे.	व्यय लाख
1	फलोद्यान विकासयोजना	5450	1396.71	2035	695.36
2	पुष्प विकास योजना	1250	316.50	810	80.63
3	मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल योजना	6920	865.00	2175	270.75
4	काजू क्षेत्र विकास योजना	4000	600.00	100	-

योजनान्तर्गत प्रगति :–

7.13.1 आदर्श नर्सरी :–

2 से 4हेक्टेयर क्षेत्रफल में आदर्श रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 25.00 लाख प्रति इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्रों में आदर्श रोपणी की स्थापना पर शतप्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2013–14 में 7 नर्सरी स्थापित की गई है। लघु नर्सरी जो लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगीं, जिसकी इकाई लागत 6.25 लाख प्रति इकाई है। लघु नर्सरी की स्थापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में शत प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रों की इकाईयों हेतु अधिकतम अनुदान सीमा 50 प्रतिशत या 3.125 लाख रु. प्रति हेक्टेयर है। वर्ष 2013–14 में 3 लघु नर्सरी स्थापित की गई।

7.14 राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन :

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। इस योजना का उद्‌देश्य उपलब्ध जल स्रोत से अधिक से अधिक सिंचित रकबा को बढ़ाना है। इस योजनांतर्गत लघु एवं सीमान्त किसानोंको 75 प्रतिशत एवं सामान्य किसानोंको 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम जोत सीमा 5 हेक्टेयर तक दिये जाने का प्रावधान है।

7.15 ड्रिप सिंचाई योजना की प्रगति :– इसयोजनांतर्गत ड्रिप संयंत्र की स्थापना हेतु लघु एवं सीमांत किसानोंको कुल लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त अन्य किसानोंको कुल लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2013-14में हितग्राहियों को 1301.34 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 365.29 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापित कर लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2014-15 में 2975 हेक्टेयर में ड्रिप प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया है।

7.16 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रगति –

वर्ष 2013-14 में सामान्य योजना में 3333 हेक्टेयर क्षेत्र फलोद्यान कार्यक्रम, फसल वैविध्यकरण750 हेक्टेयर, संरक्षित खेती 250 हे. (संस्था) तथा 79582 हे. में फसल प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुए, जिस पर कुल 1965.83 लाख रू. व्यय हुए। वर्ष 2014-15 में माह नवंबर 2014 तक 30650 फसल प्रदर्शन एवं 25000 सब्जी मिनिकीट वितरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में, 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी फसल क्षेत्र विस्तार एवं हेक्टयर क्षेत्र में सागसब्जी पौध उत्पादन का कार्यक्रम लिया गया, जिस पर रू. 600.00 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2014-15 में माह नवंबर 2014 तक 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी प्रदर्शन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.17 जल संसाधन

7.17.1 भौंगोलिक विवरण एवं उपलब्ध जल :– छत्तीसगढ़ प्रदेश के गठन के समय शासकीय स्रोतो से,13.28लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र निर्मित हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्रोतों से जल की उपलब्धता की मात्रा में सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. एवं भू–जल की मात्रा 11630 मि.घ.मी., इस प्रकार कुल 59926 मि.घ.मी. आंकी गई है। प्रदेश के कुल 146 विकासण्डों में से 125 विकासखण्ड भू–जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 18 विकास खण्ड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है। 02 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में तथा 01 विकासखण्ड अत्यधिक दोहन श्रेणी में आकलित है।

7.17.2 सृजित सिंचाई क्षमता :– राज्य निर्माण के समय प्रदेश में 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित थीं तथा 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित थी। मार्च 2014 की स्थिति में कुल 5.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता क्षेत्र का सृजन किया गया। वर्तमान में 19.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता क्षेत्र सृजित है, जो कि 24 प्रतिशत से बढ़कर 34.2 प्रतिशत हो गया है।

7.17.3 निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं :– वर्तमान में 08 वृहद, 35 मध्यम एवं 2410 लघु इस प्रकार कुल 2453 सिंचाई योजनाएं है तथा इसके अतिरिक्त 383 एनीकेट निर्मित हैं। वर्तमान में 04 वृहद, 03 मध्यम एवं 343 लघु सिंचाई योजनाएं, इस प्रकार कुल 350 सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 04 निर्मित वृहद योजना में लाईनिंग के कार्य चल रहे हैं तथा 325 एनीकेट निर्माणाधीन हैं।

निर्माणाधीन योजना :

7.10.4.1 वृहद परियोजनाएं :–

- **खारंग जलाशय परियोजना :–** बिलासपुर जिले की इस परियोजना में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नहरों की लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है। मार्च 15 तक लाईनिंग कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।
- **मनियारी जलाशय परियोजना :–** मुंगेली जिले की इस परियोजना में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है। मार्च 15 तक लाईनिंग कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

7.10.4.2 मध्यम परियोजनाएं :–

- **घुमरिया नाला बैराज :–** घुमरिया नाला बैराज परियोजना राजनांदगॉव जिले के छुरिया तहसील के जोशीनमती ग्राम के समीप घुमरियानाला पर निर्माणाधीन है। योजना की लागत रू. 47.79करोड एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 3200 हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य लगभग 100 प्रतिशत, मुख्य नहर का कार्य 100 प्रतिशत तथा लघु नहरों का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2014-15 में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित।
- **सूखा नाला बैराज :–** यह मध्यम परियोजना राजनांदगॉव जिले के डोंगरगॉव तहसील के बह्मनी कनेरी ग्राम के पास सूखानाला में प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत रू. 91.54 करोड़ है। इसकी परिकल्पित

सिंचाई क्षमता 6270हेक्टेयर है। इस परियोजना का शीर्ष कार्य 100प्रतिशत तथा नहर कार्य 95प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2014-15 में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

- **मोंगरा बैराज फेस–II** :– इस योजना केद्वितीय चरण में दांयी तट नहर निर्माण प्रस्तावित है। मुख्य नहर का कार्य 90 प्रतिशत एवं लघु नहरों का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है शेष कार्य प्रगति पर है। इससे खरीफ 765 हेक्टेयर एवं रबी 125 हेक्टेयर, कुल 890 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है, जिससे अंबागढ़ चौकी विकासखण्ड के 8 ग्रामों के किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना को मार्च 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

7.10.4.3 लघु सिंचाई योजनाएं :– वर्तमान में 343 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसमें से मार्च 2015 तक 67 लघु सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

7.17.4 एनीकट :– वर्तमान में 325 एनीकट निर्माणाधीन हैं, जिसमें से मार्च 2015 तक 201 एनीकट पूर्ण करने का लक्ष्य है।

7.17.5 सृजित सिंचाई क्षमता का वास्तविक उपयोग :– प्रदेश में खरीफ फसल हेतु 11.50 लाख हेक्टेयर तथा रबी फसल हेतु 1.16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। कुल सिंचाई क्षमता का 67 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है। उपयोग की जा रही सिंचाई क्षमता में वृहद परियोजनाओं का 87.85 प्रतिशत, मध्यम परियोजनाओं का 82.60प्रतिशत तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का 51.05 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है।

7.18. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना :– छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी की मुख्य सहायक, हसदेव नदी पर बांगो ग्राम के पास प्रमुख बांध एवं इसके 42कि.मी. नीचे कोरबा स्थित बैराज का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है। वर्तमान में बांध का शत्–प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग 923ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे। परियोजना की निर्मित सिंचाई क्षमता 2,47,400हेक्टेयर खरीफएवं 173180 हेक्टेयर रबी, कुल 4,20,580 हेक्टेयर है।

वर्ष 2013–14 में हसदेब बांगो परियोजना से 2,47,400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार 2,22,500 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की जा चुकी है। इस वर्ष परियोजना के दायीं तट नहर के क्षेत्र में 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल (ग्रीष्मकालीन धान) हेतु,लक्ष्य के विरूद्ध मॉग के अनुसार 2,061.74 हेक्टेयर में ही जल प्रदाय किया गया।

वर्ष 2014–15 में हसदेब बांगो परियोजना से 2,47,400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार 2,23,100 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की जा चुकी है।

7.19 केलो परियोजना :– यह परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. दूर पर रायगढ़ – अम्बिकापुर राजमार्ग पर ग्राम

दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बॉध के निर्माण से रायगढ़ एवं जॉजगीर–चॉपा जिले के (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) 175 ग्रामों की 24,396 हेक्टेयर भूमि में से 22,810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ–साथ रायगढ़ शहर में पेयजल 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना के पास स्थापित उद्योग हेतु 4.44मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत रू. 598.91 करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनॉक 31-03-2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना की परिकल्पित सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। वर्ष 2014–15में खरीफ सिंचाई हेतु रायगढ़ जिले में पूर्व परीक्षण के तौर पर 7000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल प्रदाय किया गया है। केलो परियोजना के मुख्य एवं नहर कार्यों की भौतिक प्रगति कमशः 99% एवं 75% माह सितंबर 2014 तक प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना की लागत रू. 598.91करोड़ है, जिसके विरूद्ध सितंबर 2014तक कुल राशि रू. 405.86करोड़ व्यय की जा चुकी है।

7.20 साराडीह बैराज :– महानदी पर साराडीह बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी लागत रू. 399.027 करोड़ है। वर्तमान में लगभग 79.53% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सितंबर 2014 तक लागत के विरूद्ध राशि रू. 317.35 करोड़ व्यय की जा चुकी है। बैराज से निर्माण पूर्ण होने पर 333 हेक्टेयर क्षेत्र में जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

7.21 शिवरीनारायण बैराज :– महानदी पर शिवरीनारायण बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी लागत रू. 122.61 करोड़ है। वर्तमान में लगभग 78.36% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सितंबर 2014 तक लागत के विरूद्ध राशि रू. 96.08 करोड़ व्यय की जा चुकी है। बैराज से निर्माण पूर्ण होने पर 690 हेक्टेयर क्षेत्र में जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

पशुधन

7.22 छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। 15 अक्टूबर, 2012 पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.50 करोड़ पशुधन तथा 1.80करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से, पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।

7.22.1 गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु विकास :– पशु संगणना 2012 के अनुसार गौवंशी एवं भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36.34 लाख है। राज्य में वर्ष 2013-14 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 22 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 252 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान इकाईयॉ, 265 पशु चिकित्सालय, 793 पशु औषधालय, 10 मु. ग्रा. खण्ड, 100 मु. ग्रा. खण्ड इकाई कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2013-14 में 4.98 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.41 हजार पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समीक्षा अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.35 लाख वत्सोत्पादन एवं प्राकृतिक गर्भाधान से 0.21 लाख वत्सोत्पादन हुआ। तथा 20.12 लाख पशुओं का उपचार, 22.54 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 3.22 लाख पशुओं में बधियाकरण एवं 286.42 लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

वर्ष 2014-15 में माह सितम्बर 2014 तक 1.67 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं 0.04 लाख पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी गई। जिससे 0.52 लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन एवं 0.03 लाख प्राकृतिक वत्सोत्पादन हुआ है। तथा 10.21 लाख पशुओं का उपचार, 7.95 लाख पशुओं को औषधी प्रदाय, 0.87 पशुओं में बधियाकरण एवं 106.16लाख पशुओं में टीकाकरण का कार्य किया गया है।

7.22.2 बकरी विकास :– प्रदेश में वर्ष 2012की पशु संगणना के अनुसार 32.25लाख बकरियॉ हैं। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना सरोरा, रायपुर जिला तथा रामपुर (ठाठापुर), कबीरधाम जिलों में की गई है।

7.22.3 सूकर विकास :– वर्ष 2012की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 4.39 लाख़ सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु सूकर पालको को वर्ष 2013-14में सूकरत्रयी अनुदान (2मादा तथा 1नर सूकर) हेतु वितरण राशि रू. 88.00 लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 977 सूकरत्रयी के विरूद्ध राशि रू. 77.92 लाख व्यय कर 844 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया, एवं अनुदान पर नर सूकर इकाई वितरण हेतु राशि रू. 23.50 लाख आबंटन अंतर्गत लक्षित 671नर सूकर के विरूद्ध राशि रू. 23.04लाख व्यय कर 656 नर सूकर अनुदान प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2014-15 में सूकरत्रयी वितरण हेतु राशि रू. 88.00लाख आवंटन के विरूद्ध 977 सूकरत्रयी एवं नर सूकर हेतु राशि रू. 23.50 लाख के विरूद्ध 671नर सूकर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह सितंबर 2014 तक सूकरत्रयी वितरण में रू. 22.57 लाख व्यय कर 263 इकाई एवं नर सूकर वितरण में 4.93 लाख व्यय कर 140 सूकरों का वितरण किया गया है। प्रदेश में सकालो, जिला सरगुजा एवं परचनपाल जिला बस्तर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं, जिसमें लार्जव्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के

सूकरों का प्रजनन किया जा रहा है और अभी जशपुर जिले के कुनकुरी में एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना प्रगति पर है।

7.22.4 शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय :– प्रदेश में वर्ष 2006-07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत्–प्रतिशत् अनुदान पर सांड प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, सितंबर 14तक कुल 5088सांड़ विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रदाय किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में रू. 55.60 लाख के परिव्यय से 224 सांड़ों का वितरण किया गया है। वर्ष 2014-15 में सितंबर 14 तक राशि रू. 10.51 लाख व्यय कर 45 सांडों का वितरण किया गया है। शेष सांड़ों का वितरण कार्य प्रगति पर है।

7.22.5 कुक्कुट विकास :– प्रदेश में पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रदेश में 179.55 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। प्रदेश में 7 कुक्कुटएवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। इन प्रक्षेत्रों में बैकयार्ड कुक्कुट ईकाई वितरण योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को रंगीन चूजों का वितरण, आहार एवं औषधि घर पहुॅंचा कर प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2013-14 में राशि रू. 179.00 लाख व्यय कर 6438 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2014-15 में माह सितंबर 14 तक राशि रू. 52.83 लाख व्यय कर 1956 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

7.22.6 केन्द्रीय योजना (एस्काड) :– केन्द्र प्रवर्तित योजना एस्काड योजनांतर्गत प्रतिबंधात्मक टीकाकरण पशुरोग अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण प्रचार–प्रसार आदि कार्य किया जाता है। वर्ष 2013-14 में रू. 984.64 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत थी जिसके विरूद्ध राशि रू. 658.14 लाख प्राप्त हुई थी। वर्ष 2014-15 में स्वीकृत योजना राशि रू. 965.50 लाख के विरूद्ध प्रथम किस्त में राशि रू. 500.00 लाख एवं पुर्नवैधित राशि रू. 28.64 लाख भारत शासन से प्राप्त हुई है।

7.22.7 एकीकृत डेयरी विकास परियोजना

राज्य के 02 जिले, क्रमशः अम्बिकापुर एवं कबीरधाम में डेयरी संबंधी वाणिज्यिक गतिबिधियों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 एवं 14–15 (सितंबर 14) की स्थिति निम्नानुसार है :–

टीप :– दुग्ध संकलन एवं विपणन की मात्रा के अंतर की पूर्ति अन्य परियोजना से दुग्ध संकलन कर की गई है।

तालिका 7.9 एकीकृत डेयरी विकास

क्र.	विवरण	अम्बिकापुर		कबीरधाम	
		13-14	14-15 (Sep)	13-14	14-15 (Sep)
1	कार्यशील समितियों की संख्या	11	13	6	6
2	कुल संकलन (कि.ग्रा.)	62851	30386	62380	26400
3	कुल दुग्ध विपणन (लीटर)	262723.5	152362.0	67307.5	31636

7.22.8 पशु उत्पाद उपलब्धता :— वर्ष 2013—14 के दौरान राज्य के 18 जिलों में केन्द्रीय प्रवर्तित न्यादर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत 270 ग्रामों का चयन कर दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान किया गया, जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 130 ग्राम दूध, प्रतिवर्ष 56 अण्डे प्रति व्यक्ति तथा वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.416 किलोग्राम होना पाया गया है।

तालिका 7.10 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के दुग्ध पदार्थ विपणन की जानकारी वर्ष **2013-14** एवं **2014-15 (Sep 14)** की जानकारी :—

क.	दुग्ध पदार्थों का विपणन	मात्रा	2013-14	2014-15
1	दुग्ध विपणन	लीटर	15399966	8821588
2	घी	कि ग्रा	108852	42003
3	व्हाइट बटर	कि ग्रा	1733	479
4	स्टरलाइज्ड फलेवर्ड मिल्क	लीटर	35676	18263
5	साल्टेड बटर मिल्क	लीटर	257149	195774
6	श्रीखण्ड	कि.ग्रा.	25909	18392
7	पनीर	कि.ग्रा.	57283	41781
8	कर्ड	कि.ग्रा.	21729	24312
9	स्वीट कर्ड	कि ग्रा	24788	28505
10	लस्सी	लीटर	53086	81562
11	रबड़ी	कि.ग्रा.	0	4299
12	खोवा	कि.ग्रा.	24012	8807

7.22.9 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास शाखा :— छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय—भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास शाखा की स्थापना जून 2001 में की गई है। इस योजनांतर्गत मुख्य उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैं :—

1. राज्य में पशुसंवर्धन कार्य हेतु आवश्यक हिमीकृत वीर्य का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए फ्रोजन सीमन बुल स्टेशन की स्थापना।
2. घर पहुॅच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 709 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाइयों का चल कृत्रिम गर्भाधान इकाइयों में परिवर्तन।
3. कृत्रिम गर्भाधान पहुॅच विहीन गॉवों में गर्भाधान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उन्नत किस्मों के साड़ों का प्रदाय।
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नाइट्रोजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्थाका सुदृढ़ीकरण।
5. गुणवत्ता परीक्षण उपरान्त हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण।
6. पशु नस्ल आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए चरवाहों को प्रशिक्षण।
7. 996 निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को ए.आई. क्षेत्र विस्तार तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय किया गया है।

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	265
पशु औषधालय	793
चल चिकित्सालय	25
माता महामारी उन्मूलन योजना	05
पशु जॉच चौकियॉ	07
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	16
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	252
एम्बुलेट्री क्लीनिक	10
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	100

8. प्रशिक्षण केन्द्र महासमुन्द व जगदलपुर में प्रशिक्षण सुविधा हेतु आवश्यक अधोसंरचना का विकास।

9. मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैरविभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय गौवंशीय/भैंसवंशीय परियोजना का राज्य में संचालित होने से कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है, परिणाम स्वरूप राज्य में दुग्धउत्पादन में वृद्धि हो रही है।

बॉक्स नम्बर - 7.2

शासन द्वारा पशुपालन हेतु आबंटित राशि

- दूरस्थ अंचलों में पशु चिकित्सा सेवायें हेतु स्वर्णिम रोजगार योजनान्तर्गत अब तक 5663 बेरोजगारों को गौ सेवक प्रशिक्षण दिया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रशिक्षित गौ सेवकों, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में कुल 177 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

मत्स्य विकास

7.23 राज्य में उपलब्ध जल संसाधन मत्स्य पालन की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.57 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 1.48 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। जो कुल जलक्षेत्र का 94.00 प्रतिशत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है। कम लागत, कम समय में सहायक धंधे के रुप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है।

राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र में निरंतर बढ़ोत्तरी परि–लक्षित हो रही है जो कि नीचे प्रदर्शित तालिका 7.3 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव 2004–05) में भागीदारी एवं हिस्सा/अंश से प्रमाणित होती है। स्थिर भाव में निरंतर बढ़ोत्तरी राज्य में मत्स्य क्षेत्र की अपार संभावना को दर्शाती है।

तालिका 7.11 मत्स्य पालन का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2004–05)

सांख्यिकी	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13(P)	2013-14(Q)	2014-15 (A)
भागीदारी (लाख)	52465	73514	99714	109537	111687	124511	140685
वृद्धि (प्रतिशत)		6.02	35.64	9.85	1.96	11.48	12.99
हिस्सा (प्रतिशत)	1.10	1.03	1.26	1.31	1.23	1.31	1.40

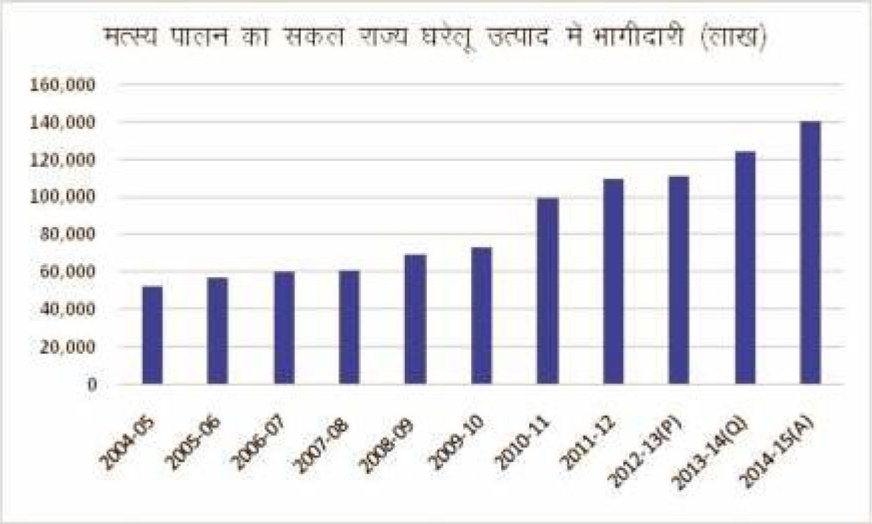

7.23.1. मत्स्य बीज उत्पादन :– वर्ष 2012-13में समस्त स्त्रोतों से 10437.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) तथा वर्ष 2013-14 में 12203.00 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन हुआ जो गतवर्ष की तुलना में 16.92 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2014-15 में माह सितम्बर 2014 तक 11719.69 लाख स्टेंडर्ड फ्राई (मत्स्य बीज) का उत्पादन किया गया।

7.23.2. मत्स्योत्पादन :– वर्ष 2012-13 में राज्य में समस्त स्त्रोतों से 255611 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2013-14 में 284959.00 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11.48 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य वर्ष 2014-15 में माह सितम्बर 2014 तक 156713.00 मीट्रिक टन का मत्स्योत्पादन किया गया है।

7.23.3. मछुआ सहकारिता :– राज्य में वर्ष 2014-15 में माह सितम्बर 14 तक समितियों की संख्या 1209 है। जिनकी सदस्य संख्या 40080 है। इन समितियों को 10वर्ष की अवधि के लिए तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

7.23.4. मछुआरों का शिक्षण प्रशिक्षण :– सभी वर्ग के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को मत्स्यपालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु तकनीकी पद्धति, मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति रू. 750, जाल बुनने एवं धागा के लिए रू. 400 तथा अन्य व्यय हेतु रू. 100, इस प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल व्यय रू. 1250 का प्रावधान है। वर्ष 2013-14 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5200 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

बॉक्स नम्बर - 7.3

योजना, बीमा व आवास सुविधा

- मत्स्य पालकों को, दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रू. 50000 तथा स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर 100000 रू. की सहायता दी जाती है। वर्ष 2013-14 में 170867 मछुआरों का बीमा कराया गया इस कार्य में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा।
- वर्ष 2012-13 तक मछुआरों के लिए 336 आवास सुविधा का निर्माण किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य 50:50 के अनुपात में व्यय भार वहन किया गया। वर्ष 2013-14 में 200 आवास हेतु रू. 400 लाख प्रावधानित है।
- मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2013-14 में 145.72 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। वर्ष 2014-15 में माह सितंबर 2014 तक 54.75 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया।

7.23.5. मत्स्य पालन प्रसार :– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु तीन वर्षो में अधिकतम 15000 रू. का प्रावधान है। वर्ष 2013-14 में 550 इकाईयॉ स्थापित की गई है जिसमें 5.57 लाख झींगा बीज संचयन कर 9865 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त किया गया है।

7.23.6. अल्पअवधि बचत–सह–राहत योजना:– गैर मौसम में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वयन की गई है। योजना क्रियान्वयन का 50 प्रतिशत राज्य शासन एवं 50 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा अंशदान से रू. 600 तथा शासन द्वारा अंशदान रू. 1200, इस प्रकार कुल रू. 1800 हितग्राही के नाम से बैंक में जमा किए जाते हैं। जिससे बंद ऋतु के 3माह में 600 रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को दिए जाते है। वर्ष 2012-13 में 6000 मछुआरों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2013–14 हेतु 8000 मछुआरों का लक्ष्य था।

7.23.7. मत्स्यकीय क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं सूचना नेटवर्किंग :– केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 में 17.13 लाख रू. का आबंटन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में

प्रदेश केचयनित जिले बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बस्तर, रायगढ़ एवं दुर्ग में ग्रामीण तालाबों में तथा सभी 27 जिलों में सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र का सर्वेक्षण, मत्स्यपालन संबंधी आंकड़े एकत्रीकरण कर केन्द्र शासन को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिलों को संचालनालय के साथ नेटवर्किंग करने हेतु 18 जिलों में कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं।

तालिका 7.12 प्रमुख योजनाओं की वर्ष 2014–15 माह सितंबर 14 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियॉ

क्र.	विवरण	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रू. में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मत्स्यबीज उत्पादन					
	स्पान		54450.00	52625.00	200.94	158.97
	स्टेण्डर्ड फ्राई	लाख	13500.00	11719.69	-	-
2.	मत्स्यबीज संचयन	लाख	9706.42	7704.28	-	-
3.	मत्स्योत्पादन	मी. टन	310221.26	156713.04	9.90	4.75
4	विभागीय आय	लाख रू	265.59	112.164	-	-
5	त्रिस्तरीय पंचायतों से आय	लाख रू	74.05	125.19	-	-
6.	प्रशिक्षण	संख्या	5670	1225	82.51	31.22
7.	रोजगार सृजन	ला. मा. दि.	110.00	54.75	-	-

तालिका 7.13 केन्द्र प्रवर्तित योजना

क्र.	विवरण	इकाई	भौतिक		वित्तीय (लाख रू. में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मत्स्य कृषकों को आर्थिक सहायता					
	अ. ऋण	लाख रू.	493.00	73.65	-	-
	ब. अनुदान	लाख रू.	203	16.04	-	-
2	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	संख्या	-	4	-	-
		हे.	-	4.50	-	-
3	मत्स्य जीवियों को दुर्घटना बीमा	संख्या	173447	91070	19.87	-

अनुलग्न - 7.1

भूमि उपयोग

क्र.	विवरण	2011-12	2012-13	(हेक्टेयर में) 2013-14
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	13789836	13789836	13789836
2	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	6352407	6352413	6331274
3	कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नही है			
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	725341	734443	737574
	ब. ऊसर व गैर– मुस्तकिल भूमि	292142	289748	289487
	उप–योग– 3	**1017483**	**1024191**	
4	पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि			
	अ. स्थायी तथा दीगरचरागाह	863069	861064	881678
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नही हैं।	901	893	1113
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	351848	357856	349080
	उप–योग– 4	**1215818**	**1219813**	**1231871**
5	पडती भूमि			
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	257186	265167	253685
	ब. चालू पड़ती भूमि	269999	256783	260222
	उप–योग– 5	**527185**	**521950**	**513907**
6	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर उप–योग 4+5	**1743003**	**1741763**	**1745778**
7	शुद्ध बोयागया क्षेत्रफल	4676943	4671469	4685723
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	986733	1019386	1011984
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5663676	5690855	5697707

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवंबंदोबस्त,छ.ग.

अनुलग्न - 7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2014

				कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नही		अन्य अकृषिभूमिपड़तीकोछोड़कर			पड़ती				
क्र.	जिला	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	वन	अ. ऊसर व गैर–मुस्तकिलभूमि	ब. गैर कृषिउपयोगमेंलाईगईभूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुतकील व दीगर चारागाह	अन्य झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल नहीं है	चलू पड़ती	पुरानी पड़ती (2 साल से 5 साल तक	फसल कानिरा क्षेत्र फल	दुफसली क्षेत्रफल	संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
1	रायपुर	291437	2940	380	45576	21553	35417	96	4198	15530	165747	54071	219818
2	बलौदाबाजार	467697	133364	5702	30808	13462	32545	6	6048	12506	233256	49846	283102
3	गरियाबंद	585494	388822	3368	22773	4061	24821	21	2205	3038	136385	26138	162523
4	महासमुन्द	496301	140681	6473	37040	5810	29637	114	3059	5473	268014	33715	301729
5	धमतरी	408193	206495	1914	30109	2757	20734	60	1106	1637	143381	80772	224153
6	दुर्ग	231999	0	4426	35897	12508	19083	137	4667	8304	146977	46338	193315
7	बालोद	352700	97796	4603	32600	9658	20030	215	3616	6465	177717	78376	256093
8	बेमेतरा	285481	0	11	24266	5596	23345	13	2475	4362	225413	128855	354268
9	राजनांदगांव	802252	258984	18797	48868	21827	55193	140	26232	23739	348472	98156	446628
10	कबीरधाम	444705	189441	10000	16373	3893	28654	60	5330	5129	185825	69088	254913
11	बस्तर	405215	85870	21684	25516	41120	27729	0	13187	10107	180002	5434	185436
12	कोंडागांव	605073	411625	16330	10561	16982	8464	23	5440	3862	131786	5977	137763
13	नारायणपुर	692268	638482	1653	3286	6918	3451	3	3146	2360	32969	471	33440
14	कांकेर	643268	278978	19033	31422	9954	63072	24	14689	13690	212406	18510	230916
15	दन्तेवाड़ा	341050	150005	27309	11041	27064	4399	0	10182	10192	100858	1600	102458
16	सुकमा	563579	353011	9871	12831	47355	26811	0	6592	10760	96348	1041	97389
17	बीजापुर	655296	496221	6420	18965	41486	8992	0	8343	8772	66097	120	66217
18	बिलासपुर	581849	218436	10390	31128	16504	48037	58	13742	10738	232816	58544	291360
19	मुंगेली	275036	113038	230	11608	610	17632	11	1496	2541	127870	80503	208373
20	जाजगीर	446674	89189	2349	36166	11017	37921	4	5035	7490	257503	34113	291616
21	कोरबा	714544	471512	30636	29024	14553	21731	28	7266	8792	131002	10563	141565
22	सरगुजा	501980	239343	5124	25377	0	46456	0	16458	9869	159353	22914	182267
23	बलरामपुर	601634	294677	1636	32625	0	85411	100	23272	10897	153016	25896	178912
24	सूरजपुर	499826	236038	1197	29182	0	53667	0	12097	9815	157830	23769	181599
25	कोरिया	597770	399757	12787	23403	0	32129	0	14532	11751	103411	12438	115849
26	रायगढ़	652774	206214	14359	56102	5643	64374	0	17742	18758	269582	30934	300516
27	जशपुर	645741	230355	52805	25027	8749	41943	0	28067	17108	241687	13802	255489
	योगराज्य	13789836	6331274	289487	737574	349080	881678	1113	260222	253685	4685723	1011984	5697707

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

अनुलग्न - 7.3

जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	कुल					
		2011-12	2012-13	2013-14 (p)	2011-12	2012-13	2013-14 (p)
1	कोरिया	115118	115225	115849	104096	103741	103411
2	सरगुजा	183450	183077	182267	159634	159318	159353
3	बलरामपुर	181549	177930	178912	155675	152258	153016
4	सूरजपुर	176797	177918	181599	155041	155643	157830
5	जशपुर	258334	258136	255489	244309	244772	241687
6	रायगढ़	300916	299855	300516	270172	269312	269582
7	कोरबा	141835	141200	141565	131068	131060	131002
8	जांजगीर–चांपा	315724	316820	291616	258113	257821	257503
9	बिलासपुर	294576	289195	291360	234232	231823	232816
10	मुंगेली	207023	208007	208373	127106	127906	127870
11	कबीरधाम (कवर्धा)	250459	252164	254913	186228	185764	185825
12	राजनांदगांव	443938	442290	446628	349669	348620	348472
13	दुर्ग	192214	196506	193315	146849	147023	146977
14	बेमेतरा	339513	342383	354268	224364	224725	225413
15	बालौद	256446	255770	256093	177307	176810	177717
16	रायपुर	210513	221351	219818	168671	165491	165747
17	बलौदाबाजार	284396	280891	283102	233862	232892	233256
18	गरियाबंद	158976	161496	162523	135343	135403	136385
19	महासमुंद	296499	302057	301729	267580	267645	268014
20	धमतरी	210571	218425	224153	134175	135373	143381
21	उत्तरबस्तर (कांकेर)	228282	228071	230916	211552	210708	212406
22	बस्तर	186165	186078	185436	180694	180459	180002
23	कोंडागांव	137400	137489	137763	131266	131557	131786
24	नारायणपुर	32860	32966	33440	32430	32516	32969
25	दक्षिणबस्तर (दंतेवाड़ा)	102108	102819	102458	100599	101230	100858
26	सुकमा	97652	97301	97389	96635	96273	96348
27	बीजापुर	60362	65435	66217	60273	65326	66097
	छत्तीसगढ़	**5663676**	**5690855**	**5697707**	**4676943**	**4671469**	**4685723**

अनुलग्न - 7.4

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र 2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (p)
1.0	अनाज									
1.1	धान	3854.3	3905.3	3902.9	3928.8	3837.7	3937.8	3939.9	3982.2	3987.7
1.2	गेहूँ	97.1	93.2	95	94.8	109.1	103.7	104.8	102.2	105.0
1.3	ज्वार	8.5	6	7.7	5.3	5.6	5.7	5.3	6.2	5.2
1.4	मक्का	101.6	100.1	100.1	99.3	101.7	104.9	107.4	116.8	123.4
1.5	कोदो–कुटकी	177.7	161.1	151.9	145.5	137.1	127.9	121.6	111.1	102.0
1.6	जौ	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	2.3	2.9	2.8	2.7
1.7	छोटेअनाज	50.4	49.1	64.6	54.3	44.3	39.2	37.7	34.5	33.0
2.0	दालें									
2.1	चना	242.7	231.4	243.5	237.5	263.9	250.5	260.2	267.9	289.7
2.2	तुअर	50.7	53.8	50.4	49.2	52.9	54.5	52.9	51.9	52.8
2.3	उड़द	117.6	114.5	114.9	110.8	107.2	107.1	102	98.7	96.9
2.4	मूग–मोठ	17.1	16.6	16.2	16.2	16.5	16.3	15.4	15.5	15.2
2.5	कुल्थी	53.9	52.8	53	51.6	51.1	50.9	48.7	47.6	45.9
2.6	लाख (तिवड़ा)	458.1	425.4	428.6	387.6	327.5	359.2	347.6	331.8	315.2
3.0	गन्ना	14.5	19.2	19.3	16	14.7	15.4	17.5	23	23.9
4.0	तिलहन									
4.1	मूँगफली	32.8	33.1	31.7	30.5	30.6	29.6	28.7	29.4	29.2
4.2	रामतिल	72.8	72.8	71.9	70.9	68.1	69.4	66.5	66.2	63.6
4.3	तिल	24.6	21.3	21.2	20	19.6	20.5	19.7	19.7	17.0
4.4	सोयाबीन	46.8	64.5	72.9	81.8	83.7	95.8	103.2	101.5	107.8
4.5	अलसी	70.8	64.6	55.9	47.6	44.8	37	35.3	32.2	31.2
4.6	राईसरसों	57.2	54.5	51.4	52	52.3	50.2	49.2	47	47.5

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

अनुलग्न - 7.5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे.टन में)
प्रमुख फसलोंकाउत्पादन

क्र.	फसल	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (p)
1.0	अनाज									
1.1	धान	5267.5	5441.5	5635	6021.8	6520.9	9956.6	9451.2	11772.6	10654.1
1.2	गेहूँ	85.2	94	104.6	97.4	118.92	121.7	135.1	143.2	140.8
1.3	ज्वार	5.8	5.2	7.2	6.3	6.8	8.2	4.1	4.5	3.3
1.4	मक्का	109.6	123.5	157.1	139.9	145.36	190.5	177.8	225.1	254.1
1.5	कोदो–कुटकी	29.3	30	39.2	24.9	22.83	26	22.5	23.7	21.0
1.6	जौ	3	2.8	4	2.8	2.3	1.2	2.2	1.3	2.4
1.7	छोटेअनाज	13.1	6.9	16.8	9.5	9.3	8.9	10.5	9.7	8.3
2.0	दालें									
2.1	चना	172.2	193.5	212.4	190.3	230.18	239.6	260.7	304.9	221.6
2.2	तुअर	22.5	22.9	26.3	28.4	27.61	23.9	23.7	31	29.4
2.3	उड़द	33.9	34.5	35.1	32.4	29.2	30.6	30	31.4	30.0
2.4	मूँगमोठ	4.3	4.3	4.2	4	3.94	4.2	3.9	4.2	4.0
2.5	कुल्थी	17.6	16.6	16.9	16.1	14.13	14.6	14.4	14.3	14.1
2.6	लाख (तिवड़ा)	208.3	225.2	553	211	193.19	223.6	206.8	159.9	174.0
3.0	गन्ना	19	20.3	27.3	22	35.35	18.4	45.4	37.3	23.8
4.0	तिलहन									
4.1	मूँगफली	35.5	37.7	40	37.7	45.06	35.9	37.9	40.5	42.3
4.2	रामतिल	12.3	12.8	12.8	12.6	10.9	12	11.4	11.7	11.6
4.3	तिल	7.3	6.4	6.7	6.1	8.64	6.9	7.6	5.7	4.8
4.4	सोयाबीन	41.9	64.2	83.6	79.9	77.83	112.4	84.6	126.1	111.9
4.5	अलसी	17.5	16.2	17.1	13	13	9.8	13.6	13.4	11.9
4.6	राईसरसों	18.2	21.8	20.6	19.7	21.68	20.8	21.8	23.9	27.0

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

अनुलग्न - 7.6

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्रामप्रति हेक्टेयर)

वर्ष	धान	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1999-2000	2006	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	1482	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2103	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	1025	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	2297	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1848	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	2051	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	2138	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	2177	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1797	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1769	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	2529	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	2523	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	2955	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622
2013-2014 (p)	2672	1341	635	2059	765	557	1038	143	996

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

*भू–अभिलेख द्वारा चावल का उत्पादन दिया गया है जिसको धान में (=Rice*3/2) परिवर्तित किया गया है।

अनुलग्न - 7.7

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरे	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	1999-2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000-2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001-2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002-2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003-2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004-2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005-2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006-2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007-2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008-2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009-2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010-2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011-2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012-2013	876670	49226	20413	502728	1449037
15	2013-2014 (p)	960033	52079	22296	716660	1751068

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छ.ग.

अनुलग्न - 7.8

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षांत 30 जून 2014

क्र	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल		फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्र फल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक से अधिक बार सिंचाई की गई हो	संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
		कुल	निरा			
1	रायपुर	160511	142798	86%	17713	73%
2	बलौदाबाजार	118315	111401	48%	6914	42%
3	गरियाबंद	57807	55621	41%	2186	36%
4	महासमुन्द	107051	96702	36%	10349	35%
5	धमतरी	160891	109121	76%	51770	72%
6	दुर्ग	113591	92102	63%	21489	59%
7	बालोद	110432	91305	51%	19127	43%
8	बेमेतरा	139830	76773	34%	63057	39%
9	राजनांदगांव	104935	78562	23%	26373	23%
10	कबीरधाम	93631	60143	32%	33488	37%
11	बस्तर	6242	6242	3%	0	3%
12	कोंडागांव	5444	5444	4%	0	4%
13	नारायणपुर	182	182	1%	0	1%
14	कांकेर	30410	30410	14%	0	13%
15	दन्तेवाड़ा	154	154	0%	0	0%
16	सुकमा	1312	1312	1%	0	1%
17	बीजापुर	3307	3307	5%	0	5%
18	बिलासपुर	100179	100179	43%	0	34%
19	मुंगेली	68806	60763	48%	8043	33%
20	जाजगीर	217920	201789	78%	16131	75%
21	कोरबा	8536	8536	7%	0	6%
22	सरगुजा	16287	15274	10%	1013	9%
23	बलरामपुर	16778	16081	11%	697	9%
24	सूरजपुर	21726	19859	13%	1867	12%
25	कोरिया	8896	7869	8%	1027	8%
26	रायगढ़	68654	61759	23%	6895	23%
27	जशपुर	9241	8759	4%	482	4%
योगराज्य		1751068	1462447	31%	288621	31%

स्त्रोतः–आयुक्त, भू–अभिलेख

अनुलग्न - 7.9

माहवार वर्षा (छ.ग. राज्य)

							इकाई–कि.मी.
वर्ष	सामान्य वार्षिक वर्षा	जून	जूलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	योग
2000	1317.5	243.4	354.5	259.7	138.4	NA	996
2001	1317.5	326	551.4	343.7	100.6	NA	1327.7
2002	1317.5	198.2	138.4	374.1	226.8	32.9	970.4
2003	1317.5	143.5	398.5	470.5	412.9	149.4	1574.8
2004	1317.5	226.6	327.5	376.7	128.5	53.3	1112.5
2005	1317.5	223.8	400.8	256	245.9	72.2	1198.7
2006	1317.5	91.4	443.1	462.5	143	39.5	1160.5
2007	1325.3	277.6	299.1	352.6	191.3	106.7	1227.3
2008	1351.2	232.6	339.9	261.1	249.5	-	1083.1
2009	1351.2	60.8	454.6	271.2	109.9	50.8	947.3
2010	1373.3	104.2	458.1	1314.9	286.8	56.2	1220.2
2011	1307.3	176.6	270.1	364.7	391	3.9	1213.3
2012	1316.9	135	373.7	451.2	257.4	32.7	1250.025
2013	1327.1	276.8	404.6	353	150.7	178.6	1363.6

स्त्रोतः– कृषि विभाग

08

वानिकी

8. वानिकी

8.1 भारत के कुल भौंगोलिक क्षेत्र का 23.38 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में तीसरे स्थान पर है। राज्य में आरक्षित वन 25782 वर्ग कि.मी.(43.13 प्रतिशत) संरक्षित वन 24036 वर्ग कि.मी. (40.21 प्रतिशत) अवर्गीकृत वन 9954 वर्ग कि.मी. है।

8.2 वानिकी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी देखी जा सकती है, इसे पूर्ण ढंग से लठ्ठा, ईंधन की लकड़ी का संग्रहण, गैर इमारती लकड़ी एवं वनोत्पाद से ग्रामीण आय तथा जीवन निर्वाह आरंभ करने की दृष्टि से अवलोकित किया जाए। वन कार्बन अवशोषण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से मौसम परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वन पर्यावरण सेवाओं तथा अन्य उत्पादक क्षेत्र को लाभान्वित करने का भी स्रोत है (यथा–बहाव की कृषि के लिए वाटरशेड संरक्षण, वनाधारित मनोरंजन एवं पर्यटन)। अतः बहुत अधिक वन क्षेत्र न केवल राज्य को, बल्कि पूरे देश को अपनें महत्वपूर्ण आच्छादन द्वारा भी लाभ पहुंचाता है।

8.3 पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान काफी महत्वपूर्ण परलक्षित होता है जो तालिका 8.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 8.1 वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2004–05)

सांख्यिकी	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13(P)	2013-14(Q)	2014-15 (A)
भागीदारी (लाख)	257701	278060	286536	286622	299086	307522	317072
वृद्धि (प्रतिशत)		1.85	3.05	0.03	4.35	2.82	3.11
हिस्सा (प्रतिशत)	5.38	3.90	3.63	3.44	3.30	3.23	3.14

8.4 विभाग की योजनाएं/कार्यक्रम :– राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वन मंडल के वन क्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है।कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है–

- पथ वृक्षारोपण– योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय, राज्य मार्गो, जिला मुख्य मार्गो तथा ग्रामीण मार्गो के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। सितम्बर 14 तक 206.70 लाख का व्यय किया जा चुका है।

- वनमार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण– योजनांतर्गत वन क्षेत्रों से गुजरने वाले 13500 कि.मी. वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण करना जिससे वन ग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके।

- पौधा प्रदाय योजनांतर्गत जनता में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर वनोत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रचार–प्रसार हेतु रियायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने हेतु पौधा प्रदाय योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें एक रूपये प्रति पौधा की दर से अधिकतम 1000 पौधे एक हितग्राही को दिए जाएंगे।

- हरियाली प्रसार योजनांतर्गत कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाली प्रसार योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों को उनकी पड़त भूमि में इच्छित प्रजाति के 250 से अधिकतम 1000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांतरित किए जाएंगे साथ ही साथ आगामी 2 वर्षों के लिए रखरखाव हेतु 1 रूपये प्रति पौधा की दर से अनुदान दिया जायेगा।

- नदी तट वृक्षारोपण योजनांतर्गत राज्य की जीवनदायनी नदियों के संरक्षण हेतु नदी तट वृक्षारोपण योजना चलाई जा रही है। इससे नदियों के तट पर होने वाले भू–क्षरण और इससे जनित समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण से किया जाएगा।

- बांस वनों का पुनरोद्धार योजनांतर्गत बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रो की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है जिससे करील (कोपल) प्राप्त होते है एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

- भू एवं जल संरक्षण योजनांतर्गत भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू– संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु यह योजना प्रारंभ की है।

सारणी 8.2 वानिकी योजनावार विवरण एवं प्रगति (वित्तीय उपलब्धि करोड में)

योजना	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014-15		
	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय प्रावधान	लक्ष्य	व्यय(सितं 14 तक)
पथ वृक्षारोपण योजना	7.40	वृक्षा रोपण 78 किमी रखरखाव 217 किमी	6.00	वृक्षा रोपण 75 किमी रखरखाव 300 किमी	2.07
बिगड़े वनों की सुधार योजना	122.30	–	112.25	–	46.53
वनमार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण योजना	21.00	475	17.65	–	0.00
पौधा प्रदाय योजना	1.39	31.77 लाख पौधे	1.10	30.55 लाख पौधा	0.00
हरियाली प्रसार योजना	4.87	44.22 लाख पौधरोपण	4.50	85.70 लाख पौधरोपण	2.09
नदी तट वृक्षारोपण योजना	7.76	तैयारी 510 हे., रोपण 298 हे.	7.75	तैयारी 200 हे रोपण 200 हे.	2.78
बांस वनों का पुनरोद्धार योजना	52.91	–	41.00	–	13.78
भू एवं जल संरक्षण योजना	20.97	–	19.50	उपचार 47000 हे. भू/जल संरक्षण 75000 हे.	1.43

8.5 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम :– छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मण्डल को लेकर अस्तित्व में आया। सितंबर, 2001से औद्योगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर का गठन एस.ई.सी.एल., एन. टी.पी.सी. संस्थानों पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 7परियोजना मण्डल हैं।वर्ष 2014में 4887 हे. सकल क्षेत्र में सागौन, 120 हे. क्षेत्र में नीलगिरी रोपण का कार्य कराया गया है जिसमें

तालिका 8.3 2014 की स्थिति

निगम का वन क्षेत्रफल (हे.मे)	197322
सागौन	106867
बांस	6749
मिश्रित	1549
औषधीय	317

7911150 सागौन एवं 187500 पौधे नीलगिरी के रोपित किए गए वर्ष 2015 में लगभग 5000 हे. सकल क्षेत्र में सागौन रोपण कार्य प्रस्तावित है।

8.5.1 खदानी रोपण :— वर्ष 1990 से 2014 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 225.87 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2014 में 7.93 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2015 में 16.50 लाख पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

8.5.2 उच्च तकनीक वृक्षारोपण :— वर्ष 1997 से परियोजनाओं में उच्च तकनीक के अंतर्गत सागौन के सिंचित रोपण किए गए हैं, जिसका परियोजनावार विवरण सारणी 8.4 में दर्शाया गया है।वर्षा ऋतु वर्ष 2014 में उच्च तकनीक रोपण हेतु 100 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है।

सारणी 8.4 उच्च तकनीक वृक्षारोपण का परि. मण्डल वार विवरण

परि. मण्डल का नाम		बार नवापारा	कोटा	कवर्धा	सरगुजा	योगः
रोपित क्षेत्र (हे. में)	2010	-	31	10	28	69
	2011	15	30	30	45	120
	2012	22	34	-	55	111
	2013	20	-	-	-	20
	योग :	57	75	40	128	320

8.5.3 सड़क किनारे वृक्षारोपण :— माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान 736.8 कि.मी. लम्बाई में पथ वृक्षारोपण किया गया है । वर्ष 2014 में मात्र 112.5 कि.मी. में पथ वृक्षारोपण किया गया है।

सारणी 8.5 सड़क किनारे वृक्षारोपण उपलब्धि

वर्ष	2011	2012	2013	2014
रोपित मार्ग लंबाई (कि.मी.)	135.45	102.5	20.0	112.52
रोपित पौधों की संख्या	261226	205000	40000	302975

8.5.4 बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य :— निगम को हस्तांतरित वन क्षेत्र में अधिकांश बांस वन बिगड़ी स्थिति में है। विगत् दो वर्षों में प्रगति निम्नानुसार है–

सारणी 8.6 बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	बारनवापारा–रायपुर	अंतागढ़–भानुप्रतापपुर	पानाबरस–राजनांदगांव	कोटा–बिलासपुर	कवर्धा–कबीरधाम	योग
2011-12	298	174	100	200	75	847
2012-13	136	448	565	242	---	1391

8.5.5 वनौषधि रोपण :— राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली द्वारा "Central Sectors Scheme for Conservation and Development of Medicinal Plant" के तहत औषधीय पौधों के 600 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण एवं रोपणी की तैयारी की तीन वर्षीय योजना दिनांक 06-05-09 को स्वीकृत की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी 8.7 वनौषधि रोपण की प्रगति का विवरण

क.	परियोजना मण्डल का नाम	प्रजाति	कुल लक्ष्य (हे.)	वर्ष 09.10 रोपण (हे)	वर्ष 10.11 रोपण (हे.)	योग (हे.)
1	बारनवापारा, कोटा सरगुजा	सतावर	150	-	51.00	51.00
2	बारनवापारा, कवर्धा	कालमेघ	200	100	100.00	200.00
3	बारनवापारा, कवर्धा, पानाबरस, अंतागढ़, कोटा, सरगुजा	गिलोय	100	5.50	35.00	40.50
4	बारनवापारा, कवर्धा	सर्पगंधा	50	-	3.90	3.90
5	अंतागढ़, कोटा	बायबिडंग	100	-	22.00	22.00
	योग		600	105.50	211.90	317.40

8.5.6 वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2015 वर्षा ऋतु में रोपण हेतु तैयार किए गए है—

सारणी 8.8 वर्षा ऋतु के रोपण का विवरण

परियोजना मण्डल का नाम	वर्षा ऋतु वर्ष 2014 के रोपण के लिए रोपणियों में उपलब्ध पौधे			वर्षा ऋतु वर्ष 2015 के रोपण के लिए रोपणियों में उपलब्ध पौधे		
	सागौन	सागौन	बॉस	कुल	बॉस	कुल
बारनवापारा—रायपुर	2200	230	2430	2068236	208236	2068236
पानाबरस—राजनांदगांव	1200	110	1310	1728425	168425	1728425
अंतागढ़—भानुप्रतापपुर	750	150	900	745000	145000	745000
कवर्धा— कबीरधाम	2208	-	2208	1900000	-	1900000
कोटा—बिलासपुर	3200	-	3200	1767000	-	1767000
सरगुजा—अम्बिकापुर	3273	-	3273	3120000	-	3120000
योग	**12831**	**490**	**13321**	**9701661**	**521661**	**9701661**

8.5.7 वर्ष 2013—14 में वनविभाग एवं वन विकास निगम से विक्रय का विवरणः

तालिका 8.9. वर्ष 2013—14 में वनविभाग एवं रा. व. वि. नि. से विक्रय का विवरण

सामग्री	इकाई	उत्पादन	मूल्य (लाख)
इमारती लकड़ी	क्यू. मीटर	211990	37102
जलाउ लकड़ी	क्विंटल	1051865	3598
वाणिज्यिक बॉस	नोशनल टन	12073	930
औद्यौगिक बॉस	नोशनल टन	18091	1264
तेंदूपत्ता	बोरा		35467
अन्य			24878

8.6 छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड :— शासन द्वारा राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वयन स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अंतर्गत राज्य बजट एवं यू.एन.डी.पी. योजना के अंतर्गत निम्नानुसार विभिन्न कार्य प्रचलित है—

(1) **राज्य मद अंतर्गत किए गए कार्य–**

- छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय उद्यान का विकास किया गया जिसमें 250 औषधीय पादप को रोपित किया गया।
- बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों में दस मूल प्रजातियों का रोपण 100 हे, त्रिफला रोपण 485 हे., मेंहदी रोपण 100 हे. एवं मिश्रित औषधीय वृक्षों का रोपण 1803 हे. में कराया गया है।
- वर्ष 2014-15 में राज्य के दक्षिण कोण्डागॉव, धमतरी एवं बस्तर वनमंडलों में औषधीय मिश्रित वृक्षारोपण 200 हे. एवं दशमूल वृक्षारोपण 50 हे. हेतु भूमि तैयारी का कार्य कराया गया।
- नारायणपुर वनमंडल 05 हे. क्षेत्रफल अंतर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य करने हेतु राशि रू. 30.00 लाख विमुक्त की गई है। इसमें 200 प्रजातियों का रोपण किया गया है।
- राज्य के 07 वनमंडलों धमतरी, जशपुर, बस्तर, धरमजयगढ़, राजनांदगॉव, कांकेर एवं एस.एफ.आर. टी. आई. रायपुर में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। उक्त रोपणी हेतु वनमंडलों को कुल राशि रू. 52.50 लाख विमुक्त की गई है। वर्ष 14.15 में भी होम हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत 7 लाख पौधे तैयार कर लगभग 5.50 लाख पौधों का वितरण किया गया एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

(2) **राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के अंतर्गत संचालित कार्य–**

- वनौषधि प्रजातियों के पर्याप्त एवं स्वस्थ्य पौधे उपलब्ध कराने की दृष्टि से 17 शासकीय एवं 13 अशासकीय रोपणियों की स्थापना।
- धमतरी वनमंडल के अंतर्गत सांकरा में रू. 36 लाख की लागत से औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- क्लस्टर आधारित 19 चयनित औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण कार्य (25 क्लस्टर, 489 हे. क्षेत्र) कृषकों को रू. 34. 69 लाख अनुदान राशि वितरित।

(3) **यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत संचालित कार्य –**

- राज्य के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, दक्षिण कोण्डागांव, बस्तर, सूरजपुर तथा मरवाही क्षेत्र में प्रत्येक वनमंडल में 200 हे. में एम.पी.सी.ए. क्षेत्र की स्थापना करके संरक्षण किया जा रहा है।
- राज्य के 2 वनमंडलों धमतरी तथा दक्षिण कोण्डागांव में एम.पी.डी.ए. क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। कार्य के प्रारंभ करने हेतु वनमंडलों को राशि रू. 14.50 लाख विमुक्त किए गए हैं।
- वनमंडल धमतरी एवं दक्षिण कोण्डागांव में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। इस हेतु राशि रू. 28.00 लाख विमुक्त की गई है।

तालिका 8.9 यू.एन.डी.पी. योजना अंतर्गत प्राप्त बजट एवं व्यय

वर्ष	प्राप्त बजट (लाखें)	व्यय (लाखें)
2013	71.28	71.28
2014	68.00	58.25

09

खनिज

9. खनिज

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार, उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वर्ष 2013–14 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा22.6%, लौहअयस्क 19.8%, चूनापत्थर 7.6%, डोलोमाईट 36.5%, बॉक्साईट 6.1% तथा टिन 100%रहा। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्व पूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः अग्र–एकीकृत उद्योग यथाः लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।

तलिका 9.1–मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत वर्ष 2013-14

मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का प्रति
कोयला	127093	563085	22.6
लौह अयस्क	30156	152433	19.8
चूना पत्थर	21061	278725	7.6
डोलोमाइट	2595	7108	36.5
बॉक्साइट	1314	21666	6.1
टिन (कि.ग्रा.)	34851	34851	100.0
योग	217070	1057868	20.5

स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, चूनापत्थर, डोलोमाईट, लौहअयस्क, बाक्साइट एवं टिनअयस्क, हीरा, स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त कोरण्डम, एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टास्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, एम्बीलीगोनाइट आदि है।प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शी पत्थर) मार्बल आदि पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में मुख्य खनिज उत्पादक खदान जो भारतीय खान ब्यूरो को रिपोर्ट करते हैं उनकी संख्या क्रमशः 196 एवं 202 है। जो कि कुल खदानों की संख्या का क्रमशः 4.9 एवं 5.4 प्रतिशत है। जिसका विवरण तालिका 9.2 में दिया गयाहै।

तलिका 9.2–रिपोर्टिंग खदानों की संख्या

राज्य	12-13	14-15
छत्तीसगढ़	196	202
भारत	3978	3722

स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

9.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी : खनन क्षेत्र में राज्य की महत्वपूर्ण भागीदारी है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यद्यपि पिछले वर्षों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, इसके बावजूद भी इस क्षेत्र का अंश 9 से 10 प्रतिशत के लगभग है। जो कि भारत के ऑकड़ों की वृद्धि की तुलना में संतोष जनक है। जिसका विवरण तालिका 9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र की सहभागिता (स्थिर मूल्य 2004–05)

सॉख्यिकी	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (P)	2013-14 (Q)	2014-15 (A)
भागीदारी(लाख में)	536715	758353	802419	833839	837501	880685	936059
वृद्धि (प्रति.)	-	2.41	5.81	3.92	.44	5.16	6.29
अंश (प्रति.)	11.21	10.63	10.17	10.00	9.23	9.24	9.28

9.4 खनिज उत्पादन का मूल्य :– छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012–13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा जो कि 2013–14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया। वर्षवार तुलना स्पष्ट दर्शाती है कि राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य में पूर्व वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अखिल भारत स्तर पर 3 प्रतिशत की कमी आई है। जिसका विवरण तालिका 9.4 में दर्शाया गयाहै।

तलिका9.4 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का प्रतिशत
2012-13	18401	233321	7.9
2013-14	19566	225660	8.7
वृद्धि / कमी	6%	-3%	

स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

9.5 खनिज अन्वेषण कार्यः–वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1535 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 215 घन मीटर पिटिंग (Pitting) तथा 6227 मीटर ड्रिलिंग (Drilling) की गई। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 6350 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 36842 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई। वर्ष 2013–14 में सितंबर अवधि एवं वर्ष 2014–15 की सितंबर अवधि की उपलब्धियों से यह प्रतीत होता कि वर्ष 2014–15 का लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा।

सारणी 9.5 वर्ष **2013-14** एवं **2014-15** में विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों का विवरण

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	**2013-14**		**2013-14** (सितं.**13**)	**2014-15** (सितं.**14**)	
			लक्ष्य	उपलब्धियॉं	उपलब्धियॉं	लक्ष्य	उपलब्धियॉं
1	सर्वेक्षण / मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	1000	1535	115	1000	82
2	पिटिंग / ट्रेचिंग	घनमीटर	200	215	21	200	47
3	ड्रिलिंग	मीटर	6000	6227	828	6000	524
4	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	20000	36842	19488	20000	20996

9.6 खनिज उत्पादन :–

9.6.1 मुख्य खनिजों का उत्पादनः– जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौहअयस्क एवं डोलोमाईट हैं। राज्य टिन का एकमात्र उत्पादक है। मुख्य खनिज का उत्पादन विगत पांच वर्षों का तालिका 9.6.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 9.6.1 मुख्य खनिज के उत्पादन का विवरण (हजार टन)

मुख्य खनिज	**09-10**	**10-11**	**11-12**	**12-13**	**13-14**	**14-15 (Aug.)**
कोयला	109953	113824	113958	117830	127093	48658
लौह अयस्क	26211	29320	30457	27963	30156	12156
चूना पत्थर	15160	19241	20465	20172	21061	9344
डोलोमाइट	1207	1593	1625	1970	2595	1248
बॉक्साइट	1687	2110	2392	1818	1314	497
टिन (कि.ग्रा.)	59016	60643	48765	47774	34851	10361
कुल	213234	226731	217662	217527	217070	82264
वृद्धि	-	6.33	-3.99	-0.06	-0.21	-

स्त्रोत :– खनिज विभाग छ.ग.

9.6.2 गौण खनिजों का उत्पादन वर्ष 2012-13 में राज्य में रू. 43904.30 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन तथा वर्ष 2013-14 में राज्य में 62736.69 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण तालिका 9.6.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 9.6.2 गौण खनिज के उत्पादन का विवरण (हजार टन)

खनिजकाप्रकार	2012-13उत्पादन		2013-14उत्पादन	
	मात्रा (टनं)	मूल्य(लाख)	मात्रा (टनं)	मूल्य(लाख)
पत्थर	3973249	9933.12	5254639	15763.91
मिट्टी	1474263	2211.40	1531543	2450.47
मुरूम	2473509	2968.21	2080879	2705.14
फर्शीपत्थर	55026	165.08	302479	967.93
ग्रेनाईट (घन मीटर)	948	18.96	405	8.10
चूनापत्थर	11443018	28607.53	13613713	40841.14
कुल		43904.3		62736.69

9.7 राजस्व आयः छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2013-14 में 19566.01 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ।

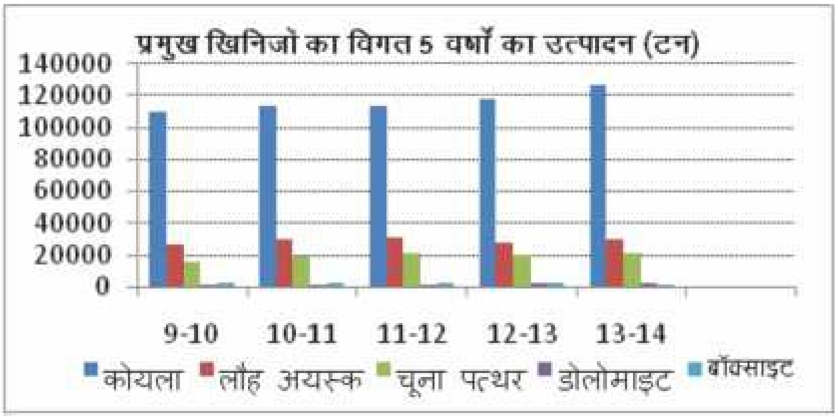

छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्य खनिज में लगातार वृद्धि हो रही है। विगत् वर्ष 2013–14 में मुख्य खनिज से 3028.11करोड आय हुई, जहां गौण खनिज से उसी अवधि में 181.94 करोड़ आय हुआ है। विगत् वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में क्रमशः 1.62 प्रतिशत एवं 29.41 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है।

तलिका 9.8 राजस्व आय

वर्ष	खनिज राजस्व (करोड़)
2013-14	3235.42
2014-15 सितं 14	1539.70

तालिका 9.9 राजस्व आय विगत् पांच वर्षो में (लाख रू.)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
मुख्य खनिज					
कोयला	107731.00	115775.20	128216.97	176464.10	188622.59
चूनापत्थर	9092.93	12446.99	12809.30	12883.85	14159.59
लौहअयस्क	35898.36	103149.01	117068.32	104539.62	95857.48
डोलोमाइट	867.77	1135.06	1221.64	1373.73	1903.16
बॉक्साइट	1539.75	2602.54	3279.82	2317.89	2025.53
क्वर्टज एवंक्वार्टजाइट	17.39	40.07	20.58	54.96	70.17
सोपस्टोन	0.01	0.16	0.01	1.13	0.38
मोल्डिंगसेंड	10.76	0.87	2.99	3.19	1.64
फायरक्ले	0.72	1.03	3.05	2.40	4.17
व्हाईटक्ले	0.00	0.00	0.73	0.03	0.23
गेरू/चाईनाक्ले	0.23	0.00	0.00	0.02	0.00
टिन अयस्क	11.76	29.64	20.31	31.34	22.33
ग्रेफाईट	0.07	0.00	1.55	0	0
विविध आय	241.14	250.54	202.38	308.99	143.33
योग	**155411.89**	**235431.11**	**262847.65**	**297981.25**	**302810.60**
वृद्धि		51.49	11.64	13.36	1.62
गौण खनिज					
चूनापत्थर	3768.11	4123.36	5745.24	7209.10	8576.64
पत्थर	2256.97	2368.30	1886.63	2660.09	3517.98
फर्शीपत्थर	17.67	19.58	25.68	36.84	202.51
मिट्‌टी	240.10	259.37	252.69	200.50	208.29
मुरूम	446.87	521.71	356.83	281.98	237.22
रेत	4.93	2.59	0.22	4.53	3.04
ग्रेनाईट	5.98	3.40	4.30	9.48	4.05
विविध आय	2694.19	2898.27	2185.64	3656.30	5444.24
योग	9434.82	10196.58	10457.23	14058.82	18193.97
वृद्धि		8.07	2.56	34.44	29.41
कुल राजस्व	**165587.99**	**246145.78**	**273725.43**	**312601.90**	**323542.10**

स्त्रोत :– खनिज विभाग छ.ग.

9.8 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड :–सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य योजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यावसाय बढ़ाना है।

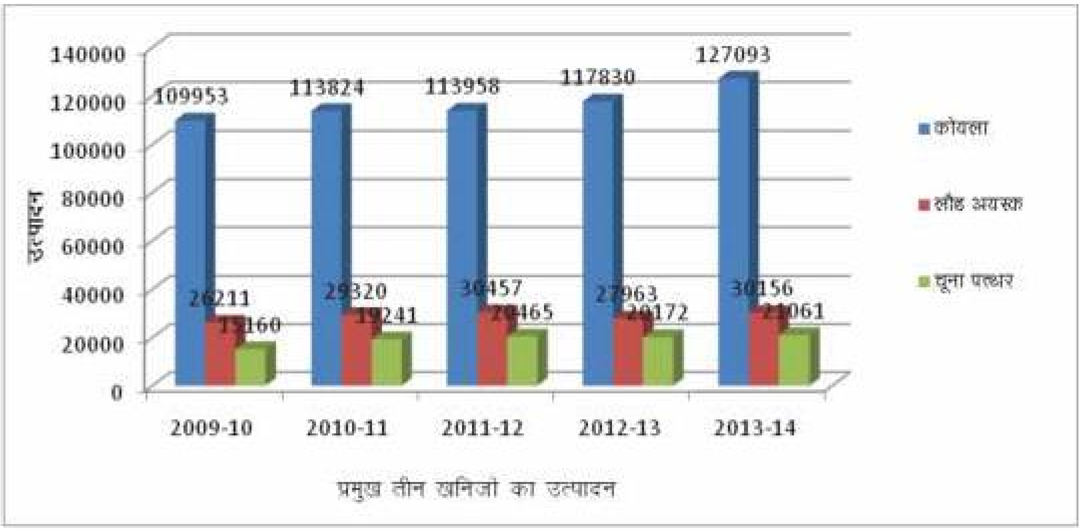

तलिका 9.9 मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर (राशि प्रति टन)

क.	मुख्य खनिज	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	कोयला*	100.00	110.00	110.00	130.00	145.00
2	आयरनओर**	300.00	360.00	360.00	360.00	300.00
3	बॉक्साइट**	100.00	120.00	120.00	120.00	130.00
4	डोलोमाईट**	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
5	लाईमस्टोन**	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00

स्त्रोत :– खनिज विभाग वेबसाईट

औसत रॉयल्टी मूल्य

* W.e.f. 10 May 2012.

** W.e.f. 13 August 2009.

10

उद्योग

10. उद्योग

10.1 देश के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। उद्योग विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथअनेक प्रकार की वस्तुएॅ उत्पादित करते हैं। छ.ग राज्य मे स्थाई एवं सुशासन होने के अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत, अपार खनिज संपदा, शांत श्रम माहौल तथा आधारभूत औद्योगिक ढॉचें की उपलब्धता होने के कारण यह निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपने को स्थापित करने में सफल रहा है। छ.ग. जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि श्रमिकों की आधिक्यता को अवशोषित करके प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को भी दूर किया जा सकती है।ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास से इन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

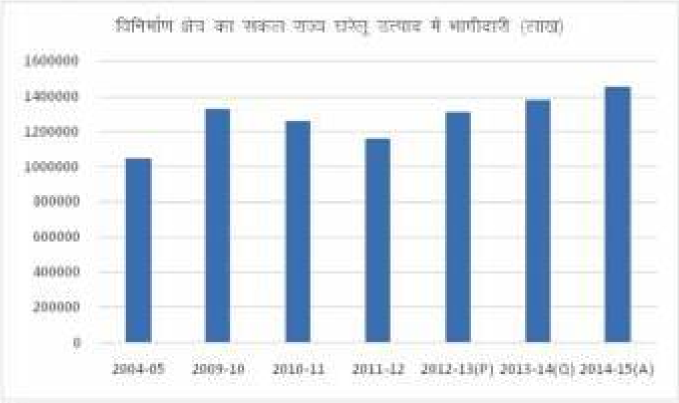

छत्तीसगढ़ राज्य में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2012–13 से लगातार वृद्धि घनात्मक रही है। विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा, वृद्धि एवं भागीदारी तालिका 10.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.1 विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2004–05)

सॉख्यिकी	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13(P)	2013-14(Q)	2014-15(A)
भागीदारी (लाख)	1047925	1327348	1259171	1163183	1311349	1378898	1452657
वृद्धि (प्रतिशत)		-10.86	-5.14	-7.62	12.74	5.15	5.35
हिस्सा (प्रतिशत)	21.89	18.61	15.96	13.95	14.45	14.47	14.41

10.2 राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2009–14 (1 नवंबर 2009 से लागू)

- औद्योगिक विकास हेतु विकास का मापदण्ड जिले के स्थान पर विकासखंड।
- भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा में 10 से 12 गुना की बढ़ोत्तरी, (दर 6 लाख से 10 लाख प्रति एकड़) व शासकीय भूमि की दरें भी निजी भूमि के क्षतिपूर्ति मुआवजा की दरों के समतुल्य।
- निजी क्षेत्र में राज्य के मूल निवासियों (स्थानीय) व्यक्तियों को रोजगार (90 प्रतिशत अकुशल, 50 प्रतिशत कुशल व 33 प्रतिशत प्रबंधकीय श्रेणी में)।
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की धारा में लाने हेतु सामान्य वर्ग की अपेक्षा दूगुना अनुदान एवं छूट की सुविधाएं तथा औद्योगिक क्षेत्रों में निःशुल्क भूमि आबंटन।
- नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, सेवानिवृत्त सैनिक, महिला उद्यमी एवं विकलांग वर्ग को लाभांवित करने हेतु 10 प्रतिशत अधिक अनुदान।

- वृहद औद्योगिक परियोजनाओं की भू–अर्जन लागत कम करने हेतु सीएसआईडीसी द्वारा लिये जाने वाला सेवा शुल्क 20 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया।

10.3 छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति :

- छत्तीसगढ़ उन राज्यों में सम्मिलित हुआ, जिनकी पृथक से एस.ई.जेड. पॉलिसी है।
- राज्य में निर्यात उत्पादन को बढ़ावा।
- दो नये एस.ई.जेड. (विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र)–

  1. राजनांदगांव–सोलर पेनल (आंशिक परियोजना प्रारंभ)
  2. न्यू रायपुर– जेम्स एण्ड ज्वेलरी

10.4 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–17 :

- मूल्य संवर्धित कर एवं केंद्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति – स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 10 वर्ष।
- प्रवेश कर भुगतान से छूट – 7 वर्ष की अवधि हेतु।
- विद्युत शुल्क में छूट – 10 वर्ष तक छूट।
- मंडी शुल्क छूट – 5 वर्ष तक छूट, स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के समतुल्य तक सीमित तथा उपरोक्त के अतिरिक्त यथा समय राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें जैसे – ब्याज अनुदान, भू प्रीमियम में छूट/रियायत, स्टाम्प शुल्क छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान तथा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू–आबंटन सेवा शुल्क में रियायत।

10.5 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सी.एस.आर. पॉलिसी) :–

- सार्वजनिक/निजी उपक्रमों को सी.एस.आर. मद में 500 करोड़ से कम लाभ होने पर शुद्ध लाभ का 3 प्रतिशत एवं 500 करोड़ से अधिक लाभ होने पर शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत (न्यूनतम 15 करोड़)।
- सी.एस.आर. के तहत् निषेधित कार्यों की सूची (विभिन्न कार्यालयों के स्थापना/कार्यालयीन खर्च तथा विभिन्न संघों/संस्थानों/ट्रस्टों को दी गई दान की राशि)।
- नीति का क्रियान्वयन –

➢ जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति।

➢ माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति।

- कोष का लेखा संधारण विभाग के उपक्रम सीएसआईडीसी द्वारा।
- सीएसआर नीति के तहत् प्राप्त राशि का 60 प्रतिशत परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में एवं शेष 40 प्रतिशत परियोजना से प्रभावित क्षेत्र से बाहर व्यय करने का प्रावधान।

10.6 नॉन कोर सेक्टर में निष्पादित एम.ओ.यू. एवं ई.ओ.आई.

- निष्पादित एम.ओ.यू. / ई.ओ.आई. की संख्या – 272 ।

10.7 आदिवासी जिलों (नक्सलवाद से प्रभावित) के विकास हेतु योजनाएं

- बस्तर जिले के एन.एम.डी.सी. नगरनार स्टील प्लांट में 3 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षेमता हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ।

10.8 ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012–17मुख्य बिन्दु

- मूल्य संवर्द्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति – मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूॅंजी निवेश का अधिकतम 150% तक सीमित, अधिकतम समयावधि 18 वर्ष।
- केन्द्रीय विक्रयकर में छूट – तत्समय प्रचलित दर का 50प्रतिशत,18 वर्षों की अवधि तक।
- प्रवेश कर भुगतान से छूट –8 वर्ष की अवधि हेतु।
- विद्युत शुल्क में छूट –10 वर्ष तक छूट।
- पंजीयन शुल्क पर छूट – भूमि, भवन शेड प्रकोष्ठ पर 100प्रतिशत छूट।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यथासमय राज्य शासन की औद्यौगिक नीति के अनुरूप अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें।

10.9 निष्पादित एम.ओ.यू. की प्रगति

1.	कुल निष्पादित एम.ओ.यू.	142
2.	निरस्त किए गए एम.ओ.यू.	21
3.	प्रभावी एम.ओ.यू.	121
4.	प्रस्तावित पूंजी निवेश	रू. 192000 करोड़
5.	वास्तविक निवेश	रू. 40000 करोड़
6.	परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ	58
7.	परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ	61
8.	वर्तमान में रोजगार	100000

10.10 राज्य में स्थापित हो रही प्रमुख औद्यौगिक परियोजनाएं एवं समूह :– स्टील प्लांट, पावर प्लांट, एल्यूमिनियम प्लांट, स्पांज आयरन, कोल वाशरी, रोलिंग मिल्स, शुगर प्लांट्स, इंडक्शन फर्नेस, फेरो एलायज, कोल माइंस, सीमेंट क्लिंकर, पेलेटाईजेशन प्लांट, एच.डी.पी.बी. बेग्स, जल आधारित विद्युत संयंत्र। टाटा, वेदांता, एस्सार, जी.एम.आर., बिड़ला, लेंको जिंदल, मोनेट, इफको, के.एस.के. ग्रुप, डी.बी. पावर, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, एन.टी.पी.सी. इत्यादि प्रमुख औद्यौगिक समूह इसमें शामिल हैं।

परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकों का आयोजन एवं जिला स्तर समस्याओं का निराकरण। 50000 मेगावाट से अधिक क्षमता की विद्युत परियोजनाएॅं विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। रायगढ़ जिले में भारत सरकार के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि. को वृहद विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु अग्रिम भू–आधिपत्य प्राप्त है।

10.10.1 कोर सेक्टर में वार्षिक उत्पादन :— एल्यूमिनियम 3.45लाख टन, सीमेंट 18.00मिलियन टन, स्टील **15.0 मिलियन टन।**

10.10.2 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतों से संबंधित योजनाएं :—

1. औद्योगिक क्षेत्रों में निःशुल्क भूमि आबंटन ।
2. विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत एवं पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू—खण्डों का 2 वर्ष तक आरक्षण।
3. बैंक ऋण हेतु मार्जिन मनी अनुदान, 25 प्रतिशत अधिकतम 35 लाख।
4. अनुदान योजनाएं —

- ब्याज अनुदान :—सावधि ऋण पर ब्याज का 75 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 7 वर्ष तक रू. 60लाख वार्षिक।
- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :— पूंजी निवेश का 35से 45 प्रतिशत अधिकतमसीमा रू. 500लाख।
- विद्युत शुल्क छूट :—10 वर्ष से 12 वर्ष तक।
- परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :— स्थायी पॅूजी निवेश का 1प्रतिशत, अधिकतम रू. 4.00 लाख।
- गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :— किए गए व्यय का 60प्रतिशत,अधिकतम 1.25लाख।
- तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :— किए गए व्यय का 60प्रतिशत, अधिकतम रू. 6 लाख।
- मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान :— क्रय किए जाने वाले माल पर 50प्रतिशत अधिकतम सीमा रू.5 लाखवार्षिक, 5 वर्ष की अवधि तक।
- अनु. जाति/जनजाति पुरस्कार योजना :— प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः1.0लाख, 0.51 लाख तथा 0.31 लाख।

10.11 लघु औद्योगिक पार्कों की स्थापना :—

तालिका 10.2 लघु औद्योगिक पार्कों की स्थापना

पार्क	स्थान	रकबा (एकड़)	संभावित उद्योग	संभावित रोजगार	रिमार्क
हर्बल मेडिसिनल पार्क व फूड पार्क	ग्राम— बंजारी एवं बगौद, जिला— धमतरी	250	100	10000	शासकीय भूमि का आधिपत्य प्राप्त, लागत रू. 103.75 करोड़।
मेटल पार्क	रावांभाठा, रायपुर	215	150	15000	भू—आबंटन आरंभ
जेम्स एण्ड ज्वेलरी एसईजेड	नया रायपुर	70	300	30000	भूमि का आधिपत्य प्राप्त
इंजीनियरिंग पार्क	भिलाई	300	500	50000	भूमि आधिपत्य प्राप्त
अपरेल पार्क	भनपुरी, रायपुर	10	100	10000	बहुमंजिला भवन पूर्ण

10.12 वृहद औद्योगिक पार्कों की स्थापना :–

तालिका 10.3वृहद औद्योगिक पार्कों की स्थापना		
औद्योगिक क्षेत्र	रकबा (हेक्टेयर)	प्रगति
दगोरी (बिलासपुर)	795.920	शासकीय भूमि का हस्तांतरण कलेक्टर कार्यालय में प्रक्रियाधीन, सर्विस चार्ज रू. 69 लाख भू–अर्जन अधिकारी के पास जमा।
तिल्दा (रायपुर)	1730.230	389.325हेक्टेयर शासकीय भूमि का आधिपत्य प्राप्त।
लारा (रायगढ़)	1465.847	निजी एवं शासकीय भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। भूमि अर्जन हेतु रू. 133 करोड़ की आवश्यकता।

10.13.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का कियान्वयन :–

वर्ष 2013–14 में 650 हितग्राहियों को रू. 1100.69 लाख का मर्जिन मनी अनुदान दिया गया है। वर्ष 2014–15 का कार्यक्रम तालिका 10.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का कियान्वयन					
वर्ष	लक्ष्य	प्राप्त प्रकरण	बैंक को भेजे गए	बैंक द्वारा स्वीकृत	बैंक द्वारा वितरित
2014–15	1295	2856	2335	208	30

10.13.2 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का कियान्वयन :–

युवा वर्ग को स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से सुगमता पूर्वक ऋण प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है।परियोजना मेंउद्यम हेतु अधिकतम रू. 25.00 लाख, सेवा हेतु अधिकतम रू. 10.00 लाख एवं व्यवसाय हेतु अधिकतम रू. 2.00 लाख ऋण स्वीकृत किया जाएगा।

तालिका 10.5 हितग्राहियों को सुविधायें –		
वर्ग	मार्जिन मनी अनुदान	ब्याज अनुदान
सामान्य वर्ग	स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1 .00 लाख रू0 तक	5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा स ावधि ऋण पर रू . 50 हजार एवं कार्यशील पूंजी पर रू. 25 हजार
अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक	स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1 .50 लाख रू. तक	8 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू . 75 हजार एवं कार्यशील पूंजी पर रू. 40 हजार

वर्ष 2014–15 की उपलब्धि –

तालिका 10.6मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना						
वर्ष	बजट आबंटन	लक्ष्य	प्राप्त प्रकरण	बैंक को भेजे गए	बैंक द्वारा स्वीकृत	बैंक द्वारा वितरित
2014–15	500 लाख	325	839	435	36	05

10.14 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम–वृहद उद्योगों की स्थापना :–

तालिका 10.7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम–वृहद उद्योगों की स्थापना			
श्रेणी	संख्या	पूँजी निवेश (करोड़ रू.)	रोजगार
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	17615	1837.07	102241
मध्यम–वृहद उद्योगों	162	10632.56	21693

10.15 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण :– इस सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत समस्त फैक्ट्री बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को शामिल किया जाता है। विगत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2008–09 से 2012–13) का मदवार विवरण नीचे दर्शित तालिका में दिया गया है। इस सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012–13 में कुल उत्पादन में 11.3 प्रतिशत, कुल आदाय में 9.9 प्रतिशत, लाभ में 23.2 प्रतिशत एवं सकल वेल्यू एडेड में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2012–13 के आधार पर प्रति इकाई निष्पादन का विस्तृत विवरण सारणी 10.8 में दर्शित है।

सारणी10.8छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की चयनित विशेषताओं का अनुमान (लाख रू.)

क.	विशेषताएं	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	प्रतिशत वृद्धि
1	कारखानों की संख्या	1919	1976	2358	2472	2441	-1.3
2	स्थायी पूँजी	2818914	3372131	3474615	5063241	6030773	19.1
3	कार्यशील पूँजी	3083645	3277255	3767631	3855561	4994654	29.5
4	पूँजी निवेश	3801782	4412078	4837395	6706860	7916990	18.0
5	बकाया ऋण	916530	1584772	2147287	2598125	3930857	51.3
6	कुल उत्पादन	7640548	6778083	7954481	9301415	10352834	11.3
7	कच्चे माल का उपयोग	4216683	3673754	4765651	5750115	6183728	7.5
8	ईंधन खपत	673014	580792	617095	775441	879555	13.4
9	कुल आदाय	5769044	5229752	6408069	7749533	8514861	9.9
10	सकल वेल्यू एडेड	1871504	1548331	1546412	1551883	1837972	18.4
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1661367	1328067	1286739	1260536	1521724	20.7
12	सकल स्थायी पूँजी निर्माण	725681	728887	658883	1061518	1072289	1.0
13	सकल पूँजी निर्माण	895721	815612	968007	1254107	1169576	-6.7
14	लाभ	1092444	8670321	647719	543238	669450	23.2

SOURCE :- MOSPI.NIC.IN

सारणी 10.9छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की प्रति इकाई निष्पादन

क.	सूचक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (P)	प्रतिशत वृद्धि
1	स्थायी पूँजी	1468.95	1706.54	1473.54	2048.24	2470.62	20.62
2	कार्यशील पूँजी	1606.9	1658.53	1597.81	1559.69	2046.15	31.19
3	पूँजी निवेश	1981.13	2232.83	2051.48	2713.13	3243.34	19.54
4	बकाया ऋण	477.608	802.01	910.639	1051.02	1610.35	53.22
5	कुल उत्पादन	3981.53	3430.2	3373.4	3762.71	4241.23	12.72
6	कच्चे माल का उपयोग	2197.33	1859.19	2021.06	2326.1	2533.28	8.91
7	ईंधन खपत	350.711	293.923	261.703	313.69	360.33	14.87
8	कुल आदाय	3006.28	2646.64	2717.59	3134.92	3488.27	11.27
9	सकल वेल्यू एडेड	975.25	783.568	655.815	627.784	752.96	19.94
10	शुद्ध वेल्यू एडेड	865.746	672.099	545.691	509.926	623.40	22.25
11	सकल स्थायी पूँजी निर्माण	378.156	368.87	279.425	429.417	439.28	2.30
12	सकल पूँजी निर्माण	466.764	412.759	410.52	507.325	479.14	-5.56
13	लाभ	569.278	4387.81	274.69	219.756	274.25	24.80

10.15.1 छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान :— उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण 2012—13 से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन उद्योग है— खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण है तथा मूल धात्विक उत्पादन, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत एवं 80.5 प्रतिशत क्रमशः योगदान रहा। जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी 10.10 में दर्शाया गया है—

सारणी10.10 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र में तीनमहत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.)

		महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान(लाख रू.)				उद्योगोंका प्रतिशत योगदान		
विशेषताएं		*All*	10	23	24	*10*	*23*	*24*
1	कारखानों की संख्या	2472	1013	141	548	41.0	5.7	22.2
2	स्थायी पूँजी	5063241	112354	469887	3654869	2.2	9.3	72.2
3	कार्यशील पूँजी	3855561	85815	122261	3435193	2.2	3.2	89.1
4	पूँजी निवेश	6706860	244981	545528	4919981	3.7	8.1	73.4
5	बकाया ऋण	2598125	101330	69074	2212960	3.9	2.7	85.2
6	कुल उत्पादन	9301415	731064	547565	6933247	7.9	5.9	74.5
7	कच्चे माल का उपयोग	5750115	398300	160768	4440731	6.9	2.8	77.2
8	ईंधन खपत	775441	23079	178409	529166	3.0	23.0	68.2
9	कुल आदाय	7749533	675514	405992	5684294	8.7	5.2	73.4
10	सकल वेल्यू एडेड	1551883	55550	141573	1248954	3.6	9.1	80.5
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1260536	44846	110072	1048506	3.6	8.7	83.2
12	सकल स्थायी पूँजी निर्माण	1061518	19921	72873	785329	1.9	6.9	74.0
13	सकल पूँजी निर्माण	1254107	37256	86198	923408	3.0	6.9	73.6
14	लाभ	543238	8350	65112	519863	1.5	12.0	95.7
15	कामगारों की संख्या की संख्या	138269	18015	8113	77362	13.0	5.9	56.0
16	कुल नियोजित कर्मचारी	185985	23544	10717	108136	12.7	5.8	58.1
17	कामगारों को मजदूरी	152716	10359	9394	108832	6.8	6.2	71.3
18	कुल परिलब्धियॉं	393171	17089	21965	303459	4.3	5.6	77.2

स्त्रोत – उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 11—12

10 (NIC'08)= खाद्ध उत्पादों काविनिर्माण

23 (NIC'08)= गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण(सीमेंट सहित)

24 (NIC '08) = मूल धात्विक उत्पादों का विनिर्माण

10.15.2 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना :— नवीनतम उपलब्ध ASI 2012—13 के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि भारत की तुलना में छत्तीसगढ में स्थायी पूॅजी, कार्यशील पूॅजी, पूॅजी निवेश एवं बकाया ऋण में न्यूनतम बढ़ोत्तरी हुई जिस कारण सकल पूॅजी निर्माण में बढ़ोत्तरी हुई है। परंतु कुल उत्पादन में कमी होने से सकल वैल्यू एडेड में छत्तीसगढ़ का अंश कम हुआ है। तथापि पूॅजी निर्माण में बढ़ोत्तरी भविष्य में लाभदायक प्रतीत होती है।

सारणी 10.11 अखिल भारत एवं छतीसगढ़ राज्य का कारखाना क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण (लाख रू.)

विशेषताएं	2011-12			2012-13(p)		
	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग
कारखानों की संख्या	217554	2472	1.14	222120	2441	1.10
स्थायी पूंजी	194955088	5063239	2.60	217626309	6030773	2.77
कार्यशील पूंजी	58879446	3855561	6.55	61039283	4994654	8.18
पूंजी निवेश	284009510	6706859	2.36	313902807	7916990	2.52
बकाया ऋण	92438166	2598125	2.81	106948572	3930857	3.68
कुल उत्पादन	577602354	9301415	1.61	604232486	10352834	1.71
कच्चे माल का उपयोग	374191914	5750115	1.54	393838211	6183728	1.57
ईंधन खपत	24243842	775441	3.20	26736653	879555	3.29
कुल आदाय	479866558	7749533	1.61	502694243	8514861	1.69
सकल वेल्यू एडेड	97735796	1551883	1.59	101538242	1837972	1.81
सकल स्थायी पूंजी निर्माण	34382380	1061516	3.09	35628302	1072289	3.01
सकल पूंजी निर्माण	40703148	1254105	3.08	44491766	1169576	2.63
लाभ	45162950	543238	1.20	43032109	669450	1.56

10.15.3 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर मापी जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में इस सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राज्य में भी राज्य स्तरीय औद्यौगिक उत्पादन के सूचकांक तैयार किए जाते हैं। छतीसगढ़ में इस सूचकांक के तैयार नहीं होने के कारण भारत के सूचकांक को मानते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संपूर्ण भारत के लिए मासिक IIP संकलन कर जारी करता है। संपूर्ण भारत का औसत IIP में (आधार वर्ष 2004–05) अप्रैल 2013 से दिसंबर 2013 के औसत 168.3 थी जो कि बढ़कर अप्रैल, 2014–दिसंबर, 2014 की स्थिति में 171.8 हुई अर्थात् औसत वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत थी। इसी प्रकार उसी अवधि के लिए खनन, विनिर्माण एवं विद्युत में क्रमाशः 1.7, 1.2 एवं 10.0 प्रतिशत औसत वृद्धि दर दर्ज की गई। सारणी 10.12 में दर्शित है।

सारणी 10.12 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक

क्षेत्र	भार (Weight)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल से दिसंबर		प्रतिशत वृद्धि	
		2013–14	2014–15	2013–14	2014–15
सामान्य सूचकांक	100.00	168.3	171.8	0.1	2.1
खनन	14.16	120.3	122.4	–1.5	1.7
विनिर्माण	75.53	177.8	179.9	–1.7	1.2
विद्युत	10.31	164.0	180.4	5.6	10.0

10.16 सी.एस.आई.डी.सी. :– छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती म.प्र. शासन द्वारा स्थापित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है। इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है।राज्य में विभिन्न औद्योगिक संवर्द्धन गतिविधियों यथा–प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, एवं इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन, प्रति वर्ष राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य की ओर से भाग लेना इत्यादि का निर्वहन सीएसआईडीसी द्वारा किया जाता है।

10.16.1 निर्यात अधोसंरचना व सहायक गतिविधियों के विकास हेतु सहायता योजना (ASIDE)

भारत सरकार की एसाईड योजना के छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियान्वयन् हेतु सीएसआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। एसाईड योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 से अब तक औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं रांवाभाठा–भनपुरी, जिला रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी जिला बिलासपुर, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई जिला दुर्ग एवं इनलैण्ड कंटेनर डिपो कांपा, रायपुर में आयात निर्यात गतिविधियों से संबंधित अधोसंरचना विकास कार्य संपादित किये गये हैं। उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2003–04 से अब तक राज्य से होने वाले निर्यात (Export Performance) के अनुपात में पात्रता के अनुसार कुल राशि रु. 62.47 करोड़ केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है।

राज्य शासन से उपरोक्त राशि का 3 प्रतिशत स्थापना व्यय के रुप में पृथक से प्राप्त होता है। राशि 50.79 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित किया जा चुका है। शेष राशि से कार्य प्रगति पर है।

10.16.2 नेशनल मिशन आन फूड प्रोसेसिंग का क्रियान्वयन

12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 से National Mission on Food Processing (NMFP)योजना राज्य में सीएसआईडीसी द्वारा क्रियान्वित की गई है।

- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के तकनीकी उन्नयन / स्थापना / आधुनिकीकरण
- कोल्ड चेन, मूल्य संवर्द्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास
- मानव संसाधन विकास योजना
- प्रोत्साहन गतिविधियां – सेमीनार / वर्कशाला / सर्वे / प्रदर्शनी का आयोजन
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र / संग्रहण केन्द्र की स्थापना
- मीट शॉप का आधुनिकीरण
- रीफर वाहन योजना

वर्ष 2013–14 हेतु उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किये गये एवं 47 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, 02 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी उन्नयन के 02 एवं कोल्ड चेन का 01 प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

10.16.3 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC)

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में लघु, अति लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीनयोजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि राज्य शासन द्वारा अंशदान दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

सारणी 10.13 एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र

क.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे.)	अद्यतन स्थिति
1	बिरकोरी, जिला महासमुंद	49	स्थापित
2	हरिनछपरा, जिला कबीरधाम	21	स्थापित
3	नयनपुर–गिरवरगंज, जिला सरगुजा	24	स्थापित
4	कापन, जिला जांजगीर–चांपा	43	स्थापित
5	तिफरा सेक्टर डी, जिला बिलासपुर	57	स्थापित
6	टेकनार, जिला दंतेवाड़ा	20	स्थापित
7	तेंदुआ, जिला रायपुर	21	प्रक्रियाधीन
8	बरतोरी (तिल्दा), जिला रायपुर	24	प्रक्रियाधीन

10.16.4 मेटल पार्क :– रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाठा में स्थापित मेटल पार्क की कुल 87.57 हेक्टेयर भूमि में से फेस–। की 19.93 हेक्टेयर भूमि पर मेटल पार्क स्थापित हो चुका है । मेटल पार्क में भू–आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है ।रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाठा में स्थापित मेटल पार्क में भू–आबंटन की कार्यवाई की जा रही है।

10.16.5 इंजीनियरिंग पार्क :– भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 139.91 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया जा रहा है । इस पार्क में आबंटन योग भूमि 122.61 हेक्टेयर है तथा कुल औद्योगिक भू–खण्डों की संख्या 215 है । वर्ष 2014 में 39 इकाईयों को 8.8941 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है

वर्ष 2014–15 में व्यावसायिक गतिविधियां (अप्रेल 2014 से जनवरी 2015 तक)

(1) भूमि आबंटनऔद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन30 इकाईयां रकबा 96.486 हेक्ट. प्राप्ति रू. 14.043 करोड़

(2) लघु उद्योगों को विपणन सुविधा राज्य के लघु उद्योग इकाईयों को प्रोत्साहन के दृष्टिगत भंडार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहद एवं राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाईयों को 10ः (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता प्रदान की गई है। आरक्षित सूची में कुल 140 आयटम/उत्पाद सूचीबद्ध है।

10.17 स्थापित औद्योगिक क्षेत्र:– छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है –

सारणी 10.14 स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष में भू–आबंटन की अद्यतन स्थिति
1	औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर	05 इकाईयों को 2344.10 एकड़ आबंटित
2	औद्योगिक क्षेत्र उरला	05 इकाईयों को 3.49 एकड़ आबंटित
3	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा	03 इकाईयों को 0.67 एकड़ आबंटित
4	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी	03 इकाईयों को 1.32 एकड़ आबंटित
5	मेटल पार्क रायपुर	37 उद्यमियों को 13.24 एकड़ आबंटित
6	इंजीनियरिंग पार्क भिलाई	158 एकड़ भूमि हेतु 270 आवेदन प्राप्त आबंटन प्रक्रियाधीन
7	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी (बिलासपुर)	12 इकाईयों को 3.49 एकड़ आबंटित
8	औद्योगिक क्षेत्र अंजनी (बिलासपुर)	03 इकाईयों को 3.96 एकड़ आबंटित
9	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा (बिलासपुर)	03 इकाईयों को 0.58 एकड़ आबंटित
10	औद्योगिक क्षेत्र बोरई (दुर्ग)	टूल रुम हेतु 25 एकड़ आबंटित एवं 2 इकाईयों को1.39 एकड़ आबंटित
11	बिरकोनी (महासमुंद)	09 इकाईयों को 6.28 एकड़ आबंटित
12	हरिनछपरा (कबीरधाम)	01 इकाईयों को 0.46 एकड़ आबंटित
13	नयनपुर–गिरवरगंज (सरगुजा)	01 इकाईयों को 0.41 एकड़ आबंटित
14	कापन (जांजगीर–चांपा)	01 इकाईयों को 0.37 एकड़ आबंटित

10.18 भिलाई इस्पात संयत्र :— छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयत्र राज्य में सबसे बड़ा उद्योग है।वर्ष 2013–14 की अवधि में संयत्र ने 5.38 मिलियन टन हॉट मेटल, 5.14 मिलियन टन क्रूड स्टील व 4.55 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन किया जो कि इन उत्पादों की मापित क्षमता से क्रमशः 14.4%,30.9% तथा 44.3%अधिक है। वर्ष 2013-14 में संयत्र में आरंभ की गई नई परियोजनाओं पर राशि रू. 4166.66करोड़ खर्च की गई। संयंत्र ने इसी अवधि में राशि रू.2084.84 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। भिलाई इस्पात संयंत्र का लाभार्जन का लगातार 26 वां वर्ष है, जो कि एक विश्व कीर्तिमान है।

तालिका 10.15वर्ष 2014–15 की प्रगति एवं

क्र.	सामग्री	14-15	अप्रैल से सितं. 13	कमी प्रतिशत
1	हॉट मेटल	5.38	2.40	12.2
2	क्रूड इस्पात	5.26	2.26	13.3
3	विक्रय इस्पात	4.58	2.01	11.6

तालिका 10.16 आधुनिकीकरण उपरांत क्षमताःइकाईः मिलियन टन प्रतिवर्ष

क.	सामग्री	वर्तमान मापित क्षमता	विस्तार के बाद क्षमता
1	हॉट मेटल	4.080	7.500
2	क्रूड इस्पात	3.925	7.000
3	फिनिश्डि इस्पात	2.620	5.849
4	सेमीज	0.533	0.716
5	विक्रय इस्पात	3.153	6.565

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

10.19 प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछ़ड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य को तीन प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर, मलबरी एवं इरी के उत्पादन का गौरव प्राप्त है।

10.19.1. पालित डाबा टसर, ककून उत्पादन योजना :—

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा, अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते है। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधें उपलब्ध हैं वे भी इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्वस्थ डिंब समूह रियायती दर पर 1.00रू. प्रति स्वस्थ्य समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ डिंब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में तीन फसल कृषको द्वारा उत्पादित की जा सकती है प्रत्येक फसल में 5000 से 7000 टसर कोसा का उत्पादन कर 550 रू. से 1400रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जो कि अक्टूबर 2014से संशोधित दर अनुसार 550से 1680रू. प्रति हजार निर्धारित किया गया है। उक्त योजना प्रदेश के 27 जिलों में संचालित 139 टसर केन्द्रों एवं टसर परियोजना के 151 केन्द्र एवं चिन्हांकित वन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2013-14में 640.00लाख नग टसर पालित कोसा उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध उत्पादन 583.026 लाख नग ककून का उत्पादन हुआ तथा योजनान्तर्गत 18493 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2014-15में पालित डाबा टसर ककून उत्पादन का भौतिक लक्ष्य 640.00लाख नग के विरूद्ध माह सितम्बर 2014 तक 137.886 लाख नग ककून उत्पादन किया गया जिससे 11094 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुए।

तालिका 10.17 विगत वर्षों में पालित टसर, ककून का उत्पादन								
क्र.	विवरण	इकाई	**09-10**	**10-11**	**11-12**	**12-13**	**13-14**	**14-15 (sept14)**
1.	पालित टसर	लाख नग में	438.69	440.65	587.01	581.443	586.026	137.886
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	19511	20596	16962	20872	18493	11094

10.19.2. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :—

वर्ष 2013-14 में नैसर्गिक ककुन उत्पादन 2048.408लाख ककुन का उत्पादन/संग्रहण कर 83866 संग्राहक हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में नैसर्गिक टसर ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 2360.00 लाख नग के विरूद्ध माह सितम्बर 14तक कुल 173.175 लाख नग उत्पादन किया गया जिससे 4438हितग्राही/संग्रहक लाभान्वित हुए हैं।

तालिका 10.18 विगत वर्षों में नैसर्गिक, ककून का उत्पादन								
क्र.	विवरण	इकाई	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15(सित. 14)
1.	लगाए गए कैम्प	संख्या	-	-	83	138	164	15
2.	नैसर्गिक ककून उत्पादन	लाख नग में	809.16	870.08	1636.27	1999.77	2048.408	173.175
3.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	44276	38802	52366	62869	83866	4438

10.19.3 टसर धागा करण योजना :— प्रदेश के विभिन्न जिलों में 768 रीलिंग एवं 231 स्पीनिंग मशीन संचालित हैं। योजनान्तर्गत 52 महिला स्व–सहायता समूह के 1042 महिलाओं द्वारा धागाकरण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में सॉख्यिकी आधार पर 394.798 मि.टन. रा–स्पन सिल्क उत्पादित किया गया। तथा वर्ष 2014-15 में सॉख्यिकी आधार पर माह सितम्बर 14 तक 39.765 मि.टन रा–स्पन सिल्क एवं स्पन उत्पादन किया गया।

तालिका 10.19 विगत वर्षों में रॉ–सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण								
क्र	विवरण	इकाई	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15 (सित.)
1.	टसर रा–सिल्क एवं स्पन धागा	कि.ग्रा.	160534	167919	298608	387183	394715	39765

10.19.4 ईरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी :—

जशपुर, सरगुजा बस्तर एवं कांकेर जिले में प्रायोगिक रूप से अरंडी का पौधा रोपित कर ईरी रेशम का उत्पादन प्रारंभ किया गया। वर्ष 2014.15 में 9 एकड़ में अरण्डी रोपण का लक्ष्य के साथ 450 किलोग्राम ईरी कोसा उत्पादन का लक्ष्य है जिससे 9 हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

तालिका 10.20विगत वर्षों में ईरी ककून का उत्पादन								
क्र.	विवरण	इकाई	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14
1.	इरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	6127	7948	4354	2619	3174	2192
2.	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	370	728	488	333	294	292
3.	पौधरोपण क्षेत्र	एकड़	99	224	1190	186.00	185.50	78

10.19.5 मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना : प्रदेश में 74 रेशम केन्द्र / रेशम बीज केन्द्र, 03 शासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 09 ककून बैंक, 04 यार्न बैंक संचालित हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 10.21विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15 (सितं.)
1.	मलबरी ककून उत्पादन	कि.ग्रा.	35125	44484	52340	54488	64911	18482
2.	लाभान्वित हितग्राही / श्रमिक	संख्या	-	1909	1629	2297	2596	1930

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

10.21 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है।यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 15107 करघों पर लगभग 45321 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य के चांपा–जांजगीर एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगॉव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राज्य का कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है।

तालिका 10.22हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियॉ रोजगार

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	बुनकर समितियॉ	167	175	186	191
2	कार्यशील करघे	14690	14367	15107	15282
3	बुनाई रोजगार	44070	43101	45321	45846

तालिका 10.23शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना से नियमित रोजगार

क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति		
		2011-12	2012-13	2013-14
1.	आपूर्ति	64.77	102.00	106.12
2.	धागा प्रदाय	23.86	40.00	49.23
3.	बुनाई पारिश्रमिक	16.30	31.81	36.19
4.	बुनाई रोजगार	25500	27000	30000

10.21.1 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनी :– नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं स्पेशल हेण्डलूम एक्सपो का आयोजन प्रदेश एवं देश के बड़े शहरों में किया जाता है। योजना के तहत् विगत वर्षों में रायपुर, बिलासपुर, कलकत्ता, बम्बई, देहरादून, शिमला, दिल्ली, नैनीताल, अहमदाबाद, नासिक आदि विभिन्न शहरों में आयोजन किया गया। वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक आयोजित प्रदर्शनी

तलिका 10.24 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा

वर्ष	प्रदर्शनी हेतु आबंटन राशि			हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	योग	
2009-10	51.68	56.00	107.68	550.05
2010-11	52.53	96.00	148.89	736.85
2011-12	60.00	192.00	252.00	1221.30
2012-13	60.00	204.00	264.00	1250.00
2013-14	61.00	-	61.00	180.15

10.21.2एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :–एकीकृत हाथकरघा विकास योजना बुनकरों के समग्र विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त योजनांतग्रत प्रदेश के 10 क्लस्टर जिला रायपुर में मूंगझर, कटगी, जिला राजनांदगॉव में छुईखदान, जिला

जांजगीर में चांपा एवं चन्द्रपुर, जिला रायगढ़ में रायगढ़, जिला जगदलपुर में बकावण्ड, जिला महासमुन्द में सल्डीह, भंवरपुर एवं जिला बिलासपुर में लोफंदी स्वीकृत है। उक्त क्लस्टर योजनांतर्गत कुल राशि रू. 573.98 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत है। इस योजनांतर्गत 4160 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं।

10.21.3 बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना :— योजनांतर्गत बुनकरों द्वारा वार्षिक प्रीमियम में प्रतिवर्ष राशि रू. 50/— अंशदान दिया जाता है। बीमित बुनकर को प्रतिवर्ष अधिकतम राशि रू. 15000 तक की स्वास्थ्य लाभ की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2010—11 में 3815 बुनकरों का स्वास्थ्य बीमा किया गया था। वर्ष 2012—13 के लिए 4953 बुनकरों का बीमा कराया गया है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

10.22 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार हैं

10.22.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :— भारत सरकार ने 31-03-2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को एक में मिलाकर, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नई ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया है। इस केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र और बैंक करेंगे। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :—

तालिका 10.25प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की प्रगति

वर्ष		इकाई	अनुदान लाख	हितग्राही संख्या
2013-14	लक्ष्य	972	1356.03	7776
	उपलब्धि	392	862.33	2406
2014-15	लक्ष्य	972	1356.03	7776
2014-15अक्टूबर 14	उपलब्धि	58	152.741	394

- नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना।
- कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

10.22.2 वित्तीय सहायता का स्वरू‍ :— ग्रामोद्योग 20000 तक आबादी वाले ग्रामों में स्थापित की जाती है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों से ऋण व बोर्ड द्वारा

अनुदान दिया जाता है। परियोजना लागत के आधार पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रकरणों में रू. 25लाख तक परियोजना लागत पर रू. 8.75लाख तक अनुदान देय होता है।

पात्रता :—

- हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। योजना में आय का कोई बंधन नहीं है।
- व्यवसाय एवं सेवा के क्षेत्र में राशि रू. 10लाख एवं निर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक कीपरियोजना स्वीकृत की जाती है।
- स्व—सहायता समूह जो अन्य किसी योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

10.22.3 कारीगरों को प्रशिक्षण योजना :—

तालिका 10.26कारीगरों को प्रशिक्षण योजना की प्रगति

वर्ष		अनुदान लाख	हितग्राही संख्या
2013-14	उपलब्धि	37.50	540
2014-15	लक्ष्य	41.00	560

10.22.4 परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना :— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रतिबंधित उद्योगो को छोड़कर अन्य उद्योग स्थापना के लिए बैंको से ऋण एवं बोर्ड अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे—छोटे कम लागत के ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार मूलक योजना का क्रियान्वयन भी प्रदेश में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत औजार उपकरण लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 13500 रूपये जो भी कम हो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका 10.27परिवार मूलक इकाइयों की स्थापना योजना

वर्ष		इकाई	अनुदान लाख	हितग्राही संख्या
2013-14	लक्ष्य	3450	465.90	6900
2014-15	उपलब्धि	-	-	4034
2014-15	लक्ष्य	3450	465.90	6900

10.22.5 विभागीय खादी उत्पादन :— खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित 9 सूत इकाई बुनाई केन्द्र स्थापित है जहां 630ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है जिसमें 240कारीगर बुनकर कार्य में लगे है। इन केन्दों द्वारा उत्पादित कपड़ों की बिक्री विभागीय 3 संचालित बिक्री भण्डारों के माध्यम से विक्रय किया जाता है।

तालिका 10.28 विभागीय खादी उत्पादन योजना

वर्ष		उत्पादन
2013-14	उपलब्धि	210.26
2014-15	लक्ष्य	266.00
2014-15अक्टूबर 14	उपलब्धि	116.20

10.22.6 बांसकला केन्द्र :— बस्तर जिले में छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांसकला केन्द्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार—प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर 40 ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है।

तालिका 10.29 बांसकला केन्द्र योजना की प्रगति

वर्ष		उत्पादन लाख	विक्रय लाख
2013-14	उपलब्धि	14.99	12.81
2014-15	लक्ष्य	12.00	14.00
2014-15 अक्टूबर 14	उपलब्धि	8.79	6.01

11

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना

11.1 विकसित देशों के अनुभव के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बल्कि औद्यौगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ व्यक्ति विशेष की जीवन स्तर को बेहतर करता है। सम्पत्ति, निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान (स्थिर भाव 2004–05)

सॉख्यिकी	2004-05	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13(P)	2013-14(Q)	2014-15(A)
योगदान लाख रू. में	210074	457486	459340	418458	374345	413112	435854
वृद्धि (%)		-8.02	0.41	-8.90	-10.54	10.36	5.51
हिस्सा (%)	4.39	6.41	5.82	5.02	4.13	4.34	4.32

राज्य निर्माण के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000 से अभी तक विद्युत उत्पादन का केन्द्र बनने में लंबा सफर तय किया है। राज्य, देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में एक है तथा राज्य का परिवेश विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल है।

तालिका11.1 विजली उपयोग का स्थापित क्षमता (MW) आबंटित भाग सहित

क्षेत्र	तापीय		न्यूक्लीयर	जल विद्युत	अक्षय ऊर्जा स्रोत	कुल
	कोयला	अन्य				
राज्यीय	2780	6		138.7	52	2976.7
निजी	6413				272	6685
केंद्रीय	1490		48			1538
कुल	10683	6	48	138.7	324	11199.7

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से प्राप्त सूचना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 30.12.2014 की स्थिति में 10689मेगावाट तापीय, 139मेगावाट जलीय, 324मेगावाट अक्षय उर्जा स्त्रोत इस प्रकार11152मेगावाट बिजली का उपयोग स्थापित हुआ है। इसमें न्यूक्लियर चालित शक्ति का भाग जो 48 मेगावाट है, शामिल नहीं है।

स्थापित क्षमता में अधिकांश बढ़ोत्तरी निजी (तापीय) 6413 मेगावाट के रूप में हो रही है। राज्य की स्वयं की तापीय एवं जलीय विद्युत क्षमता पिछले 14 वर्ष में लगातार वृद्धि के साथ 1540 मेगावाट बढ़कर दिसंबर 2014 की स्थिति में 2977 मेगावाट हो गई है। तालिका 11.1 में दर्शाया गया है।

तालिका11.2 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता

क्षेत्र	चालिका शक्ति	उत्पादन (GWH) अप्रैल 13 से जन. 14	उत्पादन (GWH) अप्रैल 14 से जन. 15	अंतर प्रति.	पी.एल.एफ. प्रतिशत अप्रैल 13 से जन. 14	पी.एल.एफ. प्रतिशत अप्रैल 14 से जन. 15
राज्यीय	तापीय	10168	12900	26.7	67.7	77.0
	जल विद्युत	237	250	5.5		
निजी	तापीय	11821	15693	32.8	68.7	50.9
केंद्रीय	तापीय	35588	37305	4.8	79.7	83.6
कुल		**57814**	**66148**	**14.4**		

निजीक्षेत्र द्वारा वृहद स्तर पर स्थापित क्षमता में वृद्धि के अलावा राज्य क्षेत्र में भी लगभग 4100 मेगावाट तापीय, 700 मेगावाट

जलीय विद्युत स्थापित क्षमता में वृद्धि की जा रही है।एनटीपीसी का 1600 मेगावाट तापीय संयंत्र (लारा संयंत्र) वर्ष 2017 के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा।

उपरोक्त बिजली के उत्पादन एवं प्लाण्ट लोड फेक्टर का विवरण निम्न प्रकार है (25 मेगावाट से कम राज्य के विद्युत संयंत्र शामिल नहीं हैं) :–

11.1.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल :–

विगत् वित्त वर्ष 2013–2014 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों व लक्ष्य के विरूद्व अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2014–2015 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है –

(I) उत्पादन संकाय :–

(1) विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमताएवं विद्युत उत्पादनः–

मंडल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 13वर्षों में अर्थात मार्च, 2014 के अंत में बढ़कर 2424.70 मेगावाट हो गई है। इसमें 2280मेगावाट ताप विद्युत, 138.7मेगावाट जल विद्युत तथा 6मेगावाट अन्य(सह–उत्पा.) की स्थापित क्षमता है।

तालिका 11.3 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युतउत्पादन

क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	ताप विद्युत गृह		
1	कोरबा पूर्व –II	4 x 50 =200	1966-68
2	कोरबा पूर्व –III	2 x 120 =240	1976-81
3	डॉ. एस.पी.एम. ताप विद्युत गृह	2 x 250=500	2007
4	कोरबा पश्चिम	4 x 210=840	1983-86
5	कोरबा पश्चिम विस्तार	1x500=500	2013
6	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवर्धा	1 x 6 =6	2006
II	जल विद्युत परियोजना –		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो	3 x 40=120	1994-95
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 x 2.5=10	2004
3	जल विद्युत गृह सीकासार	2x 3.5=7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 x 0.85=1.70	2003,2009
	योग	**2424.70 MW**	

जिला जांजगीर–चांपा के समीपस्थ ग्राम मडवा – तेंदुभाठा में 2x500 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की इकाइयॉ स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है और इन इकाइयों द्वारा क्रमशः माह फरवरी 2015 एवं मई 2015 से व्यावसायिक उत्पादन संभावित है। इन इकाइयों के स्थापित होने पर राज्य के अपने विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता वर्तमान में स्थापित 2424.70 मेगावाट क्षमता से 41.24 प्रतिशत वृद्धि होकर 3424.70 मेगावाट हो जायेगी।

तालिका11.4 खपत		
विविध	वर्ष	उपलब्धियां
संयंत्र विद्युत खपत	2013-14	9.52 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2013-14	69.43 प्रतिशत
विशिष्ट तेल खपत	2013-14	1.295 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई,
विशिष्ट कोल खपत	2013-14	0.779 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई,

इस दौरान 12863.543 मिलियन यूनिट (तापीय 12559.683, जलीय 299.356 एवं अन्य सह–उत्पादन 4.503मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया,ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में लगभग 15279 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके एवज में संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 में सितम्बर 2014 तक 7696.013मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया है। जिसमें 7476.407 मिलियन यूनिट तापीय,215.117 मिलियन यूनिट जलीय एवं 4.489मिलियन यूनिटअन्य सह–उत्पादन किया गया।

11.1.2 विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियां वर्ष 2013.14

1. कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र (1x500) मेगावाट को दिनॉक 05 सितंबर 2013 को वाणिज्यिक भार पर लिया गया, जिससे छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. की विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 1924.7 मेगावाट से बढ़कर 2424.7 मेगावाट हो गई है (जिसमें तापीय विद्युत क्षमता 2280 मेगावाट है)। इस प्रकार स्थापित क्षमता में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
2. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व की 250 मेगावाट की इकाई क्र. 1द्वारा बिना किसी व्यवधान (ट्रिपिंग) के 165 दिन निरंतर विद्युत उत्पादन किया।
3 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व की 250 मेगावाट की इकाई क्र. 2 द्वारा बिना किसी व्यवधान (ट्रिपिंग) के 211 दिनों तक निरंतर विद्युत उत्पादन किया।
4. गंगरेल जल विद्युत संयंत्र द्वारा सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन 43.348 मिलियन यूनिट रहा।
5 कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत संयंत्र द्वारा सर्वकालिक अधिकतम वार्षिक उत्पादन 8.269 मिलियन यूनिट रहा।
6. 1x500 मेगावाट कोरबा पश्चिम विस्तार एवं 2x500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत परियोजना के लि ए दिनॉक 04.09. 2013 को एफ.एस.ए. (Fuel Supply Agreement) हस्ताक्षरित हुआ।
7. हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम विद्युत गृह क्रमॉक-2द्वारा सर्वकालिक न्यूनतम वार्षिक विशिष्ट कोल खपत 0.698Kg/Kwh रही।

11.1.3 प्रदत्त विद्युत :–वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ताप जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा आक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 11664.666 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 11364.191 मिलियन यूनिट, जल विद्युत उत्पादन द्वारा 297.101 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा 3.374 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

11.1.4 ईधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत (2013.14)

तालिका 11.5विद्युत संयंत्र में ईधन खपत				
		ईधन खपत		विशिष्ट ईंधन खपत
विद्युत गृह का नाम	कोयला खपत (मीट्रिक टन)	तेल खपत (किलो लीटर)	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
कोरबा पूर्व :–				
विद्युत गृह–2	1152160	5058.125	1.114	4.892
विद्युत गृह–3	1228035	2470.000	1.062	2.136
कोरबा पूर्व संकुल	2380195	7528.125	1.087	3.437
कोरबा पूर्व (2 x 250मेवा)	-	-	-	-
डॉ.एस.पी. एम ता.वि. गृह	1968219	544.145	0.75	0.21
कोरबा पश्चिम :–				
विद्युत गृह–1	2381010	1753.712	0.714	0.526
विद्युत गृह–2	1920964	2758.575	0.698	1.003
कोरबा पश्चिम संकुल	4301974	4512.287	0.707	0.742

11.2 पारेषण की उपलब्धि :–

मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2013–14के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

11.2.1 उपकेन्द्र निर्माण :– वर्ष 2013–14के अंत में उच्च दाब उपकेन्द्रों कुल संख्या 83तथा इनकी संयुक्त क्षमता 13247एम व्ही ए हो गई है जो वर्ष 2000में क्रमशः27एवं 3795एम व्ही ए थी।

तालिका11.6 वोल्टेज एवं उपकेन्द्रों की संख्या			
		उपकेन्द्रों की संख्या	
क्र.	वोल्टेज अनुपात	वर्ष 12–13 की स्थिति	वर्ष13–14 स्थिति
1	400 के.व्ही. उपकेन्द्र	2	2
2	220 के.व्ही. उपकेन्द्र	15	16
3	132 के.व्ही उपकेन्द्र	61	64
4	एच.व्ही.डी.सी. उपकेन्द्र	1	1
योग		79	83

11.2.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :–

वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्च दाब की कुल लाईनें 5205.46सर्किट कि.मी. थी वह वर्ष 2013–14में 10057.61सर्किट कि.मी. हो गई है। राज्य में विद्युत प्रणाली का वोल्टेज अनुपातवर्ष 2013-14तक की स्थिति में विद्युत लाईनों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका11.7 विद्युत लाईनों का विवरण					
क्र.	वोल्टेज अनुपात	31 मार्च 2013 की स्थिति	2013–14 में वृद्धि	31 मार्च 2014 की स्थिति	सितंबर 2014 की स्थिति
	अति उच्चदाब लाईनें				
1	400 केव्ही लाईनें	1111.98	154.8	1266.78	1381.68
2	220 केव्ही लाईनें	2977.21	153.66	3130.87	3229.87
3	132 केव्ही लाईनें	5100.4	199.56	5299.96	5420.51
4	एचव्हीडीसी. लाईनें	360	-	360	360

11.3.1 उपकेन्द्र निर्माण :–

मंडल के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2984 एम.व्ही.ए थी जो कि विगत चौदह वर्षों में बढ़कर वर्ष 2013–14 के अंत की स्थिति में क्रमशः कुल 99856 हो गई है तथा इनकी संयुक्त क्षमता 12487 एम.व्ही.ए हो गई है, जो कि तेरह वर्षो के कार्यकाल में उपकेन्द्र निर्माण में 233 प्रतिशत तथा उनकी क्षमता में 318 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका11.8 वोल्टेज अनुपात एवं उपकेन्दों की संख्या

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रो की संख्या		
		2012–13	2013–14	2014–15 (सितं. 14)
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र	803	884	902
2	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	84047	98972	102045
	योग :–	**84850**	**99856**	**102947**

11.3.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :–

छ.रा.वि.मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनें 98858 कि.मी. थी, वह तेरह वर्षो में बढ़कर वर्ष 2013–14 में 242465कि.मी. हो गई है। वर्ष 2014–15 में 30.09.2014 की स्थिति में 250837 कि.मी. हो गई है।

वितरण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2013–14 के दौरान उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 17090 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों के निर्माण से वर्षांत की स्थिति में कुल 242465 कि.मी. की विद्युत लाईने विद्यमान थी। इस प्रकार वर्षावधि में 7.58 प्रतिशत की विद्युत लाईनों में वृद्धि हुई तथा मंडल गठन से तेरह वर्षो की कार्यावधि में 145 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 11.9 वोल्टेज अनुपात अनुसार विद्युत लाईनों का विवरण

क्र.	वोल्टेज (के.व्ही.)	31 मार्च 2013	31 मार्च 2014	2013–14 में वृद्धि	वर्ष 2014–15 (सितं. 14)
I	उच्चदाब लाईनें				
1	33 के.व्ही. लाईने	16327	17148	821	328
2	11 के.व्ही. लाईने	75168	81301	6133	2719
	कुल उच्चदाब लाईने	91495	98449	6954	3047
II	निम्नदाब लाईने				
3	400–230 वोल्ट्स	133881	144016	10136	5323
	महायोग :–	225376	242465	17090	8370

11.3.3. सामान्य विकास कार्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

तालिका 11.10 सामान्य विकास योजनांतर्गत वर्ष 2013–14 की उपलब्धि			
क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	117
2	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी	533
3	सेवाओं के लिए वितरण लाईन	कि.मी	490+191 (कनवर्सन)
4	सड़क बत्ती हेतु विवरण लाईन	कि.मी	104+ 95 (कनवर्सन)
5	सड़क बत्तियॉ (बिन्दु)	संख्या	4412
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1760
7	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	292
8	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	132942
i)	सिंगल फेस	संख्या	117045
ii)	थ्री फेस	संख्या	15727
9	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	170

11.3.4. आगामी वर्ष हेतु उप–पारेषण उवं वितरण प्रणाली कार्यो का लक्ष्य :–

मण्डल द्वारा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली को ओर सुदृढ़ बनाने एवं पूरे सिस्टम में एनर्जी ऑडिट के लिए आवश्यक उपकरणों की स्थापना हेतु आगामी वर्ष 2014–15 निम्नलिखित कार्यो को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है :–

तालिका 11.11 विद्युत लाईन एवं उप–पारेषण केंद्र का विवरण			
क्र.	विवरण	इकाई	लक्ष्य
1	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	787
2	11 के.व्ही. लाईन निमार्ण	कि.मी.	588
3	33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र	संख्या	60
4	33/11 के.व्ही उपकेन्द्रो की क्षमता वृद्धि	संख्या	55
5	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र	संख्या	500
6	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	संख्या	150
7	निम्न दाब लाईन	कि.मी.	350

11.3.5. ग्राम विद्युतीकरण :–

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19567 ग्रामों में से वित्त वर्ष 2013–14 के अंत की स्थिति में 19055 ग्राम विद्युतीकृत है। राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युतीकरण का स्तर 97.38 प्रतिशत रहा।

जनगणना 2011 के अनुसार वित्त वर्ष 2013–14 के अंत की स्थिति में राज्य में कुल 512 अविद्युतीकृत ग्राम हैं, 512 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 427 ग्रामों जिनमें वनबाधा होने के कारण परंपरागत विधि से विद्युत लाईन खींचकर विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है, का विद्युतीकरण का कार्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है। वनबाधा रहित 85 ग्रामों का विद्युतीकरण ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण'' कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है।

11.3.6 पंपों का ऊर्जीकरण :–

राज्य के किसानों को अधिक–से–अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल एवं राज्य शासन द्वारा पंप/नलकूप विद्युतीकरण हेतु नई नीति तथा लक्ष्य निर्धारण कर विगत्8 वर्षों में (2006–14) लगभग 2,04,849 नये सिंचाई पंपों को विद्युतीकृत किया गया है। नई नीति के अंतर्गत प्रति पंप हेतु लाईन विस्तार बाबत्

कुल खर्च रू.50,000/– से बढ़ाकर रू.75000/– करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है जो दिनांक 01.04.2012 से प्रभावशील है ताकि अधिक–से–अधिक कृषक लाभान्वित हो सकें और किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़े।

वर्ष 2014–15 में जल संसाधन विभाग व्दारा निर्मित एनीकट तथा राज्य में नदी नालों के किनारे पंपों के ऊर्जीकरण की योजना को शामिल कर 21000 कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 30.09.2014 तक 11964 का लाइन विस्तार कार्य पूर्ण किया गया है तथा 9103 पंपों को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार दिनांक 30.09.2014 की स्थिति में प्रदेश में कुल 350809 पंपों का लाइन विस्तार कार्य पूर्ण किये गये तथा 330117 पंपों को ऊर्जीकृत किया गया है। वर्ष 2014–15 में कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु रू. 158.31 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

- कृषक जीवन ज्योति : राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के 3 अश्वशक्ति तक के कृषि पम्पों पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 अश्वशक्ति से अधिक एवं 05 अश्वशक्ति तक के कृषि पम्पों पर 7500 यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है। योजना का विस्तार करते हुए अस्थाई कृषि पम्पों पर भी उपरोक्तानुसार छूट देने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। वर्ष 2014–15 में 5अश्व शक्ति तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु रू.704.39 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। नवंबर 2013 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को, उनके व्दारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100/प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति की दर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उनके द्वारा खेती किसानी में उपयोग की जा रही पूरी बिजली को निःशुल्क रखा गया है।

11.3.7 किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना) :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 में इंदिरा खेत गंगा योजना के नाम से एक योजना चालू की गई है (वर्तमान में यह योजना किसान समृद्धि योजना के नाम से जानी जाती हैं)। इसके अंतर्गत अल्प वर्षा (वृष्टि छाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उनमें पंप ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना पांच जिलों में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषको तक सीमित कर नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतम राशि रूपये 75,000/– प्रति पंप निर्धारित की गई है।

विचाराधीन वर्ष 2013–14 में इस योजना के अंतर्गत कुल 179 नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्यो हेतु विद्युत लाईनों को विस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्षात तक कुल 14894 नलकूपों के लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किये गये।

11.3.8 बी.पी.एल. कनेक्शन (एकलबत्ती): (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण एवं मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र) :–

गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 (एकलबत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान

की गई है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले परिवारों को, जिनके घर कंपनी की विद्यमान लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर है, उन्हें सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा सुरक्षानिधि जमा कराये बगैर बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन प्रदाय किये जाते है एवं जिन्हे मंडल द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन कनेक्शनधारियों के 40 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। उपरोक्त श्रेणी के परिवारों को विचाराधीन वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 57,136,एवं वर्ष 2013–14के अंत तक कुल योजना अवधि में 15,53,044 (एकल बत्ती)बी.पी.एल कनेक्शन प्रदाय किये गये। वर्ष 2014–15 हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 219.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.3.9 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना) :–

- केन्द्र की भारत निर्माण योजना में सम्मिलित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत पहुंच उपलब्ध कराना है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के शत–प्रतिशत घरों तक विद्युतीकरण के लिए जिलेवार योजना बनने से लेकर विद्युतीकरण तक के सम्पूर्ण कार्यों को संपादित करने हेतु केन्द्र शासन के तीन उपक्रमों यथा एनएचपीसी, एन.ई.एस.सी.एल. एवं पीजीसीआईएल को अधिकृत किया है। कुल व्यय की 90:10 प्रतिशत केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना है। आंबंटित जिले की तालिका निम्नानुसार हैः

तालिका 11.12 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत कार्य का आबंटन

क्र.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	अनुबंध तिथि	आबंटित जिले
1	एन.एच.पी.सी. (नेशनल हायडल पावर कार्पोरेशन)	30.06.2005	सात जिले – रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, कबीरधाम, राजनांदगांव एवं कांकेर
2	एन.ई.एस.सी.एल. (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन इंलेक्ट्रिक सप्लाई कं. लि.)	08.08.2005	चार जिले –कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, एवं जांजगीर–चाम्पा
3	पी.जी.सी.आई.एल. (पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.)	16.11.2005	एक जिला – सरगुजा
4	छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी मर्या.	21.02.2010	बस्तर, नारायणपुर,दंतेवाड़ा, बीजापुर, जशपुर एवंकोरिया

दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रू. 174.97 करोड़ एवंरू. 1185.61 करोड़ की स्वीकृत हुई हैं। इसके विरूद्ध बजट प्रावधान वर्ष 2014–15 रू. 200.00 करोड़ एवं रूपये 63.75 करोड़ सितंबर 2014 तक व्यय की गई। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :

तालिका 11.13राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत कार्य का विवरण

1	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	एन.एच.पी.सी. लिमिटेड,एन.ई.एस.सी.लिमिटेड,पी.जी.सी.आई.एल, सी.एस.पी.डी.सी.एल
2	स्वीकृत योजना राशि	रू. 1360.583 करोड़
3	योजना अवधि	दो वर्ष कार्य अवधि 31.12.2014 तक बढ़या गया है।
4	प्राप्त राशि	रू. 952.101 करोड़
5	व्यय की गई राशि	रू. 992.525 करोड़

तालिका 11.14 योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान, विद्युतीकरण के पूर्ण कार्य एवं शेष कार्यों की जानकारी निम्नानुसार हैः (सितं. 14 स्थिति)

क्र	विवरण	स्वीकृत प्रावधान	पूर्ण कार्य	शेष कार्य
1	अविद्युतीकृत / डी–इलेक्ट्रीफाईड ग्रामों की संख्या	1758	1281	477
2	कुल पूर्व से विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण	16094	14775	1319
3	कुल बी.पी.एल. आवासगृहों को दिये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या	976851	672054	304797
4	33 के.व्ही. लाईन (कि.मी.)	302.75	163.13	139.62
5	33 / 11 के.व्ही. के नये उपकेन्द्र	11	8	3
6	33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि	39	39	0
7	33 / 11 के.व्ही. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर	32	32	0
8	11 के.व्ही. लाईन (कि.मी.)	16774.53	9703.34	7071.19
9	एल.टी. लाईन (कि.मी.)	20577.57	19295.87	1281.70
10	वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	23534	18449	5085

तालिका 11.15 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत प्रगति (सितं. 14 स्थिति)

क्र	विवरण	2013–14		2014–15 (सितं. 14)	
		प्रावधान	पूर्ण कार्य	प्रावधान	पूर्ण कार्य
1	अविद्युतीकृत / डी–इलेक्ट्रीफाईड ग्रामों की संख्या	300	358	250	158
2	कुल पूर्व से विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण	2000	2839	2000	870
3	कुल बी.पी.एल. आवासगृहों को दिये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या	120000	124667	100000	62569

11.3.10 मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना :–

मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश के 12 नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य 1. विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनो का विस्तार, 2. विद्यमान अव्यवस्थित विद्युत लाईनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित / उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना। 3. तंग गलियों एवं व्यस्तम मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों का इस्तेमाल किया जाना। अधिक लाईन लास वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल लगाया जाना। 4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना।

वर्ष 2014–15 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रू. 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है एवं 30.11.2014 तक 5.33 करोड़ राशि व्यय की जा चुकी है।

11.3.11 मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना :–

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 10वीं, 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के 100 से अधिक जनसंख्या वाले अविद्युतीकृत ग्रामों एवं मजरा / टोला के विद्युतीकरण कार्यों को सम्मिलित किया गया है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात्11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कार्यों को यथा स्थिति समाप्त कर दिया जायेगा और शेष बचे कार्यों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखने के निर्देश हैं, लेकिन 100 से कम जनसंख्या वाले अविद्युतीकृत ग्रामों, मजरा / टोलों को योजना में सम्मिलित करने का प्रावधान नहीं है।

बिजली की मूलभूत सुविधा से वंचित 100 से कम जनसंख्या वाले लगभग 10000 से अधिक मजरा / टोले जो

मुख्यतः आदिवासी बाहुल्य बस्तर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, कोण्डागाँव एवं नारायणपुर में स्थित हैं, को बिजली की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना लागू करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। योजनान्तर्गत राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014–15 के बजट में रू. 5 करोंड़ का प्रावधान किया गया है।

11.3.12 आर–एपीडीआरपी योजना :–

आर–एपीडीआरपी भाग–अ ऊर्जा मंत्रालय भारत शासन द्वारा 30 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ऊर्जा क्षति के सही–सही आंकलन और इसे 15 प्रतिशत से कम करने हेतु आर–एपीडीआरपी योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के भाग–अ में सूचना तकनीक के माध्यम से ऊर्जा क्षति की सही–सही गणना इस योजना में चयनित शहरों हेतु की जावेगी। परियोजना लागत– रू. 226.81 करोड़ है।

आर–एपीडीआरपी भाग–बः योजना के द्वितीय भाग में विद्युत हानि को कम करने के लिए विद्यमान विद्युत अधोसंरचना का उन्नयन एवं विस्तार कार्य किया जा रहा है । यह कार्य भी स्वीकृति के पॉच वर्षों में पूर्ण किया जाना है। परियोजना लागत– रू. 710 करोड़ है।

11.3.13 स्कूलों एवं अस्पतालों के विद्युतीकरण के साथ आगंनबाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरणः–

प्रदेश के सभी स्कूलों, अस्पतालों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदाय की योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014–15 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रू. 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है एवं 30.11.2014 तक 9.13 करोड़ राशि व्यय की जा चुकी है।

11.3.14वितरण हानिः–

वर्ष 2013–14 में वितरण हानि का प्रतिशत 24.36 रहा जो वर्ष 2012–13 की अपेक्षा 1.34 प्रतिशत कम है। वर्ष 2014–15 में और भी 2 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है।वितरण हानि का वितरण तालिका नीचे दी गई है।

तालिका 11.16 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षवार वितरण हानि

क्र.	वर्ष	विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	खपत (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि प्रतिशत में
1	2009–10	16512.28	11311.39	5200.89	31.50
2	2010–11	17435.98	12137.84	5298.14	30.39
3	2011–12	18325.03	13173.00	5152.03	28.11
4	2012–13	19124.00	14200.41	4923.59	25.74
5	2013–14	19553.25	14789.25	4764.00	24.36

11.3.15 विद्युत उपभोक्ता :–

वर्ष 2013–14 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 40 लाख 41 हजार है जो वर्ष 2012–13 की तुलना में 6.26 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 26 लाख 79 हजार उपभोक्ता अर्थात् 65.58 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के है, जो विगत् वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तुलना में 7.38 प्रतिशत अधिक हैं।

कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2013–2014 के अंत में हितग्राही उपभोक्ताओं में बी.पी.एल. के 38.01 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 8.59 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2012–13 के अंत में क्रमशः 37.97 एवं 8.36 प्रतिशत था।

11.3.16 विद्युत उपभोक्ता का स्वरूपः–

वर्ष 2013–14 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 14789.89 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो कि विगत् वर्ष 2012–13 की खपत से 4.80 प्रतिशत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली का 43.71 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है।

कुल खपत में से वर्ष 2013–14 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 6.96 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पंप उपभोक्ताओं की खपत 16.69 प्रतिशत आंकी गई, जो कि वर्ष 2012–13 में क्रमशः 6.18 एवं 17.08 प्रतिशत थी।

तालिका 11.17राज्य में कुल विद्युत विक्रय का विवरण 2013–14

विवरण	घरेलू	गैर घरेलू	औद्योगिक	कृषि	सार्वजनिक
कुल विक्रय	27.70	8.37	44.77	16.93	2.23
ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	20.90	5.59	37.44	29.04	1.60

11.3.17 राजस्व संग्रहणः–

वर्ष 2013–14 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरूद्ध कुल रूपये 6447.16 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया।

11.3.18 बकाया राशिः–

वर्ष 2013–14 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 2907.69 करोड़ है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 11.18 में दर्शित है।

तालिका 11.18 बकाया राशि का विवरण करोड़ रू. में

वर्ष	कुल बकाया राशि	दाब अनुसार		उपभोक्ता का प्रकार			
		निम्नदाब उपभोक्ता	उच्च उपभोक्ता	राज्य शासन	सार्वजनिक उपकरण	रेल्वे	अन्य
2012–13	2588.66	323.33	2265.33	7.23	42.00	2106.34	433.09
2013–14	2907.69	323.13	2584.54	27.00	45.00	2360.96	474.73

11.3.19 12वीं पंचवर्षीय योजनाः– 100 से अधिक आबादी वाले रिहायशी क्षेत्रों जिनका कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत किया जाना है, की जानकारी इस प्रकार है–

तालिका 11.19 100 से अधिक अवधि वाले क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन

क्र.	जिले का नाम	वर्तमान स्थिति
1	जांजगीर–चांपा, कोरबा,धमतरी, महासमुन्द	आरईसी व्दारा स्वीकृत। कोरबा,धमतरी, महासमुन्द का कार्यादेश जारी एवं जांजगीर–चांपा कार्यादेश जारी करना प्रकियाधीन
2	रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम, बालोद, बिलासपुर,राजनांदगांव	डीपीआर तैयार कर आरईसी को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
3	गरियाबंद,मुगेंली, बलौदा–बाजार, बेमेतरा,	डीपीआर तैयार कर आरईसी को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
4	दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा	आरईसी–पीडीसीएल व्दारा सर्वे कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एव दिनांक 31.12.2014 तक डीपीआर जमा करना संभावित है
5	कांकेर,रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर बस्तर कोन्डागांव, नारायणपुर, जषपुर, कोरिया	आरईसी–पीडीसीएल व्दारा सर्वे कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एव दिनांक 31.12.14 तक डीपीआर जमा करना संभावित है।

परिवहन एवं संचार

11.4 देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है । यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने जीवनयापन हेतु रोजी–रोटी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सुविधाऐं प्राप्त कर सकें । बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हेतु सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यमों में डाक, कुरियर, टेलीफोन (मोबाइल सहित) तथा ब्राडबेंड (इंटरनेट सहित) सेवाएं आदि प्रमुख हैं।

11.4.1 परिवहन क्षेत्र का योगदान तालिका में निम्नानुसार प्रदर्शित है :–

तालिका 11.20 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र का योगदान

सांख्यिकी	2004–05	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13 (P)	2013–14 (Q)	2014–15 (A)
भागीदारी (लाख में)	128850	220672	245522	273364	302187	334120	366745
वृद्धि (प्रतिशत)		7.80	11.26	11.34	10.54	10.57	9.76
हिस्सा (प्रतिशत)	2.69	3.09	3.11	3.28	3.33	3.51	3.64

11.4.2 भूतल परिवहन :–

सड़क परिवहन : छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों की व्यापकता है, जो न केवल देश के सभी राज्यो सें बल्कि राज्य के जिला, तहसील एवं विकासखंड सभी बारहमासी सड़कों से भी सुनियोजित ढ़ंग से जुड़ी हुई है। नवीनतम् राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कुल 17 राष्ट्रीय राजमार्ग (3078 कि.मी. की लम्बाई) छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरतें हैं (लोनिवि, छ.ग. शासन की वेबसाईट) । दिसम्बर, 2014 के अंत तक 4374 कि.मी. की राज्य राजमार्ग तथा 11,111 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग एवं 13674 कि.मी. ग्रामीण सड़क का नेटवर्क तैयार हो गया है । इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाए जा रहे हैं।

तालिका 11.21 राज्य में सड़क मार्ग का विवरण

क्र.	विवरण	सड़को की लम्बाई (कि.मी.)	सड़को की कुल लम्बाई पर प्रतिशत
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	3073	9.53
2	राज्यमार्ग	4374	13.57
3	मुख्य जिला मार्ग	11111	34.48
4	ग्रामीण मार्ग	13674	42.42
कुल		32232	100

स्त्रोत – छ.ग. लोनिवि वेबसाईट

राज्य में सितम्बर 2014 के अंत तक कुल 40.46 लाख मोटर वाहनों को पंजीकृत किया जा चुका है। जनगणना 2011 अनुसार 15.6 प्रतिशत एवं 2.2 प्रतिशत परिवार क्रमशः दोपहिया मोटर वाहन एवं चारपाहिया वाहन उपलब्ध है। राज्य में परिवहन विभाग 27 कम्प्युटराईज्ड कार्यालयों से संयोजित है। परिवहन विभाग की सभी प्रक्रियाकम्प्युटराईज्ड की जा रही

है, जिससे इन्टरनेट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी या नागरिकों द्वारा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है, जिसने वाहन एवं सारथी योजना सम्पूर्ण राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर ली है।

11.4.3 रेल परिवहन :–

छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो वृहद् मात्रा में कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों का परिवहन संपूर्ण देश तथा राज्य के अंदर करती है। राज्य में फैला हुआ अधिकांश रेल्वे नेटवर्क दक्षिण–पूर्व–मध्य रेल्वे क्षेत्र के भौगोलिक कार्यक्षेत्र के अधीन है। भारतीय रेल्वेका यह क्षेत्र बिलासपुर में केंद्रीकृत है, जो क्षेत्रीय मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली बंगाल–नागपुर रेल्वे लाईन 1882 में पूर्ण हुई। लम्बी दुरी वाली रेलों मुख्य रेल्वे जंक्शन रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर है। राष्ट्र का सर्वाधिक सामग्री छत्तीसगढ़ से लदाई किया जाता है, जिससे भारतीय रेल राजस्व का 1/6 भाग छत्तीसगढ़से प्राप्त करता है। राज्य के रेल नेटवर्क की लंबाई 1,108 कि.मी. है एवं मौजूदा रेल्वे लाईन के विस्तार के साथ ही नई रेल्वे लाईन भी बिछाई जा रही है।

निम्नांकित नवीन रेल्वे लाईनों का निर्माण प्रकियाधीन है :–

1. दल्ली–राजहरा–जगदलपुर रेल लाईन
2. पेंड्रारोड–गेवरारोड रेल लाईन
3. रायगढ़–मांड कॉलेरीसे भूपदेवपुर रेल लाईन और
4. भरवाडीह–चिरमिरीरेल लाईन

दुर्ग–भिलाई–रायपुर–नया रायपुर के मध्य नई मेट्रो लाईन प्रस्तावित है, जिसके अध्ययन हेतु दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) को अनुबंधित किया गया है । प्रथम चरण में भिलाई–रायपुर संयोजन कार्य प्रारंभ किया जावेगा ।

11.4.4 वायु परिवहन

वर्तमान में अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में वायु परिवहन अधोंसंरचना न्यून है । रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल (airport) एक मात्रवाणिज्यिकविमानतल है। वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य में 25 से 04 प्रतिशत विमान टरबाईन ईंधन के विक्रय कर में भारी कमी से यात्री प्रवाह में तेजी से वृद्धि हुई । वर्ष 2013–14 में 8.39 लाख यात्रियों ने इस विमानतल से यात्रा की है।

राज्य सरकार ने जुलाई, 2013 में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (AAI) से द्वितीय घरेलू उड़ानों के लिए रायगढ़ एयरपोर्ट के विकास हेतु अनुबंध–पत्र हस्ताक्षर कराए। राज्य में निम्नांकित हवाई पटिट्यॉ उपलब्ध हैं :–

1 बिलासपुर विमानतल बिलासपुर

2 जगदलपुर विमानतल जगदलपुर

3 नंदिनीविमानतल भिलाई

4 बैकुंठहवाई पट्टी,बैकुंठपुर

5 जेएसपीएलस हवाई पट्टी, रायगढ़

6 दरिमाहवाई पट्टी, अम्बिकापुर

7 कोरबाहवाई पट्टी, कोरबा

8 अगडीहहवाई पट्टी, जशपुर

9 डौंडीहवाई पट्टी, डौंडी, दुर्ग

11.4.5 जल परिवहन :– यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सी नदियां है जो पूरे राज्य में फैली हुई है तथापि जल परिवहन यहां विकसित नहीं है। शबरी नदी (जिला सुकमा) पर मौसमी अल्प व्यावसायिक गतिविधियॉ की जाती है।

संचार

11.5.1 :डाक सेवाएं :– 12 नवम्बर, 2001 को छत्तीसगढ़ डाक वृत्त की स्थापना हुई । मार्च 2014 के अंत में राज्य में 10 मुख्य डाक घर, 335 उपमुख्य डाकघर एवं 2799 शाखा कार्यालय कुल 3144 डाकघरों के विशाल नेटवर्क है।

11.5.2 टेलीफोन एवं ब्राडबैंड :– छत्तीसगढ़ राज्य में दूरसंचार सेवाएं (मोबाईल एवं ब्राडबैंड सहित) भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ ही विभिन्न निजी कम्पनियों जैसे एयरटेल, आईडिया सेल्युलर, रिलायन्स, वोडाफोन तथा टाटा आदि द्वारा प्रदाय की जा रही है । जनगणना 2011 अनुसार राज्य में 30.7% परिवारों को टेलीफोन व मोबाईल की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार के TERM के अनुसार राज्य में मार्च 2014 की स्थिति में 140.35 लाख मोबाईल उपभोक्ता हैं।

11.5.3 कुरियर सेवाएं :– छत्तीसगढ़ राज्य में निजी कम्पनियां कूरियर सेवाएं प्रदान कर रही है, जैसे–डीएचएल, फर्स्टफलाईट, ब्लूडार्ट, मधुर कूरियर इत्यादि ।

12

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

12. ग्रामीण विकास एवं रोजगार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

12.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए लोक सभा में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम –2005' विधेयक दिनॉक 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। अधिसूचना दिनांक 07 सितम्बर 2005 को जारी की गई। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

- धारा 4 (1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 02 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया,रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा), द्वितीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल 2007 से चार जिले (रायपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा एवं महासमुंद) तथा तृतीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।
- अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवार के व्यस्क सदस्य को मांगने पर 1वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के अकुशल मजदूरी के लिये रोजगार की गांरटी दी गई है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।
- किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है उनके द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी लागू होती है। कार्य उपलब्ध नहीं होने पर काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम–2013" का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।
- योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार द्वारा राज्य के IAP जिलों में आवश्यकता पड़ने पर नगद मजदूरी भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत वर्तमान में रू. 146/– प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता के समुचित प्रबंध के लिये राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है।
- योजनांतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।
- शिकायतों के तत्काल निपटारे के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर एवं ऑनलाईन

व्यवस्था की गई है। जिससे शिकायतकर्त्ता प्रकरण की अद्यतन स्थिति www.mgnrega.cg.gov.inमें कभी भी देखा जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु ''छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, 2012'' का छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई 2012 को प्रकाशन किया गया।

- महात्मा गांधीनरेगा की धारा 27 के तहत्योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण (निपटारे) के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से योजनांतर्गत लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 11 लोकपाल कार्यरत है।
- योजनांतर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु राज्य स्तर से 17 SQMकी नियुक्ति की गई है।
- पारदर्शिता तथा Realtime MISअद्यतन करने के उद्‌देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु e-MusterRollका प्रयोग पूरे राज्य में किया जा रहा है।
- मजदूरी भुगतान में विलंब को कम करने के उद्‌देश्य से e-FMS प्रणाली प्रारंभ। वर्तमान में व्यवसायिक तथा ग्रामीण बैंक के खाताधारियों हेतु e-FMS प्रणाली का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। शीघ्र ही योजना के समस्त भुगतान e-FMSसे किये जाने का लक्ष्य।
- छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा योजनांतर्गत कार्यरत महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त राशि राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।
- अधिनियम की अनुसूची 1 के मुताबिक ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (आरईजीएस) के तहत निम्न काम किए जाएगें।
- जल संरक्षण एवं जल संचय, कंटूर खाइयां, कंटूर बंध, गोलश्म चेक, गेबियन संरचानाएं, भूमिगत नहरें, मिट्‌टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास।
- सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण।
- सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण।
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों या भूमि सुधारों के लाभान्वितों या इंदिरा आवास योजना लाभान्वितों की जमीन तक सिचाई की सुविधाए पहुंचाना
- परंपरागत जल स्त्रोतों के पुनर्नवीनीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी।
- भूमि विकास
- बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है।
- गांवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गांवो तक बारह महीने सहज आवाजाही हो सके। सड़क निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनाई जा सकती हैं और गांव के भीतर सड़कों के साथ नालियां भी बनाई जा सकती है।

- ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण।
- एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग लिक्विड बायो–मैन्योर जैसे कृषि संबंधी संकर्म।
- कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म।
- सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी संकर्म।
- सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म।
- व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाईयां, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म।
- राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कोई अन्य कार्य।
- वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 (माह सितम्बर 14 तक) की प्रगति निम्न तालिका में दर्शित है।

सारणी 12.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रगति

वर्ष	उपलब्ध राशि (करोड़)	व्यय (करोड़)	मानव दिवस सृजित लाख	परिवारों को रोजगार लाख
2012-13	2610.79	2231.87	1194.34	26.37
2013-14	2146.70	2053.09	1299.19	25.12
अप्रैल 13 से सितंबर 13	1693.95	1341.85	666.53	19.83
अप्रैल 14 से सितं.14	1382.22	1219.61	538.72	17.16

12.2 इन्दिरा आवास योजना :– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवार को शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंश 75 व 25 प्रतिशत का है। योजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 से नये आवास निर्माण हेतु रू.70000 तथा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रूपये 75000 का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2014–15 में वन अधिकार पट्टा प्राप्त हितग्राहियों के लिए 62,372 आवासों के निर्माण के लिए राशि रू. 478. 92 करोड़ का आबंटन निर्धारित किया गया था। माह सितम्बर 2014 तक कुल उपलब्ध राशि रू. 249.68 करोड़ में से राशि रू. 222.58 करोड़ का व्यय किया गया है। कुल स्वीकृत 58,292 आवास निर्माण कार्य में से 6947 आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये है।

वर्ष 2014–15 में बाढ़ प्रभावित हितग्राहियों के लिए 334 आवासों का निर्माण के लिए राशि रू. 2.47 करोड़ रू. का आबंटन निर्धारित किया गया था। माह सितम्बर 2014 तक कुल उपलब्ध राशि रू. 1.24

सारणी 12.2 इन्दिरा आवास योजना 2014–15 (सितं. 14)

उपयोजन	उपलब्ध राशि करोड़	व्यय करोड़	नये आवास
वन अधिकार पट्टा	478.92	222.58	6974
बाढ़ प्रभावित हितग्राही	2.74	1.18	16
नक्सल प्रभावित बीजापुर	4.82	0.34	प्रक्रियाधीन

करोड़ में से राशि रू. 1.18 करोड़ का व्यय किया गया है। कुल स्वीकृत 332 आवास निर्माण कार्य में से 16 आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये।

वर्ष 2014–15 में नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के लिए 643 आवासों के निर्माण के लिए राशि रू. 4.82 करोड़ का आबंटन निर्धारित किया गया था। इसके तहत आवास निर्माण के स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर है। माह सितम्बर 2014 तक कुल उपलब्ध राशि रू. 2.41 करोड़ में से राशि रू. 0.34 करोड़ का व्यय किया गया है।

12.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः–

भारत सरकार के द्वारा सुदूर ग्रामों में रहने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 दिसबंर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरे भारत वर्ष में एक साथ प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 500 या इससे आबादी तथा पहाड़ी, आदिवासी तथा नक्सल प्रभावित आई.ए.पी. जिलों के क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी की सभी बिना जुड़ी बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे गांव में रहनें वालों कि सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति हो सके।

सारणी 12.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रगति

2014–15 सितं.14	सड़कों	लम्बाई कि.मी.	पात्र बसाहटें	व्यय करोड
लक्ष्य	6695	29538	10700	8241
निर्माण	5127	22887	10572	6149

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से सितम्बर 2014 तकः–**

  निर्माण कार्य :– योजना के प्रारंभ 2000–01 से सितम्बर 2014 तक कुल 6695 सड़कें, लंबाई 29538 कि.मी., लागत रू. 8241 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई जिनके विरूद्ध सितम्बर 2014 अंत तक 5127 सड़कें, लंबाई 22887 कि.मी. पूर्ण कर रू. 6149 करोड़ का व्यय किया गया । पूर्ण हो चुकी सड़कों से 10572 बसाहटें लाभान्वित हुई।

  संधारण कार्य :– राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों में सतह नवनीकरण के कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रारंभ हुए है। वित्तीय वर्ष 2010–11 से सितम्बर 2014 की स्थिति में कुल स्वीकृत कार्य 438, लंबाई 2140.30 कि.मी., तथा राशि रू. 199.80 करोड़ के विरूद्ध 420 कार्य पूर्ण हो चुकें हैं एवं 05 कार्य प्रगतिरत एवं 12 कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है। जिनमें राशि रू. 161.12 करोड़ व्यय हो चुका है।

- **वित्तीय वर्ष 2013–14** :–

  निर्माण कार्य :– भारत सरकार से एशियन डेवल्पमेंट बैंक RCIP Tranch-II के अंतर्गत 132 सड़कें, लंबाई 429 कि. मी., लागत राशि 182 करोड की स्वीकृति प्राप्त हुई जिनके कार्य प्रगतिरत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पूर्व निर्मित मार्गो के छुटे वृहद पुल–पुलियों हेतु 108 वृहद पुल–पुलियों, राशि रू. 210 करोड़, की स्वीकृति वर्ष 2013–14 में भारत सरकार से प्राप्त हुई। जिनमें निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 10 नग वैली ब्रिज का पायलेट प्रोजेक्ट लगभग रू. 21 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष 2013–14 में प्राप्त हुई इनके निर्माण हेतु Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. Kolkata के साथ अनुबंध कर लिया गया है। एशियन डेवल्पमेंट बैंक RCIP Tranch-III के अंतर्गत 320 सड़कें, लंबाई 1056 कि.मी., लागत राशि रू. 448 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई । इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में कुल 452 सड़कें, लंबाई 1485

कि.मी., लागत राशि रू. 630 करोड़ की स्वीकृति एवं ब्रिज हेतु 221 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। इन सड़कों से राज्य की 375 पात्र बसाहटें लाभान्वित होगी। वित्तीय वर्ष 2013–14 में पूर्व स्वीकृति प्राप्त शेष कार्यों में से 337 सड़कें, लंबाई 1292 कि.मी. को पूर्ण कर रू. 715 करोड़ का व्यय किया गया। पूर्ण सड़कों में से 968 बसाहटें लाभान्वित हुई।

संधारण कार्यः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल स्वीकृत कार्य 343, लंबाई 1695.63 कि.मी. तथा राशि रू. 215.90 करोड़ के विरूद्ध 237 कार्य पूर्ण है। जिसमें लगभग 1068.64 कि.मी. लंबाई के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिनमें राशि रू. 123.69 करोड़ का व्यय हो चुका है एवं 53 कार्य प्रगतिरत तथा 28 कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है।

- **वित्तीय वर्ष 2014–15 :–**

  निर्माण कार्य :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह सितम्बर 2014 अंत तक पूर्व स्वीकृति प्राप्त शेष कार्यो में से 307 सड़कें 1109 कि.मी. लंबाई पूर्ण कर रू. 359 करोड़ व्यय किया गया इन जुड़ी सड़कों से 425 बसाहटें लाभान्वित हुई।

  संधारण कार्य :– संधारण कार्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 सितम्बर 2014 की स्थिति में 43 कार्य, लंबाई 109.64 कि.मी. तथा राशि रू. 1.53 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन सभी कार्यों की निविदा के कार्य प्रक्रिया में है।

- इस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से सितम्बर 2014 अंत तक स्वीकृत कुल 6695 सड़कें, लंबाई 29538 कि.मी. में से 5127 सड़कें, लंबाई 22887 कि.मी. डामरीकृत होकर पूर्ण हो चुकी है। अब तक स्वीकृति राशि रूपये 8241 करोड़ की स्वीकृति के विरूद्ध 6189 करोड़ व्यय किया गया है जिससे राज्य की 10572 बसाहटें लाभान्वित हो चुकी हैं।

  संधारण कार्य अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2014–15 सितम्बर 2014 की स्थिति में राज्यमद अंतर्गत कुल 1181 कार्य, लंबाई 5630 कि.मी. में से 994 सड़कों, लंबाई 4714 कि.मी. में सतह नवनीकरण कार्य पूर्ण होकर राशि रू. 445.54 करोड़ व्यय हो चुका है एवं कुल 71 कार्य प्रगतिरत है तथा शेष में निविदाऐं प्रगतिरत है।

  संधारण कार्य 13वें वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13, सितम्बर 2014 की स्थिति में कुल 289 कार्य, लंबाई 1389 कि.मी. में से 266 सड़कों, लंबाई 1271 कि.मी. में सतह नवनीकरण कार्य पूर्ण होकर राशि रू. 129.47 करोड़ व्यय हो चुका है एवं कुल 23 कार्य प्रगतिरत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' (NRLM)

12.4 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है।

12.4.1 वित्तीय वर्ष 2013–14 की उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2013–14 में केन्द्र शासन द्वारा राज्य के लिए क्रेडिट मोबिलाइजेशन का वित्तीय लक्ष्य (ऋण) रू. 223.00 करोड़ निर्धारित किया गया जिसके विरूद्ध रू. 138.34 करोड़ की वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गयी।

12.4.2 वित्तीय वर्ष 2014–15 की उपलब्धियां (सितम्बर, 2014 की स्थिति में) :–

तालिका 12.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

समूह एवं स्वरोजगारी वर्ष	लाभान्वित परिवारों					व्यय करोड़
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	महिलाएं	
2013–14	14555 (12%)	54281 (43%)	57124 (45%)	125960 (100%)	125960 (100%)	138.34

महिला स्व–सहायता समूहों को स्व–रोजगार स्थापना हेतु बैंकों के साथ जोड़ना योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इसके अंतर्गत महिला स्व–सहायता समूहों को आगामी 6–7 वर्षो तक रिपीट लोन के माध्यम से उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाना है। योजनांतर्गत कैपिटल सब्सिडी के प्रावधान न होने के कारण राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि समस्त महिला स्व–सहायता समूहों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा, परंतु इस हेतु स्व–सहायता समूहों को समयावधि में बकाया ऋण का भुगतान करना आवश्यक होगा। वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजनांतर्गत क्रेडिट मोबिलाइजेशन का वित्तीय लक्ष्य (ऋण) रू.100.00करोड़ निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के विरूद्ध माह सितम्बर, 14 तक रू.41.44करोड़ की वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गयी।

12.5 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजनाः–

सारणी 12.5 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना की प्रगति

वर्ष	संख्या	लंबाई (किमी)	व्यय राशि (करोड़)
2011–12	137	47	203.70
2012–13	1239	4178.82	2029.38
2013–14	148	741.14	443.67

यह योजना 23 अप्रैल 2011 से लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी बसाहटों जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं आती है, (गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 से कम आबादी की बिना जुड़ी बसाहटों को तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी की बिना जुड़ी बसाहटों को) बारहमासी सड़क (डामरीकृत सड़क) से जोड़ने हेतु प्रावधान रखा गया है।

इस योजना अंतर्गत अब तक 1019 सड़कें, लंबाई 3379.38 कि.मी., लागत रू. 1478.67 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 तक इस योजना अंतर्गत 148 सड़कें कुल लंबाई 741.14 कि.मी. का निर्माण किया जाकर 443.67 करोड़ का व्यय किया गया। अद्यतन 407 सड़कें, लंबाई 1354.59 कि.मी. का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु रू. 400.00 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में माह सितम्बर 2014 में 190.30 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.6 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना :–

इस योजना अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायत या आश्रित ग्राम जहां गलियों में कीचड़ की समस्या हो, वहां शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर कांक्रीट सड़क सह नाली निर्माण किया जावेगा।

इस योजना अंतर्गत अब तक 4459 सड़कें, लंबाई 1266.41 कि.मी., लागत रू. 689.66 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 तक इस योजना अंतर्गत 2304 सड़कें कुल लंबाई 661.77 कि.मी. का निर्माण किया जाकर 334.21 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु रू. 450.00 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में माह सितम्बर 2014 में 124.381 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.7. एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई॰डब्ल्यू॰एम॰पी॰)

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम योजनाएं वर्ष 2009–10 से क्रियान्वित की जा रही हैं। योजना की प्रगति का विवरण तालिका क्र. में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह सितंबर 2014 तक कुल उपलब्ध राशि 173.11 करोड़ में से 137.57 करोड़ व्यय करते हुए 26,502 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र को उपचारित किया गया।

तालिका12.6 एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई॰डब्ल्यू॰एम॰पी॰)

वर्ष	क्षेत्र (लाख हे.)	लागत (करोड़ में)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
2009-10 to 2013-14	10.73	1328	237
2014-15	1.23	170.11	26

12.8 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा :– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रोजगार मूलक योजनाओं तथा अन्य विभागों के जमा निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायता हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यरत् है।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जहां एक ओर अन्य विभागों द्वारा सौपे गये जमा कार्यों का निष्पादन कराया जाता है वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जा रहे निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करना, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना तथा निर्माण कार्यों का स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाती है तथा किये गये कार्यों का समय–समय पर स्थल निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जाता है।

तलिका 12.7 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों की प्रगति (राशि करोड़ रू.

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
2008-09	8469	3319	876.96	472.90	282.88
2009-10	6910	2802	728.90	402.22	202.05
2010-11	6266	2299	681.87	344.32	158.49
2011-12	7190	2215	687.51	328.90	163.68
2012-13	12055	5661	1188.50	620.39	303.59
2013-14	10002	4364	1349.54	605.91	404.31
2014-15 (नवं. 13)	7693	1605	972.31	413.46	148.08

12.9 रोजगार एवं प्रशिक्षण :– छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना उपरांत प्रदेश में रोजगार सेवा का संचालन समस्त जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से हो रहा है।

12.9.1 विभाग में संचालित योजनाएं :–

(1) शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना – योजनांतर्गत वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता 1000/– प्रतिमाह की दर से प्रदान किया जा रहा है। स्थानीय निकायों (जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों) के माध्यम से संचालित इस योजना में जिला रोजगार कार्यालय नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। बेरोजगारी भत्ते की पात्रता हेतु अनिवार्य अर्हताएं :–

तलिका 12.8 बजट आबंटन व्यय स्थिति (लाख)		
वर्ष	आवंटन	व्यय
2012–13	0.64	0.52
2013–14	0.80	0.35

- आवेदक छ.ग. का मूल निवासी हो।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो।
- रोजगार कार्यालय में पंजीयन विगत दो वर्षों से जीवित रहा हो।
- न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सर्वे सूची में सम्मिलित हो।
- आवेदक की स्वतः की आय का कोई स्त्रोत न हो, व पिता/पालक पर पूर्णतः आश्रित हो।
- भत्ते की स्वीकृति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए की जाती है। समीक्षा उपरांत अधिकतम 24 मासिक किस्तों में भत्ते की राशि प्रदान की जाती है।

तलिका 12.9 शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

वर्ष	वर्ष में पात्र नए आवेदक	कुल आवेदक (विगत वर्षों सहित)	वर्गीकरण					
			सामान्य	अ.पि.व.	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	महिला	विकलांग
2013.14	9709	17693	2910	7940	3650	3193	2434	64
2014.15(Spe. 14)	7330	10698	1486	5182	1652	2377	2240	48

12.9.2 राज्य स्तरीय रोजगार मेला :– वर्ष 2010-11से वर्ष 2014-15 तक कुल 35 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 27653 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

13

नगरीय विकास

13. नगरीय विकास

13.1 छत्तीसगढ़ शासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश की नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का प्रशासकीय विभाग है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं। विभाग के अंतर्गत संचालनालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर एवं बिलासपुर तथा उनके अधीनस्थ कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा जगदलपुर में स्थित हैं।

तलिका 13.1 नगरीय निकाय

निकाय	वर्ष				
	2000	2003	2012	2013	2014
नगर पालिक निगम	06	10	10	10	12
नगर पालिका परिषद्	20	28	32	33	58
नगर पंचायत	49	72	126	126	101
कुल योग	75	110	168	169	171

शहरी गरीबी उपशमन की योजनाओं के संचालन व अनुश्रवण हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यरत हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण के कार्यों के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी पदस्थ किए गए हैं।

विभाग के अंतर्गत बोर्ड, उपक्रम एवं संस्थाएं :

1. राज्य नगरीय विकास संस्था छ.ग. रायपुर
2. 10 नगर निगम
3. 44 नगर पालिकाएं
4. 115 नगर पंचायत

13.2 नगरीय निकाय :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या 169 है।

13.3 विभाग के दायित्व :–नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित विषय, तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण, छ.ग. नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम का क्रियान्वयन, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण, चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि प्रशासन, वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर विभाग के अधीन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन आदि।

13.4 सरोवर धरोहर योजना :–शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 11.90 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 20 तालाबों के लिए रू. 751.24 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2014-15 में 25 तालाबों हेतु रू. 719.17 लाख की स्वीकृति से कुल स्वीकृत 590 परियोजनाओं में रू. 105.81 करोड़ व्यय कर 473 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

13.5 ज्ञानस्थली योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 5.25 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के 7.35 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 8.65 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 9.70 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 14 कार्यो हेतु रू. 80.28 लाख स्वीकृतकिए गए हैं। वर्ष 2014-15 में कुल 19 कार्य हेतु रू. 135.47 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 1035 शाला भवनों में से रू. 3949.48 लाख व्यय कर 999 शाला भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.6 उन्मुक्त खेल मैदान योजना :– राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 10.25 लाख का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 05 कार्यों हेतु 91.30 लाख की स्वीकृति तथा वर्ष 2014-15 में कुल 14 कार्य हेतु रू. 217.23 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 183 परियोजनाओं के लिए राशि रू. 1041.32 लाख स्वीकृत कर 170 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

13.7 पुष्प वाटिका उद्यान योजना :–राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कॉलोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्पवाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रू. 16.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 05 कार्यों हेतु 102.50 लाख की स्वीकृत दी गई है। वर्ष 2014-15 में कुल 46 कार्यों हेतु रू.1317.15 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इस योजनांतर्गत कुल स्वीकृत 344 परियोजनाओं के लिए रू. 4062.93 लाख व्यय कर 279 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

13.8 मुक्तिधाम निर्माण योजनाः– शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी.रोड, स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल शौचालय, विद्युतीकरण, एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रू. 12 लाख, नगर पालिकाओं में रू. 10 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रू. 8.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है। समस्त नगरीय निकायों में योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 10 कार्य हेतु रू. 115.52 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2014-15 में कुल 31 कार्य हेतु रू. 457.01 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।वर्तमान में 266 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.9 मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना :– राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत रू. 46,000/– की लागत से छोटी दुकान, रू. 57000/– की लागत से बड़ी दुकान तथा रू. 6500/– की लागत से चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है। योजनांतर्गत 2013–14 में 100 दुकानों हेतु 28.50 लाख स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2014-15 में कुल 190 दुकान हेतु रू. 60.70 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

13.10 महिला समृद्धि बाजार योजना :– राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेराजगार महिलाओं को सस्ता, सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से **महिला समृद्धि बाजार योजना** प्रथम चरण में प्रदेश के 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि एवं मासिक किराये में पात्र हितग्राहियों को व्यवसाय हेतु आबंटित किया जाता है। योजनांतर्गत अभी तक 778 दुकानों का निर्माण हेतु रू. 194.50 लाख की स्वीकृति दी गई थी जिसमें 515 दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं।263 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

13.11 ट्रांसपोर्ट नगर योजना :–प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 8 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत कुल 08 निकायों में रू. 21.31 करोड़ की योजना के विरूद्ध व्यय राशि रू. 14.97 करोड़ की राशि जारी की गई है। 08 परियोजना पूर्ण किया जाकर शेष निर्माणाधीन है।

13.12 गोकुल नगर योजना:–नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अभी तक राशि रू. 1597 लाख की लागत से 08 नगरीय निकायों को आबंटित किए गए हैं। 08 परियोजना पूर्ण तथा शेष पूर्णता पर है।

13.13 हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :– वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक–एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल, ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. 100 लाख, नगर पालिका परिषद् को रूपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रूपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2013–14 में 04 कार्य हेतु 177.50 लाख स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2014-15 में कुल 07 कार्य हेतु रू. 261.64 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब तक 146 हाट बाजार के लिए रू. 6446.12 लाख स्वीकृति उपलब्ध करायी गयी है। 92 परियोजना पूर्ण की गई हैं।

13.14 सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :– वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यो हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के सभी निकायों में स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75 लाख की लागत से, निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50 लाख और शेष नगर पालिकाओं में रू. 35 लाख की लागत से निर्माण किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के नगर पंचायतों दंतेवाड़ा, बैकुण्ठपुर, नारायणपुर में रू. 35 लाख के लागत से एवं शेष नगर पंचायतों में 25 लाख रू. की लागत से निर्माण किये जा सकेंगें। वर्ष 2013–14 में 07 कार्य हेतु रू. 260.65 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में कुल 14 कार्य हेतु रू. 418.89 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.15 अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र योजना :– नगरीय क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उद्यमिता की ओर प्रेरित करने, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने तथा स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजनांतर्गत सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को उचित मूल्य की दुकानों या अन्य आर्थिक उद्यमों का संचालन हेतु 3000 वर्गफीट भूमि पर निर्माण हेतु 15 लाख का शत्–प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजनांतर्गत अब तक 42 अन्नपूर्णा सामुदायिक केन्द्र के लिए रू. 6.75 करोड़ स्वीकृत कर 21 अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

13.16 भागीरथी नल–जल योजना (नवीन योजना) :– राज्य के लगभग 2.5लाख गरीब परिवार, विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। ये गरीब परिवार, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। वर्तमान में इन परिवारों को सार्वजनिक नल तथा टैंकरों से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इन गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किए जाने हेतु भागीरथी नल–जल योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत हितग्राही परिवार से निर्धारित मासिक जल कर लिया जावेगा। इस योजनांतर्गत प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3000/– की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। वर्तमान में 143 नगरीय निकायों में 237739 गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन हेत रू. 50.08 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 90084 नल संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में अब तक 2463 नल संयोजन प्रदान कर राशि रू. 73.89 लाख स्वीकृत किया गया है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–

13.17 मेट्रोरेल :–नया रायपुर–रायपुर–भिलाई–दुर्ग–राजनांदगॉव तक 90 कि.मी. लंबाई में मेट्रो रेल सेवा स्थापित किए जाने हेतु कंसेप्ट प्लान सूडा द्वारा तैयार किया गया था। DMRC द्वारा फिजिबिलिटी सर्वे का कार्य कर तेलीबांधा रायपुर से पुलगांव नाका दुर्ग तक 45 कि.मी. लंबाई में एलीवेटेड लाईट मेट्रो रेल स्थापित किए जाने हेतु एवं इस हेतु डी.पी.आर. हेतु अनुमानित लागत रू. 6120 करोड़ दर्शाई गई है।

डी पी आर तैयार करने में एक वर्ष का समय लगने की संभावना है। योजना हेतु धन की व्यवस्था 30% शासकीय अनुदान एवं 70% पीपीपी मॉडल पर की जाना प्रस्तावित है।

13.18 छोटे एवं मझोले नगरों की अधोसंरचनाविकास की योजना (UIDSSMT)

तालिका 13.2 छोटे एवं मझोलेनगरों की अधोसंरचनाविकास की योजना

क.	योजना का विवरण	स्वीकृत राशि	कार्य की प्रगति	पूर्णता की संभावना
1	कोण्डागॉव जलआवर्धन योजना	7.89	100%	नवंबर 2014 में पूर्ण
2	बिलासपुर जलआवर्धन योजना	80.12	75%	मार्च 2015
3	रायगढ़ जलआवर्धन योजना	30.03	82%	दिसम्बर 2014
4	बिलासपुर भूमिगत सीवरेज योजना	295.81	80%	दिसम्बर 2015

13.19 आई.एल.सी.एस. योजना :– शौचालय विहीन शहरी गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की केन्द्रप्रवर्तित योजना। प्रति इकाई लागत राशि रू. 10000/–75 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान, 15 प्रतिशत राज्य शासन का

अनुदान तथा 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान। प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर शहरों के लिए 26018 यूनिट शौचालय स्वीकृत। 16014 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 751शौचालय निर्माणाधीन।

तलिका 13.3 आई.एल.सी.एस. योजना

क.	शहर का नाम	स्वीकृत संख्या	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि	पूर्ण	निर्माणाधीन
1	बिलासपुर	3630	417.45	261.09	1886	215
2	दुर्ग	1919	220.69	198.01	1850	20
3	भिलाई	2109	242.54	199.58	2101	08
4	जगदलपुर	5699	655.39	256.45	3066	284
5	रायपुर	10311	1185.77	248.63	4761	224
6	अंबिकापुर	2350	270.25	211.50	2350	0
	योग	**26018**	**2992.09**	**1568.86**	**16014**	**751**

13.20 राजीव आवास योजना– स्लम मुक्त भारत की ओर :–

भारत सरकार द्वारा झुग्गी मुक्त भारत के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव आवास योजना प्रारंभ की गईहै। योजना का वित्तीय ढॉचा :

तालिका 13.4 अ –05 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए

क.	घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	निकाय अंश	रिमार्क
1	आवास हेतु	75%	13-15%	10-12%	0%	हितग्राही अंश सामान्य वर्ग 12% आरक्षित वर्ग 10%
2	अधोसंरचना हेतु	75%	15%	0%	10%	–

नोट :– आवास एवं अधोसंरचना हेतु लागत सीमा रू. 5 लाख निर्धारित है, जिसमें से अधोसंरचना एवं अन्य सुविधाओं हेतु 25% व्यय का प्रावधानित है।

तालिका 13.4 ब 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए

क.	घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	निकाय अंश	रिमार्क
1	आवास हेतु	50%	38-40%	10-12%	0%	हितग्राही अंश सामान्य वर्ग 12% आरक्षित वर्ग 10%
2	अधोसंरचना हेतु	50%	37.5%	0%	12.5%	–

नोट :– आवास एवं अधोसंरचना हेतु लागत सीमा रू. 4 लाख निर्धारित है, जिसमें से अधोसंरचना एवं अन्य सुविधाओं हेतु 25% व्यय का प्रावधानित है।

* भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप चयनित 4 शहरों में से बिलासपुर एवं कोरबा को SFCPA का कार्य स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (SFCPA) तैयार किया जा रहा है।

योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पायलेट डीपीआर

तलिका 13.5 एस एफ सीपीए परियोजना राशि (लाख में)

क्र.	शहर का नाम	परियोजना	लागत	आवास संख्या	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	रिमार्क
		लगंगा झुग्गी बस्ती	1359.95	300	365.28	-	36 आवासों का कार्य प्रगति पर
1	रायपुर	झोरापारा वार्ड 68 झुग्गी बस्ती	1034.22	127	121.00	-	AS/TS प्रक्रियाधीन
		सतनामी पारा, साहू पारा, बम्हदेइपारा वार्ड 7 झुग्गी बस्ती	3683.48	574	497.00	-	AS/TS प्रक्रियाधीन
2	भिलाई	घासीदास नगर, झुग्गी बस्ती वार्ड 15	6718.55	1600	1833.00	-	AS/TS प्रक्रियाधीन
		अशोक नगर, झुग्गी बस्ती वार्ड 42	3567.23	720	993.17	507.93	AS/TS प्रक्रियाधीन
3	बिलासपुर	मिट्टी टीला, वार्ड 02, झुग्गी बस्ती	1080.46	216	253.99	73.82	AS/TS प्रक्रियाधीन
		मिनीमाता झुग्गी बस्ती वार्ड 12	2035.60	456	495.61	140.61	AS/TS प्रक्रियाधीन
4	कोरबा	कुऑभाटा झुग्गी बस्ती वार्ड 12	1280.53	320	344.76	174.25	AS/TS प्रक्रियाधीन

13.21 जिला मुख्यालयों में स्टेडियम निर्माण :– योजनांतर्गत नवगठित 09 जिला मुख्यालय स्थित नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु निकायों को रू. 968.40 लाख की राशि आबंटित की गई है। वर्तमान में नगर पालिका बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, नगर पंचायत गरियाबंद, सुकमा में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा शेष 04 निकायों में निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

तालिका– 13.6 जिला मुख्यालयों में स्टेडियम

क्र.	निकाय कानाम	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)
1	नगर पालिका बलौदाबाजार	433.82
2	नगर पालिका कोण्डागॉव	490.53
3	नगर पालिका बालोद	423.37
4	नगर पालिका बेमेतरा	421.43
5	नगर पालिका सूरजपुर	475.30
6	नगर पालिका मुंगेली	408.08
7	नगर पंचायत गरियाबंद	407.26
8	नगर पंचायत बलरामपुर	415.33
9	नगर पंचायत सुकमा	400.51

14

सामाजिक क्षेत्र

14 सामाजिक क्षेत्र

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

14.1 स्कूल शिक्षा विभाग :— प्रत्येक बच्चे (विशेषकर 6 से 14 आयु वर्ग) को निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ देना ही शासन का उद्देश्य है। मानव संसाधन पर किया गया उद्देश्यपूर्ण व्यय ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सभी की सहभागिता हेतु अधोसंरचना के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। शासन, शिक्षा का विकास इस तरह से संपादित कर रही है कि शिक्षण सुविधा छात्रों को उनकी पहुँच पर प्राप्त हो रही है। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर समाज को शिक्षा के प्रति जागृत कर बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आकृष्ट किया जा रहा है। विभाग की प्रमुख योजनाएं जो उपरोक्त उद्देश्य से संचालित हैं, निम्नानुसार हैं :—

14.1.1 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम :— यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के 146 विकासखंड के सभी शासकीय विद्यालयों को अनुदान एवं स्थानीय निकायों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को पका हुआ गरम पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में केन्द्र सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत है।इस योजना पर वर्ष 2013—14 में 418 करोड़ व्यय किया गया। जिसमें 3727377 छात्र/छात्राएं लाभांवित हुए।

14.1.2 बालिका प्रोत्साहन योजना :— यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/बी.पी.एल.परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 हजार रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करती है। छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभान्वित छात्राओं के बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान है।

14.1.3 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति :— यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति हेतु परीक्षाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित की जाती है। राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों के सामान्य श्रेणी के छात्रों हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अन्य के लिए 50 प्रतिशत अंक होने पर परीक्षा में बैठने की पात्रता है एवं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो, परीक्षा में बैठने की पात्रता रखती है। अनु.जा./अनु.ज.जा./निःशक्त संवर्ग के छात्रों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता है। कक्षा 8 वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। सत्र 2012—13 में इस योजनान्तर्गत कुल 1915 विद्यार्थी चयनित हुए है।

14.1.4 सर्व शिक्षा अभियान :— राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से नवीन, प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक शाला खोलने, अधोसंरचना निर्माण करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत विद्यालयों को विभिन्न सुविधाएँ यथा अनुदान विद्यालयों एवं शिक्षकों की स्वीकृति भवन निर्माण, समावेशी शिक्षा,वैकल्पिक शिक्षा एवं नवचारी शिक्षा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र सरकार का अंशदान 65 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 35 प्रतिशत है। वर्ष 2013—14 में 45 प्राथमिक शाला एवं 35 उच्च प्राथमिक शालाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा वर्ष 2013—14 में कुल 1625.88 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था।

14.1.5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :— शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश में चार जिलों को छोड़कर (रायपुर, दुर्ग, बालोद एवं राजनांदगांव) शेष जिले में करस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर) संचालित है। यह विद्यालय उन विकासखंडों में संचालित है जहाँ महिला साक्षरता की दर देश में महिला साक्षरता की दर से कम हो। उक्त विद्यालय में 10 वर्ष आयु से अधिक शाला त्यागी/अप्रवेशी,पालक/अभिभावक से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजन खंडस्तर पर किया जाता है। सत्र 2013—14 में कुल बजट प्रावधान रुपये 2597.25 किया गया था।

14.1.6 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :— राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में भारत शासन का अंशदान 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन एवं भवन निर्माण पूर्व संचालित हाईस्कूलों का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मापदंडों के अनुरुप सुद्ढ़ीकरण के तहत विभिन्न प्रकार के कक्ष एवं दर्ज संख्या के अनुसार अतिरिक्त शिक्षक,शिक्षक प्रशिक्षण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में यह अभियान वर्ष 2008—09 से संचालित है।

14.1.7 साक्षर भारत कार्यक्रम :— साक्षरता के माध्यम से प्रदेश में न केवल पढ़ने—लिखने एवं अंकज्ञान में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है वरन् इससे भी बढ़कर कार्यात्मकता,सशक्तिकरण और आगे सीखने हेतु भी प्रेरित किया जा रहा है। इसके माध्यम से 80 प्रतिशत साक्षरता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है।लिंग भेद को 10 प्रतिशत कम कर क्षेत्रीय, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर किया जाएगा। साक्षर भारत कार्यक्रम का उद्देश्य एवं लक्ष्य यह है कि बुनियादी साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास एवं सतत् शिक्षा के उद्देश्य के साथ साक्षर भारत कार्यक्रम संचालित है। महिला व पुरुष साक्षरता दर में 10 प्रतिशत से ज्यादा अंतर न रहने देना क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक (जेण्डर) विषमताओं में कमी लाना, 15 वर्ष एवं अधिक आयु सीमा को शामिल करना है। इसकी कार्यकारी ऐंजेंसी ''राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण'' है। वर्ष 2013—14 में 214.38 करोड़ रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसमें 165.83 करोड़ व्यय किया गया।

14.1.8 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :— बीजापुर एवं नारायणपुर तथा नवीन 09 जिलों को छोड़कर समस्त जिलों में डाइट द्वारा डी.एड. पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शैक्षिक सामग्री तैयार करना,

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं क्रियान्वयन,शिक्षकों का उन्मुखीकरण करना, सतत् मानिटरिंग करना, डाइट द्वारा चुनिंदा विषयों पर सर्वे, बच्चों की उपलब्धि परीक्षण, विभिन्न संस्थाओं को आमंत्रित कर सेमीनार का आयोजन करना, प्रशिक्षण के फालोअप कार्यक्रम एवं सहायक सामग्री का निर्माण करना है।

14.1.9 मॉडल स्कूल :– उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उच्च गुणवत्ता योग्य आधुनिक शिक्षा जिससे विद्यार्थियों में जागरुकता,साहसिक गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य के तहत मॉडल स्कूल योजना संचालित की जा रही है। विद्यालय में अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा से संबंद्ध 6 वीं से 12 तक संचालित है। इसमें 74 विकासखंडों के आर्थिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़े परिवार के छात्र–छात्राओं का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाता है। प्रत्येक मॉडल स्कूल के लिये 3.02 करोड़ रुपये की लागत से शाला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें से 16 भवन निर्मित किये जा चुके है। 57भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तथा वर्ष 2013–14 हेतु राशि रुपये 4160.27 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था। योजना में भारत शासन का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य शासन का अंशदान 25 प्रतिशत है।

14.1.10 कन्या छात्रावास :– शैक्षिक रुप से पिछड़े विकासखंड, जहाँ महिला साक्षरता दर कम है वहाँ बालिकाओं के उन्नयन में होने वाली बाधाओं को दूर करना।कन्या छात्रावास 14 से 18 वर्ष के आयु समूह की कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाएं, जो कि अनुसूचित जाति,अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक समुदाय एवं बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओं के लिए है। राज्य के शैक्षिक रुप से पिछड़े 74 विकासखंडों में 100 सीटर कन्या छात्रावासों की स्वीकृति भारत शासन द्वारा दी गई हैं, जिसमें 69 कन्या छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिसमें 3723 छात्राएं दर्ज है। प्रत्येक कन्या छात्रावास के लिए 107 लाख रुपये की लागत से छात्रावास भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में 544.79 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।

14.1.11 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय :– संपूर्ण छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के समस्त बालक–बालिकाओं को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित करना है। कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्र/छात्राएं पात्र है। वर्ष 2013–14 में 108.55 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 72.65 लाख रुपये का व्यय किया गया है तथा 64.53 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुए हैं।

14.1.12 निःशुल्क गणवेश योजना :– संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र–छात्राओं के लिए दो सेट निःशुल्क गणवेश दिये जाता है। सत्र 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों को स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत प्रति बालक – बालिका का राशि रुपये 400/– के मान से दो सेट गणवेश हेतु राशि प्रावधानित की गई है। वर्ष 2013–14 में 14713.00 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया था जिसमें से 12288.40 लाख का व्यय किया गया है।

14.1.13सरस्वती सायकल योजना :– संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति,जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। वर्ष 2013–14 में 3550.00 लाख रुपये का आबंटन एवं 2783.52 लाख रुपये का व्यय किया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत कुल 110839 छात्राएं लाभान्वित हुईं है। हितग्राही का चयन प्राचार्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है।

14.1.14 छात्र दुर्घटना बीमा :– स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्राये छात्र दुर्घटना बीमा के अंर्तगत मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 10,000/–की क्षतिपूर्ति एवं आंशिक अपंगता पर 5,000/– रुपये की क्षतिपूर्ति एवं भैषेजिक उपचार हेतु 500/– छात्र दुर्घटना बीमा दिया जाता है। वर्ष 2013–14 में 65.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 10.65 लाख रुपये व्यय किया गया है तथा लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 127 है।

14.1.15 जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र :– राज्य के 16 जिला मुख्यालयों में एक प्रमुख शाला में जिला कम्प्यूटर की स्थापना 2004–05 में की गई है। जो एक वातानुकूलित प्रयोगशाला,स्टोर,आफिस,फर्नीचर व 07 कम्प्यूटरों,प्रिन्टरों आदि की सुविधा से युक्त है, जिसमें शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु प्रत्येक जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र हेतु व्याख्याता सहप्रोग्रामर के 60 पद स्वीकृत किये गये हैं। आई.सी.टी. योजनान्तर्गत विगत् वर्ष 2500 से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षण इन केन्द्रों पर संम्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत आयोजित अनेक प्रशिक्षण व छात्रों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण के कार्यक्रम इन केन्द्रों पर सतत् आयोजित किये जाते हैं।

14.1.16.शैक्षणिक सूचना संचार प्राणाली :– यह योजना वर्तमान में यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी योजना के अनुदान से संचालित की जा रही है। इसमें राज्य के सभी 146 विकासखंडों से शैक्षणिक डाटा संग्रहण का कार्य ऑफलाईन में कर उसका आनलाईन अपलोडिंग व रिपोर्टिंग इन्टरनेट पर किया जा रहा है। इसके लिये सभी विकासखंडों के इस कार्यक्रम के तहत् कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट ब्राडबैंड व प्रिन्टर प्रदान किये जा रहे हैं। साथ ही डाटाकैपचर फार्मेट में छात्र, शिक्षक, शाला व योजना संबंधी जानकारी इसके माध्यम से सर्व सुलभ कराया जाना है। इन्टरनेट पर विभाग से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध हो सकेगी। इसी योजना के अंतर्गत संचालनालय लोक शिक्षण में जन शिकायत व उसके निवारण की निःशुल्क सुविधा हेतु कॉलसेंटर की स्थापना की जा रही है।

14.1.17. स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना :– यह योजना मूलतः स्वास्थ्य विभाग की है, परन्तु इसमें स्कूल शिक्षा विभाग की अहम भूमिका है। विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर इन कार्यक्रमों को समुचित रुप से कियान्वित कराने के निर्देश पूर्व से जारी हैं। जिलों में इस कार्यक्रम का कियान्वयन हो रहा है। विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।

14.1.18.यूरोपियन कमीशन :– ''यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी योजना'' विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना है। मुख्यतः इसके दो लक्ष्य हैं। पहला–सेक्टर पालिसी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और दूसरा सेक्टर कव्हरेज एण्ड स्टैण्डर्स को संधारित करना है।

14.1.19. शिक्षक कल्याण कार्यक्रम :— राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना पूर्व विन्यास अधिनियम 1890 के अधीन वर्ष1962 में की गई थी। तद्नुसार छत्तीसगढ़ राज्य गठन के तत्काल बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के गठन का विधिवत् राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान भारत शासन नई दिल्ली द्वारा मान्यता दी गई है। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, माननीय शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन हैं। सचिव/कोषाध्यक्ष संचालक/आयुक्त, लोक शिक्षण पदेन होते हैं। कार्यकारिणी में 7 सदस्य हैं, जिनमें 3शासकीय और 4 अशासकीय होते हैं। इस प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य ऐसे शिक्षक जो निर्धन अवस्था में हैं, उन्हें अनुदान प्रदान करना, शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के श्रेष्ठ 6 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करना एवं सभी जिले के एक—एक श्रेष्ठ शिक्षक को 5 सितम्बर को राज्य पुरस्कार से सम्मानित करना मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् आज तक 148 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत कर उन्हें राशि रूपये 15 लाख 95 हजार प्रदान किया गया है। राज्य पुरस्कार अन्तर्गत 32 शिक्षकों को पुरस्कृत कर राशि रूपये 16 लाख के पुरस्कार वितरित किये गये हैं।राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के चयन के लिए राज्यस्तरीय पुरस्कार समिति है, जिसमें भारत सरकार के भी प्रतिनिधि सदस्य हैं। महामहिम राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष 05 सितम्बर को चयनित शिक्षकों को सम्मानित करते हैं।

14.1.20. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 :— छत्तीसगढ़ राज्य में इस अधिनियम का कियान्वयन1 अप्रैल 2010 से किया जा रहा है। इस अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालक—बालिकाओं को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है।

14.1.21. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् :— शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एस.सी.ई.आर.टी. को छ.ग.राज्य में अकादमिक प्राधिकरण के रुप में अधिकृत किया गया है। राज्य की शालाओं में गुणवत्ता सुधार करने हेतु एस.सी.ई.आर.टी एक नोडल प्राधिकारी के रुप में कार्य करती है। इसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते हैं —

- सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा लगभग 60 हजार शिक्षकों को संकुल स्तर पर तथा 40 हजार शिक्षकों को ब्लॉकस्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- शोध कार्यो को प्रोत्साहित करना और शिक्षकों को विभिन्न मुद्दों पर निरंतर शोध एवं नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का संचालन करना जैसे— राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा लेना आदि।
- विज्ञान एवं गणित शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।
- **राज्य स्तरीय इंसपायर आवार्ड योजना** :— बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने हेतु जिलों को आवश्यक मार्गदर्शन के अलावा विभिन्न स्तरों पर विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इंसपायर आवार्ड के लिए राज्य स्तर पर 386 मॉडलों का चयन किया

गया है और 29 मॉडल को आगे की प्रतियोगिता के लिए भेजा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रादर्शो का चयन किया गया।

- **विशेष प्रशिक्षण योजना** :— छ.ग. में सत्र 2013—14 में विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से अवधारणा स्पष्ट एवं प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तैयार कराई जाती हैं। कक्षा 10वीं से 12वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

- **छत्तीसगढ़ एडुसेट नेटवर्क** :— छत्तीसगढ़ एडुसेट नेटवर्क की स्थापना सत्र 2006—07 में 50 एस.आई.टी. के साथ प्रारंभ हुई थी। इस समय इस नेटवर्क के अंतर्गत 230 एस.आई.टी. संचालित है। यह नेटवर्क सभी केन्द्र, प्रदेश के दो शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, सभी डाइट 01 बी.आर.सी. एवं शेष सभी शासकीय उ0मा0वि0 में स्थापित है। इस नेटवर्क के माध्यम से 140—150 दिवस कार्यक्रम प्रसारण करने का लक्ष्य है। विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं, कैरियन गार्डियन, एन्टी एस.सी. की कक्षाएं, पी.ई.टी., पी.एम.टी., विशेष व्याख्यान, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं बैठक आदि का प्रसारण किया जाता है। राज्य में कुल 262 केन्द्रों से कार्यक्रम का प्रसारण होता है और 69 नवीन केन्द्र भी शीघ्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है, ताकि अधिकाधिक बच्चों को एडुसेट से प्रसारित विभिन्न ज्ञान वर्धक कार्यक्रमों का लाभ मिल सके।

- **शिक्षा** :— बी.एड., डी.एड एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम से शिक्षक तैयार करना एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।

नवीन विद्यालयों की स्थापना

वर्षवार प्रारंभ की गई शालाओं की संख्या

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्राथ. शाला	9	1	319	193	8	45
माध्य. शाला	25	404	85	140	30	35
हाई स्कूल	276	09	218	1033	0	70
उ. मा. शाला	146	31	95	119	217	150
कुलयोग	**456**	**445**	**717**	**1485**	**255**	**300**

शैक्षणिक संस्थान एवं नामांकन वर्ष 2013 - 14

क्र.	संस्था का नाम	शैक्षणिक संस्थाएं	संस्थावार नामांकन		
			पुरूष	महिला	योग
1	हायर सेकेण्डरी	3327	241056	214381	455437
2	हाई स्कूल	2753	442476	436569	879045
3	माध्यमिक स्कूल	16607	863541	841136	1704677
4	प्राथमिक स्कूल	37755	1572918	1506994	3079912
5	पूर्व प्राथमिक स्कूल	1012	31479	26653	58132
	कुल योग	61454	3151470	3025733	6177203

शिक्षक संख्या वर्ष 2013–14

क्र.	संस्था का नाम	संस्थावार शिक्षक संख्या			प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत	शिक्षक छात्र अनुपात
		पुरूष	महिला	योग		
1	हायर सेकेण्डरी	18371	13477	31848	70	1:14
2	हाई स्कूल	9003	6437	15440	67	1:56
3	माध्यमिक स्कूल	41608	25981	67589	77	1:25
4	प्राथमिक स्कूल	69750	41678	111428	76	1:27
5	पूर्व प्राथमिक स्कूल	3411	1749	4874	74	1:12
कुल योग		**142143**	**89322**	**231179**	**72.8**	**1:27**

राजीव गांधी शिक्षा मिशन

14.2 सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण है। इसके अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सुविधा युक्त उपयोगी प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। सभी बसाहटों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु विद्यालय आस–पास की 1 किलो मीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जावेगा एवं कक्षा6 से 8तक के बच्चों हेतु विद्यालय आस–पास की 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाना है। प्राथमिक शिक्षा अंतर्गत राज्य में नए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल खोलने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तथापि नए बसाहटें एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्ष 2013-14 में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत 45 प्राथमिक एवं 35 उच्च प्राथमिक शालाऐं खोली गई हैं। इस तरह अब तक सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्य में कुल 9842 प्राथमिक एवं 7815 पूर्व माध्यमिक शालाऐं प्रारंभ की गई हैं। शिक्षकों के नए पद की स्वीकृति, शिक्षक भर्ती, शाला भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तक प्रदाय, पेयजल सुविधा, शौचालय, रैंप निर्माण आदि का कार्य सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत किया जाता है।

क्र.	घटक(राशि लाख रू. में)	लक्ष्य 2014-15		उपलब्धि 2014-15	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण	2780837	5198.91	2780837	2000.00
2	निःशुल्क गणवेश वितरण	2626798	10507.20	2626798	6479.58
3	शाला बाह्य बच्चों हेतु आवासीय एवं गैर आवासीय केंद्र	60849	6393.79	60849	749.30
4	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	290045	3475.44	28783	1198.00
5	समावेशी शिक्षा	70999	2129.97	70999	1020.00
6	शाला अनुदान (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	47589	2658.79	47589	2658.79
7	मरम्मत अनुदान (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	45968	3016.75	45172	2934.94
8	कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय	93	4382.40	93	2482.00
9	आवासीय विद्यालय (500 सीट पोटा केबिन)	60	9419.35	60	4977.00
10	आवासीय छात्रावास (100 सीट पोटा केबिन)	10	324.50	10	50.00
11	आर.ई.एम.एस.	46951	431.74	-	160.50
12	बी.आर.सी. व सी.आर.सी. अनुदान	2853	6657.33	2853	2722.11

14.2.1 शिक्षकों की स्थिति – आर.टी.ई. के मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाला में न्यूनतम दो शिक्षक तथा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 में शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उच्च प्राथमिक शाला के अंतर्गत प्रत्येक शाला के लिए न्यूनतम 03 शिक्षक तथा छात्र शिक्षक अनुपात 1:35 में शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

क्र	शिक्षकों की स्थिति	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
1	सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत पद	30353	28209	58562
2	सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पद	29669	27524	57193

वर्ष 2014–15 में शिक्षकों के वेतन हेतु कुल रू. 588.61 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्ध 31 अक्टूबर 2014 तक रू. 588.38 करोड़ का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

उच्च शिक्षा

14.10 छत्तीसगढ़ राज्य की विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य हुए हैं:–

- राज्य गठन के समय 03 विश्वविद्यालय, 116 शासकीय महाविद्यालय एवं 226 अशासकीय महाविद्यालय थे। विस्तार एवं विकास की चुनौतियों का सामना करते हुए आज राज्य में 07शासकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 06 निजी विश्वविद्यालय, 206 शासकीय महाविद्यालय, 14 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं 244 अशासकीय अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय संचालित हैं। राज्य के आदिवासी अंचलों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, किन्तु राज्य के प्रमुख आदिवासी अंचल बस्तर तथा सरगुजा में दो विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

- वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 144966 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे, जिसमें स्नातक स्तर पर लगभग 19914 सामान्य वर्ग, 18172 अनुसूचित जाति, 30823 छात्र अनुसूचित जनजातिएवं 56686 अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र–छात्राएं अध्ययनरत थे। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 4070 सामान्य वर्ग, 3113 अनुसूचित जाति, 3625 छात्र अनुसूचित जनजातिएवं 8563 अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे।

- इसके अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालयों की देश में बढ़ती हुई भूमिका कोदेखते हुए छत्तीसगढ़ में भी 6 निजी विश्वविद्यालय– डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर, मैट्स विश्वविद्यालय आरंग रायपुर, कलिंगा विश्वविद्यालय ग्राम कोटनी रायपुर, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय ग्राम चरोदा दुर्ग, आई.टी.एम. विश्वविद्यालय उपरवारा, अभनपुर, रायपुर एवं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी मंगला, बिलासपुर की स्थापना की जा चुकी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा को गति प्राप्त हो रही है और हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है।

- वर्ष 2014-15में विभाग द्वारा 05 शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है एवं 03 अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है।

- वर्ष 2014-15 में जनभागीदारी/स्ववित्तीय योजनांतर्गत 04 शासकीय महाविद्यालयों में 12 नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी गई।
- सत्र 2014-15 में 46 महाविद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं/विषयों में कुल 1668 सीट वृद्धि की अनुमति दी गई।
- पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर में आधारभूत विज्ञान संस्थान (Institute of Basic Science) की स्थापना की गई।
- प्रदेश में जिंदल एवं एमेटी निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने हेतु विधेयक पारित एवं अधिसूचना जारी की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य में उच्च शिक्षा हेतु कुल रू.618.62 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 26.09 प्रतिशत अधिक है।
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों/छात्राओं को पुस्तकें/स्टेशनरी प्रदाय हेतु वर्ष 2013-14 में कुल प्रावधानित राशि रू. 160 लाख में वृद्धि करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु रू. 170 लाख प्रस्तावित किया गया है।
- **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति** :– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्र–छात्राओं हेतु बीपीएल छात्रवृत्ति प्रतिमाह रू. 300/- की दर से 10 माह में रू. 3000/- तथा स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी को रू. 500/- की दर से 10माह में रू. 5000/- दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में 4.5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
- **बी. पी. एल. बुक बैंक योजना** :– योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मुहैया हो सके, इस हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित अभिनव योजना के तहत बीपीएल के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने संबंधी बीपीएल बुक बैंक योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रखे गए प्रावधान रू. 40 लाख से वृद्धि करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु रू. 45 लाख प्रावधानित किया गया है।
- वर्ष 2014-15 में संबंधित विभाग द्वारा 21 शासकीय महाविद्यालयों में 35 स्नातकोत्तर विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने के साथ–साथ प्राध्यापक के 35 पदों का सृजन भी किया गया है।
- **संस्कृत भाषा सम्मान** :– छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत विद्वानों को सम्मानित किया जाता है, जिसके लिए संस्कृत सम्मान पुरस्कार हेतु वर्ष 2014-15 में राशि रू. 2.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा

14.9 प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता युक्त विकास समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय की स्थापना 01नवम्बर, 2000 में की गई। संचालनालय द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं का प्रशासकीय नियंत्रण एवं राज्य के सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/ पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश की कार्रवाई।

राज्य में तकनीकी शिक्षा की स्थिति

क.	संस्थाएं	1 नवम्बर 2000 की स्थिति में संस्थाओं की संख्या	1 नवम्बर 2000 की स्थिति में प्रवेश क्षमता	2014 –15 की स्थिति में संस्थाओं की संख्या	2014 –15 की स्थिति में प्रवेश क्षमता
1	इंजीनियरिंग	11	2750	47	18390
2	पॉलीटेक्निक	10	1495	50	8140
3	एम.सी.ए.	4	210	10	660
4	एम.बी.ए.	3	160	16	1380
5	एम. फॉर्मा	0	0	04	138
6	बी. फॉर्मा	0	0	10	780
7	डी. फॉर्मा	01	30	08	510
8	आर्किटेक्चर	01	20	01	80
9	एम.ई./एम.टेक	0	0	11	754

उपलब्धियां :–

1. राज्य के आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिलों (कांकेर, कोरिया, जशपुर, बीजापुर, नारायणपुर गरियाबंद, सुकमा, रामानुजगंज एवं बस्तर) में भी शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं।
2. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं उपयोग को ध्यान में रखते हुए N.T.P.C.के सहयोग से I.I.I.T.की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
3. राज्य में I.I.M.सत्र 2010–11से रायपुर में प्रारंभ।
4. वर्ष 2010–11से बी.ई., बी. फॉर्मेसी, एम.सी.ए. एवं इंजी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन काउन्सिलिंग के माध्यम से किया गया।
5. रायपुर जिले में I.I.T.खड़गपुर के अध्याय की शुरूआत वर्ष 2012–13से हो चुकी है।
6. प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थाओं में सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई है।
7. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की गई है।
8. जिला नवाचार निधि योजना वित्तीय वर्ष 2012-13से प्रारंभ की जा चुकी है।

राज्य/केन्द्र शासन द्वारा घोषित नवीन योजनाएं :–

1. वित्तीय वर्ष 2014-15में राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 05 नवीन शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा, बलौदाबाजार, रायपुर, बस्तर एवं बिलासपुर में संचालित की गई हैं।
2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में केंद्र शासन द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक बिलासपुर एवं बस्तर हेतु भवन, मशीन और उपकरण हेतु राशि रू. 200.00 लाख प्रति संस्था हेतु प्रदाय की गई है तथा वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय की राशि राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है।
3. वित्तीय वर्ष 2014-15में शासकीय पॉलीटेक्निक सूरजपुर एवं कोण्डागॉव हेतु भवन निर्माण कार्य के लिए केंद्र शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में राशि रू. 200.00 लाख प्रति संस्था हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है।
4. प्रदेश में स्थित 8शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं की प्रयोगशालाओं के उन्नयन कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रू. 860.00लाख की स्वीकृति प्रदाय की गई है।

स्वास्थ्य सेवायें

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वेक्टर जनित बीमारियां प्रचलित हैं : मलेरिया, फायलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एनसिफलाइरीस एवं कालाजर।

छत्तीसगढ़ राज्य में तीन बीमारियां, मलेरिया, फायलेरिया एवं डेंगू पाया जाता है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र में मलेरिया का अधिक प्रकोप रहता है। छ.ग. के मध्य क्षेत्र में फायलेरिया तथा शहरी क्षेत्र में डेंगू के रोगी पाए जाते हैं।

मलेरिया नियंत्रण :–

भारत सरकार के द्वारा डोमेस्टिक बजट सपोर्ट में मलेरिया/ फायलेरिया एवं डेंगू प्रभावित अंतिसंवेदनशील जिलों में नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही, मानव संसाधन, प्रशिक्षण क्षमता, विकसित करने तथा मोबिलिटि सपोर्ट की व्यवस्था की गई है।

वर्ष **2012** से **2014** में मलेरिया रोग की एपियोडेमिलॉजीकल स्थिति

क्र	विवरण	2012	2013	30 **Nov**2014 तक
1	रक्तपट्टी संग्रहण एवं परीक्षण	3721209	3776658	3664210
2	सकारात्मक	122206	110145	128332
3	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरण	96924	89418	94035
4	रक्त पट्टी सकारात्मक दर	3.3	2.92	3.50
5	वार्षिक परजीवी सूचकांक	4.7	4.18	4.87
6	रक्त पट्टी फेल्सीपेरम दर	2.6	2.37	2.57
7	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरणों का प्रतिशत	79.3	81.18	73.27
8	मृत्यु	89	43	53

कीटनाशक का छिड़काव :–

मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल कार्यक्रम मे कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। सिंथेटिक पायरेथ्राइट का छिड़काव जिला दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव एवं बिलासपुर के चार–चार विकास खण्डों में तथा डी.डी.टी. कीटनाशक दवा का छिड़काव अन्य 16 जिलों में किया गया है। कुल 6016 गांवों में 5839107 जनसंख्या को छिड़काव से अच्छादित किया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दीर्घकालीन दवा उपचारित मच्छरदानी वितरण :–

मलेरिया से व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मच्छरदानियों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2014–2015 में राज्य स्तर से 350000 मच्छरदानी प्राप्त की गई है, जिसे बस्तर, कोण्डागांव, राजनांदगांव, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर जिलों के कुल 9 विकासखंडों मे वितरित किया जा रहा है।

रेपिड डायग्नोस्टिक किट (आर.डी.किट) :–

मच्छरदानी वितरण जिलेवार

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखंड की संख्या	विकासखंड का नाम	जिलों को आबंटित की गई मच्छरदानियों की संख्या
1	बस्तर	1	नानगुर	44000
2	कोण्डागांव	1	कोकाल	40000
3	राजनांदगांव	2	मोहला, लखनपुर	75000
4	सरगुजा	2	नर्मदापुर,लखनपुर	81000
5	बलरामपुर	1	शंकरगढ़	31000
6	सूरजपुर	1	प्रेमनगर	29000
7	बिलासपुर	1	कोटा	50000
	योग	9		350000

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मलेरिया प्रकरणों की तत्काल जांच हेतु रेपिड डायग्नोस्टिक किट (त्वरित निदान किट) का उपयोग किया जाता है। आर.डी.कीट के उपयोग से उपचार की दृष्टि से मलेरिया प्रकरणों की तत्काल जांच अंतर्गत पी.एफ. किट उपलब्ध कराई जाती है, जिससे खतरनाक या फैल्सीपेरस प्रकार के मलेरिया की तत्काल पहचान कर उन्हें मूलोपचार प्रदान कर मलेरिया से होने वाली मृत्युओं और जटिलताओं को कम किया जाता है। वर्ष 2014 में आर.डी. किट के माध्यम से 636461 बुखार पीड़ितों की रक्त परीक्षण किए गए जिसमें से 28104 सकारात्मक पाए गए।

यह सुविधा ऐसे पहुँच विहिन, दुर्गम एवं जोखिम क्षेत्रों के लिए अत्यंत कारगर है, जहां बुखार प्रकरणों के रक्तपट्टी परीक्षण के परिणाम चौबीस घंटे में नहीं मिल पाते।

आरटीसुनेट कॉम्बीनेशन थेरेपी (ए.सी.टी.) :–

भारत सरकार द्वारा जारी उपचार निर्देशिका 2014 सभी उपचारकर्ताओं के पास उपलब्ध है। गाइड लाइन्स के अनुसार मलेरिया वाइवेक्स (PV+) बुखार पीड़ितों को क्लोरोक्वीन एवं प्राइमाक्वीन तथा मलेरिया फेल्सीपेरम (PF+)बुखार पीड़ितों को ACTएवं प्राइमाक्वीन टेबलेट द्वारा उपचारित किया जाता है।

प्रचार–प्रसार एवं अन्य रक्षोपाय :–

मलेरिया एवं अन्य वेक्टर जनित रोग की रोकथाम एवं बचाव हेतु जनसधारण को सचेत करने तथा जनजागृति फैलाने के उद्देश्य से व्यापक मात्रा में प्रचार–प्रसार किया जाता है, जिसके तहत पम्पलेट वितरण, दीवार पर स्लोगन एवं लेखन तथा मुनादी इत्यादि कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी के माध्यम से संध्या समाचार के समय स्थानीय बोली/भाषा (गोंडी, सरगुजिया एवं छत्तीसगढ़ी) में मलेरिया एवं अन्य वेक्टर जनित रोग से बचाव हेतु जागरूकता लाने के प्रयास सहित सभी संभव उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ डेंगू से बचाव हेतु प्रचार–प्रसार किया गया।

क्रमांक	मद	इकाई	31 मार्च 2013	31 मार्च 2014
13.1.1	स्वास्थ्य संसाधन			
1	जिला अस्पताल	No's	27	24
2	कुष्ठ आरोग्य आश्रम एवं अस्पताल	No's	03	03
3	पॉली क्लीनिक	No's	01	01
4	नागरिक औषधालय	No's	29	31
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	No's	156	155
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	No's	783	792
7	उप प्राथमिक केन्द्र	No's	5161	5180
13.1.2	आर.एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी.			
1	ग्रामीण स्वास्थ्य परिवार कल्याण केन्द्र	No's	01	01
13.1.3	आर.एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी.			
1	जिला प्रषिक्षण केन्द्र	No's	14	14
2	सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र	No's	04	10
3	महिला बहुउद्देशिय कार्यकर्ता स्कूल	No's	13	
4	पुरूष बहुउद्देशिय कार्यकर्ता स्कूल	No's	03	03

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

केन्द्र	संख्या	स्थान
ICTC (Integrated Counseling & Testing Center)- समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र	114	मेडिकल कॉलेज – 6 जिला अस्पताल – 28 सामुदायिक स्वा. केन्द्र – 64 सिविल अस्पताल – 10 प्राथमिक स्वा. केन्द्र – 5 सहकारी अस्पताल – 1
ब्लड बैंक (नाको सहायतित)	16	जिला अस्पताल – 12 मेडिकल कॉलेज – 3 रेड क्रॉस, रायपुर – 1
ए.आर.टी. केन्द्र	05	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग,जगदलपुर, अंबिकापुर
लिंक ए.आर.टी. केन्द्र	06	महासमुंद, कोरबा, कांकेर, जाजगीर, जशपुर कोरिया
केयर एंड सर्पोट सेंटर	05	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर
शा. एस.टी.डी. क्लीनिक	29	मेडिकल कॉलेज – 3 जिला अस्पताल – 26
एन.जी.ओ. (लक्षित हस्ताक्षेप कार्यक्रम)	46	राज्य के 21 जिलों में संचालित
रक्त संग्रहण हेतु मोबाईल वेन	1	मेडिकल कॉलेज रायपुर द्वारा संचालित
चलित समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र	03	दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़
ब्लड ट्रांसपोर्टशन वेन	04	रायपुर, बिलासपुर, जागदलपुर, अंबिकापुर
लिंक वर्कर स्कीम	04	रायपुर, बिलासपुर,दुर्ग,राजनांदगाव
OST सेंटर	04	बिलासपुर,–2, दुर्ग, कोरबा

छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी. की स्थिति :– नवम्बर 2014 तक

- कुल एच.आई.वी. जाँच की संख्या: (ICTC द्वारा रिपोर्ट की गयी संख्या) – 1209155
- कुल एच.आई.वी. पॉजिटिव की संख्या: (ICTC द्वारा रिपोर्ट की गयी संख्या) – 19308

- एच.आई.वी जाँच की संख्या (अप्रैल 14 से नवम्बर 2014) – 202530
- एच.आई.वी. पॉजिटिव की संख्याः (अप्रैल 14 से नवम्बर 2014) – 233
- पॉजिटिव महिलाओं का प्रतिशत – 37%
- पॉजिटिव पुरूषों का प्रतिशत – 63%
- सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग – 25–49 वर्ष
- सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग का प्रतिशत – 77%
- कुल ए.एन.सी. जाँच (अप्रैल 14 से नवम्बर 2014) – 84580
- कुल ए.एन.सी. पॉजिटिव (अप्रैल 14 से नवम्बर 2014) – 133
- राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत (अप्रैल 14 से नव.2014) – 84%
- HIVCare के लिए ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या – 14479
- HIVCare के लिए ART पर मरीजों की संख्या – 6591

एच.आई.वी. पॉजिटिव की स्थिति

(अप्रैल 14 से नवंबर 14 तक)

क्र.	जिला	एएनसी एचआईवी जांच	एचआईवी जांच	कुल एचआईवी जांच	एएनसी एचआईवी पॉजिटिव	एचआईवी पॉजीटिव	कुल एचआईवी पॉजीटिव
1	बालोद	4673	2868	7541	2	26	28
2	बलोदाबाजार	3173	3458	6631	4	49	53
3	बलरामपुर	2060	798	2858	0	1	1
4	बस्तर	2711	8167	10878	12	112	124
5	बेमेतरा	1295	1820	3115	0	13	13
6	बीजापुर	292	440	732	0	0	0
7	बिलासपुर	9325	15081	24406	18	319	337
8	दंतेवाड़ा	807	1464	2271	1	10	11
9	धमतरी	3484	3429	6913	1	23	24
10	दुर्ग	7796	8569	16365	21	294	315
11	गरियाबंद	1426	1078	2504	0	3	3
12	जांजगीर–चांपा	3349	5392	8741	1	11	12
13	जशपुर	2065	3878	5943	0	13	13
14	कांकेर	3821	3316	7137	1	11	12
15	कबीरधाम	1106	2218	3324	2	55	57
16	कोण्डागांव	1149	904	2053	1	12	13
17	कोरबा	5214	5656	10870	4	45	49
18	कोरिय	3311	2541	5852	6	37	43
19	महासमुंद	2579	3282	5861	6	47	53
20	मुंगेली	274	834	1108	0	2	2
21	नारायणपुर	576	187	763	0	3	3
22	रायगढ़	4628	14685	19313	5	37	42
23	रायपुर	8346	13582	21928	24	602	626
24	राजनांदगांव	7691	7201	14892	16	138	154
25	सुकमा	559	161	720	0	1	1
26	सूरजपुर	1120	3046	4166	0	6	6
27	सरगुजा	1750	3895	5645	8	61	69
	कुल	**84580**	**117950**	**202530**	**133**	**1931**	**2064**

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

वर्षवार कुल एच0आइ0वी0 पॉजिटिव (जनवरी से दिसंबर 14)

वर्ष	कुल एचआईवी जाँच	एचआईवी पॉजिटिव (आई0सी0टी0सी0)
2003	3395	37
2004	2725	209
2005	4663	344
2006	8369	639
2007	25048	1119
2008	51333	1508
2009	108479	2184
2010	147482	2287
2011	144287	2563
2012	208522	2910
2013	251547	2838
2014 (जन—नवम्बर)	253305	2670
कुल	**1209155**	**19308**

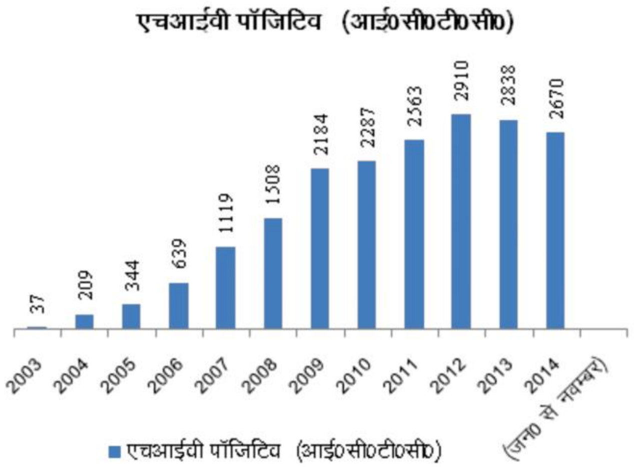

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम :—

राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1976 से प्रारंभ किया गया था। प्रदेश मे यह कार्यक्रम वर्ष1978 से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर वर्ष 2020 तक 0.3 प्रतिशत करना है। इसके अंतर्गत निःशुल्क मोतियाबिन्द आपरेशन, शालेय छात्रों को निःशुल्क चश्मा वितरण, नेत्रदान तथा अन्य नेत्र रोगों का उपचार किया जाता है।

तालिका क्र. राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	मोतियाबिन्द ऑपरेशन लक्ष्य	उपलब्धि	स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण	निःशुल्क चश्मे	नेत्र दान
2013.14	89000	83926	1156650	22225	111
2014.15 (दिस.14)	89000	53694	1022320	17128	164

National Health Mission Family planning Budget

Family Planning	F Y 2013-14		F Y 2014-15	
FMR CODE	ROP	EXP (Audited)	ROP	EXP(till Nov.14)
A.3	2207.80	-	2221.53	-

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013—14 के लिये 89 हजार मोतियाबिन्द नेत्र आपरेशन के लक्ष्य के विरूद्ध 83,926 मोतियाबिन्द आपरेशन हुये, जो कि वार्षिक लक्ष्य के 94.29 प्रतिशत रही है। स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण के अंतर्गत 11,56.650 छात्रों का नेत्र परीक्षण कर 22,225 छात्रों को निःशुल्क चश्में वितरित किये गये है। दान में 111 नेत्र प्राप्त हुये थे।

वर्ष 2014–15 में दिसंबर माह तक 89 हजार मोतियाबिन्द नेत्र आपरेशन के लक्ष्य के विरूद्ध 53,694 मोतियाबिन्द आपरेशन हुये हैं, स्कूल शालेय नेत्र परीक्षण के अंतर्गत 10,22,320 छात्रों का नेत्र परीक्षण कर 17,128 छात्रों को निःशुल्क चश्में वितरित किये गये है। दान में 164 नेत्र प्राप्त हुये हैं।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ :–

कुष्ठ एक जीवाणु से होने वाला रोग है, परन्तु समाज में व्याप्त अवैज्ञानिक मान्याताओं व अंधविश्वासों के फलस्वरूप कुष्ठ रोग को छुपाया जाता है, जिससे इस रोग की सही स्थिति का आंकलन कठिन होता है। इस समस्या के निवारण के लिये ही 'राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम' छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज में छिपे सभी अनुपचारित कुष्ठ रोगियों को खोज कर उन्हें बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये ताकि रोग का प्रसार रूक जाए व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जावे।

विवरण	31मार्च 2014	नवंबर 2014
खोजे गये नये रोगियो की संख्या	8519	6342
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	8472	5464
उपचाररत् मरीजों की संख्या	5700	6577

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2003 में नये कुष्ठ खोजी दर 85.9 प्रति एक लाख जनसंख्या थी, जो कि माह मार्च 2014 में 33.10 प्रति एक लाख जनसंख्या है एवं मार्च 2003 में कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति दस हजार जनसंख्या थी जो मार्च 2014 में 2. 21 प्रति दस हजार है। यह नियंत्रण राज्य में प्रभावी एवं क्रमबद्ध कार्य बनाकर करने से हुआ है। बहुऔषधि उपचार के अंतर्गत नियमित उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है। राज्य बनने के बाद समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक बहुऔषधि उपचार की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य में औषधि की कोई कमी नहीं है तथा आगामी वर्ष तक के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वे विकासखण्ड जिसका प्रभाव दर 2 या 2 से अधिक था उन विकासखण्डों में परामर्श एवं सघन प्रचार–प्रसार कुष्ठ पखवाड़ा 30 जनवरी2015 से 13 फरवरी 2015 में अधिक प्रभाव दर वाले विकासखण्ड(60)में विशेष खोज अभियान BlockLeprosyControlCampaign(BLCC)चलाया जाना निर्धारित है। जिसमें सभी छुपे हुए कुष्ठ प्रभावितों को खोज कर एम.डीटी. उपचार दिया जावेगा।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम छत्तीसगढ़

वर्ष	संदेहास्पद क्षय रोगियों की जांच	धनात्मक क्षय खखार	उपचाररत रोगियों की संख्या		धनात्मक क्षय रोगियों की सफलता दर प्रतिशत
			पुराने	नए	
2013	119029	13171	25789	10630	87
2014	154796	14849	28788	12094	88

वित्तीय वर्ष 2013–14 में भारत शासन से राशि रू. 140.59 लाख प्राप्त हुईं जिसके विरूद्ध रू. 30.60 लाख खर्च हुआ।

महिला एवं बाल विकास विभाग

समेकित बाल विकास सेवा योजना :— भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया।

समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य :—

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :—

- बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रूग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

समेकित बाल विकास परियेाजना की सेवायें:—

- समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती हैः—

क्र.	सेवा	हितग्राही
1	टीकाकरण	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकाएँ एवं 0—6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2	स्वास्थ्य जाँच	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, धात्री माताएँ, 0—6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकायें।
3	संदर्भ सेवाएँ	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के 0—6 वर्ष तक के गम्भीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें/शिशुवती माताएँ।
4	पूरक पोषाहार	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, शिशुवती माताएँ, 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे
5	स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त 15—45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री माताएँ एवं किशोरी बालिकायें।
6	शाला पूर्व शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की , 03—06 वर्ष तक के समस्त बच्चे

आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदण्डः–

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्र :

1. 400–800जनसंख्या पर	–	1 आंगनबाड़ी केन्द्र
2. 800–1600जनसंख्या पर	–	2 आंगनबाड़ी केन्द्र
3. 1600–2400जनसंख्या पर	–	3 आंगनबाड़ी केन्द्र

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–400 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

आदिवासी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र :

300–800जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–300जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण– आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	केंद्र/परियोजना	छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व स्वीकृत	प्रथम चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2005–06)	द्वितीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2007–08)	तृतीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2010–11) एवं 2011–12	कुल स्वीकृत	वर्तमान में संचालित
1.	बाल विकास परियोजना	152	06	05	57	220	220
2	आंगनबाड़ी केंद्र	20289	9148	5500	8826	43763	43567
3.	मिनी आंगनबाड़ी केंद्र	836	0	1483	4229	6548	6342
	योग (2+3)	**21125**	**9148**	**6983**	**13055**	**50311**	**49909**

आईसीडीएस का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन

- भारत शासन द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एकीकृत बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु 22 अक्टूबर 2012 को निर्देश जारी किये गये जो कि राज्य के सभी जिलों में तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जावेगा।
- प्रदेश में प्रथम चरण में वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में 17 हाईबर्डन जिलों (बस्तर, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गरियाबंद, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, रायपुर एवं सुकमा) में लागू किया जावेगा एवं इन 17 जिलों में अतिरिक्त कार्यकर्ता की नियुक्ति की जायेगी। शेष 10 जिलों में लिंक वर्कर का प्रावधान किया गया है।सभी जिलो में वर्ष 2014–15 से यह Strengthening and Restructuring लागू किया जाएगा।

- बाल विकास सेवा योजना राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय (National Mission Directorate) तथा राष्ट्रीय मिशन संसाधन केन्द्र (National Mission Resource Center) के माध्यम से मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है।

- राज्य स्तर पर भी उपरोक्तानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में State Mission Steering Group (SMSG) तथा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में State Empowerd Programme Committee (SEPC)गठित की गई है, जो कि राज्य स्तर पर योजनाओं के नीति संबंधी निर्णय एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण कर रही है। विभागीय आदेश दिनांक 03-10-2013 द्वारा आईसीडीएस मिशन State Empowerd Programme Committee एवं State Mission Steering Group (SMSG) का गठन किया जा चुका है।

- राज्य स्तर पर राज्य बाल विकास समिति गठित होगी, यह समिति जिला बाल विकास समिति गठित किए जाने के अधिकारों के साथ गठित की जाएगी।

- राज्य स्तर पर पृथक से राज्य आईसीडीएस मिशन डायरेक्ट्रेट होगा, जो मिशन डायरेक्टर के परिचालन में संचालित किया जा रहा है। राज्य की तरह जिलो में भी जिला मिशन इकाई बनाई जाएगी।

- योजना के क्रियान्वयन हेतु बाल विकास सेवा मिशन विभिन्न स्तर (जिला स्तर) पर APIPतैयार कर योजना का क्रियान्वयन तथा प्रत्येक स्तर पर मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक लचीलापन देते हुए योजना के क्रियान्वयन में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक उपाय किए जाने का प्रावधान रखा गया है।

- आईसीडीएस सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां/घटक शामिल हैः–
    - कुपोषण प्रबंधन हेतु स्नेह शिविरों का आयोजन।
    - योजना के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक स्तर पर अतिरिक्त मानव संसाधन का प्रावधान।
    - आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण एवं पक्के आंगनबाड़ी भवनों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान।
    - राज्य के 5 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों को डे–केयर क्रेश के रूप में संचालन।
    - शाला पूर्व शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु ईसीसीई दिवस का आयोजन।
    - आंगनबाड़ी केंद्रों का ग्रेडिंग एवं मूल्यांकन का प्रावधान।
    - निःशक्त बच्चों हेतु प्रावधान।

- आईसीडीएस सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्संरचना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों को "VibrantECD Center"के रूप में विकसित किया जाना है एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं शाला पूर्व शिक्षा हेतु गांव की प्रथम चौकी के रूप में निर्मित किया जावेगा। इस हेतु बाल विकास योजना अंतर्गत वर्तमान की 6 सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

कुपोषण की रोकथाम हेतु संचालित कार्यक्रम एवं योजनाएं– आई.आई.पी.एस. (इंटरनेशनल इस्टीट्यूट ऑफ पापुलेशन सांइसेज) की रिपोर्ट 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पांच वर्ष की आयु तक के बच्चों में कुपोषण (under weight children under five years) का स्तर 47.6 प्रतिशत था। विभाग द्वारा कुपोषण को कम करने हेतु किये जा रहे प्रयासों से वर्ष मार्च 2014 में राज्य में किए गए वजन–त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण का स्तर 32.29 प्रतिशत है।

- **कुपोषण मुक्ति अभियान**– विभाग द्वारा मिलेनियम डेव्लपमेंट गोल (MDG) के लक्ष्यों की चुनौती को स्वीकार करते हुए कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु ''शासन समाज की सहभागिता'' को मानक सिद्धांत बनाते हुए कुपोषण मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है । अभियान अंतर्गत समुदाय में सुपोषण की अवधारणा स्थापित करने हेतु प्रचार–प्रसार निर्माण, समुदाय की सक्रीय सहभागिता, बाल विकास सेवाओं में चिह्नित की गई कार्यक्रमागत् कमियों की पूर्ति करना, आंगनबाडी केन्द्रों को आवश्यक उपकरण, वजन मशीन, ग्रोथ चार्ट इत्यादि उपलब्ध कराना, गंभीर कुपोषित बच्चों कों कुपोषण के चक्र से बाहर लाने हेतु अतिरिक्त चिकित्सकीय सहायता, स्वास्थ्य परीक्षण, दवाईयां आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ मैदानी अमलों – आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को महत्वपूर्ण तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण देकर उनमें परामर्शदायी क्षमता एवं कौशल विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

- **मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना** :– गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 06 जून 2009 से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजनान्तर्गत् निम्नानुसार कार्रवाई की जा रही है :–

➢ प्रत्येक विकासखंड में माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिह्नांकित ।

➢ बच्चों के संक्रमण की पहचान ।

➢ निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान – अधिकतम 300/– रूपये सीमा तक स्वास्थ्य परीक्षण ।

➢ एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500/– की दवाएं आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

➢ निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप 1000/– रूपये का मानदेय।

➢ वर्ष 2012–13 में 101237 बच्चों को लाभान्वित किया गया। मार्च 2014 की स्थिति में 62054 बच्चों को योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

- नवाजतन योजना– नवाजतन योजना के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों में सुपोषण मित्रों द्वारा अधिक से अधिक कम वजन वाले मध्यम व गंभीर कुपोषित बच्चों के पालकों के ज्ञान एवं कौशल को स्थानीय संदर्भ में बेहतर कर उन्हें समुदाय आधारित प्रबंधन के लिए तैयार कर बच्चों की स्थिति में छः माह में सुधार लाना लक्षित किया गया है। योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है–

➢ स्वसहायता समूहों/महिला मंडलों/स्वैच्छिक संस्थाओं/कार्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से अधिक से अधिक कुपोषित बच्चों को छः माह की अवधि में सामान्य स्तर पर लाना ।

➢ मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत नियमित कम वजन वाले गंभीर कुपोषित बच्चों की जांच करना, उपचार कराना और ऐसे सभी कम वजन वाले कुपोषित बच्चे, जिन्हें चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता है उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र – अस्पताल में भर्ती कर उनकी स्थिति में सुधार लाना।

- सभी गतिविधियों में प्रत्येक लक्षित कम वजन वाले कुपोषित बच्चों की सॉफ्टवेयर के माध्यम से मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना। मूल्यांकन एवं अनुश्रवण गतिविधियों में यूनिसेफ, केयर, एमआई आदि जैसी संस्थाओं का सहयोग लेना।
- योजना के प्रारंभ में बाह्य संस्थाओं द्वारा नमूना सर्वेक्षण।
- छः माह पश्चात् बाह्य संस्थाओं द्वारा संपूर्ण मूल्यांकन।
- 6 माह के ऐसे चरण लगातार जारी रखे जाएगे।
- प्रथम चरण– योजना का संचालन 1 जून 2012 से मार्च 2013 तक किया गया। जिसके तहत चयनित 340 ग्राम पंचायतों के कुल 22329 बच्चों को लक्षित किया गया था। लक्ष्य के विरूद्व में 6 माह की योजना अवधि में 7036 बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया।
- द्वितीय चरण– योजना का संचालन 1 अगस्त 2013 से 31 जनवरी 2014 तक किया गया। जिसके तहत चयनित 573 ग्राम पंचायतों के कुल 38291 बच्चों को लक्षित किया गया था। लक्ष्य के विरूद्व में 6 माह की योजना अवधि में 16547 बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया गया।
- तृतीय चरण– योजना का संचालन 1 सितंबर 2014 से प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत लगभग 66000 बच्चों को लक्षित कर कुपोषण से बाहर लाये जाने हेतु योजना संचालित है।

- वजन त्यौहार – वर्ष 2005–06 में प्रदेश में लगभग 52 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे तथा इसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वें नहीं हुआ। अतः प्रदेश में कुपोषण की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए वजन त्यौहार का आयोजन प्रारंभ किया गया तथा प्रदेश के सभी बच्चों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुश्रवण प्रारंभ किया गया। वजन त्यौहार का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में जन–जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करना और कुपोषण के विरूद्व वातावरण तैयार करना,वजन की सही स्थिति को जानकर प्रत्येक बच्चे की जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज कर राज्य में कुपोषित बच्चों की स्थिति का आधारभूत डाटा तैयार करना। वजन त्यौहार के आयोजन के दौरान 06 वर्ष से कम आयु के सभी निःशक्त बच्चे तथा उनमें निःशक्तता के प्रकार का आकंलन करना।

आईसीडीएस अन्तर्गत पूरक पोषण आहार का प्रदाय–

- **6** माह से **3** वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिये आहार :– इस श्रेणी के हितग्राहियों को टेक होम राशन पद्धति से खाने के लिए तैयार भोजन, मुर्रा लड्डू एवं डबल फोर्टिफाइड नमक दिया जाता है।
- हितग्राहियों में वृद्धि–राज्य गठन के पश्चात् आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाओं को समुदाय के अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयास किए गए हैं । इन प्रयासों के फलस्वरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं के प्रति जन–जागरूकता में बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2000–01 में आंगनबाड़ी केन्द्रों से लाभांवित हितग्राहियों की संख्या 11.64 लाख थी। वहीं वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 26.63 लाख हो चुकी है।

वर्ष	लाभांवित हितग्राही			
	6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चे	3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चे	गर्भवती एवं शिशुवती माताएं	कुल लाभांवित
2012-13	1164696	903421	464041	2532158
2013-14	1214589	927207	522098	2663894

- 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजनः– आँगनबाड़ी केन्द्र में आने वाले इन हितग्राहियों को साप्ताहिक मेन्यू अनुसार नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।
- खाने के लिए तैयार भोजन का निर्माण 1578 महिला स्वसहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है।नाश्ता तथा गर्म पका हुआ भोजन 21003 महिला स्वसहायता समूहों, के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ नमक योजना –06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के सामान्य तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रति माह 01 किलो ग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक का प्रदाय किया जा रहा है। इस नमक में 15–30 पीपीएम आयोडिन एवं 850 से 1100 पीपीएम आयरन की मात्रा होती है। इस पर होने वाला व्यय पूरक पोषण आहार मद से विभाग द्वारा किया जाता है।
- महतारी लइका नमक योजना –आँगनबाड़ी केंद्रों की गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को प्रति माह 01 किलो ग्राम डबल फोर्टिफाइड साल्ट का प्रदाय किया जा रहा है। इस नमक में 15–30 पीपीएम आयोडिन एवं 850 से 1100 पीपीएम आयरन की मात्रा होती है। इस पर होने वाला व्यय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है।
- वर्ष 2013–14 में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 5.22 लाख गर्भवती/धात्री माताएं, छह माह से छह वर्ष के 21.42 लाख बच्चे, इस प्रकार कुल 26.63 लाख हितग्राही पोषण आहार से लाभान्वित हुए हैं। सितम्बर 2014 तक4.60 लाख गर्भवती/धात्री माताएं, छह माह से छह वर्ष के 20.58 लाख बच्चे, इस प्रकार कुल 25.18 लाख हितग्राही पोषण आहार से लाभान्वित हुए हैं।

सबला योजना अन्तर्गत पूरक पोषण आहार प्रदाय :–

- 11 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं के लिये संचालित सबला योजना प्रदेश के 10 जिलों क्रमशः रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर, कोंडागांव, रायगढ़ एवं राजनांदगांव में संचालित है।
- सबला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है।
- इस योजनांतर्गत 11 से 14 आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं, 14 से 18 आयु वर्ग की शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से टेक होम राशन पद्धति से खाने के लिए तैयार भोजन दिया जा रहा है ।
- किशोरी बालिकाओं को 165 ग्राम खाने के लिए तैयार भोजन प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन) दिया जाता है।
- सर्वेक्षित 4.44 लाख बालिकाओं में से 3.73 लाख बालिकाओं को पोषण आहार से प्रतिदिन लाभान्वित किया गया है।

गैर सबला जिलों की किशोरी बालिकाओं को राज्य की निधि से पूरक पोषण आहार का प्रदाय

- जिन 17 जिलों में सबला योजना संचालित नहीं है वहाँ 2 अक्टूबर 2014 से 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं के लिए राज्य की निधि से पूरक पोषण आहार प्रदाय आरम्भ किया गया है। योजनांतर्गत 11 से 14 आयु

वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं, 14 से 18 आयु वर्ग की शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से टेक होम राशन पद्धति से खाने के लिए तैयार भोजन दिया जा रहा है ।

- वर्तमान में 426025 किशोरी बालिकाएं योजनांतर्गत लाभांवित हो रहीं हैं ।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त **ISSNIP (ICDS System Strengthening and Nutrition Improvement Project)** परियोजना

विश्व बैंक सहायता प्राप्त**ISSNIP** परियोजना हेतु, पूरे भारत वर्ष के 08 राज्यों (मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र एवं राजस्थान) का चयन किया गया है। यह परियोजना नवंबर 2012 (2012–13) से आरंभ होकर अक्टूबर 2019 तक, 7 वर्ष की अवधि के लिए संचालित रहेगी। राज्य में यह परियोजना छत्तीसगढ़ के 11 जिलों (महासमुंद, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, जशपुर, कांकेर, दंतेवाडा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर एवं रायपुर) की 92 परियोजनाओं के 28,682 आंगनबाड़ी केन्द्रों में लागू की गई है। निम्न 04 कंपोनेंट के अंतर्गत गतिविधियों को आयोजित करने विश्व बैंक की स्वीकृति राज्य को प्राप्त है:–

Component 1 : Institutional and Systems Strengthening;

Component 2 : Community Mobilization and Behaviour Change Communication (BCC);

Component 3 : Piloting Convergent Nutrition Actions

Component 4 : Project Management, Technical Assistance, and Monitoring & Evaluation

भवन निर्माण

आंनगबाड़ी भवन :– महिला एवं बाल विकास विभाग संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वयं के पक्के भवन निर्माण कार्य विभागीय मद एवं अन्य मदों के माध्यम से किया जाता है। छत्तीसगढ़ निर्माण उपरांत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं के सफल संचालन हेतु आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु विशेष पहल करते हुए सतत रूप से पक्के आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में कुल स्वीकृत 43763 आंगनबाड़ी केंद्रों के विरूद्ध 37693 भवन स्वीकृत किये गये हैं।

पर्यवेक्षक कार्यालय सह आवास भवन:– विभाग में आईसीडीएस कार्यक्रम के मैदानी स्तर पर सूक्ष्म पर्यवेक्षण एवं कार्यक्रम के संचालन हेतु पर्यवेक्षक महत्वपूर्ण कड़ी है। विभागीय सभी पर्यवेक्षक महिलाएं हैं तथा सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत है जहाँ इनके आवास की व्यवस्था नहीं है। राज्य गठन पश्चात् विभागीय पर्यवेक्षकों के आवास एवं कार्यालय संचालन की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये 124 पर्यवेक्षक कार्यालय सह आवास हेतु भवन स्वीकृत किये गये हैं।

परियोजना कार्यालय भवन :– विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन एवं निगरानी का कार्य एकीकृत बाल विकास परियोजना के माध्यम से किया जाता है । परियोजना कार्यालय के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के आंगनबाड़ी में आने वाली केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं के संचालन हेतु परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यालयीन स्टॉफ हेतु स्वयं के भवन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में कुल स्वीकृत 220 बाल विकास परियोजनाओं में से 206 परियोजनाओं हेतु भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं।

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS)

भारत शासन द्वारासर्वोत्तम बाल हित तथा बच्चों के लिए मौजूदा बाल संरक्षण तंत्र को मजबूती प्रदान करने के उददेश्य से एकीकृत बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गयी है ।

लक्षित हितग्राही

- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा किशोर
- सड़क पर रहने वाले बेघर एवं परिवार रहित बच्चों हेतु
- विपदा ग्रस्त बच्चों का संरक्षण एवं देखभाल
- अनाथ अपरिपक्व तथा निराश्रित शिशुओं की देखभाल एवं संरक्षण
- बाल श्रमिक, कठिन परिस्थिति में कार्यरत कामकाजी बच्चों का संरक्षण

योजना के तहत कार्यक्रम का ढांचा

A] राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

B] राज्य बाल संरक्षण समिति

C] जिला बाल संरक्षण समिति

D] राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

E] चाईल्ड लाईन सर्विसेस

F] बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना

G] दत्तक ग्रहण हेतु सभी जिलों में स्थापन एजेंसी का गठन

H] गैर संस्थागत देखभाल हेतु कार्यवाही

I] किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक इकाईयों का सुदृढ़ीकरण

बालक कल्याण समिति

राज्य के सभी 27 जिलों में बालक कल्याण समिति गठित है।

किशोर न्याय बोर्ड

राज्य के कुल 27 जिलों में से 17 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड गठित है।

चाईल्ड लाईन

राज्य के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर एवं जशपुर में चाईल्ड लाईन की सेवायें संचालित है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

- भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में राज्य के दो जिले धमतरी तथा बस्तर में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना(Condinational Maternity benefit)संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण ही स्थिति में सुधार के लिए प्रारंभ की गई है। योजना के तहत

हितग्राहियों को निश्चित शर्तों के अधीन दो किश्तों में राशि खाते के माध्यम से इनसेन्टीव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है ।

- लाभार्थी को पहली किस्त गर्भावस्था के 06 माह के बाद योजना प्रावधान में दिए गए शर्तो को पूरा करने पर 3000/– की राशि दी जाती है।
- लाभार्थी को द्वितीय किस्त प्रसव के 06 माह बाद योजना प्रावधान में दिए गए शर्तो को पूरा करने पर 3000/– रूपये की राशि दी जाती है।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है इस योजना के संचालन के लिए शत्–प्रतिशत् राशि केन्द्र शासन से प्राप्त हो रही है।
- योजना के तहत 50 हजार से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 1500 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2014–15 में योजना संचालन हेतु 3000 लाख रूपये का प्रावधान उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

उद्देश्यः–

- निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण ।
- विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना ।
- सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार।
- विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना ।
  - पात्रताः–योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  - सहायता का स्वरूपः–योजना के अंतर्गत 11500 रुपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में,2500 रूपये आयोजन व्यय के रूप में तथा 1000 रूपये चैक/ड्राफ्ट के रूप में अर्थात् प्रति कन्या कुल 15000 रूपये की सहायता का प्रावधान है । वर्ष 2012–13 में 9519 जोड़ों को तथा वर्ष 2013–14 में माह सितम्बर 2013 तक 4982 जोड़ों को लाभान्वित कराया जा चुका है।

आयुष्मति योजना

- हितग्राही – ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाएँ
- सहायता का स्वरूप – शासकीय अस्पतालों में एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400 रूपये तक तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000 रूपये तक की चिकित्सा सहायता के तहत इलाज दवा, पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराना।
- रोगी महिला के साथ आये परिचारक को भी सुविधाजनक विश्राम तथा दो समय के भोजन की सुविधा दी जाती है।

महिला जागृति शिविर

महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं प्रावधानों के प्रति जागृत करने, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाने तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं की रोकथाम एवं महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभाग द्वारा ग्राम पंचायत,जनपद एवं जिला स्तर पर शिविर आयोजित किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से महिला जागृति शिविरों को पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक आयोजित करने के निर्देश के साथ ही सभी स्तरों के लिए वित्तीय मापदंड निर्धारित किये गये हैं। आगामी तीन वर्षों के भीतर राज्य के सभी पंचायतों में कम से कम एक बार शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित करने हेतु कार्ययोजना बनायी गयी हैं। वर्ष 2013–14 में 2200 शिविरों के माध्यम से लगभग 5 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है।

शक्तिस्वरूपा योजना

विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं की जीविकोपार्जन तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिए नवीन शक्ति स्वरूपा योजना वितीय वर्ष 2009–10 में राज्य के बस्तर, नारायणपुर, दन्तेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव तथा बीजापुर जिले में प्रारंभ की गयी है। योजना अन्तर्गत सहायता प्रावधान तीन भागों में विभक्त है ।

योजना	ऋण राशि	विवरण
स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु ऋण में सब्सिडी	ऋण राशि का 15 प्रतिशत अथवा 30 हजार रूपये जो न्यूनतम हो	व्यवसाय हेतु लिये गये ऋण पर अनुदान की प्रतिपूर्ति बैंकों को की जायेगी।
व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता	प्रशिक्षण हेतु सहायता की अधिकतम सीमा 25 हजार रूपये होगी । इसके अतिरिक्त निवास स्थान से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 1 हजार रूपये हॉस्टल व्यय के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी ।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण से ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाना जो महिला के स्वयं के व्यावसाय में लाभकारी हो।

योजना	ऋण राशि	विवरण
व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	शिक्षा हेतु अधिकतम 1 लाख रूपये प्रति हितग्राही प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त निवास स्थान से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 1 हजार रूपये हॉस्टल व्यय के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी	यदि कोई महिला एमबीए/एमबीबीएस अथवा समतुल्य उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित है तथा मापदण्डों के अधीन सहायता

योजनान्तर्गत पात्र महिलाओं के आवेदन जिला स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्राप्त प्रकरण बैंकों को प्रेषित किये जाते हैं ।

छत्तीसगढ़ महिला कोष

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यो को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करने तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधि के लिए वित्तीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 2.2.2002 को किया गया है ।

- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व–सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजनाका संचालन दिनांक 15.8.2003 से किया जा रहा हैं।
- योजनांतर्गत स्व–सहायता समूहों को अधिकतम 50000.00 रूपये तक का ऋण प्रथम बार में प्रदाय किया जाता है तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 100000.00 रूपये तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जाता हैं ।
- योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना अंतर्गत उपलब्धि

योजना प्रांरभ से अब तक 24 हजार 116 स्वयं सहायता समूहों को राशि रूपये 37 करोड़ 92 लाख 33 हजार का ऋण(रिवाल्विंग फण्ड) प्रदाय किया गया है ।

वर्ष	समूह संख्या	ऋण
2012–13	2970	678.50 लाख
2013–14	540	169.35 लाख

सक्षम योजना – छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''सक्षम योजना'' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएँ जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनीतौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तो पर 1.00 लाख रूपये तक का ऋण प्रदाय किया जाता है । उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षो में 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर आसान किश्तों में की जाती है । ऋण की स्वीकृति के अधिकार जिला स्तर पर प्रदान किये गये है ।

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
2012–13	226	12075000
2013–14	41	4200000

स्वावलंबन योजना – छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में ''स्वावलंबन योजना'' आरंभ की गई है । इस योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग की ऐसी महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो कानूनीतौर पर तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें है, व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके स्वावलंबी बनने का आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही 5 हजार रूपये तक की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है । योजना का कियान्वयन करने का अधिकार जिला स्तर पर दिये गये है । योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों एवं राशि की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
2012–13	138	412780.00
2013–14	172	774000.00

योजना प्रारंभ से अब तक 765 महिलाओं को राशि रूपये 27 लाख 78 हजार 715 का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

WIFS (Weekly Iron and Folic Acid Supplementation)

- किशोरवयीन बच्चों में एनीमिया की रोकथाम हेतु प्रदेश में 01 जुलाई 2013 से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
- इसके तहत शाला जाने वाले किशोर बालक/बालिकाओं कों प्रति मंगलवार शाला में तथा शाला बाह्य बालिकाओं को प्रति शनिवार आंगनबाडी केन्द्र में आईएफए प्रदाय किया जा रहा है ।
- वर्ष में दो बार, माह अगस्त एवं फरवरी में प्रथम शनिवार को कृमिनाशक दवाई शाला जाने वाले किशोर बालक/बालिकाओं को शाला में तथा शाला बाह्य बालिकाओं को आंगनबाडी केन्द्र में वितरण किया जा रहा है।
- आईएफए वितरण के समय किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

सबला योजना

- सबला योजना, राज्य के 10 जिलों रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़, राजनांदगांव, कोण्डागांव, बस्तर, सूरजपुर, बलरामपुर, एवं सरगुजा में संचालित है। इस योजना हेतु 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं लक्षित समूह है।

योजना के दो प्रमुख भाग हैं :—

- **किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदायः—** इस घटक अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष आयु की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। सितम्बर 2014 की स्थिति में 4.11 लाख बालिकाओं को पोषण आहार से लाभान्वित किया गया है।
- **पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त सेवाए :—**

  इसके अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच, आईएफए टेबलेट प्रदाय, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ARSH), बाल देखरेख पद्धतियाँ, गृह प्रबंधन, जीवन कौशल शिक्षा विषय पर प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट (स्वास्थ्य केन्द्रों, बैंकों, डाकघरों, पुलिस थाना, पाठशाला, पंचायती राज संस्था, सरकारी कार्यालय सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं इत्यादि का एक्सपोजर विजिट), किशोरी दिवस आयोजन एवं शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण शामिल हैं। वर्ष 2014—15 में योजना अंतर्गत सर्वेक्षित बालिकाओं की संख्या 6.75 लाख है।

किशोरी शक्ति योजना

सबला योजना संचालित 10 जिलों के अतिरिक्त शेष जिलों में किशोरी शक्ति योजना संचालित है। इस योजना में बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय नहीं किया जाता है। योजनांतर्गत प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के लिये प्रति परियोजना 300 बालिकाओं का चयन कर लाभान्वित किया जाता है। योजना अंतर्गत लक्षित बालिकाओं की संख्या 27600 है जिन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

14.8 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(1) जल प्रदाय कार्यक्रम :– छत्तीसगढ़शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में पेयजल व्यवस्था के साथ ही छत्तीसगढ़ को पूर्ण निर्मल राज्य का दर्जा दिलाने के काम में जुटा है। आमजनों को पेयजल से संबंधित समस्याओं के तुरंत निदान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में टोल फ्री नंबर 1800–233–0008 चालू किया गया है।

(2) ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम :– राज्य की कुल 73616 बसाहटों में अब तक कुल 244870 हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।अब तक स्वीकृत कुल 2833 स्वीकृत नलजल योजनाओं में से 2400 पूर्ण एवं 74 आंशिक पूर्ण नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को सार्वजनिक नल एवं घरेलू नल कनेक्शन द्वारा सीधे घरों में पेयजल उपलब्ध हो रहा है एवं 3163 स्वीकृत स्थल जलप्रदाय योजनाओं में से अब तक 2721 स्थल जलप्रदाय योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं पेयजल उपलब्ध हो रहा है। 378 योजनाओं के कार्य प्रगति पर एवं 64 योजनाओं के कार्य प्रारंभ शेष हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य 8200 के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्व 6079बसाहटों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है शेष कार्य प्रगति पर है। पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है एवं सभी पेयजल स्त्रोतों की वर्ष में एक बार जाँच कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में आयरन के साथ–साथ कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है।

दिनांक 01-04-2014 की स्थिति में चिन्हित 73616 बसाहटों में 4095 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गईं जिनमें आयरन युक्त 3858 बसाहटें, सेलेनिटी युक्त 105 बसाहटें एवं फ्लोराइड युक्त 132बसाहटें पाई गई हैं। वर्ष 2014–15 में 2700 पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें 1145 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य के ऐसे ग्राम/बसाहटें जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है वहाँ 802 Solar Pump आधारित योजना क्रियान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) नगरीय/शहरीय जल प्रदाय कार्यक्रम :– राज्य के 169नगरीय निकायों में से 71नगरीय निकायों में शहरीय पैटर्न पर आधारित जलप्रदाय योजनाएँ क्रियान्वित कर जल प्रदाय किया जा रहा है। 49नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं की कार्य प्रगति पर हैं एवं 08स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रारंभ किए जाने हैं। 13नगरीय निकायों में शहरीय पैटर्न की जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित किया जाना शेष है।

(4) स्वच्छ भारत मिशन (दिनॉक 02.10.2014 से पूर्व में निर्मल भारत अभियान) :– नर्मल भारत अभियान को 02 अक्टूबर 2014 से ''स्वच्छ भारत मिशन'' के रूप में लागू किया गया है। इस अभियान का क्रियान्वयन तीव्रगति से करने का प्रयास किया जा रहा है। बीपीएल परिवारों की कुल लक्षित 1901541शौचालय निर्माण के विरूद्ध अब तक 1151003 (60.53%) एवं एपीएल परिवारों हेतु कुल लक्षित 2398306 शौचालय निर्माण के विरूद्ध अब तक 906669 (37.80%) इस प्रकार कुल लक्षित 4299847के विरूद्ध अब तक 2057672 (47.85%) व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में हो चुका है।

इसी कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित 54008 शालाओं में से अब तक 51969(96.22%) यूनिट एवं लक्षित 11985 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से अब तक 10595(88.40%) यूनिट शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतुखुले में शौच मुक्त ग्राम के लिए भारत शासन ने अब तक 817 ग्राम पंचायतों को ''निर्मल ग्राम पुरस्कार'' से सम्मानित किया है।

समाज सेवा

14.11 समाज कल्याण द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, प्रभावशील अधिनियमों एवं कार्यक्रमों से संबधित दायित्वों को सम्पादन किया जा रहा है। निराश्रित वृद्ध विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त व्यक्तियों की देख–रेख तथा किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत बालकों की देख–रेख एवं बाल संप्रेक्षण गृह आदि कार्यक्रम प्रभावशील है।

14.11.1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध एवं 50 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं एवं 6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों को 300 रू. मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो, को पेंशन की पात्रता है। पेंशन की पात्रता केवल राज्य के निवासियों के लिये ही है।

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :– राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 300.00 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 600.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 100.00 राज्यांश सम्मिलित है।

(3) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :– योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 20,000 रू. दिये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।131(4) सुखद सहारा योजना :–इसके अन्तर्गत 18–39 वर्ष तक की निराश्रित विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को 300 रूपये प्रतिमाह–पेंशन राशि भुगतान की जाती है।

(5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रू. 300प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है।

(6) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन येाजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रू. 300.00प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

सारणी 14. सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति				
पेंशन योजना	2013-14		2014-15अक्टूबर तक	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख.	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	18918.02	548528	14594.11	553357
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	18484.79	682076	10738.64	683095
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1841.50	10210	660.60	3375
सुखद सहारा योजना	5760.67	247619	4718.71	253294
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येाजना	4321.36	129086	2605.34	135505
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन येाजना	1279.77	36377	757.80	36345

14.11.2. अन्य सामाजिक योजना

समाज सेवा के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :– निःशक्त (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अस्थि बाधितों हेतु रायपुर एवं राजनांदगांव में विशेष विद्यालय संचालित हैं। मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा कोरबा एवं रायगढ़ में विद्यालय संचालित हैं।

14.11.3. निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना :– इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 50 से 240 प्रतिमाह छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 50 से 100 वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

14.11.4. कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना :– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 5001 से रू. 8000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु दी जाती है।

14.11.5. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :– निःशक्तजनों को सामाजिक पुनर्वसन एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं एवं 21 से 45 वर्ष आयु के पुरूष के विवाह हेतु राशि रू. 21000 प्रति विवाहित जोड़े को प्रदाय किया जाता है।

14.11.6. निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं :– विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण–प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं संचालित हैं।

सारणी 14. सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

योजना	2013-14		2014-15अक्टूबर तक	
	वित्तीय उपलब्धि लाख़	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	264.12	2232	250.00	2794
निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	82.78	14607	18.52	4710
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	70.78	2003	4.49	991
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	130.00	619	24.36	116
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाए	833.94	936	633.00	1131

6. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम** :– वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर को ''अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस'' जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन निराश्रित वृद्ध जनों के लिए प्रदेश में 21 वृद्धाश्रम संचालित है। जहॉ 479 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

14.12 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास :–

(1) शालेय शिक्षा :–राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाएँ संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा 14533प्राथमिक शालाएँ, 5379 माध्यमिक शालाएँ, 454हाई स्कूल, 884 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 6 आदर्श उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय, 13 कन्या शिक्षा परिसर, 12 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 01 गुरूकुल विद्यालय एवं 13 खेल परिसर तथा 6 प्रयास आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना अंतर्गत संचालित है।

(2) राज्य छात्रवृत्तियाँ :–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 10 तक निरंतर विद्या अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा 10 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।

(3) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ :– कक्षा 11वीं एवं इससे उपर में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(4) अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ :– अस्वच्छ धंधों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु कक्षा पहली से दसवी तक के छात्र–छात्राओं को यह विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है।

(5) छात्रावास :– प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 2032 छात्रावास संचालित है। प्रवेशित छात्र को 10 माह के लिये शिष्यवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता है।

(6) आश्रम शाला योजना :– प्रदेश के वनाँचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहाॅ शैक्षणिक सुविधा नही है आश्रम शाला योजना की व्यवस्था है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनु. जनजाति के लिए 1175 आश्रम शालाएँ संचालित है।

(7) निःशुल्क गणवेश प्रदाय :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कक्षा पहली से आठवी तक के बालक–बालिकाओं को राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है।

(8) छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय :– नवमीं एवं दसवीं में अध्ययनरत् छात्राओं को विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु निःशुल्क सायकल दी गई है।

(9) कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की ऐसी कन्याएँ जो पाॅचवी कक्षा उत्तीर्ण कर आगे पढ़ाई जारी हेतु प्रवेश लेती है उन्हें 500 रू. प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(10) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति अंतर्गत जरूरतमन्द परिवारों को तुरंत राहत योजना लागू की गई।

(11) परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है।

(12) मध्यान्ह भोजन योजना :– प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं नियमित उपस्थिति में प्रोत्साहन के लिये यह योजना वर्ष 1995 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत छः वर्ष से चौदह वर्ष आयु समूह के बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता है।

(13) अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :– अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिये कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं को शाला, छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं हेतु सिलाई केंद्र आदि के लिये अनुदान देने का प्रावधान है।

(14) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण :– राज्य में विशेष 5 पिछड़ी जनजातियाँ अबूझ माड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं बैगा के विकास हेतु विशेष अभिकरण का गठन किया गया है। जिनके द्वारा अधोसंरचना के कार्य, सामुदायिक कार्य तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए जाते हैं।

(15) अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :– राज्य के सघन अनुसूचित जाति क्षेत्रों में निवासरत लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(18) मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्र/छात्राओं को जो दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण हुए हों, को 15 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 700 आदिवासी एवं 300 अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने हेतु प्रावधान है।

(19) स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना :– विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र/छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।

(20) वाहन चालक प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति युवकों को वाहन चालक का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008-09 से योजना लागू की गई है।

(21) एयर हॉस्टेस प्रशिक्षण योजना :–योजनांतर्गत अनु. जाति एवं अनु. जनजाति केयुवतियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है।

(22) सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर सफल होने पर रू. 1.00 लाख एवं रू. 0.10 लाख (प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर), छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल होने पर रू. 0.20 लाख राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2013-14 में इस योजनांतर्गत रू. 14 लाख का प्रावधान रखा गया है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के लिए विभिन्न योजनावार प्रगति

वर्ग	2013-14		2014-15(सितंबर)	
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.)	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.)
राज्य छात्रवृत्तियां				
अनुसूचित जाति	560063	3853.50	110172	352.36
अनुसूचित जनजाति	1114359	7756.06	252069	486.64
पिछड़ा वर्ग	1131630	4855.18	333260	791.73
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां				
अनुसूचित जाति	80381	4517.58	कार्रवाई प्रारंभ	कार्रवाईप्रारंभ
अनुसूचित जनजाति	124116	5626.06	कार्रवाई प्रारंभ	कार्रवाईप्रारंभ
पिछड़ा वर्ग	216335	8011.77	कार्रवाई प्रारंभ	कार्रवाईप्रारंभ
अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां				
अनुसूचित जाति	16899	313.99	1228	22.72
छात्रावास				
अनुसूचित जाति	15184	1085.97	12899	1068.80
अनुसूचित जनजाति	60595	4332.97	61246	3800.70
अन्य पिछड़ा वर्ग	353	26.56	377	22.75
आश्रम शाला योजना				
अनुसूचित जाति	2768	200.38	2578	210.00
अनुसूचित जनजाति	73146	5468.67	74347	4630.00

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के लिए विभिन्न योजनावार प्रगति

वर्ग	2013-14 भौतिक उपलब्धि	2013-14 वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.)	2014-15(सितंबर) भौतिक उपलब्धि	2014-15(सितंबर) वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख रू.)
निःशुल्क गणवेश प्रदाय				
अनुसूचित जाति	57312	335.00	47587	335.00
अनुसूचित जनजाति	487752	2009.00	411852	2431.98
विशेष पिछड़ी जनजाति	27702	-		
पिछड़ा वर्ग	134294	703.63	202648	1070.69
छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय				
अनुसूचित जाति	5436	128.45	6624	-
अनुसूचित जनजाति	36498	1039.54	44596	-
विशेष पिछड़ी जनजाति	1237		-	-
अन्य पिछड़ा वर्ग	17000	480.72	19532	-
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना				
अनुसूचित जाति	33892	169.46	8806	44.03
अनुसूचित जनजाति	61142	305.71	16150	80.75
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम				
अनुसूचित जाति	272	242.34	300	73.09
अनुसूचित जनजाति	323		-	-
परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति				
अनुसूचित जाति	2996	7.19	कार्रवाईजारी	20.0
अनुसूचित जनजाति	3208	7.70	कार्रवाईजारी	-
मध्यान्ह भोजन योजना				
छात्र/छात्राएं	1624355	16509.57	1470494	9624.98
अशासकीय संस्थाओं को अनुदान				
अनुसूचित जाति	03+11	357.12 14.00	03	172.00
अनुसूचित जनजाति	30+142	5470.78 397.00	30	2227.57
विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण				
कार्य	483	696.827	कार्रवाईजारी	2000.00 (प्रावधान)
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण				
कार्य	1605	3698.72	489	1111.40
मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना				
अनुसूचित जाति	300	45.00	300 (लक्ष्य)	45.00
अनुसूचित जनजाति	700	105.00	700(लक्ष्य)	105.00
स्वस्थ्य तन स्वस्थ्य मन योजना				
अनुसूचित जाति	5096	21.00	3640	16.05
अनुसूचित जनजाति	56853	75.00	52027	64.77
वाहन चालक प्रोत्साहन योजना				
अनुसूचित जाति	33	4.50	6	1.00
अनुसूचित जनजाति	33	4.50	6	1.00
एयर हॉस्टेस **प्रशिक्षण योजना**				
अनुसूचित जाति	10	3.81	50	कार्रवाईजारी
अनुसूचित जनजाति	10	2.95	50	कार्रवाईजारी
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना				
अनुसूचित जाति	41	4.10	70 (लक्ष्य)	7.00 (प्रावधान)
अनुसूचित जनजाति	45	4.50	70 (लक्ष्य)	7.00 (प्रावधान)

नागरिक पंजीयन प्रणाली :–

किसी भी राष्ट्र के लोगो से संबन्धित आकंडे उस राष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। इसी कड़ी में नागरिक पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत जन्म–मृत्यु के पंजीयन से प्राप्त आकंडे सामाजिक, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें आदि की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए विशेष महत्व रखते हैं।

जन्म–मृत्यु पंजीयन की महत्ताः–

- किसी व्यक्ति विशेष की पहचान के लिए उसका जन्म प्रमाण–पत्र एक वैधानिक साक्ष्य है।
- जनगणना केवल दस वर्ष के अंतराल पर की जाती है, जबकि नागरिक पंजीयन प्रणाली प्रतिवर्ष आंकडे. उपलब्ध करती है। अतः उसके मध्यावधि में जनसंख्या में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी नागरिक पंजीयन प्रणाली से ही प्राप्त हो सकती है।
- मृत्यु पंजीयन से किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले मृत्यु के कारणों को जाना जा सकता हैं तथा उसे रोकने के लिए उचित प्रयास किए जा सकतेहैं।
- नागरिक पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर एवं मातृत्व मृत्युदर आदि जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होते है, जो कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए अतिआवश्यक है।

छत्तीसगढ़ राज्य में 01 जनवरी 2008 से जन्म–मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) घोषित किया गया है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव, नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिक निगम/नगर पालिक/नगर पंचायत के अधिकारी को अधिकृत किया गया हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 से स्वास्थ्य विभाग के शास. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 30 या 30 से अधिक बिस्तरों वाले शास. अस्पताल के प्रभारी तथा वर्ष 2014 से समस्त शास. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपस्वास्थ्य केन्द्रों को भी पंजीयन इकाई घोषित किया गया हैं।

वर्ष 2011 के दौरान केवल जन्म 53 % एवं मृत्यु 59 % घटनाओं का पंजीयन आंकलित किया गया था, जिसके उपरांत इस न्यून पंजीयन दर को बढ़ाने हेतु प्रतिवेदित प्रकरणों का सरलीकरण, अनुश्रवण हेतु ऑनलाईन प्रणाली का स्थापन एवं पंजीयकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया।

वर्ष 2014 के साथ ही साथ वर्ष 2012 एवं 2013 के शेष कार्यों को भारत के महारजिस्ट्रार के छत्तीसगढ़ स्थित ऑचलिक कार्यालय, यूनिसेफ एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के संयुक्त तत्वाधान में पूर्ण किया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2012 एवं 2013 के जन्म–मृत्यु के पंजीयन में काफी सुधार हुआ। वर्ष 2012 मे 69.6 % एवं वर्ष 2013 में 81.7% जन्मो का पंजीयन हुआ इसी क्रम में मृत्यु पंजीयन क्रमशः वर्ष 2012 में 68.4 % एवं वर्ष 2013 में 70.9 % रहा। जो कि वर्ष 2014 में प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार जन्म पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में शत–प्रतिशत आंकलित की गई है।

जन्म एवं मृत्यु पंजीयन स्तर में वृद्धि एवं सरलीकृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये गए :–

- राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों को पंजीयन इकाई बनाया गया है।
- विलंबित पंजीयन शुल्क को आगामी पांच वर्ष तक 1 रूपया किया गया, जिसका वहन भी राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। अर्थात् जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क किया गया है।
- जन्म एवं मृत्यु पंजीयन कराने हेतु जन जागरूगता लाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया, साथ ही मैदानी कर्मचारियो को प्रशिक्षण दिया गया, एवं उनके कार्यो का सघन निरीक्षण किया गया।
- विलंबित पंजीयन को सरल करने हेतु आवश्यक शपथपत्र (नोटरी) के स्थान पर स्व–प्रमाणित शपथ पत्र को मान्य किया गया है। जिसे एन.ए.एम. / एम.पी.डब्ल्यू / स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाता है।

15

राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

15. राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियां

15.1 राज्य योजना आयोग के दायित्व में प्रमुख प्रदेश के संसाधनों के अनुरूप प्राथमिकता निर्धारित कर पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं का निर्माण करना है। क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण में सहयोग करना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में असंतुलन के कारणों को अभिज्ञापित करना तथा उसे दूर करने हेतु सुझाव देना, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतिगत निर्णयों को लेने के लिए तथ्यों के आधार पर आवश्यक सिफारिश करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग की संरचना तथा दायित्वों में परिवर्तन हुआ है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग (National Institution For Transforming India - NITI) कर इसे देश के विकास के लिए ''थिंक टैंक'' का स्वरूप प्रदान किया गया है। इसी के अनुरूप राज्य योजना आयोग में भी परिवर्तन लाने के लिये राज्य योजना आयोग का पुर्नगठन किया गया है। राज्य योजना आयोग में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को सदस्य बनाया गया है। राज्य योजना आयोग राज्य स्तर पर ''थिंक टैंक'' के रूप में कार्य करेगा।

15.1.1 पंचवर्षीय योजनाएं – सामाजिक एवं आर्थिक संकेतांक

राज्य के लिये केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लक्षित विकास संकेतकों के संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्धियॉं एवं अद्यतन स्थिति तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की स्थिति को निम्नानुसार तालिका क्रमांक– 1 में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक– सामाजिक एवं आर्थिक संकेतांक

क.	विकास संकेतक	इकाई	11वी पंचवर्षीय योजना में उपब्धियां (वर्ष 2011–12)		12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	अद्यतन स्थिति	
			वर्ष	संकेतांक		वर्ष	संकेतांक
1.	गरीबी में कमी (स्तर)	प्रतिशत	2011-12 PC, GoI	39.9	25	2011-12 PC, GoI	39.9
2.	शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	2011 SRS	48	28	2014 SRS	46
3.	मातृत्व मृत्यु दर	प्रति लाख जीवित जन्म पर	2010-12 SRS	230	122	2010-12 SRS	230
4.	सकल प्रजनन दर	प्रति महिला	2011 MHFW	2.7	2	2012 MHFW	2.7
5.	कुपोषण (0 से 5 वर्ष के बच्चें में)	प्रतिशत	2012 WCD CG	40.87	26	2013 WCDCG	32.51
6.	रक्ताल्पता (महिलाओं में 15–49 वर्ष)	प्रतिशत	2005-06 NFHS-III	57.6	28	2005-06 NFHS-III	57.6
7.	लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष के बच्चेंमें)	प्रति हजार बालक	2011 Census	969	999	2011 Census	969
8.	शाला त्याज्य दर (Elementry Level)	प्रतिशत	2011-12 DISE	-	0	DISE 2012-13	4.60
	1. प्रायमरी			3.14			4.14
	2. अपर प्रायमरी			3.68			5.42
9.	साक्षरता दर	प्रतिशत	2011 Census	70.3	90	2011 Census	70.3

तालिका क्रमांक– सामाजिक एवं आर्थिक संकेतांक							
क.	विकास संकेतक	इकाई	11वी पंचवर्षीय योजना में उपब्धियां (वर्ष 2011–12)		12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	अद्यतन स्थिति	
			वर्ष	संकेतांक		वर्ष	संकेतांक
10.	महिला पुरूष साक्षरता अंतर	प्रतिशत	2011 Census	20.03	12	2011 Census	20.03
11.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	प्रतिशत	2011-12 CG Economic survey	7.35	8.0	2014-15 CG Economic survey	5.86
	1. कृषि	प्रतिशत		6.46	6.0		2.67
	2. उद्योग	प्रतिशत		6.22	7.5		4.72
	3. सेवाएं	प्रतिशत		9.80	9.5		8.70

किसी भी राज्य की प्रगति को प्रदेश के समाजिक आर्थिक संकेतांक की प्रगति से जाना जा सकता है। प्रदेश के समाजिक आर्थिक संकेतांकों की प्रकृति धनात्मक है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2009–10 में 49 प्रतिशत था। 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में कम हो कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है जो इस बात का घोतक है कि गरीबी उन्मूलन के लिए प्रारंभ किये गये कार्यक्रमों का प्रभाव सकारात्मक रहा है। शिशु मृत्यु दर में भी निरंतर गिरावट आ रही है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2014 में शिशु मृत्यु दर 2 अंक गिरकर 46 प्रति हजार हो गई है। इसी प्रकार कुपोषण में भी कमी आई है, वर्ष 2012 में 0 से 5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत 40.87 था जो कि वर्ष 2013 में कम होकर 32.51 प्रतिशत हो गया है। मातृत्व मृत्यु दर में भी प्रदेश के निर्माण के बाद से काफी सुधार हुआ है। मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2003 में 379 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2010–12 में 230 प्रति लाख हो गई है। कृषि, उद्योग एवं सेवा के क्षेत्र में भी विकास की गति अच्छी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6.47 प्रतिशत, उद्योग के क्षेत्र में 6.22 प्रतिशत और सेवा के क्षेत्र में 10.46 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 8 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 5.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर लक्ष्य 6.0 प्रतिशत के अनुरूप 5.81 प्रतिशत रही जो कि अच्छी है।

15.1.2 12वीं पंचवर्षीय योजना – अनुमोदित योजना प्रावधान

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संभावित संसाधनों के आधार पर क्षेत्रकवार अनुमोदित योजना प्रावधान को तालिका क्रमांक– 2 में निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक– 2 अनुमोदित योजना प्रावधान (राशि करोड़ रूपये में)			
क्र.	क्षेत्रक	अनुमोदित योजना प्रावधान	कुल योजना का प्रतिशत
1.	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	8283.74	6.29
2.	ग्रामीण विकास	3668.52	2.78
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3313.50	2.52
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	11952.26	9.07
5.	ऊर्जा	7337.03	5.57
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	1972.32	1.50
7.	यातायात	13017.31	9.88
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	2840.14	2.16
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	5206.92	3.95
10.	सामाजिक सेवायें	61260.26	46.51
11.	सामान्य सेवायें	0.00	0.00
	कुल बजटीय योजना	118852.00	90.23
	स्थानीय निकाय संसाधन	4421.00	3.36
	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के संसाधन	8455.00	6.42
कुल योजना परिव्यय		131728.00	100.00

स्रोत– खण्ड–1, 12वीं पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, भारत सरकार

15.1.3 वार्षिक योजनाएं – वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 2012–13 एवं 2013–14 के लिये अनुमोदित राशि के विरूद्ध व्यय तथा वार्षिक योजना 2014–15 की अनुमोदित राशि का योजना प्रावधान क्षेत्रकवार तालिका क्रमांक– 3 में दर्शाया गया है।

वार्षिक योजना 2013–14 के लिये अनुमोदित परिव्यय (राज्य पोषित) रूपये 23,309.14 करोड़ के विरूद्ध रू. 18374.16 करोड़ (78.83 प्रतिशत) का व्यय किया गया। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर रूपये 2,304.98 करोड़ के अनुमोदित के विरूद्ध रूपये 1709.82 करोड़, ग्रामीण विकास पर रूपये 993.53 करोड़ के विरूद्ध रूपये 770.01 करोड़ एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय रूपये 11,756.84 करोड़ के विरूद्ध रूपये 9396.06 करोड़ का व्यय किया गया।

तालिका क्रमांक– 3 वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ									(राशि करोड़ रूपये में)
क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना 2012–13			वार्षिक योजना 2013–14			वार्षिक योजना 2014–15	
		अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	अनुमोदित राशि	व्यय	प्रतिशत	प्रस्तावित राशि	क्षेत्रक प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	2284.24	2287.36	100.14	2304.98	1709.82	74.18	4072.76	15.30
2.	ग्रामीण विकास	806.97	658.43	81.59	993.53	770.01	77.50	982.78	3.69
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	761.46	737.89	96.90	840.43	518.43	61.69	859.50	3.23
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2086.25	1598.08	76.60	2088.85	1734.45	83.03	1898.59	7.13
5.	उर्जा	1263.56	1409.20	111.53	924.36	801.71	86.73	580.36	2.18
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	268.46	241.27	89.87	289.48	307.99	106.39	327.24	1.23
7.	यातायात	2740.74	1587.28	57.91	2589.25	1906.11	73.62	2900.21	10.90
8.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	505	543.58	107.64	530.77	493.01	92.89	573.61	2.16
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	675.89	634.69	93.90	675.99	634.86	93.92	163.03	0.61
10	सामाजिक सेवायें	9579	7712.42	80.51	11756.84	9396.06	79.92	13865.31	52.10
11	सामान्य सेवायें	212.66	238.96	112.37	255.67	101.70	39.78	274.95	1.03
	एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	180.00			59.00			116.66	0.44
	योग	**21184.23**	**17649.19**	**83.31**	**23309.14**	**18374.16**	**78.83**	**26615.00**	**100.00**
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	2295.70			1940.86				
	कुल योग	**23479.93**	**17649.19**		**25250.00**	**18374.16**		**26615.00**	

वार्षिक योजना 2014–15 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 26615.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए रूपये 4072.76 करो़ड़, ग्रामीण विकास के लिए रूपये 982.78 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए रूपये 1898.59 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 52.10 प्रतिशत राशि रूपये 13865.31 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है।

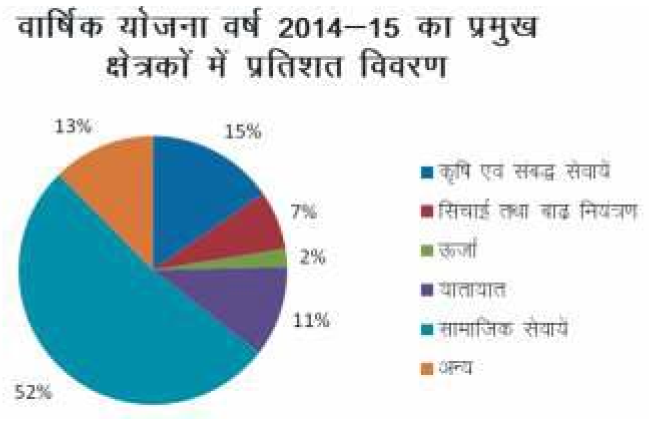

15.1.4. वार्षिक योजना 2014—15 — टीएसपी, एससीएसपी प्रावधान

योजना आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में योजनाओं में प्रावधान किया जाना है। प्रदेश में 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 30.62 तथा अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.82 है। वार्षिक योजना 2014—15 में अनुसचित जनजाति के लिए (टीएसपी कम्पोनेन्ट) 35.76 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए (एससीएसपी कम्पोनेन्ट) 11.97 प्रतिशत रखा गया है, जैसा कि तालिका क्रमांक– 4 में दर्शाया गया है–

तालिका क्रमांक– 4 टीएसपी, एससीएसपी प्रावधान (करोड़ रूपये में)

क.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2014–15		
		अनुमोदित राशि	टीएसपी कम्पोनेन्ट	एससीएसपी कम्पोनेन्ट
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	4072.76	1481.02	661.70
2	ग्रामीण विकास	982.78	374.61	103.05
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	859.50	634.25	75.00
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1898.59	551.24	316.30
5	उर्जा	580.36	209.36	60.00
6	उद्योग तथा खनिकर्म	327.24	70.62	47.05
7	यातायात	2900.21	858.42	353.13
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	573.61	227.54	57.06
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	163.03	35.98	12.18
10	सामाजिक सेवायें	13865.31	4929.30	1461.31
11	सामान्य सेवायें	274.95	64.00	4.50
	एकमुश्त केन्द्रीय सहायता	116.66	82.24	34.42
	योग	**26615.00**	**9518.57**	**3185.71**
	प्रतिशत		**35.76**	**11.97**

15.1.5 जिला वार्षिक योजना

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है। वर्ष 2015–16 के संदर्भ में सभी जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत योजनाएं जनवरी, 2015 तक प्राप्त किया जाना है।

जिला योजना के संदर्भ में संचालित कार्यक्रम / उपलब्धियॉं

1. यूनीसेफ तथा राज्य योजना आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जिला वार्षिक योजना वर्ष 2015–16 के निर्माण के लिए जिले का स्थिति विश्लेषण निर्धारित सात क्षेत्रकों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, ऊर्जा प्रबंधन तथा नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिन्दुओं पर प्रारूप तैयार किया गया है।

2. प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रत्येक संभाग से यथा जशपुर, बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव, उत्तर बस्तर कांकेर जिलें की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे संबंधित जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुतीकरण कर सहमति उपरांत राज्य योजना आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है।

3. स्वास्थ्य के आंकड़ों पर सभी जिलों का रिपोर्ट कार्ड बनाया गया, जिसे राज्य के सभी जिलों को प्रेषित किया गया।

4. धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड में जीआईएस आधारित आदर्श सहभागी योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है।

5. संयुक्त राष्ट्र विकास योजना तथा राज्य योजना आयोग के संयुक्त तत्वाधान में विकेन्द्रीकृत जिला योजना सुदृढ़ीकरण करने के लिए वर्ष 2014–15 में एक परियोजना प्रारंभ की गयी है। इस परियोजना के अंतगर्त जिला योजना समिति का क्षमता विकास, जेण्डर आधारित समन्वित जिला योजना, सफल प्रयासों का अभिलेखीकरण एवं फ्लेगशिप योजना में सामाजिक अंकेक्षण को योजना की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

15.1.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) :–

प्रदेश में संचालित सभी योजनाओं के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु विश्व बैंक की सहायता से वेब आधारित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जा रहा है। साफ्टवेयर पूर्णता की दशा में है। पशुधन विकास विभाग, मत्स्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में साफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है इन विभागों के द्वारा साफ्टवेयर के उपयोग पश्चात अंतिम रूप से सभी विभाग द्वारा इसे उपयोग में लाया जावेगा। पद्धति के विकास पश्चात कम्प्यूटर की एक क्लिक पर योजनाओं की प्रगति की जानकारी अनुश्रवणकर्त्ता अधिकारी के समक्ष होगी। राज्य जिला एवं विकास खण्ड स्तर तक योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों संबंधी अद्यतन जानकारी इस पद्धति के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। योजनाओं में हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त करना भी संभव हो सकेगा। साथ ही यदि किसी योजना की प्रगति आशातीत नहीं है तो योजना में बाधा कहां पर आ रही है जिसके कारण योजना की प्रगति बाधित हो रही है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। हितग्राही मूलक एवं वर्क्स डिपार्टमेंट के योजनाओं की प्रकृति भिन्न–भिन्न होते हुये भी इन सभी का अनुश्रवण इस पद्धति के द्वारा किया जाना संभव हो सकेगा।

पुर्नगठित राज्य योजना आयोग द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं की भागीदारी की ओर भी आयोग प्रयासरत है।